

**जनपद बाँदा की औद्योगिक संरचना :**  
**उद्योग शून्यता के संदर्भ विशेष में**  
**जनपदीय औद्योगिकरण का**  
**आलोचनात्मक आर्थिक अध्ययन**  
(आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)  
कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय में  
डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि  
हेतु प्रस्तुत

**शोध प्रबन्ध**

2004



निदेशक

डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी

रीडर एवं विभागाध्यक्ष

अर्थशास्त्र विभाग

पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी० कॉलेज,

बाँदा (उ०प्र०)

शोधार्थी

रामभद्र त्रिपाठी

एम.ए. (अर्थशास्त्र)

शोध-केन्द्र

अर्थशास्त्र विभाग

पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी० कॉलेज, बाँदा (उ०प्र०)

प्रथम करें हम ध्यान प्रभु का, कृपा निधान है जो जन-जन का।  
चुनकर पथ कर्तव्य लगन का, करें आरम्भ युवा उद्यम का।।

उद्यम शास्त्र

डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी

एम०ए० (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), पी०एच०डी०  
रीडर एवं विभागाध्यक्ष : अर्थशास्त्र  
पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी० कॉलेज,  
बाँदा (उ०प्र०)

“ज्योति-कलश”

विश्वविहार कॉलोनी,  
कालू कुआँ, बबेरु रोड,  
बाँदा (उ०प्र०)  
फोन- 05192-220571

दिनांक : 19.02.2005

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

श्री रामभद्र त्रिपाठी ने “बाँदा जनपद की औद्योगिक संरचना :  
“उद्योग शून्यता” के संदर्भ विशेष में जनपदीय औद्योगीकरण का आलोचनात्मक  
आर्थिक अध्ययन” (आठवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक) विषय पर मेरे निर्देशन  
में शोध-प्रबन्ध पूर्ण किया है। इसकी सामग्री मौलिक है और यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी  
अन्य परीक्षा के लिए प्रयोग नहीं की गयी है।

इन्होंने इस शोध के सभी चरणों को अत्यन्त संतोषजनक ढंग से परिश्रम पूर्वक  
सम्पन्न किया है। मैं इस शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

Satish Kumar  
डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी

शोध निदेशक

रीडर एवं विभागाध्यक्ष  
पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी०  
कॉलेज, बाँदा (उ०प्र०)

## आभार प्रदर्शन

वर्तमान युग आर्थिक वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण का युग है। इस अवधारणा को सफल बनाने में महती योगदान उद्योग-धन्धों का है। प्राचीन समय में मनुष्य खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था उसकी आवश्यकताएं सीमित थीं। धीरे-धीरे मनुष्य के भौतिक जीवन में परिवर्तन आया तथा साथ ही उसकी आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। मनुष्य के ज्ञान में भी क्रमशः परिमार्जन होत गया तथा बढ़ती हुयी आवश्यकताओं ने उद्योग-धन्धों को जन्म दिया। उद्योग एवं आर्थिक-विकास का सीधा सम्बन्ध होता है। उद्योग धन्धे ही किसी एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अतः बांदा जैसे नितान्त पिछड़े जनपद की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक संरचना का पार्श्व-चित्र अंकित करने का यह अवदान निश्चित ही एक अभिनव प्रयास है, ऐसी मेरी धारणा है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में मुझे समय-समय पर पूज्य गुरुजनों, प्रिय शुभचिन्तकों, मित्रों तथा परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। इस शोध प्रबन्ध को अंतिम चरण तक पहुंचाने, दिशा एवं निर्देशन देने तथा पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ़कर संशोधन करने हेतु अपना अमूल्य समय देते हुये जो सुझाव दिये, इसका सम्पूर्ण श्रेय मेरे श्रद्धेय गुरुजी डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी० कॉलेज, बांदा को जाता है, जिन्होंने बुन्देलखण्ड प्रभाग के इस पिछड़े हुए जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस समस्या के प्रति मेरा ध्यान आकृष्ट कर शोध करने हेतु अनवरत साहस एवं प्रेरणा प्रदान की है। मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं कि मुझे उनके जैसे उदार एवं सहृदय व्यक्तित्व के दिग्दर्शन में यह शोध-कार्य सम्पूर्ण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन कला भी शब्दों की सीमा से परे है।

इस क्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० नन्द लाल शुक्ला जी, मेरे श्रद्धेय गुरु डॉ० विजय सिंह चौहान के प्रति भी आभारी हूं। जिन्होंने शोध-प्रबन्ध में मेरा दिशा-निर्देशन किया है।

मैं अपने पूज्य चाचा जी डॉ० रामानुज त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी, डी०एस०एन०

कॉलेज उन्नाव एवं चाची जी श्रीमती (डॉ०) किरन त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी, जुहारी देवी गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, कानपुर के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अध्ययन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समंको को उपलब्ध कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया है।

मैं अपने सभी सहपाठियों एवं मित्रों (सुयश जी और विनय जी) एवं अपने आदरणीय बाबाजी श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनका उदारतापूर्ण सराहनीय सहयोग व प्रेम इस शोध कार्य को पूरा करने में प्राप्त हुआ है।

मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, पूज्य माता जी एवं पूज्य पिता जी का हृदय से सम्मान करते हुये मैं अपने छोटे भाई चि० आलोक त्रिपाठी, मित्र एवं अग्रज श्री शिव ओऽम् तिवारी, अमेय प्रिंटर्स के श्री जयन्त गोरे तथा जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री जय सिंह सेंगर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने इस शोध कार्य के दौरान मुझे अगाध स्नेह, असीम साहस एवं उचित सहयोग प्रदान किया है। इसके आभाव में मेरे लिए शोध-कार्य को पूर्ण कर पाना सम्भव न हो पाता।

अन्त में मैं आदि शक्ति महेश्वरी माता जी, संकटमोचन महाराज हनुमान जी एवं अपने पूज्यनीय माता एवं पिता जी के चरणों में नतमस्तक हूँ जिनकी असीम अनुकम्पा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ और परिणामतः यह शोधकार्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर सका।

निष्कर्षतः मेरा यह विश्वास है कि मेरे इस शोध कार्य के प्रयास से बाँदा जनपद की अत्यन्त पिछड़ी हुयी एवं 'उद्योग-शून्य' अर्थव्यवस्था का ज्ञान होगा और इस तथ्य से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण एवं औद्योगिक-विकास के लिए अभिनव प्रयास किये जायेंगे, जो शोधार्थी के परिश्रम का उचित पुरस्कार होगा।

इसी अभिलाषा के संग।

*Ram Bhadr Tripathi*  
रामभद्र त्रिपाठी

शोधार्थी-अर्थशास्त्र विभाग

पं० जवाहरलाल नेहरू पी०जी० कॉलेज,

बाँदा (उ०प्र०)

## विषय सूची

| अध्याय अनुक्रम | विषय   | पृष्ठ संख्या |
|----------------|--|--------------|
| प्रथम अध्याय   | पूर्व पीठिका   | 1 - 39       |
| द्वितीय अध्याय | शोध अभिकल्प की अवधारणा पर पार्श्वदृष्टि  | 40 - 69      |
| तृतीय अध्याय   | बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना का वर्गीकरण एवं संदर्भित समयावधि में अवस्थिति का अध्ययन                      | 70 - 102     |
| चतुर्थ अध्याय  | बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' के निर्धारित तत्व का विश्लेषण   | 103 - 129    |
| पंचम अध्याय    | बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' के सापेक्ष संसाधन एवं सैविध्य विश्लेषण                                      | 130 - 153    |
| षष्ठम अध्याय   | बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' के सापेक्ष उद्यमशीलता विश्लेषण  | 154 - 178    |
| सप्तम अध्याय   | बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' के सापेक्ष वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थागत सुविधाएं एवं समस्याओं का अध्ययन | 179 - 203    |
| अष्टम अध्याय   | बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' की आपूर्ति के सापेक्ष सम्भावित उद्योग का अध्ययन                             | 204 - 228    |
| नवम् अध्याय    | संकल्पनाओं का सत्यापन, निष्कर्ष बिन्दु, नीतिगत विविक्षणं आदि का रेखांकीकरण                                 | 229 - 237    |
| परिशिष्ट       | प्रयुक्त साक्षात्कार सूची, आंकड़े आदि  | 238 - 249    |
| संदर्भ कोष     | संदर्भ ग्रन्थ सूची आदि   | 250 - 261    |

# प्रथम अध्याय

## प्रथम अध्याय

### प्रस्तावना

- पूर्व पीठिका
- उद्योग एवं आर्थिक विकास का सह-सम्बन्ध
- जनपदीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विलक्षणताएं
- जनपदीय औद्योगिक विकास पर संक्षिप्त ऐतिहासिक दृष्टि
- शोध समस्या का स्वरूप
- शोध समस्यागत साहित्य का सिंहावलोकन
- शोधगत कतिपय उद्देश्य
- शोध की वर्तमान प्रासंगिकता एवं ज्ञान के क्षेत्र में योगदान
- शोधगत परिसीमाएं, एवं
- अध्ययन के सोपान



## प्रथम अध्याय

### 1.1 पूर्व पीठिका :-

जनपद बाँदा धार्मिक एवं ऐतिहासिक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर चित्रकूट की पर्वत मालाओं की रमणीयता से मोहित होकर भगवान राम ने बनवास स्थल चुना था जिस पर मुस्लिम कवि रहीम ने लिखा-

“चित्रकूट में रम रहे रहिमान अवध नरेश,  
जेह पर विपदा परत है सो आवत यहि देश”

जनपद बाँदा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल का मुख्यालय है।<sup>1</sup> प्राचीन काल में यहां वामदेव ऋषि का निवास स्थान था और आज भी बामवेश्वर पर्वत में उनका आश्रम बना हुआ है और उन्हीं के नाम पर जनपद का नाम बाँदा पड़ा।

यहां पर समय-समय पर चन्देल बुन्देल, क्षत्रसाल एवं मराठों का शासन रहा।

वर्तमान नगर लगभग सन् 1787 में अली बहादुर प्रथम द्वारा बसाया गया जो कि क्षत्रसाल

1- जनपद बाँदा को वर्ष 1998 में प्रशासनिक दृष्टि से विभक्त कर नवीन जनपद चित्रकूट की स्थापना की गयी। अतः शोध अध्ययन में उल्लिखित कतिपय आँकड़े अविभाजित बाँदा के हैं। वर्तमान बाँदा जनपद में ही नवसृजित चित्रकूटधाम मण्डल का मुख्यालय स्थित है। इसके अन्तर्गत बाँदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर जनपद आते हैं।

के पौत्र व बांदी पौत्र के रूप के रूप में जाने जाते थे। जनपद मुख्यालय से 60 कि०मी० दूर कालिंजर नामक स्थान है जहां के प्रसिद्ध किले पर विजय की लालसा में शेरशाह सूरी ने अपने प्राण को गवांया। किंवदंती के अनुसार समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विष का पान करके भगवान शिव ने शीतलता प्राप्त करने हेतु यहां निवास किया था। बांदा का सांस्कृतिक एवं लोकजीवन अत्यन्त रोचक, साहस तथा शौर्य से परिपूर्ण है। सन् 1857 में बांदा जनपद के शासक अली बहादुर द्वितीय थे। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में यह जनपद क्रांति का प्रमुख गढ़ रहा परन्तु शीघ्र ही ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आ गया। सन् 1930 में गांधी जी ने बांदा का भ्रमण किया था तथा उसके पूर्व कांतिकारियों एवं आंदोलनकारियों ने स्वतन्त्रता संग्राम के हर क्रिया-कलाप में अपना सहयोग प्रदान किया एवं देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया।

बांदा जनपद से चित्रकूट अलग जिला बन जाने से इस जनपद का क्षेत्रफल घटकर 4112 वर्ग किमी० रह गया है। जनपद के उत्तर में फतेहपुर, दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (म०प्र०) स्थित है। पूरब में चित्रकूट धाम कर्वी (उ०प्र०) एवं रीवां (मध्यप्रदेश) स्थित है। पश्चिम में महोबा, हमीरपुर इसकी राजनैतिक सीमा निर्धारित करते हैं। यह जनपद 24.53 डिग्री एवं 25.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 80.87 एवं 81.34 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। विस्तार की दृष्टि से बांदा जनपद उत्तर से दक्षिण 104 किलोमीटर चौड़ा पूरब में भरतकूप से पश्चिम में मटौंध तक फैला है। बांदा को प्राकृतिक बनावट के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं-

1. केन के पास का पश्चिमी भाग,
2. मध्य का समतल मैदान

केन नदी के आस-पास तथा पश्चिम की ओर काली मार भूमि पायी जाती है। यह मिट्टी फसल उपज के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस भाग में अधिकतम बांदा तहसील का हिस्सा आता है।

मध्य समतल मैदान वाले भाग में बबेरु, अतर्रा व नरैनी तहसीलें आती हैं। यहां का अधिकतर भाग समतल है। केवल छोटी नदियों व नालों के किनारे ही ऊंचा-नीचा है। समतल होने के कारण इस क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। इस क्षेत्र में अधिकतर काबर व मार मिट्टी पायी जाती है। इस क्षेत्र में धान (चावल) की फसल अधिक होती है।

जनपद में पर्णपाती वन, झाड़-झोखड़, कटीली झाड़ियाँ, घास प्रमुख रूप से पायी जाती है। जनपद में प्रमुख रूप से बाम्बेश्वर, खत्री पहाड़, रामचन्द्र, सिंधल्ला, कालिंजर व रसिन पर्वत पाये जाते हैं। केन, यमुना, बागै, चन्द्रावल, गड़रा प्रमुख नदियाँ हैं।

बांदा जिले को हम दो प्राकृतिक भू-भागों में बांट सकते हैं-

#### मैदानी भाग :-

यह भाग केन, यमुना, बागै, चन्द्रावल, गड़रा आदि नदियां द्वारा निर्मित है। इस मैदान में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है। सिंचाई की उत्तम सुविधा के कारण अनाज बहुतायत मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। केन नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में काली मिट्टी पायी जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नदियों के किनारे पर ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां व फल आदि उगाये जाते हैं जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, करेला, खीरा, भिण्डी, तरोई, लौकी, कुल्फा, आदि। यह क्षेत्र बांदा तहसील में यमुना के किनारे चिल्ला नामक स्थान पर, केन के किनारे नरैनी तहसील में शेरपुर, बरईमानपुर, गन्छा, कहला, बांदा तहसील में कनवारा, भूरागढ़, अछरौड़, पैलानी, सिन्धन व बागै नदी के किनारे अतर्रा तहसील में बदौसा में पाये जाते हैं।

बागै नदी के दोआबा का यह मैदान कम उपजाऊ है एवं ऊबड़-खाबड़ है अतः यहां की अधिकांश भूमि कंकरीली, पथरीली, ऊंची-नीची है। यहां लाल रंग की मिट्टी पायी जाती है। इस क्षेत्र में धन, गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि पैदा किया जाता है। इस भाग में प्रमुख नगर नरैनी बसा है।

### पठारी भाग :-

जनपद का दक्षिणी भाग पठारी है जहां यत्र-त्रत पहाड़ियों के दर्शन होते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या विरल है। यहां की भूमि कंकरीली, पथरीली होने के कारण अनुपजाऊ है। वन स्थलों का क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में जलाऊ व इमारती कीमती लकड़ी मिलती है। जिस कारण इस क्षेत्र का अधिक महत्व है।

हमारा जनपद बांदा यमुना नदी और विन्ध्यांचल पर्वत की श्रेणियों के बीच स्थित है। इसके कुछ समतल भाग को छोड़कर शेष भाग ऊंचा-नीचा एवं पहाड़ी है। मण्डल बांदा के मुख्यालय बांदा में बाम्बेश्वर पर्वत है व नरैनी तहसील में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। जिसमें सिंधल्ला पहाड़, रामचन्द्र पहाड़, कालिंजर पहाड़, खत्री पहाड़, रसिन का पहाड़ प्रमुख हैं।

बांदा जनपद के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नदियां आदि काल से ही मानव जीवन एवं गतिविधि का साधन रही हैं। जिले की अधिकांश नदियां बरसाती हैं।

जिले की प्रमुख नदियां का विवरण निम्न है-

### यमुना नदी :-

यह नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह नदी जिले की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलकर दिल्ली, मथुरा, आगरा से होते हुये बांदा जिले में नारायण ग्राम के पास से हमारे जनपद में प्रवेश करती है। जिले की उत्तरी सीमा बनाते हुये इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है।

### केन नदी :-

केन नदी का प्राचीन नाम कर्णावती व सुक्तिमती था। यह मध्यप्रदेश के दमोह जिले के देबरी नगर के पास विन्ध्यांचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है। करतल ग्राम के पास बांदा जिले में प्रवेश करती है। चरखारी, गौरिहार की सीमाओं से बहती हुयी चिल्ला ग्राम के पास यमुना में मिल जाती है।

### बागै नदी:-

यह नदी पन्ना जिले के गौरिहार ग्राम के निकट विन्ध्याचल पर्वत से निकलती है। विलास ग्राम के पास यमुना नदी में मिल जाती है।

### गड़रा नदी :-

इस नदी का उद्गम स्थान नरैनी तहसील के बहेरी तथा गोखिया ग्राम के समीप नालों के सम्मिलित होने के कारण हुआ है।

### चन्द्रावल नदी :-

यह नदी महोबा जिले के पास चांदा नामक ग्राम से नाले के रूप में निकलती है। यह पैलानी ग्राम के समीप केन नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे प्रमुख रूप से गड़रिया, अमारा ग्राम बसे हुये हैं।

जनपद बांदा में तीन ऋतुएं पायी जाती हैं :-

जाड़ा, गर्मी एवं बरसात।

जिले में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। कभी-कभी तापमान 5 डिग्री तक गिर जाता है। कभी-कभी भंयकर सर्दी पड़ती है। जिससे फसलों में पाला पड़ जाता है। इस ऋतु में कभी-कभी हल्की वर्षा भी होती है जिससे रबी की फसल को अच्छा लाभ मिलता है।

ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहती है। यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तथा लू भी चलती है। ग्रीष्म ऋतु में पानी कम हो जाता है। जून 2001 में तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक रिकार्ड किया गया है।

यहां पर तीन मास ही वर्षा होती है। जुलाई, अगस्त, एवं सितम्बर में वातावरण हरा-भरा व मनोरम हो जाता है। मानसूनी वर्षा होने के कारण अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ जाता है। यहां औसत वर्षा 30'' से 40'' तक है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद 04 तहसीलों और 08 विकास खण्डों में विभाजित

है।<sup>2</sup> मध्य रेलवे तथा राजकीय परिवहन निगम एवं निजी बस परिवहन यातायात एवं परिवहन के मुख्य साधन हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के आन्तरिक साधन बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर हैं, जिनका अपना विशिष्ट महत्व है। जनपद की सन् 1991 में जनसंख्या 12,66,143 थी परन्तु बांदा से चित्रकूट अलग हो जाने के पश्चात सन् 2001 की जनगणना के अनुसार बांदा जनपद की जनसंख्या 8,00,462 है जिसमें 4,27,705 पुरुष तथा 3,72,887 महिलाएं हैं। वर्तमान समय में केन नदी और महाकवि केदार इस जनपद को गौरव मंडित कर रहे हैं। वस्तुतः यह जनपद बुंदेलखण्ड का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है।

## 1.2 उद्योग एवं आर्थिक विकास का सह-सम्बन्ध :-

हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह बदल रही है। प्रत्येक परिवर्तन के ऐसे नतीजे हो सकते हैं, जिनके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। शहरी विकास, बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, औद्योगिक प्रदूषण, जनसंख्या में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव सभी अपने चिन्ह छोड़ गये हैं।

महान विचारक एवं दर्शनशास्त्री अरस्तु ने कहा था कि “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” इसी बात को महान साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार कहा- “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन वह सबसे पहले एक वर्ग प्राणी है।” अर्थात् मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है क्योंकि वह सदा से आर्थिक क्रियाएं करता आया है और यही आर्थिक क्रियाएं आर्थिक विकास को आधार प्रदान करती हैं। आदिम अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को प्रकृतिदत्त वस्तुओं से पूरा कर लिया करता था। यह आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था थी तथा उस समय मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। परन्तु जैसे-जैसे

---

2- चित्रकूटधाम कर्वी जनपद बन जाने के बाद इस जनपद में 4 तहसीलें- बांदा, बबेरू, अतर्रा और नरैनी तथा 8 विकास खण्ड- बड़ोखर खुर्द, जसपुरा, तिन्दवारी, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन, महुआ एवं नरैनी हैं। कर्वी और मऊ तहसीलें (2) तथा विकास खण्ड- चित्रकूट, मानिकपुर, मऊ, पहाड़ी एवं रामनगर (5) नवसृजित जनपद में सम्मिलित हो गये हैं।

सभ्यता तथा ज्ञान का विकास होता गया मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं रहा और मानव को पूंजी का सहारा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों से पूरी होती है। अतः उस क्षेत्र के निवासी प्राप्त साधनों व कच्चा माल के आधार पर लघु स्तर पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करके अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन करते हैं। उद्योगों की स्थापना में भिन्नता उस क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल तथा उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक साधनों जैसे- यातायात का विकास, भूमि, मानव श्रम, पूंजी प्रबन्ध के कारण होते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मानव सभ्यता के इतिहास से ही आर्थिक विकास की प्रकृति का इतिहास सम्बद्ध है। आधुनिक युग में पूंजी के महत्व की निरन्तर वृद्धि होने के कारण विश्व के देश विकसित तथा अर्द्धविकसित दो भागों में विभक्त हो गये। विकसित और अविकसित अथवा अर्द्धविकसित राष्ट्रों के मध्य यद्यपि कोई प्रमाणिक विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है, वे राष्ट्र जो आर्थिक विकास की परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं और जहां पूर्ण औद्योगिक विकास हो चुका है विकसित राष्ट्र कहलाते हैं तथा इसके विपरीत जिन राष्ट्रों ने अपने प्राकृतिक साधनों का अभी पूरी तरह उपयोग (विदोहन) नहीं किया है और जहां निर्धनता बेरोजगारी तथा अविकसित प्रौद्योगिकी आदि का साम्राज्य है उन्हें अर्द्धविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्द्धविकसित राष्ट्रों द्वारा अपने उत्पादन के उपादानों का पूर्ण रूप से विदोहन नहीं हो पाता इसलिए औद्योगिकरण के विकास की गति भी धीमी होती है। अर्द्धविकसित देशों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि समस्याएं होती है और ये समस्याएं अर्द्धविकसित देशों के विशेष लक्षणों तथा परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य विकासशील प्राणी है। विकास के लिए अन्वेषण एवं सर्वेक्षण उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आदिम अवस्था से अब तक धरती के वाहन तथा आन्तरिक रहस्य को जानने के लिए मानव ने अपने अथक

परिश्रम के द्वारा पृथ्वी के उन्नत पर्वतों, पठारों अथाह समुद्रों तथा दुर्गम स्थानों की खोज की है एवं अपनी कुशाग्र बुद्धि से इनकी स्पष्ट ज्ञांकी सभी के सम्मुख प्रस्तुत की है। मानव अपने ज्ञान व परिश्रम से आज प्रकृति से शासित नहीं वरन प्रकृति पर शासक बन बैठा है परन्तु हमारे देश भारत में भी कुछ ऐसा है कि यह देश संसाधनों से युक्त होने पर भी वर्तमान विकास की दौड़ में पीछे है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहां स्वतन्त्रता के 56 वर्ष बाद भी पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। प्रकृतिप्रदत्त साधनों से धनी होने के बावजूद भी यहां निर्धनता, कुपोषण, बेरोजगारी आदि का साम्राज्य व्याप्त है। औद्योगिक विकास के लिए उत्पादन के साधन एवं पूंजी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं, लेकिन प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन एवं निम्न आय संतुलन की वजह से पूंजी निर्माण की गति धीमी होने के कारण औद्योगिक विकास अपनी युवावस्था में ही स्थिर है। उद्योगों की स्थापना, विकास, आधुनिकीकरण, विवेकीकरण एवं नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि सभी कार्यों के लिए पग-पग पर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु भारत में पूंजी निर्माण की गति अत्यन्त धीमी है और यही कारण है कि औद्योगिक विकास की गति भी बहुत धीमी है। परिणाम यह है कि पूर्ण आर्थिक विकास एक दूर कौड़ी नजर आता है क्योंकि औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास में सीधा सह-सम्बन्ध पाया जाता है। उद्योग-धन्धे ही किसी देश के विकास को परिपक्वता प्रदान करते हैं।

जनपद बांदा के संदर्भ विशेष में दृष्टि डालने पर जैसा कि पूर्व विदित है कि जनपद प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण है। लेकिन औद्योगिकरण का अभाव, अवस्थापना की कमी, पूंजीगत साधनों एवं उद्यमिता के अभाव ने जनपदीय अर्थव्यवस्था को गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं ने जकड़ रखा है। बांदा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। कृषि की धीमी प्रगति की तुलना में निरन्तर तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी तथा प्रछन्न बेरोजगारी को जन्म दिया। कार्य की कमी से यहां अधिकांश व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अत्यन्त कम है।



जनपद देश के पिछड़े हुये प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में से एक है। जनपद के पिछड़ेपन के पीछे जनपद की “उद्योग-शून्यता” की प्रवृत्ति ही कार्यशील है। अन्य पड़ोसी जनपद जैसे झांसी, कानपुर, इलाहाबाद आदि आर्थिक विकास के क्षेत्र में बांदा जनपद से मीलों आगे है। कारण वही हैं कि उपरोक्त जनपदों में उद्योग-धन्धों का पर्याप्त विकास हो चुका है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उद्योग एवं आर्थिक-विकास का सीधा सह-सम्बन्ध होता है। बिना उचित औद्योगिक विकास के आर्थिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

### 1.3 जनपदीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विलक्षणताएं :-

भारत के बीमारू राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण, कृषि प्रधान और कच्चे सामान की निर्यातक तथा विनिर्मित और विधायित सामानों की आयातक अर्थव्यवस्था है जिसका औद्योगिक आधार अत्यन्त संकुचित है जैसा कि लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर के द्वारा वर्ष 1983 में औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवदेन, जनपद बांदा (बुन्देलखण्ड मण्डल) में व्यक्त किया गया है कि 11..... 15 लाख की जनसंख्या वाले एवं 7645 वर्ग किमी<sup>0</sup> में विस्तृत इस जनपद की अर्थव्यवस्था नितान्त कृषि प्रधान है तथा अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से जीवन-यापन हेतु कृषि पर निर्भर है एवं कृषि भूमि पर अत्यधिक भार है। जनपद के किसी भी वृहद एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाई के एक लम्बे अवसर तक कोई स्थापना न हो सकने से लाभ प्रद रोजगार अवसरों का नितान्त अभाव है एवं अधिकांश लोग बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी की चक्की में पिसते हुये दरिद्रता की सीमा के नीचे जीवन-यापन के लिए विवश है। जनपदीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विलक्षणताओं का अवलोकन करते हुये सर्वेक्षण प्रायः इंगित करता है कि जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यमिता का नितान्त अभाव है जो कि औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण हैं जनपद के अशिक्षित कृषक परिवार के सदस्य अधिकांशतः बचपन से ही स्वाभाविक रूप से घरेलू कृषि कार्यों में

लग जाते हैं तथा शिक्षित नवयुवक जनपद में लाभप्रद रोजगार के अवसरों के अभाव में औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगरों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हेतु पलायन कर जाते हैं।<sup>3</sup> जनपद की सामान्य आर्थिक स्थिति कमजोर एवं निम्न उपभोग स्तर के कारण पूँजी निर्माण एवं निवेश क्षमता अत्यधिक सीमित है। कुछ धनी व्यक्ति जो पूँजी निवेश में सक्षम हैं साक्ष्य एवं आधुनिक ज्ञान की कमी के कारण अपनी सीमित पूँजी का सदुपयोग न कर भूमिगत कर देते हैं या परम्परागत ब्याज में पैसा देकर सुनिश्चित लाभ कमाना चाहते हैं। अंध विश्वास, दुनिया एवं भाग्यवादी प्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधा एवं उपादानों की अज्ञानता आदि तमाम ऐसे कारण हैं जिससे जनपद का आर्थिक विकास अभी तक नहीं हो सका है एवं यह जनपद प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े जनपदों में प्रथम स्थान पर है। शासन द्वारा किसी भी वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में स्थापना के प्रति उदासीनता भी काफी सीमा तक वर्तमान स्थिति के प्रति उत्तरदायी है। उपरोक्त परिस्थिति को तीव्र गति से बदलने हेतु बहुमुखी प्रयास की आवश्यकता है।”<sup>4</sup> पुनः वर्ष 1997 में कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बांदा ने “जनपद बांदा में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं एवं सहायताएं” शीर्षक से एक अध्ययन में अवलोकन किया कि “औद्योगिक विकास की दृष्टि से बांदा उद्योग शून्य एवं ए श्रेणी का पिछड़ा जनपद है। जनपद में लगभग 14 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से वृहत् एवं मध्यम स्तर की दो औद्योगिक इकाइयां में 0 यू0पी0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0 (काटन यार्न) चिल्ला रोड, बांदा (सम्प्रति जो इस समय पूर्णतया बंद पड़ी हुयी है। तथा में 0 परेरहाट स्टील लि0 (एलाय स्टील कटिंग) मर्का, बांदा

---

3- यह रिपोर्ट जनपदीय औद्योगिक स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। सन्दर्भ है- भारत सरकार, उद्योग मन्त्रालय लघु उद्योग विकास संगठन - औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन - जनपद बांदा बुन्देलखण्ड मण्डल, प्रकाशक- लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर, पृष्ठ 43.

4- पूर्व उद्धरित

---

में स्थापित है। वृहद स्तर की एक इकाई में 0 काटीनेंटल प्लोट ग्लास लि०, बरगढ़ का निर्माण कार्य आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण रुका हुआ है। जनपद में 31 मार्च 96 तक 18 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से 1931 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो चुकी है। जिसमें लगभग 6518 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। जिनमें कुछ प्रमुख इकाइयां खाद्य तेल, दालें, चावल, पिसे मसाले, आइसक्रीम, स्टील फर्नीचर, बाक्स, आलमारी, ग्रिल, चैनल, कृषि यंत्र, स्टोन क्रेशर एवं कटिंग, सीलिंग व टेबुल फैन असेम्बलिंग, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रिक आइटम रिपेयरिंग, मोटर बाइडिंग, विद्युत केबिल, प्रिंटिंग प्रेस, रैक्सीन बैग, डिटर्जेंट सोप, धागे की रील, बेसन मिल आदि की है। इसके अतिरिक्त लेदर के जैकेट, आधुनिक बेकरी, प्लास्टिक शू, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग, स्टील फैब्रीकेशन, मिनीसीमेंट प्लान्ट, आधुनिक बाल प्लान्ट, मिनी दाल मिल आदि की इकाइयां प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन है। जहाँ तक वृहद शिल्प का प्रश्न है बांदा शहर में विश्व प्रसिद्ध शजर पत्थर के तराशने का कार्य, पैलानी में सरौता, चित्रकूट धाम कर्वी में लकड़ी के खिलौने एवं पत्थर की मूर्तियाँ, केन नदी के रंगीन पत्थरों की कलाकृतियाँ, चाँदी के आभूषण एवं आर्टिफीशियल गहने प्रमुख हस्तशिल्प है।<sup>5</sup> औद्योगिक शून्यता के प्ररिप्रेक्ष्य में, स्वतन्त्रता के 56 वर्षों बाद भी इस अर्थव्यवस्था का सपाटपन कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है क्योंकि यह तो इस जनपद के निम्न विकास के दीर्घ कालीन संतुलन जाल का प्रत्यक्ष प्रतिफलन है। इस निम्न संतुलन जाल में फंसा हुआ जनपद का सामाजिक जीवन जो कि औद्योगिकरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। निम्न विकास का संतुलन जाल सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है, जिसे 'हार्वे लिब्रिन्स्टीन'<sup>6</sup> और तदुपरान्त 'आर०


5- कार्यालय महाप्रबन्धक - जिला उद्योग केन्द्र बांदा जनपद बांदा में औद्योगिक अवस्थापना-सुविधाएं एवं सहायताएं 1997, पृष्ठ - 4, 5

6- कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी बांदा : अष्टम पंचवर्षीय योजना, वार्षिक जिला योजना, 1995-96, जनपद बांदा, पृष्ठ 3.

आर० नेल्सन<sup>7</sup> ने अल्पविकसित कृषीय अर्थव्यवस्थाओं के पिछड़ेपन, गरीबी के दुष्चक्र की क्रियाशीलता और इस जाल से निकलने तथा विकास की गत्यात्मकता को प्राप्त करने की व्यूह-रचना के सापेक्ष किया था। इस विश्लेषण को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बांदा जनपद की अल्पविकसित, स्थैतिक एवं रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था के निम्न स्तरीय संतुलन जाल पर आरोपित किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में चित्र नं० 1.1 अवलोकनीय है।

### चित्र संख्या 1.1

#### निम्न संतुलन जाल की अवधारणा लीबिन्स्टीन अभिमत (1)



चित्र संख्या 1.1 में LY अर्थव्यवस्था की आय रेखा है तथा  $E_1, E_2, E_3$  एवं  $E_n$  आय उत्पाद तथा जनसंख्या को समाहित करते हुये औसत उत्पादकता वक्र है। आधार अक्ष OX समय तथा लम्ब अक्ष  $OX_1$  प्रतिव्यक्ति आय दर्शा रहे हैं। बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में दीर्घकालिक रूपान्तरण और कृषि क्षेत्र में 'उत्पादन ह्रास मान नियम' की क्रियाशीलता के कारण उत्पादकता का वक्र समयान्तर में

7- दृष्टव्य है - आर.आर. नेल्सन, "ए थियरि ऑफ द लो लेवल एक्विलिबिरियम ट्रैप' अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, दिसम्बर 1956.


बांयी ओर विवर्तित हुआ है तथा  $OP_n$  समय में अर्थव्यवस्था  $E_n$  बिन्दु पर संतुलित हुयी है जहां आय का स्तर  $O_n$  है जो कि स्थिर है क्योंकि आय ऐसा क्षैतिज है  $E_n$  बिन्दु इस जनपद के विकास का निम्न स्तरीय बिन्दु है, क्योंकि आय स्थिर है। आय की स्थिरता वस्तुतः एक अर्थव्यवस्था के निम्न संतुलन जाल में फंसी होने की द्योतक हैं तीर वाला टूटी लाइन वाला  $E_n B_2$  परिपथ इसी पृष्ठ संवृद्धि प्रक्रिया को अभिसूचित कर रहा है। सत्य तो यह है कि वर्ष 1951-1991 तक जनपद बांदा की प्रतिदशक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुयी है। जनसंख्या अपने प्राथमिक रूप में मुख्यतः उपभोग जनसंख्या के रूप में वढती है। एक निश्चित समय बाद (लगभग 20 वर्षों बाद) वह उत्पादक जनसंख्या एक कार्यशील श्रम शक्ति के रूप में बदलती है, लेकिन तब तक तो उपभोग जनसंख्या उत्पादक क्रियाओं, आय और विनियोजन वृद्धि के लाभ को खा जाती है और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था आगे बढने के बाद भी पुनः निम्न संतुलन के स्तर पर लौट आती है। जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था भी कमोवेश इसी स्तर पर विद्यमान है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि तो बहुत तेजी के साथ हो रही है लेकिन उत्पादन क्रियाएं अपनी शैशवास्था में ही विद्यमान हैं। जनपद की अर्थव्यवस्था में नेल्सन का यह विश्लेषण लगभग सत्य प्रतीत होता है जिसे चित्र संख्या 1.2 से स्पष्ट किया जा रहा है।

चित्र संख्या 1.2 में दिखलाया गया है कि  $E_0$  बिन्दु पर आय संवृद्धि एवं जनसंख्या संवृद्धि दोनों संतुलित है और निम्न स्तर पर संतुलित है। यदि किसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की आय इस बिन्दु से ऊपर की ओर बढ़ती है ( $Y_0 Y_1$ ) वक्र, तो जनसंख्या भी बढ़ती है ( $P_0 P_1$ ) वक्र जनसंख्या वृद्धि का वक्र आय संवृद्धि से अधिक है। फलतः Z बिन्दु तक जाकर भी अर्थव्यवस्था  $E_0$  बिन्दु पर वापस लौट आती है। Z बिन्दु के बाद जब आय-संवृद्धि जनसंख्या संवृद्धि से अधिक हो जाती है तभी अर्थव्यवस्था में स्थायी संवृद्धि उत्पन्न हो पाती है। बांदा जनपद के संदर्भ में स्थायी संवृद्धि तो दूर की बात है सवाल तो यह है कि कौन से उपाय किये जायें कि यह अर्थव्यवस्था  $E_0$  बिन्दु से निकलकर Z बिन्दु को पार कर जाये। कुल

मिलाकर ऐतिहासिक एवं दीर्घकालीन प्ररिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि यह जनपद गरीबी और अल्पविकास के दुष्चक्र में फंसा है और समग्र अर्थव्यवस्था में मात्र स्थैतिक विकास की प्रणाली के उद्भव के कारण यह निम्न संतुलन जाल में फंसी है।

### चित्र संख्या 1.2

#### निम्न संतुलन जाल का दुष्चक्र (नेल्सन अभिमत)



अन्य जनपदों एवं उत्तर प्रदेश के स्तर पर एक समयान्तर में यह अन्तराल बढ़ा है जिसके व्यापक होते जाने की पूर्ण संभावना है। यदि बड़े और रणनीतिक उपाय न किये गये तो बांदा जनपद की आर्थिक विषमताओं और इसके दीर्घकालिक निम्न संतुलन जाल को तोड़ सकना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो जायेगा। जनपदीय अर्थव्यवस्था के निम्न संतुलन जाल को कतिपय आधारभूत समंको से भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस संदर्भ में तालिका संख्या 1.1 दृष्टव्य है।

## तालिका सं. 1.1

बांदा जनपद में जनसंख्या (लाख में)

| वर्ष               | जनसंख्या |
|--------------------|----------|
| 1901               | 6.19     |
| 1911               | 6.45     |
| 1921               | 6.03     |
| 1931               | 6.41     |
| 1941               | 7.40     |
| 1951               | 7.30     |
| 1961               | 9.55     |
| 1981               | 15.34    |
| 1991               | 18.62    |
| 2001               | 11.74    |
| (विभाजन के पश्चात) |          |

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका बांदा, 2002

## तालिका संख्या 1.2

## बांदा जनपद में साक्षरता का प्रतिशत

| वर्ष | साक्षरता का प्रतिशत |
|------|---------------------|
| 1961 | 14.86               |
| 1971 | 19.39               |
| 1981 | 23.30               |
| 1991 | 35.70               |
| 2001 | 51.67               |

स्रोत : पूर्व उद्धरित संदर्भ

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में माननीय संसाधन एवं इसका कौशल महत्वपूर्ण है। निम्न संतुलन जाल के भेदन में इसकी सहभागिता का स्पष्ट योगदान है। मानवीय संसाधन मानव-पूँजी है। इसका विनियोजन किसी भी स्तर की अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया का अंगीभूत प्रत्यय है। जनपदीय अर्थव्यवस्था में माननीय संसाधन पर्याप्त हैं और 1981 से इसमें निरन्तर वृद्धि हुयी है लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से यह हीन है। क्योंकि जनपद में साक्षरता की दर अत्यन्त निम्न है। महिलाएं जो कि विकास प्रक्रिया में समान साझीदार होती हैं उनकी स्थिति तो बहुत शोचनीय है। 2001 में जनपदीय साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है जो यह प्रदर्शित करता है कि जनपद की आधी जनसंख्या बिल्कुल ही कौशल विहीन है। इस सन्दर्भ में तालिका संख्या 1.1 एवं 1.2 दृष्टव्य है।

वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर कुल कर्मकारों की संख्या 1206566 थी जो कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत थी। ये कर्मकार विभिन्न कार्य कलापों जैसे कृषि, पशुपालन, पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक उद्योग, यातायात संचार आदि में कार्यरत थे। जनपद के कर्मकारों का व्यावसायिक वर्गीकरण अग्र तालिका में दिया गया है।



## तालिका सं. 1.3

## वर्ष 1991 में जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण

| क्र०सं० | व्यवसाय                   | कर्मकारों की संख्या | प्रतिशत |
|---------|---------------------------|---------------------|---------|
| 1.      | कृषक                      | 772250              | 64.0    |
| 2.      | कृषि श्रमिक               | 335736              | 27.8    |
| 3.      | पशुपालन एवं वृक्षारोपण    | 5758                | 0.5     |
| 4.      | खान खोदना                 | 2094                | 0.2     |
| 5.      | पारिवारिक उद्योग          | 16606               | 10.4    |
| 6.      | गैर पारिवारिक उद्योग      | 10310               | 0.9     |
| 7.      | निर्माण कार्य             | 4642                | 0.4     |
| 8.      | व्यापार एवं वाणिज्य       | 17994               | 10.5    |
| 9.      | यातायात संग्रहण एवं संचार | 4720                | 0.4     |
| 10.     | अन्य कर्मकार              | 36456               | 3.0     |
| 11.     | कुल मुख्य कर्मकार         | 1809849             |         |
| 12.     | सीमान्त कर्मकार           | 259208              |         |

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1997

तालिका संख्या 1.3 के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनपद के अधिकांश लोग कृषक हैं। कृषक के बाद दूसरे नम्बर पर मजदूर हैं जिनका प्रतिशत 27.8 है। बाकी शेष कर्मकार, पशुपालन, खान खोदना, पारिवारिक उद्योग एवं अन्य पारिवारिक उद्योग में कार्यरत हैं। तालिका में दिये गये व्यावसायिक वर्गीकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या कुल कार्यशील जनसंख्या का केवल 10.13 प्रतिशत है जो कि बहुत ही कम है।

स्त्री जनसंख्या इस जनपदीय अर्थव्यवस्था के नाड़ी तन्त्र को संचालित करती है क्योंकि अधिकांश कृषि एवं सम्बन्धित क्रिया-कलापों का भार स्त्री जनसंख्या पर ही है। पुरुष जनसंख्या प्रायः वर्ण एवं वर्ग संघर्ष तथा मुकदमें बाजी में उलझी रहती है। उसको रोटी की संस्कृति के बजाय बंदूक की संस्कृति पर अधिक विश्वास है। प्रकृति के विपरीत पुरुष समाज विकास प्रक्रिया में कम सक्रिय है लेकिन पुरुष-मूलक विकास की संरचना में उसके लाभों के आवंटन में पुरुषों का हिस्सा ज्यादा है। स्त्री साक्षरता की दर कम होते हुये भी वे इस जनपद की अर्थव्यवस्था की प्राथमिक संचालक है। लेकिन सामाजिक गतिशीलता की कमी तथा 'पर्दा प्रथा' के कारण वे विकास की प्रक्रिया में 'असमान साझीदार' हैं। सम्भवतः निम्न-संतुलन की क्रियाशीलता में इस प्रकार के कारक का अपना विशिष्ट स्थान है। इस परिस्थिति को और अधिक संचयी यह तथ्य बनाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही यह नहीं समझ पाते कि विकास के कौन कौन से सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं की योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं और उनकी उक्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों में लोकप्रिय सहभागिता क्या है? साक्षरता की दर निम्न होने से न केवल उक्त विपरीत परिणाम हुये हैं बल्कि यह भी हुआ है कि यहां की जनसंख्या विशेषतः ग्रामीण जनसंख्या में 'विकास एवं समृद्धिकरण' का मनोविज्ञान विकसित नहीं हुआ है। 'यथास्थिति' के 'निर्धारण वाद' ने तब यदि निम्न संतुलन के जाल को जन्म दिया है और उसे संचयी बनाया है तो यह आश्चर्य जनक नहीं है।

एक विशेष बात और यह कि यहां की अर्थव्यवस्था 'सामन्तवादी' है। एक ओर साधन-सम्पन्न उच्चवर्गीय कृषक वर्ग है, तो दूसरी ओर लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि-श्रमिक (साधन-विपन्न) मध्यम तथा निम्न-वर्ग है। अर्थव्यवस्था में शक्ति के सम्बन्ध प्रथम वर्ग की ओर से प्रतिपादित किये जाते हैं। आय, उत्पादन तथा अवसरों को विकास प्रक्रिया के लाभों को यह वर्ग अपने पक्ष में करने में सफल रहता है। फसल: दूसरा वर्ग 'यथाशक्ति के निर्धारणवाद' में इस प्रकार फैसला है कि इसके विकास एवं समृद्धि की

अन्तश्चेतना मात्र यथास्थितिवाद में बदल जाती है और समग्र परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति 'निम्न-संतुलन-जाल' को संचयी बनाने में सहयोग करती है। इसी अनुक्रम में यह दृष्टव्य है कि इस जनपद में औद्योगिक-शून्यता के कारण नगरीकरण की दर पर्याप्त निम्न है। वर्ष 1991 में यह मात्र 12.5 प्रतिशत थी। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक बड़े औद्योगिक केन्द्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। यह इसलिये भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी की दर निम्न है और 'शक्ति के सम्बन्धों' का निर्धारण सामन्त वर्ग की ओर से किये जाने के कारण उन्हें बंधुआपन तथा शोषण का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार यहां की श्रम-शक्ति जनपदीय कृषि विकास में अपनी युक्ति-युक्त सहभागिता नहीं निभा पाती। श्रम के रूप में संसाधन का पलायन इस जनपद की त्रासदी है और निम्न संतुलन जाल को प्रभावी बनाती है। उल्लेखनीय है कि एक अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया में होने से अथवा इस प्रक्रिया के उर्ध्वमुखी होने का तात्पर्य है कि उस अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुये हैं। ये संरचनात्मक परिवर्तन केवल कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास से ही नहीं होते हैं बल्कि संस्थानात्मक विकास से भी होते हैं। बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था का संस्थानात्मक विकास भी उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लगभग 10 लाख की जनसंख्या के सापेक्ष-संरचनात्मक सुविधाएं लगभग नगण्य सी हैं। फलतः इस हेतु जनपदीय अर्थव्यवस्था को महानगरों पर आश्रित होना पड़ता है। चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। अल्प संस्थानात्मक विकास संरचनात्मक परिवर्तनों को रूपायित नहीं कर सकता वल्कि यह तो निम्न-संतुलन-जाल को पोषित भर कर सकता है।

जनपदीय अर्थव्यवस्था के अल्प संस्थानात्मक विकास की अद्यतन झलक अग्र पृष्ठ पर दी गयी तालिका से प्रदर्शित की जा रही है-

## तालिका सं० 1.4

## बांदा जनपद में संस्थानात्मक विकास

| क्र०सं० | मद  | इकाई   | अवधि    | विवरण |
|---------|---|--------|---------|-------|
| 1.      | नगर पालिका                                      | संख्या | 1994-95 | 03    |
| 2.      | पुलिस स्टेशन                                    | "      | "       | 16    |
|         | अ) नगरीय  | "      | "       | 18    |
|         | ब) ग्रामीण                                      | "      | "       | 15    |
| 3.      | बस स्टेशन/बस स्टॉप                              | "      | "       | 141   |
| 4.      | रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)                       | "      | "       | 19    |
| 5.      | डाकघर   | "      | "       | 22    |
|         | अ) नगरीय  | "      | "       | "     |
|         | ब) ग्रामीण                                      | "      | "       | 264   |
| 6.      | टेलीफोन कनेक्शन                                 | "      | "       | 3157  |
| 7.      | राष्ट्रीय कृत बैंक शाखाएं                       | "      | "       | 38    |
|         | अ) अन्य   | "      | "       | 08    |
| 8.      | ग्रामीण बैंक शाखाएं                             | "      | "       | 83    |
| 9.      | सहकारी बैंक शाखाएं                              | "      | "       | 17    |
| 10.     | सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास<br>बैंक की शाखाएं | "      | "       | 04    |
| 11.     | सस्ते गल्ले की दुकान                            | "      | "       | 988   |
|         | अ) ग्रामीण                                      | "      | "       | 95    |
|         | ब) नगरीय  | "      | "       | -     |
| 12.     | बायो गैस सयन्त्र                                | "      | "       | 2589  |

| क्र०सं० | मद  | इकाई | अवधि    | विवरण |
|---------|---|------|---------|-------|
| 13.     | शीत भण्डार  | ”    | ”       | 08    |
| 14.     | शिक्षा  | ”    | ”       | 1481  |
|         | अ) जूनियर बेसिक स्कूल   | ”    | ”       | 356   |
|         | ब) सीनियर बेसिक स्कूल   | ”    | ”       | 06    |
|         | स) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   | ”    | ”       | 68    |
|         | द) डिग्री कालेज   | ”    | ”       | 04    |
|         | य) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान   | ”    | ”       | 07    |
|         | र) पॉलिटेक्निक  | ”    | ”       | -     |
| 15.     | चिकित्सालय एवं औषधालय   | ”    | ”       | -     |
|         | अ) एलोपैथिक   | ”    | ”       | 93    |
|         | ब) आयुर्वेदिक   | ”    | ”       | 28    |
|         | स) होम्योपैथिक  | ”    | ”       | 34    |
|         | द) युनानी   | ”    | ”       | 04    |
|         | य) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र   | ”    | 1994-95 | 14    |
|         | र) परिवार एवं शिशु कल्याण केन्द्र                                     | ”    | ”       | 31    |
| 16.     | विद्युतीकृत कुल ग्राम   | ”    | ”       | 783   |
|         | अ) विद्युतीकृत आवाद ग्राम   | ”    | ”       | ”     |
|         | ब) विद्युतीकृत नगर  | ”    | ”       | -     |
| 17.     | सिनेमा गृह  | ”    | ”       | 08    |
| 18.     | नल/हैण्डपाइप इंडिया मार्क-2 लगाकर<br>जल आपूर्ति के अन्तर्गत लाये गये। |      |         |       |
|         | अ) ग्रामीण समुदाय   | ”    | ”       | 438   |

| क्र०सं० | मद                            | इकाई | अवधि | विवरण |
|---------|-------------------------------|------|------|-------|
|         | ब) नगर                        | ''   | ''   | -     |
| 19.     | पशु चिकित्सालय                | ''   | ''   | 33    |
| 20.     | सेवायोजन कार्यालयों की संख्या | ''   | ''   | 03    |

स्रोत : कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी बांदा : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बांदा 1995

पृष्ठ 1-4

स्वातंत्रोत्तर अवधि में जनपद में नगरीय एवं जनपदीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या में वृद्धि तथा जनपदीय सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप उपरोक्त संस्थानिक विकास को अपर्याप्त ही कहा जा सकता है क्योंकि अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक एवं कानूनी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, तकनीकी तथा यांत्रिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए जनपद प्रदेश के महानगरों पर पर्याप्त मात्रा में निर्भर है। जो भी संस्थानिक विकास हुआ है वह प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए अधिक है तथा जनपदीय विकास प्रक्रिया के अंगीभूत कारणों के रूप में कम। फलस्वरूप जनपद में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ापन हावी है। निम्न संतुलन-जाल के पोषण के तारतम्य में उपरोक्त कारण भी महत्वपूर्ण है।

जहां तक रोजगार-जनन का प्रश्न है, कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध कुटीर एवं लघु उद्योग रोजगार के भुष्य साधन हैं। उद्योग-शून्यता के कारण औपचारिक रोजगार सृजन अत्यन्त अल्प हैं। साथ ही जनपदीय अर्थव्यवस्था में साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर कम होने तथा तकनीकी कला-कौशल की कमी के कारण अकुशल श्रमिक बहुतायत में हैं जो कि कृषक-मजदूर तथा दैनिक, अल्पकालिक, अंशकालिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र के स्वरोजगार में स्वयं को अवशोषित करके जीवन-यापन कर रहे हैं। यह वह जनपद है जहां बन्धुआ तथा बाल श्रमिकों की पर्याप्त संख्या है, यद्यपि बन्धुआ श्रमिकों की पहचान जरा कठिन है। सेवायोजन

कार्यालयों की रोजगार के क्षेत्र में भूमिका बहुत सराहनीय नहीं कही जा सकती है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में रोजगार-जनन में भूमिका नहीं निभाई है। औसत रूप से पंजीकरण के 5 वर्षों तक तो यह रोजगार उपलब्ध करा ही नहीं पाता है। अतः संगठित क्षेत्र में रोजगार-जनन की नगण्य स्थिति के कारण जो भी रोजगार हैं वह अनौपचारिक क्षेत्र में सृजित होता है। उपरोक्त विवरण के संदर्भ में अग्र तालिकाएं दृष्टव्य हैं।

### तालिका सं. 1.5

#### अवधि 1970-1974 में सेवायोजन कार्यालय द्वारा किया गया कार्य

| क्र. सं. | वर्ष | नियोक्ताओं द्वारा विज्ञापित पद | रोजगार हेतु पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या | जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या | व्यक्तियों को प्राप्त रोजगार |             |
|----------|------|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
|          |      |                                |  |                                       | जिला परिषद में शिक्षक        | राजकीय सेवा |
| 1.       | 1970 | 1350                           | 7318                                     | 2781                                  | 628                          | 478         |
| 2.       | 1971 | 723                            | 6,088                                    | 2,756                                 | 183                          | 321         |
| 3.       | 1972 | 976                            | 8,620                                    | 5010                                  | 323                          | 479         |
| 4.       | 1973 | 1071                           | 8008                                     | 5,698                                 | 373                          | 512         |
| 5.       | 1974 | 654                            | 6564                                     | 55250                                 | 189                          | 345         |

स्रोत : गजेटियर बांदा, पृ० 163

## तालिका संख्या 1.6

जनपद में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा किया गया कार्य : 1992-1995

| क्र.सं. | मद  | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---------|---|---------|---------|---------|
| 1.      | सेवायोजन कार्यालयों की संख्या                     | 02      | 02      | 02      |
| 2.      | जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या             | 26,627  | 25,958  | 28,365  |
| 3.      | वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या            | 6778    | 5764    | 121,25  |
| 4.      | सूचित व्यक्तियों की संख्या                        | 97      | 52      | 110     |
| 5.      | वर्ष में कार्य में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या | 66      | 51      | 24      |

स्रोत : पूर्व उद्धरित सांख्यिकीय पत्रिका जनपद बांदा, 1995 पृ0 96

निष्कर्षतः यह अर्थव्यवस्था स्थैतिक विकास वाली तथा कृषि प्रधान है। उद्योग एवं निर्माण कार्य में कर्मकारों का अल्प प्रतिशत इसकी उद्योग शून्यता को दर्शाता है जो भी औद्योगिक विकास इस जनपद में हुआ है वह वस्तुतः इस अर्थव्यवस्था की अद्यतन प्रवृत्ति है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या पिछले वर्षों में 06 से अधिक नहीं रही। केवल कुटीर एवं लघु उद्योगों की इकाइयां अवश्य बढ़ी हैं वर्ष 1956 तथा वर्ष 1974 की कुटीर एवं लघु उद्योगों की एक झलक अग्र तालिका में दृष्टव्य है-



## तालिका संख्या 1.7

वर्ष 1956 एवं 1974 में कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रगति

| क्र.सं. | मद                                   | वर्ष 1956 | वर्ष 1974    |
|---------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 1.      | इकाइयों की कुल संख्या                | 236       | 153          |
| 2.      | नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या     | 1359      | 1163         |
| 3.      | कुल विनियोग (रु० में)                | 3,39,500  | 9,46,000     |
| 4.      | उपयोगित कच्चे माल का मूल्य (रु० में) | 2,89,900  | -            |
| 5.      | कुल उत्पादन (रु० में)                | 48,31,100 | 50,93,35,000 |

स्रोत : गजेटियर बांदा, पृ० 114

## तालिका सं. 1.8

जनपद में औद्योगीकरण की प्रवृत्ति

(कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत)

| क्र.सं. | मद  | 1987-88 | 1999-98  | 1989-90  |
|---------|---|---------|----------|----------|
| 1.      | पंजीकृत कारखाने   | 06      | 24       | अप्राप्त |
| 2.      | कार्यरत कारखाने   | 06      | 15       | ''       |
| 3.      | कारखाने जिनसे रिटर्न मिला                               | 06      | 11       | ''       |
| 4.      | औसत दैनिक अर्थात् श्रमिकों एवं<br>कर्मचारियों की संख्या | 1033    | 1175     | ''       |
| 5.      | उत्पादन मूल्य (हजार रु० में)                            | 67,500  | 1,38,548 | ''       |

स्रोत : पूर्व उद्धरित संख्यिकीय पत्रिका 1995

यद्यपि पंजीकृत कारखानों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ी किन्तु कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रगति तेजी से हुयी है। वर्ष 1989-90 से 1994-98 की कुटीर एवं लघु उद्योगों की प्रगति अग्रतालिका में दृष्टव्य है-

### तालिका 1.9

#### विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाइयों

1989-90 से 1994-98

| क्र. सं. | संस्थाओं के नाम                          | पंचायत द्वारा | क्षेत्र समिति द्वारा | औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा | पंजीकृत संस्थाओं | व्यक्तिगत उद्योग | कुल योग |
|----------|--|---------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 1.       | खादी उद्योग                              | -             | -                    | -                            | -                | 340              | 340     |
| 2.       | खादी उद्योग द्वारा प्रवर्तित ग्रामोद्योग | -             | -                    | -                            | 02               | -                | 02      |
| 3.       | लघु उद्योग इकाइयां                       | -             | -                    | -                            | -                | -                | -       |
| 3.1      | इन्जीनियरिंग                             | -             | -                    | -                            | -                | 27               | 27      |
| 3.2      | रसायनिक                                  | -             | -                    | -                            | -                | 16               | 16      |
| 3.3      | विधायन                                   | -             | -                    | -                            | 02               | 02               | 04      |
| 3.4      | हथकरघा                                   | -             | -                    | -                            | -                | 02               | 02      |
| 3.5      | पावरलूम                                  | -             | -                    | 14                           | 02               | 14               | 30      |
| 3.6      | रेशम                                     | -             | -                    | -                            | -                | 08               | 08      |
| 3.7      | नारियल की जटा                            | -             | -                    | -                            | -                | 08               | 08      |
| 3.8      | हस्तशिल्प                                | -             | -                    | -                            | -                | 221              | 221     |
| 3.9      | अन्य                                     | -             | -                    | -                            | -                | 699              | 699     |

स्रोत : कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा, संख्यिकीय पत्रिका 1990-1995

वस्तुतः इस जनपद के पिछड़ेपन, अल्पविकास, गरीबी, कुपोषण एवं असमानता के कारण रोजगार-जनन की क्षीण शक्तियों में सन्निहित हैं। आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का तदर्थवाद एवं उनका औपचारिक प्रशासनिक क्रियान्वयन एवं जनपदीय विकास प्रक्रिया में लोगों की लगभग निष्क्रिय सहभागिता ऐसे कारण हैं जिन्होंने इस जनपद के 'विकास अन्तराल' को मण्डलीय एवं प्रदेश स्तर पर बराबर बढ़ाया है। अतः निम्न संतुलन-जाल समयान्तर में, संचयी हुआ है। यदि बांदा जनपद और उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो यह अन्तराल सुस्पष्ट हो उठता है। तालिका नं. 1.10 इस संदर्भ में दृष्टव्य है-

### तालिका नं. 1.10

#### जनपद बांदा के विकास का स्तर एवं उत्तर प्रदेश से तुलना

| क्र. सं. | मद का नाम                    | वर्ष  | इकाई       | शहर    |              | उत्तर प्रदेश में बांदा का स्थान |
|----------|------------------------------|-------|------------|--------|--------------|---------------------------------|
|          |                              |       |            | बांदा  | उत्तर प्रदेश |                                 |
| 1.       | क्षेत्रफल                    | 1991  | वर्ग कि०मी | 7624   | 244411       | 05                              |
| 2.       | कुल प्रतिवेदित क्षे०         | 91-92 | हेक्टेयर   | 780814 | 27994076     | 03                              |
| 3.       | वनों के अन्तर्गत क्षे०       | 91-92 | "          | 77782  | 5165680      | 13                              |
| 4.       | बंजर एवं खेती के अयोग्य भूमि | 91-92 | "          | 36522  | 1020225      | 03                              |
| 5.       | कृषि हेतु बेकार भूमि         | 91-92 | "          | 33037  | 1027599      | 10                              |
| 6.       | बाढ़, वर्षा से प्रभावित      | 91-92 | "          | 74247  | 295380       | 02                              |
| 7.       | सकल बोया गया क्षे०           | 91-92 | "          | 581    | 25252        | 10                              |
| 8.       | शुद्ध बोया गया क्षे०         | 91-92 | "          | 499    | 17216        | 02                              |
| 9.       | सकल सिंचित क्षेत्रफल         | 91-92 | हजार हे०   | 176    | 15426        | 42                              |
| 10.      | शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल       | 91-92 | "          | 144    | 11948        | 43                              |
| 11.      | सकल सिंचित क्षे० का          | 91-92 | "          | 30.80  | 61.02        | 54                              |

|     |   |       |            |        |          |    |
|-----|---|-------|------------|--------|----------|----|
|     | बोये गये क्षेत्र से %   |       |            |        |          |    |
| 12. | शुद्ध सिंचित क्षेत्र का<br>बोये गये क्षेत्रफल से<br>प्रतिशत   | 91-92 | "          | 28.66  | 64.17    | 54 |
| 13. | जनसंख्या का घनत्व   | 91-92 | वर्ग किमी० | 244    | 473      | 51 |
| 14. | जनसंख्या  | 1991  | लाख        | 1862   | 139112   | 40 |
| 15. | अनु०जातियों की सं०  | 1991  | "          | 432884 | 29276455 | 40 |
| 16. | प्रतिलाख जनसंख्या पर<br>विद्यालयों की संख्या                  | 88-89 |            |        |          |    |
|     | अ) जू०बे० विद्यालय  | "     |            | 70     | 58       | 12 |
|     | ब) सी०बे०विद्यालय   | "     |            | 15     | 13       | 20 |
|     | स) हाईस्कूल विद्यालय  | "     |            | -      | -        | -  |
| 18. | 7 वर्ष से अधिक आय<br>का जनसंख्या से<br>प्रतिशत 100 पर         | 1991  | -          | 25.70  | 41.60    | 48 |
| 19. | विद्युतीकृत ग्रामों का<br>आबाद ग्रामों से %                   | 88-89 | -          | 58.91  | 69.76    | 42 |
| 20. | प्रतिलाख जन० पर<br>पंजीकृत कारखाने में<br>लगे लोगों की संख्या |       | -          | 60.00  | 527      | 41 |
| 21. | प्रतिलाख जन० पर<br>चिकित्सालय तथा                             |       | -          | 3.82   | 2.94     | 11 |

|  |       |       |       |       |    |
|--|-------|-------|-------|-------|----|
| औषधालय (एलोपैथिक)<br>की संख्या   |       |       |       |       |    |
| 22. प्रति लाख जनसंख्या<br>पर निर्माण विभाग के<br>अधीन<br>पड़ी सड़कों की लम्बाई | 87-88 | किमी० | 68.67 | 49.62 | 14 |

स्रोत : कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला योजना, 1996-97, जनपद बांदा, पृ०-4-5.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यह जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से (चित्रकूट जनपद को सम्मिलित करते हुये) प्रदेश में पांचवें स्थान पर बंजर एवं खेती के अयोग्य भूमि के सन्दर्भ में तीसरे स्थान पर बाढ़ वर्षा से प्रभावित क्षेत्रफल के सन्दर्भ में दूसरे स्थान पर और शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। शेष सभी तुलनाओं में बांदा की स्थिति प्रदेश की तुलना में 10 वें स्थान से ऊपर ही है। ये सभी स्थान जनपद की उद्योग-शून्यता के संकेतक हैं और इंगित करते हैं कि जनपदीय आर्थिक विकास की योजनाएं, परियोजनाएं और कियान्वयन मात्र कागजी हैं तथा उनके प्रतिफल स्थैतिक हैं। विकास एवं संवृद्धिगत लाभों के 'ट्रिकिल-डाउन प्रभाव'<sup>8</sup> इसलिए वस्तुतः नगण्य है। इसका संकेतक यह है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था चिन्तनीय स्तर तक अंसतुलित है। यही नहीं स्वयं कृषि क्षेत्र जिस पर यह अर्थव्यवस्था आधारित है उसमें वर्तमान समय में समस्त जोतों में लघु एवं सीमान्त जोतों का भागांश 70 प्रतिशत है। वर्ष 1980-81 में भी यह भागांश 72.76 प्रतिशत था अर्थात् स्थिति में नगण्य परिवर्तन हुआ है।

निहितार्थ यह है कि गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में बड़े कृषकों का प्रभुत्व है। लघु एवं

8- विकास के लाभों को निचले स्तर तक पहुँचाने की प्रक्रिया को 'ट्रिकिल डाउन प्रभाव' कहते हैं।

सीमान्त कृषक असमान्य कृषि आय-वितरण का शिकार है और जनपदीय आर्थिक विपन्नता के प्रतीक है। उपरोक्त समस्त विवरण यह संकेत आलोकित करते हैं कि स्वतन्त्रता के 50 वर्षों बाद भी बांदा जनपद में विकास और संवृद्धि की शक्तियों अत्यन्त निर्बल हैं तथा निम्न संतुलन का जाल संचयी हुआ है। जनपदीय आर्थिक विकास की योजनाएं इस जान को भेदने में असफल एवं असमर्थ प्रमाणित हुयी हैं।

### 1.5 जनपदीय औद्योगिक विकास पर संक्षिप्त ऐतिहासिक दृष्टि :-

बांदा की अर्थव्यवस्था मुगल काल में समृद्धि से पूर्ण थी। जैसा कि बांदा गजेटियर 1988 में संकेतिक भी है जनपद में गंजी, कपड़े, हस्तशिल्प के वस्तुओं के निर्माण तांबे और फूल के बर्तनों के निर्माण, कंबल और टाट तथा रस्सियों का कई स्थानों पर निर्माण होता था। कर्वी पत्थरों की मूर्तियों के निर्माण एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उस समय पत्थरों के काटने और उन पर पालिश का कार्य भी प्रसिद्ध था। कर्वी उस समय कांच एवं लाख की चूड़ियों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। वनोत्पाद के रूप में, बांस, इमारती लकड़ी और बीड़ी निर्माण के लिए तेंदु पत्ते का बांदा प्रमुख निर्यातक था। यह स्थिति अंग्रेजी-दासता युग में भी विद्यमान थी। यद्यपि जनपद के घरेलू उद्योगों का पतन दासता-युग में प्रारम्भ हो गया था। समयान्तर में बांदा जनपद की घरेलू औद्योगिक अर्थव्यवस्था विनष्ट हो गयी क्योंकि उसे ब्रिटिश काल की मिल-निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ी। साथ ही सरकारी सहायता और संरक्षण के अभाव में जनपदीय औद्योगिक संरचना चरमरा गयी और स्वातंत्रोत्तर काल में बांदा जनपद एक विशुद्ध कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में 'सपाट चेहरे वाली' अर्थव्यवस्था बन गयी। इस संदर्भ में बांदा गजेटियर 1988 में प्रकाशित ये वाक्यांश दृष्टव्य है:-

Poverty amidst plenty will describe the economic condition which has prevailed in the Banda district the past; for, with a good agricultural base and despite a reasonably good infrastructure the industrial base has remained quite weak resulting in a low income

of the district .....

Thought the district is which in mineral resources the lack of interpreneurship and technical know-how among the people and the paucity of skilled labour have been the major constraints has been one of the more backward ones in the state.....

The gaps between the dominating agriculture and the weak industrial base can be ineffectivity bridge only big a co-ordinated approach.<sup>9</sup>

### 1.6 शोध समस्या का स्वरूप:-

भारतीय संदर्भ में व्यष्टि स्तर पर विकास की धारणा वस्तुतः प्रशासनिक यन्त्र एवं राजनीति से संचालित है। जहां प्रशासनिक कुशलता होती है और राजनीतिक नेतृत्व सबल होता है अथवा सम्बन्धित क्षेत्र विद्यमान सत्ता के साथ होता है उस क्षेत्र का विकास शीघ्र होता है। बांदा जनपद शिथिल प्रशासन एवं राजनैतिक/शासकीय उपेक्षा या उदासीनता का सदैव ही शिकार रहा है। धारा के विरुद्ध यह जनपद राजनीति एवं सत्ता से संघर्ष का पर्याय बन गया है। अतः जनपद अपने चतुर्दिक विकास की बाट जोह रहा है।

जनपद बांदा शासन द्वारा “उद्योग-शून्य जिला” घोषित किया गया है। यहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का साधन मुख्यतः कृषि ही है। यहां की निर्धनता, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्याएं सुरसा की भांति मुंह फैलाये हुये हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छिपी बेरोजगारी गम्भीर रूप ले रही है। गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकराल गरीबी का अर्थ है विकराल बेरोजगारी विकराल बेरोजगारी गरीबी का ही जटिल रूप है। कोई भी अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान होने के कारण ही पिछड़ी और गतिहीन नहीं कही जा सकती है और न ही औद्योगीकरण विकास का पर्याय है। तथ्य यह है कि कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है तथा उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि मान नियम लागू होता है। अतः एक ओर साधन और विनियोजन के प्रतिफल घटते हैं

और दूसरी ओर बढ़ते हैं इसलिए ही प्रायः कहा जाता है कि कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में “विकास का पिछड़ापन प्रभाव”<sup>10</sup> और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में “विकास का प्रसार प्रभाव”<sup>11</sup> क्रियाशील होता है। इस प्रकार बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था भी उपरोक्त अवलोकन का अपवाद नहीं है। यहां की भी जनसंख्या मुख्य रूप से रोजगार हेतु कृषि पर ही निर्भर करती है और जैसा कि बताया जा चुका है कि कृषि में ‘उत्पादन ह्रास नियम’ क्रियाशील होता है। इस कारण लोगों की आय जनन क्षमता भी ह्रास मान नियम की क्रियाशीलता की शिकार होती है, जिससे गरीबी का दुष्क्रियाशील होता है। बांदा जनपद, जल सम्पदा, खनिज सम्पदा तथा वन सम्पदा से पूर्ण होने के कारण एक धनी जनपद है, लेकिन यहां के लोग एवं लोगों के कार्य करने के उत्साह गरीब है।

अध्ययन गत विषय के चयन का महत्वपूर्ण निहितार्थ यही है कि जनपद में प्रत्येक उचित साधन उपलब्ध होते हुये भी उनका उचित प्रकार से प्रयोग न कर पाना ही जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। अतः इस हेतु पर्याप्त सरकारी एवं निजी प्रयास किये जाने की मुख्य आवश्यकता है।

## 1.6 शोध समस्यागत साहित्य का सिंहावलोकन:-

प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक अध्ययन के साहित्य का आलोचनात्मक पहलू एक विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रस्तुत शोध-समस्या के सापेक्ष विस्तृत साहित्य का प्रायः आभाव है फिर भी शोध समस्या के लिए प्रयोग किये गये साहित्य को उद्धरित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं इस प्रकार हैं-

### 1. गजेटियर ऑफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बांदा 1988:-

बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना से सम्बन्धित अब तक दो गजेटियर

10- गुन्नार मिर्डल : ‘इकॉनामिक थ्योरी एण्ड अण्डर डेवलपड रीजन्स’, बोहरा एण्ड कम्पनी, में प्रयुक्त अवधारणा।

11- पूर्व उद्धरित



प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत अध्ययन में गजेटियर, 1988 के साहित्य का कतिपय प्रयोग किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जनपद में- 'सम्पन्नता में विपन्नता' विद्यमान है तथा जो भी औद्योगिक विकास हुआ है वह वस्तुतः इस जनपद की अद्यतन प्रवृत्ति है।

**2. औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन, कानपुर, वर्ष 1983:-**

लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर के द्वारा वर्ष 1983 में औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन जनपद, बांदा में व्यक्त किया गया है कि 11..... 15 लाख की जनसंख्या वाले एवं 7645 वर्ग कि०मी० में विस्तृत इस जनपद की अर्थव्यवस्था नितान्त कृषि प्रधान है तथा अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जीवन यापन हेतु कृषि पर निर्भर है एवं कृषि पर अत्यधिक भार है।

**3. जनपद बांदा में अवस्थापना सुविधाएं एवं सहायताएं : कार्यालय महाप्रबन्धक :-**

उपर्युक्त शीर्षक से प्रकाशित एक अध्ययन में यह बताया गया है कि जनपद औद्योगिक विकास की दृष्टि से 'उद्योग शून्य' एवं 'ए' श्रेणी का पिछड़ा जनपद है।

**4. उद्यम, उद्यमी, उद्यमिता : उद्यमिता विकास संस्थान :-**

इस पुस्तक में उद्यमिता के सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुये यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार इस प्रदेश में उद्यमिता की कमी परिलक्षित होती है।

**5. बुन्देलखण्ड समाज सृजन संवाद, नवम्बर 1999, रामराजा प्रांगण, ओरछा :-**

इस पुस्तक में प्रकाशित कुछ लेख जनपदीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित अपने

दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुये जनपदीय आर्थिक पिछड़ेपन को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं।

**6. कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी बांदा : अष्टम पंचवर्षीय योजना वार्षिक जिला- 1995-96 जनपद बांदा :-**

इस पुस्तक में यह मुख्य रूप से प्रकाशित किया गया है कि जनपद के दीर्घकालिक आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे सबल संकेत यह है कि औद्योगिक शून्यता की चिरकालिक परिस्थिति में इस जनपद का आज तक व्यावसायिक रूपान्तरण नहीं हुआ है, वस्तुतः यह स्वतंत्रता के 56 वर्षों बाद भी प्राथमिक स्तर का है क्योंकि जनपद की 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है।

**7. जनपद बांदा की औद्योगिक निर्देशिका : कार्यालय महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र :-**

इस निर्देशिका में बांदा जनपद में विकास खण्ड में वर्ष वार स्थापित इकाइयों का विवरण दिया गया है।

प्रस्तुत शोध-समस्या का उपरोक्त अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक साहित्य में बांदा जनपद को 'उद्योग-शून्य' तथा कृषि पर आधारित बताया है। जनपद में उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं का तो पूर्ण रूप से विश्लेषण किया गया है, लेकिन उद्योग से सम्बन्धित जनपद में किये जाने वाले अभिनव से सम्बन्धित कोई भी सुझाव न देना, इन सभी साहित्यों की मूलत्रुटि है।

**1.7 शोधगत कतिपय उद्देश्य :-**

प्रत्येक सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक शोध-समस्या के कतिपय उद्देश्य होते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना : "उद्योग -शून्यता" के सन्दर्भ विशेष में जनपदीय औद्योगिकरण का आलोचनात्मक आर्थिक अध्ययन है। अतः इस

विषय के सापेक्ष इसके कतिपय उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- (i) बांदा जनपद के आर्थिक पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है ?
- (ii) जनपद की ग्रामीण जनसंख्या को कृषि से उद्योग की ओर किस प्रकार स्थानान्तरित किया जावे ?
- (iii) जनपद की औद्योगिक संरचना को किस प्रकार एक मजबूत आधार प्रदान किया जावे।
- (iv) जनपद की 'उद्योग-शून्यता' को दूर करने सम्बन्धी किस प्रकार के अभिनव प्रयास किये जावें ?
- (V) किस जनपद की स्थैतिक अर्थव्यवस्था को गत्यात्मक स्वरूप प्रदान किया जावे ?
- (vi) जनपद के पूंजीपति वर्ग की पूंजी को रोजगार परक उद्योगों की ओर किस प्रकार आकर्षित किया जावे ? और
- (vii) सबसे महत्वपूर्ण यह कि अर्थव्यवस्था को निम्न संतुलन जाल से निकाल कर किस प्रकार विकास की पटरी पर लाया जावे ?

### 1.8 शोध की प्रवर्तमान प्रासंगिकता एवं ज्ञान के क्षेत्र में योगदान :-

ज्ञान के इस क्षेत्र में कोई भी अध्ययन अप्रासंगिक नहीं होता है तथा इस अध्ययन का योगदान कभी न कभी तथा कहीं न कहीं समाज में अवश्य परिलक्षित होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन भी इस सम्बन्ध में अपवाद नहीं है।

अपने सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बांदा जनपद प्रत्येक क्षेत्र में शोध के बहुमुखी आयाम प्रस्तुत करता है, इसलिए बांदा जनपद के लिए कोई भी सामाजिक, आर्थिक अनुसंधान निश्चित रूप से जीवित सत्य उद्धरित करने का प्रयास है।

भारत में उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास में देश के अन्य प्रदेशों में पिछड़ा तथा अविकसित प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्दर ही आर्थिक विकास के स्वरूप में असमानता है।

योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने के लिए इसे पांच आर्थिक प्रदेशों में क्रमशः (1) उत्तरी प्रदेश (2) पश्चिमी प्रदेश (3) मध्यवर्ती प्रदेश (4) बुन्देलखण्ड प्रदेश तथा (5) पूर्वीप्रदेश में विभाजित किया गया है। भौतिक लक्षण, जलवायु, फसल प्रणाली आदि की समता रखने वाले जिलों को एक समूह में रखकर आर्थिक प्रदेशों का विभाजन किया गया है।

बुन्देलखण्ड प्रदेश में पांच जनपद बांदा हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा ललितपुर सम्मिलित हैं। इनमें से जनपद बांदा ही इस अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है। ज्ञातव्य है कि जनपद के विकास समस्या के अवरोधों को समझने एवं समस्याओं का हल खोजने के दृष्टिकोण से विभिन्न पक्षों जैसे ग्राम एवं नगर नियोजन, कृषि एवं सिंचाई साधनों, कृषि उत्पादकों की क्रय विक्रय की समस्याओं, लघु उद्योगों तथा बैंकिंग, बांदा नगर में शेयर व्यवसाय एवं बांदा नगर पालिका की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित विषयों पर औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अध्ययन हो चुके हैं किन्तु बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' पर विचार नहीं किया गया है जो स्वयं अनुसंधान का विषय है।

चयनित शोध समस्या में बताया गया है कि आज के युग में जबकि भारत देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका है, बांदा जनपद आज भी उद्योग-शून्य जनपद घोषित है। यहां की अधिकांश ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या कृषि एवं आधारित लघु उद्योगों पर ही रोजगार के उद्देश्य से निर्भर है। पर्याप्त जल, खनिज तथा वन सम्पदा से धनी होते हुये भी यह जनपद उद्योग की दृष्टि से प्रदेश में एक अत्यन्त पिछड़े जनपद का स्थान प्राप्त किये हुये हैं। इसका मुख्य कारण यदि खोजा जाय तो यह ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता के 56 वर्षों बाद भी जनपद में औद्योगीकरण से सम्बन्धित न तो कोई सरकारी और न ही निजी ठोस प्रयास किये गये हैं। यह सामान्य अर्थशास्त्रीय अवधारणा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की औद्योगिक संवृद्धि प्रावैगिक आर्थिक रूपान्तरण की सबसे प्रक्रिया है। न केवल इसमें प्रावैगिक रूपान्तरण होता है बल्कि एक पिछड़ी स्पंदन-हीन एवं निम्न संतुलन जाल के दुष्चक्र में फंसी हुयी अर्थव्यवस्था सतत गहन और भारी विनियोजन के द्वारा बाहर

निकल सकती है। बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था की 'उद्योग-शून्यता' और 'आर्थिक गतिहीनता' और इस प्रकार से निम्न संतुलन जाल की सक्रियता को अवमंदित करने के लिए इस जनपद का तीव्रतर औद्योगीकरण वर्तमान अनिवार्यता है। जहां तक इस शोध का ज्ञान के क्षेत्र में योगदान की बात है तो यह शोध वर्तमान उत्साही उद्यमियों के लिये जनपदीय औद्योगीकरण से सम्बन्धित एक नयी दिशा एवं ज्ञान प्रदान करने में महती भूमिका निभायेगा।

### 1.9 शोधगत परिसीमाएं :-

ज्ञान के क्षेत्र का प्रत्येक अध्ययन चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों से अपनी कुछ सीमाओं से अवश्य बंधा हुआ होता है। इस शोध की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उनमें से मुख्य अग्र प्रकार हैं-

- (i) प्रस्तुत शोध में जनपदीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन किया जा रहा है।
- (ii) इसके अन्तर्गत औद्योगिक संरचना के विभिन्न आयामों का अन्वेषण किया जा रहा है।
- (iii) प्रस्तुत शोध में जनपदीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।
- (iv) इसके अन्तर्गत जनपदीय औद्योगीकरण के निहारिक तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।
- (v) इसी के अन्तर्गत जनपदीय औद्योगिक-शून्यता के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है।
- (vi) यह एक समयबद्ध एवं प्रविधिबद्ध अध्ययन होगा अतः प्राप्त निष्कर्ष पूर्णकालिक नहीं होंगे।
- (vii) इसके अन्तर्गत जनपदीय समाज में उद्यमशीलता की प्रवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

### 1.10 अध्ययन के सोपान :-

प्रस्तावित शोध अध्ययन को अनुक्रमों में बांदा जा रहा है यथा-

#### 1. प्रथम अध्याय :-

इस अध्याय के अन्तर्गत विषयगत प्रस्तावना, बांदा नगर का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक परिचय, उद्योग एवं आर्थिक विकास का सह-सम्बन्ध, बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था की विलक्षणताएं जनपदीय औद्योगिक विकास पर ऐतिहासिक दृष्टि, शोध समस्या का स्वरूप, शोध-समस्यागत साहित्य का सिंहावलोकन, शोधगत कतिपय उद्देश्य, शोध की वर्तमान प्रासंगिकता एवं ज्ञान के क्षेत्र में योगदान, शोधगत परिसीमाएं और अध्ययन के सोपान का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

#### 2. द्वितीय अध्याय :-

इस अध्याय के अन्तर्गत शोध-अभिकल्प की अवधारणा पर पार्श्वदृष्टि, अनुपयुक्त शोध-अभिकल्प की प्रकृति, उपकरण एवं प्रक्रिया, शोध समस्या को प्रभावित करने वाले चरों का निर्धारण, कार्यकारी परिभाषाएं (अवधारणाएं) संकल्पनाओं का प्रारूप, शोध-समस्यागत अवलोकन एवं संकल्पनाओं के सत्यापन हेतु सांख्यिकीय परीक्षण तकनीक, शोधाकार निर्धारण हेतु प्रतिदर्श का प्रकार, संमक संकलन के स्रोत, प्रकार एवं प्रयुक्त उपकरण-साक्षात्कार अनुसूची, सांख्यिकीय प्रक्रिया (वर्गीकरण), सारणीयन, सांख्यिकीय विधियों एवं सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामों का निर्वचन, सांख्यिकीय परिसीमाओं को स्पष्ट किया जायेगा।

#### 3. तृतीय अध्याय :-

इस अध्याय के अन्तर्गत जनपद की औद्योगिक संरचना का वर्गीकरण एवं संदर्भित समयावधि में अवस्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया जायेगा।

4. चतुर्थ अध्याय :-

इस अध्याय के अन्तर्गत जनपद की “उद्योग-शून्यता” के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

5. पंचम अध्याय :-

इस अध्याय के अन्तर्गत बांदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” के सापेक्ष संसाधन एवं संविध्य विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

6. षष्ठम अध्याय :-

इस अध्याय में बांदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” के सापेक्ष उद्यमशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत किया जायेगा।

7. सप्तम अध्याय :-

इस अध्याय में बांदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” के सापेक्ष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय संस्थागत सुविधाएं एवं समस्याओं का अध्ययन किया जायेगा।

8. अष्टम अध्याय :-

इस अध्याय में बांदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” की आपूर्ति के सापेक्ष-संभावित उद्योग का अध्ययन किया जायेगा।

9. नवम अध्याय :-

इस अंतिम अध्याय में प्रस्तुत शोध के संकल्पनाओं का सत्यापन, निष्कर्ष बिन्दु एवं नीतिगत विविक्षाएं आदि को रेखांकित किया जायेगा।

# द्वितीय अध्याय



## द्वितीय अध्याय

### शोध अभिकल्प

- शोध अभिकल्प की अवधारणा पर पार्श्व दृष्टि
- प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त अभिकल्प का प्रकार
- उपकरण एवं प्रक्रिया
- समंक संकलन के स्रोत
- सांख्यिकीय प्रक्रिया
- समकों के विश्लेषण की सांख्यिकीय प्रविधियाँ

## द्वितीय अध्याय

ज्ञान के इस संसार में हमेशा ही नये तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता उपस्थित रहती है तथा सदैव इन्हीं नये तथ्यों के माध्यम से ही ज्ञान के नये द्वार खुलते हैं। यह मानव संसार रहस्य का एक मायाजाल है तथा इस मायाजाल में न जाने कितने रहस्य सदैव ही छिपे रहते हैं जो मानव ज्ञान की सीमा से दूर रहते हैं। यही रहस्यमय दूरी मानव को इस जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है कि वह उन रहस्यों का उद्घाटन करें जो अभी ज्ञान के इस संसार बिल्कुल अपरिचित हैं और इसी कारण वश वह उन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए या अज्ञात घटनाओं को ज्ञात करने के लिए सदा तत्पर रहता है। मानव अब भी समस्त बस्तुओं या घटनाओं के विषय में “सब कुछ” नहीं जानता है इसलिए जानने या खोजने का सिलसिला या मनुष्य की प्रयत्नशीलता आज एवं समय के विकास के साथ जारी रहेगी। इस प्रयत्नशीलता का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार अष्षष्ट ज्ञान का स्पष्टीकरण तथा विद्यमान ज्ञान का सत्यापन होता है, इसी को अनुसंधान कहते हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्य जनक प्रगति एवं नवीन तकनीकी ज्ञान के विकास, नवीन व्यापार परिदृश्य-भूण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में आर्थिक जगत में

भी एक नवीन कांतिकारी परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। आर्थिक जगत के प्राचीन आर्थिक सिद्धान्तों, आर्थिक मूल्यों तथा आर्थिक मान्यताओं के गहन परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। यह परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन भाव नहीं है, बल्कि युगकारी क्रान्ति है।

मानव समाज केवल तर्कों के आधार पर ही वास्तविक जगत में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन करने में असमर्थ है। ये वास्तविक रहस्य स्वाभाविक मानवीय क्षमताओं से अधिक सूक्ष्म एवं उलझे हुये हैं। इन रहस्यों को सुलझाने एवं शुद्धता की सर्वोच्च श्रेणी को प्राप्त करने हेतु क्रमबद्ध अध्ययन एवं तदर्थ आवश्यक प्रविधियों एवं उपकरणों के विकास के साथ ही साथ मानव मस्तिष्क अध्ययन एवं अनवरत परिश्रम करता है। इस अध्ययन एवं अनवरत परिश्रम का फल उसे ज्ञान के मीठे फल के रूप में प्राप्त होता है।

## 2.1 शोध-अभिकल्प की अवधारणा पर पार्श्व दृष्टि:-

कोई भी अनुसंधान या अन्वेषण मनगढ़त ढंग से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। अनुसंधान या अन्वेषण को क्रमबद्ध एवं प्रभावपूर्ण ढंग से समय, काल एवं लागत के न्यूनतम प्रयासों के साथ संचालित करने को ही एक अभिकल्प या प्रश्चना (डिजाइन) का निर्माण आवश्यक होता है।

जहूदा एवं कुक ने लिखा है-

“यद्यपि किसी भी ढंग के प्रयोग द्वारा अनिश्चितता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता किन्तु क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करते हुये अनिश्चितता के उन तत्वों को कम किया जा सकता है जो सूचना की कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अनुसंधान के लिए प्रस्तावित प्रश्नों के विकल्पीय उत्तरों की उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेने के लिए आवश्यक परिणामों को संयोग पर आधारित ढंग का प्रयोग करते हुये न प्राप्त कर क्रमबद्ध रूप से यथासम्भव अधिक से अधिक नियन्त्रित ढंग का प्रयोग करते हुये प्राप्त किया जाता है। वास्तव में समस्या प्रतिपादन के अन्तर्गत हम सूचना के उन

प्रकारों की विशिष्ट वितरण प्रस्तुत करते हैं जो हमें यह आश्वासन देते हैं कि प्रस्तावित प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने के लिए इच्छित एवं आवश्यक प्रमाण उपलब्ध हो जाएंगे। जबकि अनुसंधान प्रश्ना का निर्माण करते हुये हम आवश्यक एवं इच्छित प्रमाणों के संग्रह में त्रुटियों से यथा सम्भव बचना तथा प्रयासों समय एवं लागत को कम करना चाहते हैं।<sup>1</sup>

### अनुसंधान (शोध) अभिकल्प का अर्थ एवं परिभाषाएं :-

अन्वेषण प्रारम्भ करने से पूर्व हम प्रत्येक अनुसंधान समस्या के विषय में उचित रूप से सोच-विचार करने के पश्चात यह निर्णय ले लें कि हमें किन ढंगों एवं कार्यविधियों का प्रयोग करते हुये कार्य करना है तो नियन्त्रण को लागू करने की आशा बढ़ जाती है। अभिकल्प निर्णय की वह प्रक्रिया है जो उन परिस्थितियों के पूर्व किये जाते हैं जिनमें ये निर्णय कार्य रूप में लाये जाते हैं। उनके सामाजिक वैज्ञानिकों ने शोध-अभिकल्प को पारिभाषित किया है। यहां कुछ परिभाषाओं को हम देख सकते हैं।

सेल्लिज, जहोदा, ड्यूश एवं कुक ने अपनी पुस्तक 'रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन्स' में अनुसंधान अभिकल्प को परिभाषित करते हुये लिखा है कि "एक शोध-अभिकल्प आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण के लिये उन दशाओं का प्रबन्ध करती है जो शोध के उद्देश्यों की संमतता को कार्यरतियों में आर्थिक नियन्त्रण के साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है।"<sup>2</sup>

आर.एल. एकाफ ने अपनी पुस्तक का नाम ही 'दि डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च' रखा है। आपके अनुसार- "प्ररचित करना नियोजित करना है, अर्थात् अभिकल्प उस परिस्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना है। यह एक सम्भावित स्थिति को नियन्त्रण में लाने की दिशा में एक पूर्व आशा की प्रक्रिया है।"<sup>3</sup>

- 
1. Jahoda, Cook & Others : op. cit. p. 8.
  2. Selltis, Jahoda & Others : op. cit. p. 50.
  3. R.L. Ackoff : The Design of Social Research, p. 5.

आल्फ्रेड जे. कान्ह ने भी इसकी विवेचना करते हुये 'दि डिजाइन आफ रिसर्च' के नाम से लिखे एक लेख में लिखा है कि "अनुसंधान अभिकल्प की सर्वोत्तम परिभाषा अध्ययन की तार्किक युक्ति के रूप में की जाती है। यह एक प्रश्न का उत्तर देने परिस्थिति का वर्णन करने अथवा एक परिकल्पना का परीक्षण करने से सम्बन्धित है। दूसरे शब्दों में यह उस तर्क युक्तता से सम्बन्धित है जिसके द्वारा कार्यविधियों जिनमें आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण दोनों सम्मिलित है के एक विशिष्ट समूह से एक अध्ययन की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा की जाती है।"<sup>4</sup>

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषिक विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प एक ऐसी योजना या रूपरेखा है जो समस्ता के प्रतिपादन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में भली-भांति सोच-समझाकर तथा समस्त उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार से निर्णय लेती है कि न्यूनतम प्रयासों समय एवं लागत के व्यय से अधिकतम अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

### शोध-अभिकल्प की विशेषताएं :-

शोध-अभिकल्प के अर्थ एवं विशेषताओं को समझ लेने के बाद शोध-अभिकल्प की कुछ अनिवार्य एवं आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। शोध-अभिकल्प की मूलभूत विशेषताएं निम्नांकित होता हैं-

1. अनुसंधान-अभिकल्प का सम्बन्ध सामाजिक अनुसंधान से होता है।
2. शोध-अभिकल्प अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की एक निश्चित दिशा का बोध कराती है। इस अर्थ में शोध-अभिकल्प एक प्रकार का मार्गदर्शक है।
3. अनुसंधान-अभिकल्प की मुख्य विशेषता सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करना है।

4. शोध-अभिकल्प अनुसंधान की वह रुपरेखा है जिसकी रचना अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की जाती है।
5. शोध-अभिकल्प की एक और विशेषता अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान आगे आने वाली परिस्थितियों को नियन्त्रित करना एवं अनुसंधान कार्य को सरल बनाना है।
6. शोध-अभिकल्प न केवल मानवीय श्रम को कम करता है बल्कि यह समय और लागत को भी कम करता है।
7. शोध-अभिकल्प अनुसंधान के दौरान आने वाली कठिनाइयों की भी कम करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है।
8. शोध-अभिकल्प समस्या की प्रतिस्थापना से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप में श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करती है।

#### अनुसंधान अभिकल्प के चरण :-

शोध-अभिकल्प के प्रमुख चरण निम्नांकित हैं-

1. शोध-समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान अनुसंधानकर्ता को होना चाहिए।
2. शोधकर्ता को अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
3. अनुसंधानकर्ता को उन ढंगों एवं कार्यविधियों की भी स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जिनका प्रयोग करते हुये शोध के लिए आवश्यक आंकड़ों के संग्रह के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जायेगा।
4. आँकड़ों के संग्रह के लिए विस्तृत एवं सुनियोजित योजना का उपलब्ध होना भी आवश्यक है।

5. आँकड़ों के विश्लेषण के लिए भी उपयुक्त योजना का प्राप्त होना आवश्यक है।

इस प्रकार शोध-अभिकल्प की रचना करते समय अनेक चरणों से गुजरना होता है। इस प्रकार से ये चरण ही अनुसंधान के अनिवार्य अंग हैं। इन चरणों की सहायता से ही हम एक शोध अभिकल्प का निर्माण कर सकते हैं। संक्षेप में, शोध अभिकल्प के महत्वपूर्ण चरणों को क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. शोध-अभिकल्प में सर्वप्रथम अध्ययन समस्या (Study Problem) का प्रतिपादन किया जाना चाहिए।
2. वर्तमान में जो अनुसंधान कार्य चल रहा है उसको अनुसंधान समस्या से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित करना अनुसंधान अभिकल्प का दूसरा मूल्य चरण है।
3. वर्तमान में हमें जो अनुसंधान कार्य करना है उसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।
4. शोध-अभिकल्प का चौथा चरण शोध के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का है।
5. शोध-अभिकल्प के इस चरण में हम अनुसंधान परिणामों के प्रयोग के विषय में निर्णय लेते हैं।
6. इसके पश्चात हमें अवलोकन, विवरण तथा परिमापन के लिए उपयुक्त चरों का चयन करना चाहिए तथा इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
7. तदुपरान्त अध्ययन क्षेत्र (Study Area) एवं समग्र का उचित चयन एवं इनकी परिभाषा प्रस्तुत करनी चाहिए।
8. इसके बाद अध्ययन के प्रकार एवं विषय क्षेत्र के विषय में विस्तृत निर्णय लेने चाहिए।

9. शोध-अभिकल्प के आगामी चरण में हमे अपने शोध के लिए उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन करना चाहिए।
10. इसके बाद अध्ययन में निहित मान्यताओं एवं उपकल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
11. बाद में उपकल्पनाओं की परिचालनात्मक परिभाषा करते हुये उसे इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि वह परीक्षण के योग्य हो।
12. शोध-अभिकल्प के आगामी चरण के रूप में हमें अनुसंधान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले प्रलेखों, रिपोर्टों, एवं अन्य प्रपत्रों का सिंहावलोकन करना चाहिए।
13. तदुपरान्त अध्ययन के प्रभावपूर्ण उपकरणों का चयन एवं इनका निर्माण करना तथा इनका व्यवस्थित पूर्व-परीक्षण करना।
14. आँकड़ों के एकत्रीकरण का सम्पादन किस प्रकार किया जायेगा इसकी विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख करना।
15. आँकड़ों के सम्पादन की व्याख्या के उल्लेख के बाद उनके वर्गीकरण हेतु उचित श्रेणियों का चयन किया जाना एवं उनकी परिभाषा करना।
16. आँकड़ों के संकेतीकरण के लिए समुचित व्यवस्था का विवरण तैयार करना।
17. आँकड़ों को प्रयोग योग्य बनाने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था का विकास करना।
18. आँकड़ों के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण के लिए विस्तृत रूप रेखा तैयार करना।
19. इसके पश्चात अन्य उपलब्ध परिणामों की पृष्ठभूमि में समुचित विवेचन की कार्यविधियों का उल्लेख करना।
20. शोध-अभिकल्प के इस चरण में हम अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के



बारे में निर्णय लेते हैं।

21. शोध-अभिकल्प का यह चरण सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया में लगने वाला समय, धन एवं मानवीय श्रम के अनुमान लगाने का है। इसी दौरान हम प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना एवं विकास का अनुमान भी लगाते हैं।
22. यदि आवश्यक हो तो पूर्व परीक्षणों एवं पूर्वगामी अध्ययनों का प्रावधान करना।
23. शोध-अभिकल्प के इस चरण में हम कार्यविधियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया, नियमों, उपनियमों को विस्तार पूर्वक तैयार करते हैं।
24. अनुसंधान के इस चरण में हम कर्मचारियों, अध्ययन कर्ताओं के प्रशिक्षण के ढंग एवं कार्य विधियों का उल्लेख करते हैं।
25. शोध-अभिकल्प के इस अंतिम चरण में हम यह प्रावधान करते हैं कि समस्त कर्मचारी एवं अध्ययन अनुसंधानकर्ता एक समंजस्य की स्थिति को बनाये रखते हुये कार्य के नियमों, कार्यविधियों की पालना करते हुये किस प्रकार सन्तोषप्रद ढंग से कार्य को पूर्ण करेंगे।

## 2.2 प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त अभिकल्प का प्रकार :-

जहाँ तक शोध-अभिकल्प के प्रकारों का प्रश्न है तो विभिन्न विद्वानों ने शोध अभिकल्प का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है लेकिन सामान्यतः अनुसंधान अभिकल्पों के उपांगों को निम्नवत् रखा जा सकता है।

1. अन्वेषणात्मक अथवा निश्चयात्मक अभिकल्प,
2. निक्षणात्मक अनुसंधान अभिकल्प,
3. प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प,
4. वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प।

उपरोक्त अभिकल्प प्रकारों में से वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग प्रस्तुत

शोध-अध्ययन में किया गया है। इस प्ररिप्रेक्ष्य में वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प का वर्णन करना अनुपयोगी न होगा।

वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य विषय अथवा समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है इस अभिकल्प के अन्तर्गत सम्बन्धित यथार्थ तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियों प्रविधिक तथा उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है।

वेसट ने वर्णनात्मक अनुसंधान को निम्नवत् परिभाषित किया है :-

“वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचना करता है। इसका सम्बन्ध उन स्थितियों व सम्बन्धों से है जिनका अस्तित्व वर्तमान से है अथवा अभिवृत्तियों से है, जो कि प्रचलित है ऐसे उपक्रमों से है जो कि विकासशील है।”

**वर्णनात्मक अनुसंधान की सीमाएं :-**

वर्णनात्मक अनुसंधान की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिन्हें निम्नवत् संजोया जा सकता है-

1. गैर अनुभवी शोधकर्ता समकों का आसानी से गलत प्रयोग कर सकते हैं।
2. इस अध्ययन में समय बहुत लगता है प्रायः क्षेत्र अनुसंधान में इतना समय लग जाता है कि विश्लेषित समकों की उपयोगिता प्रायः समाप्त हो जाती है।
3. अगर उत्तरदाता से उचित सहयोग नहीं मिलता तो सही निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं होता।

लेकिन यह कहना समीचीन होगा कि वर्णनात्मक अनुसंधान की अपनी कुछ सीमाएं लेकिन इसकी सीमाओं की अपेक्षा लाभ पक्ष अत्यधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, जो कि विधि को स्वीकारणीय बनाते हैं।

वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत ही विधियों का प्रयोग किया जाता है।

### 2.3 उपकरण एवं प्रक्रिया :-

प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसंधान की अवधारणा से परिचित होते हैं लेकिन वे वस्तुतः सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ ही होते हैं। अतः तथ्यों के संकलन वर्गीकरण एवं विश्लेषण के दृष्टिकोण से अनुसंधान कर्ता को अनुसंधान की प्रक्रिया को सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक है। अनुसंधान की प्रक्रिया अनेक चरणों से होकर गुजरती है। प्रस्तुत शोध-अध्ययन में निम्न उपकरणों का सहारा लिया गया है-

- (1) जनपद का आंशिक औद्योगिक सर्वेक्षण एवं
- (2) जनपद की चार तहसीलों के 100 उद्यमियों का अनुसूची द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार।

### 2.4 शोध-समस्या को प्रभावित करने वाले चरों का निर्धारण :-

किसी भी शोध-समस्या को प्रभावित करने वाले चर दो प्रकार के होते हैं-

- (1) बाह्य चर
- (2) आन्तरिक चर

अतः प्रस्तुत शोध समस्या को प्रभावित करने वाले बाह्य एवं अन्तः चर को निम्न प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है-

#### (1) बाह्य चर :-

प्रस्तुत शोध-अध्ययन में बाह्य चरों के अन्तर्गत यहाँ की राजनीतिक उदासीनता, आन्तरिक कलह एवं मेल-मिलाप का अभाव तथा अन्य विकसित जनपदों से इस जनपद का पर्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध का न होना है। राजनीतिक उदासीनता के अन्तर्गत यही कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता अपने क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति को चुनकर लोकसभा या विधान सभा की सीटों पर आसीन कराती है, वही प्रतिनिधि उस सीट पर आसीन होकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान देने के स्थान पर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करने की जुगाड़

में भिड़ जाता है। यही कारण है कि यह जनपद शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली औद्योगिक सुविधाओं एवं सहायताओं से वंचित है।

आन्तरिक कलह एवं मेल-मिलाप की भावना का पर्याप्त अभाव भी इस जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। कार्य की संस्कृति के स्थान पर बंदूक की संस्कृति ने इस जनपद को विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य जनपदों से मीलों पीछे ढकेल दिया है। उपरोक्त दोनों ही कारणों से जनपद का अन्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित जनपदों से कोई प्रशासनिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध न होने के कारण जनपद अपना समुचित विकास करने में असफल सिद्ध रहा है और यही कारण है कि जनपदीय विकास के लिए चलायी जाने वाली योजनाएं सफेद हाथी साबित हुयी है।

## (2) अन्तः चर-

इस शोध-अध्ययन में अन्तः चरों के अन्तर्गत कच्चे माल का अभाव, उद्यमिता की कमी तथा उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग न होने को सम्मिलित किया जा सकता है।

उद्यम प्रेरणा की कमी, कच्चे माल का अभाव एवं प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विदोहन जनपदीय औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। कोई भी उद्योग बिना पूंजी, माल तथा उसके उचित प्रयोग के नहीं फल-फूल सकता है। कार्य की संस्कृति किसी उद्यम की मुख्य प्रेरणा स्रोत है जिसका इस जनपद में अत्यन्त कमी है । जनपद में उपरोक्त सभी तथ्यों का पर्याप्त अभाव है और यही कारण है कि यहाँ पर यदि कोई उद्योग धन्धा चलाने का अभिनव प्रयास भी किया जाता है तो इस प्रयास को विफलता का ही मुंह देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

## 2.5 कार्यकारी परिभाषाएं (अवधारणाएं) :-

अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि अपने सम्बोधों को सामान्य ढंग से परिभाषित करने के साथ साथ यह अध्ययन के क्षेत्र, समय, स्थान आदि को ध्यान में रखते हुये इन सम्बोधों की कार्यकारी परिभाषाएं भी दे कि प्रस्तुत अध्ययन में उन सम्बोधों को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है।

### अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषाएं-

‘अवधारणा’ को परिभाषित करना अत्यन्त कठिन कार्य है, क्योंकि अवधारणा का सम्बन्ध एक अमूर्त सामान्य विचार से होता है, जो कि किसी घटना, प्रक्रिया एक प्रकार के अनुरूप तथ्यों के विषय में सोच विचार कर व उसके विभिन्न तत्वों के परस्पर सम्बन्धों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। फिर भी अनेक समाजशास्त्रियों ने अवधारणा को परिभाषित करने का श्रम किया है। उसमें से कुछ प्रमुख हैं-

गुडे एवं हट्ट ने अपनी पुस्तक ‘मेथड्स इन सोशल रिसर्च’ में लिखा है कि-

“सभी अवधारणाएं अमूर्त होती हैं तथा वे यथार्थता के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती हैं।”<sup>5</sup>

एच० पी० फेयरचाइल्ड ने ‘डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी’ में अवधारणा को परिभाषित करते हुये लिखा है कि-

“वे विशेष मौलिक संकेत जो कि समाज के वैज्ञानिक अवलोकन तथा चिन्तन से निकाले गये सामान्यीकृत विचारों को दिये जाते हैं।”<sup>6</sup>

राबर्ट के० मर्टन ने भी लिखा है कि-

“अवधारणा जिसका अवलोकन किया जाता है, उसको परिभाषित करती है ये वे चर होते हैं जिनके मध्य आनुसांगिक सम्बन्धों की स्थापना की जाती है। जब इन प्रस्थापनाओं

5. Goode and Hutt : Method in Social Research, p. 41.

6. H.P. Fairchild : Dictionary of Sociology, p. 56.

में तार्किक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तो सिद्धान्त का जन्म होता है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अवधारणाएं घटनाओं को समझने के तरीके हैं। अवधारणाएं न केवल वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग के लिए आवश्यक है, बल्कि वे प्रत्येक मानवीय क्रिया के क्षेत्र में संचार तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक अवधारणा अमूर्त होती है, जो कि चुने हुए व अतिसीमित क्षेत्र से सम्बन्धित होती है। अवधारणाओं को हम वस्तुओं व घटनाओं को समझने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले पद के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवधारणा एक अमूर्त सामान्य विचार होता है जो कि किसी घटना, प्रक्रिया एक प्रकार के अनुरूप तथ्यों के विषय में साथ विचार कर व उसके विभिन्न तत्त्वों के परस्पर सम्बन्धों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना उद्योग शून्यता के संदर्भ में जनपदीय औद्योगीकरण की आलोचनात्मक आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है। अतः इस अध्ययन को परिभाषित करने के लिए तीन पहलू हैं- औद्योगिक संरचना, उद्योग-शून्यता एवं जनपदीय औद्योगीकरण।

अतः यहां इन तथ्यों से सम्बन्धित परिभाषाएं दी जा रही हैं, जो निम्न हैं -

### 1. उद्योग :-

उद्योग से तात्पर्य उस संस्था या उपक्रम से है, जिसमें कच्चे पदार्थ को एक रूप प्रदान किया जाता है।

### 2. उद्योग-शून्यता :-

जब केवल लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धों का ही वर्चस्व होता है तथा बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों का नितान्त आभाव पाया जाता है, ऐसी स्थिति को उद्योग-शून्यता कहते हैं।

### 3. औद्योगिक आधार :-

औद्योगिक आधार से तात्पर्य उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित साधन जैसे, कच्चा माल, यातायात की सुविधा एक उचित औद्योगिक वातावरण से है।

### 4. औद्योगीकरण :-

जब बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त प्रादुर्भाव होता है, तो ऐसी स्थिति को औद्योगीकरण कहते हैं।

### 5. उत्पाद :-

देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों मशीन, पूंजी एवं श्रम के सहयोग से जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पाद कहते हैं।

### 6. औद्योगिक अधो-संरचना :-

औद्योगिक अधो-संरचना से अभिप्राय किसी राष्ट्र में उत्पादन वृद्धि में सहायक सुविधाओं की प्राप्ति अथवा उपलब्धि से है।

### 7. उद्यम शीलता :-

उद्यम शीलता से तात्पर्य व्यक्ति के उस मनोवैज्ञानिक निर्णय एवं प्रयास से है, जिसके माध्यम से वह कोई उद्योग धन्धे से सम्बन्धित योजना का निर्माण करता है।

### 8. उद्यमिता का शर्मीलापन :-

औद्योगिक शर्मीलापन से तात्पर्य किसी राष्ट्र की जनसंख्या की सामाजिक संरचना की पिछड़ी अवस्था, जातिप्रथा, छुआछूत, पुरातनपंथी, धर्मावलम्बी, नयी तकनीक तथा उत्पादन प्रणालियों के विरोध से युक्त होता है।

### 9. विनियोजन :-

वे वस्तुएं व सेवाएं (पूंजी वस्तुएं) जो मनुष्य द्वारा उत्पादित होती हैं तथा जो मनुष्य के त्याग के परिणाम हैं, को उत्पादन कार्य में लगाने की क्रिया

विनियोजन कहलाती है।

**10. पूँजी :-**

पूँजी से तात्पर्य उन परिसम्पत्तियों से है जो आय और बचत का सामूहिक परिणाम है।

**11. औद्योगिक श्रम :-**

उद्योग धन्धों में कार्यशील व्यक्तियों की वह संख्या जो उत्पादन कार्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में प्रभावित करती है को औद्योगिक श्रम कहते हैं।

**12. कुशल और अकुशल श्रमिक :-**

कुशल श्रमिक से तात्पर्य उद्योग धन्धे में लगे उन श्रमिकों से होता है जो औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये होते हैं और उत्पादन कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है। जबकि अकुशल श्रमिक से तात्पर्य उद्योग धन्धे में लगे हुये उन श्रमिकों से है जो किसी भी प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किये होते हैं।

**13. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधा :-**

वित्तीय सुविधा से तात्पर्य औद्योगिक कार्य को आधार प्रदान करने वाली पूँजी की मात्रा से है, जबकि गैर वित्तीय सुविधा से तात्पर्य उन सुविधाओं से है, जो पूँजी के अतिरिक्त होती है।

**14- औद्योगिक संवृद्धि :-**

औद्योगिक संवृद्धि से तात्पर्य प्रतिवर्ष औद्योगिक आधार के विस्तार पथ से है।

**15. औद्योगिक संभाविता :-**

औद्योगिक संरचना के समयान्तर ऊर्ध्वमुखी विस्तार की संभावना को औद्योगिक



संभावितता कहा जा सकता है।

## 16. निम्न संतुलन पाश :-

निम्न संतुलन पाश से तात्पर्य यह है कि यदि कोई बड़ा सरकारी और निजी विनियोजन का ब्यूहपरक प्रयास न किया जाये तो अर्थव्यवस्था अल्पविकास के निम्न संतुलन पाश में फँस जाती है।

### 2.6 संकल्पनाओं का प्रारूप :-

सामाजिक, आर्थिक शोध घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक, अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना आवश्यक होता है और इसके लिए प्रारम्भिक ज्ञान व सामान्य ज्ञान का होना अनिवार्य होता है जो शोधार्थी को मार्ग निर्देशन का कार्य करता है। यह सामान्य ज्ञान अथवा काम चलाऊ ज्ञान ही संकल्पना अथवा परिकल्पना है।

#### संकल्पना से तात्पर्य :-

संकल्पना को सामान्यतः एक कार्यकारी तर्क वाक्य या एक 'काम चलाऊ सामान्यीकरण' माना जाता है। इस तर्क वाक्य अथवा सामान्यीकरण की अनुसंधान के दौरान परीक्षा की जाती है एवं यह सत्य भी हो सकता है तथा असत्य भी संकल्पना का शाब्दिक अर्थ है 'पूर्व चिन्तन' अर्थात् पहले से सोचा गया कोई विचार या चिन्तन अनेक विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों ने उपकल्पना को परिभाषित किया है। उनमें से कुछ परिभाषाएं हम यहां प्रस्तुत करते हैं।

गुडे एवं हट्ट ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 'मैथड्स इन सोशल रिसर्च' में इसे परिभाषित करते हुये लिखा है कि-

“संकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है, जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी।”<sup>8</sup>

जॉर्ज लुण्डवर्ग ने अपनी पुस्तक 'सोशल रिसर्च' में संकल्पना को परिभाषित करते हुये लिखा है कि-

“संकल्पना एक सामाजिक तथा कामचलाऊ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष रहता है। अपने बिल्कुल प्रारम्भिक चरणों में संकल्पना कोई मनगढ़ंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार अथवा सहज्ञान इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाता है।”

जॉन गाल्टुंग ने अपनी पुस्तक ‘थ्योरी एण्ड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च’ में संकल्पना को अधिक स्पष्ट एवं गणितीय आधार पर स्पष्ट किया है। गणितीय आधार पर संकल्पना को सामान्यतः  $P_s(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n)$  के रूप में विवेचित किया जाता है। इसका आशय निम्नांकित है :-

$P = Probability$  (संभावना)

$S = Set\ of\ Units$  (इकाई)

$x_1, x_2, x_3, x_4 = Variables$  (चर)

गाल्टुंग के अनुसार उनका कहना था कि समस्त अनुसंधानों में निम्न तत्व होते हैं:-

- (1) इकाई (*Units*) जिसके बारे में सूचना ग्रहण की जा रही है।
- (2) चर (*Variable*) जिसके बारे में सूचना ली जा रही है, एवं
- (3) मूल्य (*Value*) जिसके बारे में किसी इकाई में प्राप्त किसी चर के गुण अथवा परिभाषा है।

इस प्रकार गाल्टुंग के अनुसार-

“संकल्पना चरों के द्वारा कुछ इकाइयों के सम्बन्ध में उनके विशिष्ट मूल्यों से सम्बन्धित कथन है एवं यह स्पष्ट करती है कि इकाइयों का सम्बन्ध कितने एवं किस प्रकार के चरों से है।”<sup>9</sup>

उदाहरण के लिए, यदि यह संकल्पना हो कि पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते

9. George Lundberg : op. cit. p. 96.

10. John Galtung : Method of Social Research, p. 309-310.

हैं तो इसमें पुरुष और स्त्रियां इकाइयाँ है, बुद्धि चर है तथा अधिक मूल्य है। इस प्रकार इस संकल्पना में पुरुष तथा स्त्री इकाइयों के सम्बन्ध में तथा बुद्धि, चर का मूल्यों के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है।

पी०वी० यंग के अनुसार-

“एक कार्यवाहक संकल्पना एक कार्यवाहक केन्द्रीय विचार है जो उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाता है।”<sup>11</sup>

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह सुगमता पूर्वक विश्लेषित किया जा सकता है कि संकल्पना एक ऐसा कार्यकारी तर्क वाक्य पूर्व विचार, कल्पनात्मक धारणा या पूर्वानुमान होता है। जिसे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर पहले से निर्मित कर लेता है एवं अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता संकल्पना की वैधता की परीक्षा करता है। यह संकल्पना सत्य एवं असत्य दोनों हो सकती है। यदि अनुसंधान में संकलित एवं विश्लेषित किये गये तथ्यों के आधार पर संकल्पना प्रमाणित हो जाती है एवं इसी प्रकार की संकल्पनाएं अनेक बार अनेक स्थानों पर अर्थात् समय व काल से परे प्रमाणित होती जाती है तो वे धीरे-धीरे एक सिद्धान्त के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है।

### संकल्पना की विशेषताएँ-

संकल्पना की कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. संकल्पनाएं सरल एवं अध्ययन विषय के अनुरूप होनी चाहिए। यदि अध्ययनकर्ता अपनी अध्ययन समस्या से भली-भाँति परिचित है एवं वैज्ञानिक प्रकृति वाला है तो वह सुगमता से उपकल्पना का निर्माण करता है।
2. संकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्ग-निर्देशन करने वाली होनी चाहिए अन्यथा अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों का एकत्रीकरण करेगा उनमें से अधिकांश अनुपयोगी होंगे।

श्री लुण्डवर्ग के अनुसार:-

“फलप्रद परिकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र के विस्तृत वर्णनात्मक साहित्य, मानव शास्त्र, कलाकारों के काल्पनिक सिद्धान्त या इन गंभीर विचारकों के सिद्धान्तों की सम्पूर्ण दुनिया में विचरण कर सकते हैं, जिन्होंने कि मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के गहन अध्ययन कार्य में अपने को नियोजित किया हो, या हो सकते हैं।<sup>12</sup>

सर्वश्री गुडे एवं हट्ट ने संकल्पना के निम्न चार स्रोतों का उल्लेख किया है-

1. सामान्य संस्कृति
2. वैज्ञानिक पद्धति
3. समरूपताएं
4. व्यक्तिगत अनुभव

उपरोक्त के सन्दर्भ में शोधार्थी ने अपने व्यक्तिगत निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित कुछ संकल्पनाओं/परिकल्पनाओं का निर्माण किया है, जिनकी जांच होती है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन की संकल्पनाएं निम्नवत् है :-

1. बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना स्थैतिक है।
2. बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना स्थैतिक होने के वावजूद वैविध्यपूर्ण है।
3. बांदा जनपद 'उद्योग-शून्य' जनपद है।
4. बांदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' के आर्थिक और अनार्थिक निर्धारक तत्व हैं।
5. जनपदीय 'उद्योग-शून्यता' के सापेक्ष संसाधन एवं सैविध्य दशाओं को संरचनात्मक तत्व निर्धारित करते हैं।
6. जनपदीय 'उद्योग-शून्यता' के सन्दर्भ में प्रमुख उत्तरदायी कारक उद्यमियों का

12. Lundberg; G.H. : Social Research, Longman, Green and Co., Yew York, 1951, p. 21.

शर्मालापन है।

7. बांदा जनपद की औद्योगिक संवृद्धि निम्न संतुलन जाल में आवृत है।
8. बांदा जनपद के उद्योगों की वित्तीय और गैर-वित्तीय समस्याएं हैं जिनके लिए संस्थानात्मक तत्व उत्तरदायी है।
9. बांदा जनपद में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

उल्लेखनीय है कि अनुसंधानकर्ता सम्बन्धित संकल्पित तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि संकल्पना सही है या गलत है। यदि सही है तो सिद्धान्त का निर्माण होता है जो अन्य अनुसंधानों के लिए आधार बन जाते हैं। यदि संकल्पना गलत सिद्ध होती है तो अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता का ज्ञान होता है।

## 2.7 समंक संकलन के स्रोत :-

सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण कर लेने के बाद आंकड़ों के संकलन का होता है। अतः यहां पर हम प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु संकलित किये गये आंकड़ों से सम्बन्धित तथ्यों का वर्णन करेंगे।

### (अ) समंक का अर्थ एवं परिभाषा:-

समंक या तथ्य वस्तुतः सामाजिक यथार्थ के किसी वर्ग के विषय में तथ्यों के नवीन अभिलेख तैयार करते समय अथवा पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करने की एकत्रित की गयी सामग्री को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर हम जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं वह आंकड़ा या समंक कहलाती है। आंकड़ा शब्द से हमारा अभिप्राय 'प्रत्युत्तरों के अभिलेखन से है। यद्यपि समाज-विज्ञानों के अन्तर्गत आंकड़े अनेक स्वरूप ग्रहण करते हैं फिर भी इनमें एक सामान्य संरचना देखी जा सकती है जिसके तीन अंग होते हैं-

1. विश्लेषण के तत्व अथवा विश्लेषण की इकाइयां/उदाहरणार्थ, मानवीय प्राणी।
2. चर जिनका हम इकाइयों के सन्दर्भ में अध्ययन करना चाहते हैं। इन्हें कभी-कभी अच्छे ढंग से उन परिस्थितियों का समूह कहा जा सकता है जिनके अन्तर्गत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें उत्तेजकों का समूह भी कहा जा सकता है।
3. अध्ययन किये गये चरों पर इकाइयों के मूल्य अथवा प्रत्युत्तर अथवा प्रतिदान जो इन इकाइयों के उत्तेजकों अथवा परिस्थितियों द्वारा प्रभावित कराये जाने पर प्राप्त होते हैं।

(ब) आंकड़ों का प्रकार एवं प्रयुक्त उपकरण :-

“जिस प्रकार एक भवन निर्माण पत्थरों द्वारा होता है ठीक उसी प्रकार सिद्धान्तों का निर्माण समकों द्वारा ही होता है। परन्तु केवल समक उसी प्रकार से सिद्धान्त नहीं कहे जा सकते जिस प्रकार पत्थरों का ढेर भवन नहीं कहा जा सकता है।”

अनुसंधान पद्धति में समकों के संकलन का अत्याधिक महत्त्व है। समकों को सांख्यिकीय अनुसंधान के सम्पूर्ण ढांचे का आधार स्तम्भ माना गया है, क्योंकि समक अनुसंधान क्रिया पूरी तरह से समकों के संकलन पर ही निर्भर होती है। इन्हीं समकों के माध्यम से शोधकर्ता वांछित उद्देश्यों व निष्कर्षों को प्राप्त करने में सफल होता है। इसलिए यह कहना आवश्यक नहीं है कि समकों का संकलन कार्य करते समय अत्यन्त सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता, विश्वास और धैर्य से काम लिया जाना चाहिए तथा समकों के रूप में एकत्रित कच्ची सामग्री कहीं अशुद्ध एवं अविश्वसनीय न हो जाये। संग्रहण की दृष्टि से समक दो प्रकार के होते हैं-

1. प्राथमिक समक
2. द्वितीयक समक

### 1. प्राथमिक समंक :-

प्राथमिक समंक वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार अर्थात् नये रूप में अपने प्रयोग हितार्थ एकत्रित किया जाता है। इसमें सम्पूर्ण संकलन योजना प्रारम्भ से अन्त तक नवीन तथा नव निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में यह अनुसंधान भौतिक होता है।

### 2. द्वितीयक समंक :-

द्वितीयक समंक वे कहलाते हैं, जो पहले से ही किसी उद्देश्य के हितार्थ किसी पूर्व समय पर किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किये गये हों। प्राथमिक समंक का प्रयोग जब कोई अन्य शोधकर्ता करता है तो यह सामग्री उसे द्वितीयक समंक की तरह कार्य करती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया है।

### साक्षात्कार अनुसूची :-

सामान्य अर्थों में साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनायी जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घर जा-जा कर प्रश्नों के उत्तर अनुसूचियों द्वारा प्राप्त करता है।

विलियम जे० गुडे तथा हाट के अनुसार-

“अनुसूची सामान्य प्रश्नों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपने सामने की स्थिति में पूछे व भरे जाते हैं।”<sup>13</sup>

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर अनुसूची की विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. अनुसूची अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित अनेक शीर्षकों और प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची है।

2. इसका प्रयोग स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके किया जाता है।
3. साधारण अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
4. अनुसूची एक छोटे क्षेत्र में किये गये जाने वाले अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

संक्षिप्त किसी भी शोध अध्ययन की प्रकृति और निष्कर्ष समंक संकलन की विधि से बहुत प्रभावित होते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में 100 साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिक समंक संकलित किये जायेंगे, क्योंकि प्राथमिक समंकों का उद्देश्य अनुसंधान के अनुकूल होता है।

## 2.8 सांख्यिकीय प्रक्रिया :-

आंकड़ों का संकलन कर लेने के पश्चात उनके विश्लेषण का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कितनी उपयुक्त एवं विश्वसनीय प्रविधियों के द्वारा आंकड़ों को संकलित किया गया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि संकलित किये गये आंकड़ों को किस प्रकार विश्लेषित किया जाये।

आंकड़ों के विश्लेषण के अनेक महत्वपूर्ण चरण हैं जिनमें से प्रमुख रूप से हम निम्नलिखित दो चरणों को प्रस्तुत अध्ययन में काम में लेंगे-

(अ) वर्गीकरण

(ब) सारणीयन

**वर्गीकरण :-**

वर्गीकरण में आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर अलग-अलग वर्गों में बांट दिया जाता है।



सांख्यिकीय तथ्य दो प्रकार के होते हैं -

(1) वर्णनात्मक तथा (2) अंकात्मक या संख्यात्मक

वर्णनात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता है केवल उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर गणना की जा सकती है या अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, बीमारी, ईमानदारी आदि वर्णनात्मक तथ्य हैं जिनका अपना कोई माप नहीं है। गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनकी गणना कर ली जाती है। जैसे गरीब कितने है, बेरोजगार कितने हैं आदि। ऐसे तथ्यों को गुण कहते हैं। अंकात्मक या संख्यात्मक तथ्य वे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मापे जा सकते हैं, जैसे- आय, आयु, भार, ऊंचाई, आदि ऐसे तथ्यों को चर मूल्य कहते हैं। इन दो प्रकार के तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की दो रीतियां हैं।

(क) गुणात्मक वर्गीकरण

(ख) वर्गान्तरों के साथ वर्गीकरण

(क) गुणात्मक वर्गीकरण :-

इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण गुणों के आधार पर होता है। यहां पर तथ्यों के गुणों को प्रधानता दी जाती है। किसी गुण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर तथ्य विभाजित किये जाते हैं। गुण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जाति, धर्म साक्षरता आदि।

(ख) वर्गान्तरों के अनुसार वर्गीकरण:-

इस प्रकार के वर्गीकरण के आंकड़ों में अंकात्मक लक्षणों के आधार पर वर्ग बनाये जाते हैं। अंकों के अनुसार कई सम्भव वर्ग बना लिये जाते हैं और पदों को अनेक अंकात्मक लक्षण के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांट लेते हैं। यदि हम किसी मिल के मजदूरों को मासिक मजदूरी के अनुसार पांच भागों में विभाजित कर दें तो यह वर्गान्तरानुसार वर्गीकरण होगा जैसे-

|                   |      |       |       |       |       |     |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| मजदूरी (रु० में)  | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | योग |
| मजदूरों की संख्या | 2    | 3     | 10    | 14    | 11    | 40  |

निष्कर्ष प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों का वर्गीकरण गुणात्मक एवं वर्गान्तरों के आधार पर किया जाएगा। गुणात्मक वर्गीकरण के अन्तर्गत उद्यमी की शिक्षा का स्तर, उद्योग स्थापित करने के कारण तथा उद्योग का प्रकार आदि को शामिल किया जायेगा। वर्गान्तरानुसार वर्गीकरण के अन्तर्गत उद्यमी की आयु तथा उद्योग स्थापित करने का वर्ष आदि को शामिल किया जावेगा।

### सारणीयन :-

सांख्यिकीय सामग्री का वर्गीकरण करने के उपराक्त उसे सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है। सारणीयन के द्वारा एकत्रित सामग्री को सरल-संक्षिप्त व सुबोध बनाया जाता है।

विभिन्न आधारों पर सांख्यिकीय श्रेणियों निम्न प्रकार की हो सकती हैं-

उद्देश्य के अनुसार सारणी दो प्रकार की हो सकती है:-

#### (क) सामान्य उद्देश्य वाली सारणी :-

इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार की सारणियों अधिक बड़ी होती हैं। यह प्रायः प्रकाशित प्रतिवेदनों में पीछे दी हुयी रहती हैं और उससे विभिन्न ढंगों से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।

(ख) विशेष उद्देश्य वाली अथवा संक्षिप्त सारणी:- इस प्रकार की सारणी केवल सामान्य उद्देश्य की कई सारणियों से तैयार की जाती है ताकि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

रचना के विचार से सारणी निम्न प्रकार की हो सकती है :-

#### (क) सरल सारणी :-

इस प्रकार की सारणी में विभिन्न समकों के केवल एक ही गुण या विशेषता

का विवेचन किया जाता है।

(ख) जटिल सारणी :-

जटिल सारणी में सरल सारणी की तरह केवल एक ही गुण या लक्षण का विवेचन न होकर एक से अधिक गुणों या लक्षणों का विवेचन होता है।

सारांशतः प्रस्तुत अध्ययन में अधिकतर सामान्य उद्देश्य वाली एवं सरल सारणी का ही प्रयोग किया गया है।

2.9 समकों के विश्लेषण की संख्यिकीय प्रविधियां :-

केन्द्रीय प्रवृत्ति, प्रमाप विचलन, सह-सम्बन्ध, प्रतीपगमन, निदर्शन एवं रेखाचित्र आदि। प्रस्तुत अध्ययन में गणितीय माप, प्रतिशत एवं रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है।

गणितीय सम्बन्धित माध्य :-

गणितीय माध्य निम्न चार प्रकार के होते हैं-

1. समान्तर गणितीय माध्य,
2. ऋणोत्तर माध्य,
3. हरात्मक माध्य,
4. वर्ग गणितीय माध्य।

प्रस्तुत शोध-अध्ययन में गणितीय माध्य अर्थात् समान्तर माध्य का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। इसलिए इसके महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नवत् प्रकाश डाला गया है।

समान्तर माध्य गणितीय माध्यों में सर्वोत्कृष्ट होता है इसलिए सभी माध्यों की अपेक्षा इसका उपयोग भी अधिक होता है। समान्तर माध्य समष्टि इकाइयों की संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है। इसलिए समान्तर माध्य में इकाइयों की संख्या का गुणा करने से समस्त इकाइयों का कुल मूल्य ज्ञात होता है।

$$d = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{N}$$

यहां पर समान्तर माध्य के  $x_1 + x_2 + x_3$  लिए विभिन्न इकाइयों के मूल्य तथा इकाइयों

की कुल संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। इस सूत्र को संक्षेप में हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं :-

$\sum$  = समस्त इकाइयों के मूल्य का योग

N = इकाइयों की संख्या

**समान्तर माध्य की सांख्यिकीय विशेषताएं :-**

1. समान्तर माध्य आवृत्ति वक्र का संतुलन बिन्दु प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में यदि प्रवृत्ति वक्र को लकड़ी के टुकड़े पर बनाकर काट लिया जाये तो समान्तर माध्य के बिन्दु पर सुई रखकर संतुलित किया जा सकता है।
2. इकाइयों के मूल्यों का कुल योग माध्य तथा इकाइयों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है।

$$M = d \times n$$

इसी प्रकार किन्हीं दो के ज्ञात होने पर तीसरे को ज्ञात किया जा सकता है।

3. यदि एक ही संख्या प्रत्येक इकाई में घटाई या बढ़ाई जाये तो नया समान्तर माध्य उतना ही अधिक या कम हो जायेगा।
4. यदि प्रत्येक इकाई निश्चित अनुपात में घटा दी जाये तो औसत उसी अनुपात में कम या अधिक हो जायेगा।
5. यदि कई वर्गों का माध्य तथा इकाइयों की संख्या दी हो तो इसका सम्मिलित माध्य निकाला जा सकता है।

$$d = \frac{(d_1 x n_1) + (d_2 x n_2) + \dots}{n_1 + n_2}$$

यहां पर  $d =$  सम्मिलित आय

$d_1 d_2 =$  विभिन्न वर्गों के माध्य

$n_1 n_2 =$  विभिन्न वर्गों की इकाइयों की संख्या

- 6.. यदि किसी श्रेणी में एक या अधिक इकाइयों बदल दी जायें तो क्या माध्य कुल वृद्धि अथवा कमी को इकाइयों की संख्या से भाग दिये जाने से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक या कम हो जायेगा।

$$\text{New } n = \frac{\text{old } d + \text{net increase} + \text{or net reduction}}{n}$$

n

7. समान्तर माध्य से विभिन्न इकाइयों के विचलनों का योग शून्य होता है।
8. स्वाभाविक संख्याओं का माध्य निकालने का सूत्र इस प्रकार है-

$$d = \frac{n(n+1)}{2N}$$

### समान्तर माध्य के गुण :-

1. यह गणितीय माध्यों में सबसे अधिक प्रचलित है। जन साधारण में माध्य का उपयोग सदैव ही समान्तर माध्य के लिए किया जाता है।
2. इसे निर्धारित करने की क्रिया अत्यन्त सरल होती है।
3. इसमें सभी पक्षों का उपयोग किया जाता है। माध्य अथवा भूयिष्ठक की भांति कुछ पदों का नहीं।
4. पदों को निश्चित क्रम के अनुसार लगाने की आवश्यकता नहीं होती जैसा कि मध्यिका के लिए करना पड़ता है।
5. यह निश्चित होता है। श्रेणी चाहे जिस ढंग से लिखी जाये माध्य में कोई अन्तर नहीं आयेगा।
6. गणितीय तथा बीच गणितीय विधियों द्वारा इनका विश्लेषण हो सकता है।
7. यदि माध्य तथा इकाइयों की कुल संख्या ज्ञात हो तो कुल मूल्य ज्ञात किया जा सकता है।

## 2.10 सांख्यिकीय परिसीमाएं :-

“सांख्यिकी को अनुसंधान का महत्वपूर्ण साधन समझना चाहिए। किन्तु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता और इसी कारण हमें सावधानी बरतनी चाहिए।”

“किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकीय नियमों को उपयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित रहकर कुछ सीमाओं से प्रभावित होता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रस्तुत सांख्यिकीय सीमाएं निम्नवत् है-

1. प्रस्तुत शोध प्रबंध दैव निदर्शन विधि पर आधारित हैं अतः इस विधि में दोष स्तवः ही इस अध्ययन में आ जायेंगे।
2. अनुसूची के द्वारा एकत्रित समंक उस सीमा तक ही सत्य है, जिस सीमा तक उत्तरदाताओं ने सत्य उत्तर दिये हैं। अतः निष्कर्षों की जांच इस तथ्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।
3. प्रतिशत एवं माध्य के दोष इस अध्ययन की सांख्यिकीय परिसीमा को शोधित करेंगे।
4. साथ ही सांख्यिकीय निर्वचन हेतु प्रयुक्त सारणी एवं उन पर आधारित चित्रिय प्रदर्शन भी इन विधियों की सांख्यिकीय अवलोकनों के दोषों से शोषित होंगे।
5. चूंकि इस शोध-अध्ययन का सांख्यिकीय विस्तार ज्यादा दीर्घ नहीं है अतः सांख्यिकीय निष्कर्षों एवं निहितार्थों की सत्यता शत-प्रतिशत परिशुद्ध नहीं कही जा सकती है।

निष्कर्षतः प्रस्तुत शोध-अध्ययन की एक निश्चित शोध प्रविधि है, अध्ययन के अगले क्रम में बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना के बारे में अध्ययन किया गया है।

# તૃતીય અધ્યાય

## तृतीय अध्याय

बाँदा जनपद की औद्योगिक संरचना :

वर्गीकरण एवं संदर्भित समयावधि में अवस्थिति

- बाँदा जनपद की औद्योगिक संरचना
- जनपद में शजर पत्थर उद्योग
- उद्योगों का वर्गीकरण एवं संदर्भित समयावधि में अवस्थिति
- निष्कर्ष



## तृतीय अध्याय

### 3.1 बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना :-

मनुष्य विकासशील प्राणी है। विकास के लिए अन्वेषण एवं सर्वेक्षण उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आदिम अवस्था से अब तक धरती के वाह्य तथा आन्तरिक रहस्य को जानने के लिए मानव ने अपने अथक परिश्रम के द्वारा पृथ्वी के उन्नत पर्वतों, पठारों, अथाह समुद्रों तथा दुर्गम स्थानों की खोज की है एवं अपने कुशाग्र बुद्धि से इनकी स्पष्ट झांकी सबके सम्मुख प्रस्तुत की है। मानव अपने ज्ञान व परिश्रम से आज प्रकृति से शासित नहीं वरन् प्रकृति पर शासक बन बैठा है। परन्तु हमारे देश भारत में कुछ भाग अभी भी ऐसे हैं जो संसाधनों से युक्त होने पर भी वर्तमान विकास की दौड़ में पीछे है। इन्हीं पिछड़े हुये क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का जनपद बांदा अपना प्रमुख स्थान रखता है।

बांदा जनपद प्रदेश के बड़े किन्तु आज भी अविकसित जनपदों में से एक है। इसके भौगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ने इसकी आर्थिक एवं औद्योगिक संरचना को रूपायित किया है। इसकी आर्थिक संरचना कृषि आधारित एवं उद्योग-शून्य है। सम्भवतः प्रदेश की ऐसी बहुत कम जनपदीय अर्थव्यवस्थाएं होंगी जो कि बांदा जनपद जैसी स्थैतिक हों। आर्थिक संरचना व्यावसायिक संरचना से रूपान्तरित होती है। चूंकि इसकी संरचना पर

पिछड़ापन प्रभाव हावी है और उस पर विकास का प्रसार-प्रभाव अथवा विकास का प्रदर्शन प्रभाव लगभग नगण्य सा है इसलिए ही आर्थिक संरचना के रूपान्तरित होने की गति भी शून्य के आस-पास है। निष्कर्षतः जनपदीय आर्थिक संरचना गतिहीन एवं स्थैतिक अथवा निर्वाहवादी अर्थव्यवस्था के समतुल्य है। तो क्या इसका कारण संसाधनों की कमी है? क्या इसका कारण स्वयं जनपदीय अर्थव्यवस्था में सन्निहित है? क्या इसका कारण जनपदीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता का अभाव है? क्या इसका कारण शासन की मुखापेक्षिता है? क्या इसका कारण इस जनपद की संवृद्धि चेतना का अभाव है? क्या इसका कारण जनपदीय अर्थव्यवस्था की अन्य जनपदीय अर्थव्यवस्थाओं पर आश्रिता है?

सर्वप्रथम प्रथम को लें। बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से आपूरित है। कम से कम ये साधन इतने तो हैं ही कि इस जनपद की आर्थिक संरचना को रूपान्तरित कर सकें। इस तथ्य का प्रसंगतः वर्णन प्रस्तावना वाले अध्याय में भी किया गया है। तो फिर आर्थिक संरचना की गतिहीनता के अन्य सम्भावित कारणों पर आर्यें। वस्तुतः अन्य जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं सभी ने पिछले पांच दशकों में विशेष तौर पर इस अर्थव्यवस्था की गतिहीनता को पालित एवं पोषित किया है। अतः इस जनपदीय अर्थव्यवस्था में कतिपय विलक्षणताएं उत्पन्न हुयी है, जिनका अपना वैशिष्ट्य है। वे विलक्षणताएं कौन और कैसी हैं? इसका बिन्दुवार वर्णन अग्र प्रकार से किया जा सकता है-

1. यह अर्थव्यवस्था एक दबी और विकास के लिए सिसकती सैंडविच अर्थव्यवस्था है।
2. जनपदीय अर्थव्यवस्था अपने पिछड़ेपन और गरीबी को पोषित करती हुयी निर्वाहवादी अर्थव्यवस्था है।
3. यह अर्थव्यवस्था घोर आर्थिक असमानताओं से संतुप्त सामन्तवादी अर्थव्यवस्था है।
4. यह अर्थव्यवस्था वस्तुतः आयात-अर्थव्यवस्था है फिर भी बंद-अर्थव्यवस्था कहा

जा सकता है, क्योंकि इसके विकास के द्वार बन्द हैं।

5. यह एक 'उद्योग-शून्य' और 'सपाट चेहरे वाली' अर्थव्यवस्था है।
6. यह 'स्थैतिक परिवर्तन' एवं 'उत्तारवादी अर्थव्यवस्था' है।
7. यह अर्थव्यवस्था 'प्रसाधनिक परिवर्तन' 'संवृद्धि चेतनाहीन' 'पारम्परिक' अर्थव्यवस्था है।

उपरोक्त वर्णित विन्दु जनपदीय अर्थव्यवस्था की संरचना का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं फिर भी जहां तक औद्योगिक संरचना का प्रश्न है औद्योगिक दृष्टि से बांदा भारत सरकार द्वारा 'उद्योग-शून्य' जनपद घोषित है। उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के सतत् प्रयासों से जनपद में वृहद् (मध्यम श्रेणी) के उद्योगों में सूती कताई मिल, इण्डक्शन फर्नेस तथा लघु उत्तरीय क्षेत्र में एमरी पाउडर, जिंक इण्डक्स, ऑक्सीजन तथा ऐसीटिलीन गैसेज, स्टोन ग्रिट, इलेक्ट्रिक केविल्स, ऑयल मिल, राइस मिल, दाल मिल, जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, स्टील अलमिरा, बक्से, रैक्स, फर्नीचर, कालीन तथा कतरन की दरी एवं सीमेन्ट पाइप, रजत आभूषण, इलेस्टिक प्रोडक्ट्स, जूता, चप्पल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सीमेन्ट जाली, हॉलो ब्रिक्स, चाय की रिपैकिंग, शीतल पेय, फल संरक्षण, पत्थर की मूर्तियां, लकड़ी के खिलौने जैसी इकाई स्थापित की जा चुकी है। बांदा जनपद में एक औद्योगिक आस्थान, अतर्रा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है। बरगढ़ में 150 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है। बांदा के निकट भूरागढ़ ग्राम में 109 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। ब्रह्म उद्योग के अन्तर्गत ही कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास कम्पनी 350 करोड़ रुपये की लागत से बरगढ़ में निर्माणधीन है जो अब चित्रकूट जनपद का हिस्सा है लेकिन फिर भी उसके विकसित होने से जनपदीय औद्योगिक संरचना में अवश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव प्रदर्शित होगा।

लघु स्तरीय क्षेत्र में मिनी सीमेन्ट तथा कांक्रीट स्लीपर, आटोगैरिज, मिनी राइस मिल, पी.वी.सी. पाइप, फिल्म उद्योगों की इकाइयां स्थापित करवायी जा रही हैं।

जनपद बांदा में दिनांक 1.4.90 के पश्चात औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने वाली इकाई अचल पूंजी विनियोजन पर उ०प्र० शासन द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 20 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपये तक) राज्य पूंजी उपादान जनपद के औद्योगिक विकास हेतु नयी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ विस्तार/अभिनवीकरण करने वाली इकाई को भी प्राप्त होगा।

जनपद की औद्योगिक अवस्थापना से सम्बन्धित अग्र तालिका दृष्टव्य है-

### तालिका 3.1

जनपद बांदा में निम्नलिखित मिनी औद्योगिक आस्थान स्वीकृत है

| इकाई | स्थान     | क्षेत्रफल |
|------|-----------|-----------|
| 1.   | बबेरु     | 3 एकड़    |
| 2.   | राजापुर   | 3 एकड़    |
| 3.   | तिन्दवारी | 3 एकड़    |
| 4.   | जसपुरा    | 3 एकड़    |
| 5.   | कमासिन    | 3 एकड़    |
| 6.   | नरैनी     | 3 एकड़    |
| 7.   | बिसण्डा   | 3 एकड़    |
| 8.   | बड़ोखर    | 3 एकड़    |

स्रोत : औद्योगिक प्रेरणा पुस्तिका, जनपद बांदा।

जनपद बांदा में एक मिनी औद्योगिक आस्थान निर्माणाधीन है जिसमें 2.6 एकड़ भूमि में 48 प्लॉटों में उद्योग की स्थापना की जायेगी।

जनपद बांदा में एक औद्योगिक आस्थान स्थापित है जिसमें 8.26 एकड़ क्षेत्र में कुल 8 रोड एवं 14 प्लाट है। यह औद्योगिक आस्थान सिविल लाइन्स बांदा में स्थित है।

बांदा जनपद शिथिल प्रशासन एवं राजनैतिक / शासकीय उपेक्षा या उदासीनता का सदैव ही शिकार रहा है। धारा के विरुद्ध यह जनपद राजनीति विकास की बाट जोह रहा है। यहां का राजनैतिक नेतृत्व इस हद तक विपन्न है कि कभी भी यहां के सांसद की आवाज लोकसभा में जोर से गूंजी ही नहीं। जब जनप्रतिनिधि ही आलस्य का शिकार हैं तो जनता तो भेड़-चाल की शिकार होगी ही। जन-प्रतिनिधियों के इस शैथिल्य ने इस जनपद को उद्योग-शून्य, विकास-शून्य और निम्न संतुलन जाल में आप्लावित कर रखा है। अतः किसी भी नव्य विकास व्यूह-रचना का प्रधान अंग यही होना चाहिए कि वह प्रशासनिक कुशलता से पूर्ण हो और राजनैतिक नेतृत्व के सबल हाथों से संचालित हो। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि यहां की जनता-जनचेतना शासकीय उपेक्षा के विरुद्ध लोकतांत्रिक ढंग से आवाज बुलंद करे। इसके लिए आवश्यक है कि विकास कर व्यूह रचना में जनचेतना और जनता (ग्रामीण एवं नगरीय) दोनों की लोकप्रिय सहभागिता स्वैच्छिक एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की जाये।

जनपद में 'ड्वाकरा' जैसे महिला विकास कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से चल रहे हैं। किन्तु इस कार्यक्रम की प्रशासनिक शिथिलता ने इसके उद्देश्यों को नष्ट कर दिया है। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज सेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाये तो अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः विकास की योजनाएं एवं कार्यक्रम अपने सैद्धान्तिक धरातल पर तो अच्छे होते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन पक्ष प्रायः त्रुटियों और भ्रष्टाचार से आच्छादित होता है। फलतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वयं में छलपूर्ण हो जाती है। ऐसा ही बांदा में हुआ है। विकास प्रक्रिया में यह प्रश्न लोगों के मन में स्वभावतः उठता है कि विकास किसके लिए? अपने ग्राम के लिए कि समग्र समाज के लिए? यदि लोगों को यह प्रतीत होता है कि विकास की योजनाएं ग्राम के लिए है, अपने क्षेत्र के लिए हैं तब तो लोग उक्त कार्य में वह भी एक सीमा तक ही रुचि लेते हैं। अन्यथा उनका यही दृष्टिकोण उत्पन्न होता है कि "कोऊ नृप होय हमें का हानी।" इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण समग्र

विकास प्रक्रिया को नकारात्मक बना देता है। दुर्भाग्य से यदि क्षेत्रीयता की यह धारणा भारतीय अर्थ व्यवस्था के स्तर पर ही प्रसारित है तो बांदा जनपद इसका अपवाद कैसे बन सकता है। इस प्रकार की धारणा के दुष्प्रभेद की महती आवश्यकता है। समाचार पत्र, रेडियो, चलचित्र, क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक लेख और समाज सेवी संस्थाएं इस दुष्प्रभेद का भेदन कर सकती हैं। नवयुवक वर्ग की ऊर्जा शक्ति का भी इस ओर पर्याप्त सहयोग लिया जा सकता है। आज के युग में आर्थिक विकास की सैद्धान्तिक परिभाषा को बदलना होगा। परिभाषा यही है कि वह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें एक अर्थव्यवस्था की आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। आज की विकास प्रक्रिया अल्पकालीन होनी चाहिए। योजनाओं और परियोजनाओं का प्रतिफल काल छोटा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का आदमी विकास के लाभों को प्राप्त करने के लिए लम्बी प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। साथ ही प्रशासनिक मशीनरी 'रुटीन वर्क' के रूप में कार्य न करके परिणामोन्मुखी धारणा पर कार्य करें। इस हेतु मशीनरी की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

दुर्भाग्य से इस जनपद के स्तर पर ऐसा नहीं हो सका है। इसलिए जनपदीय अर्थव्यवस्था आज भी वैधव्य के आंसू ढलका रही है। आर्थिक विकास की नयी धारणा में केवल आय - वृद्धि - प्रक्रिया का ही होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह तथ्य भी सम्मिलित होने चाहिए कि इस प्रक्रिया के द्वारा जीवन निर्वाह के साधन और न्यूनतम सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि हुयी है कि नहीं। विकास का अर्थ तभी सार्थक हो सकता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशिक्षण, आवास और रोजगार के साधनों में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हो। आज के समय में विकास एक निरपेक्ष धारणा न होकर सापेक्षिक धारणा है और इसका मूलभूत सुविधाओं की वृद्धि से धनात्मक सह-सम्बन्ध है। लेकिन हुआ यही है कि विकास योजनाएं अनेकों क्रियान्वित होती हैं, परन्तु उनके लाभ क्षणिक, तदर्थ और शासन मुखापेक्षी होते हैं। सर्वसाधारण को चाहे लाभ मिला हो या न मिला हो सरकारी उपलब्धियों के समंक तैयार हो जाते हैं। वस्तुतः विकास के कार्यक्रमों में से 'विकासवाद' ही गायब है। जनपदीय

स्तर पर इसी विकासवाद को सृजित करने और उसे संचयी बनाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योजनाओं और परियोजनाओं के लाभों का वितरण समान है या असमान जनपदीय अर्थव्यवस्था का सदियों से पनपे सामन्तवाद में शोषण की छाया में विकास हुआ है। बड़े कृषकों, उद्योगपतियों, भू-स्वामियों और प्रबुद्ध वर्ग में शक्ति के इस प्रकार के सम्बन्ध निर्मित किये हैं कि विकास की आय तथा रोजगार जनन की शक्तियां इनके अनुरूप संचालित होती हैं। इस प्रकार के पावर रिलेशन्स में आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लाभों का असमान आबंटन होता है, ज्यादातर लाभ प्रबुद्ध वर्ग के हाथों में संचित हो जाता है। उसका समाज के निम्न-स्तर की संरचना तक छनन-प्रभाव या तो होता नहीं अथवा अत्यन्त क्षीण होता है। जनपदीय स्तर पर पिछले 60 वर्षों से यही हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यदि एक बड़ी जनसंख्या आर्थिक विकास की प्रक्रिया को छल समझकर उससे उदासीन हो जाती है तो यह आश्चर्य जनक एवं अप्रत्याशित नहीं है। इसलिए आर्थिक व्यूह रचना यथार्थपरक एवं जनोन्मुखी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों के मन में विकास का मनोविज्ञान उत्पन्न हो, वे इस प्रक्रिया में लोकप्रिय सहभागी और समान साझीदार हो, यह प्रक्रिया तदर्थवाद से प्रेरित न होकर विकासवाद को पोषित करें। इस स्थापित लक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समग्रता और गत्यात्मकता प्रदान करना केवल सरकारी-तन्त्र का कार्य नहीं है। जिस क्षेत्र में विकास-प्रक्रिया चल रही है उस क्षेत्र के लोगों का भी उसमें स्पष्ट योगदान होता है, या सक्रिय सहभागिता होती है। आज स्वतन्त्रता के 30 वर्षों बाद बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था के रूप-वर्णन तथा स्वरूप की समीक्षा से यही विदित होता है कि यह अर्थव्यवस्था 'स्थैतिक गतिशीलता' की प्रक्रिया से सम्बद्ध है। इस स्थैतिकता ने जनपद के विकास को निम्न-संतुलन जाल में जकड़ रखा है। पर्याप्त पूंजी विनियोजन, तकनीकी-हस्तान्तरण और संसाधनों के कुशलतम आबंटन के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित व्यूह-रचना के प्रासंगिक तत्वों को संयोजित करके इस जनपदीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को, इसकी आर्थिक संरचना को

प्रावैगिक रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। पुनश्च, यह सामान्य अर्थशास्त्रीय अवधारणा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की औद्योगिक संवृद्धि प्रावैगिक आर्थिक रूपान्तरण की सबसे सबल प्रक्रिया है। न केवल इससे प्रावैगिक रूपान्तरण होता है बल्कि एक पिछड़ी हुयी, स्पन्दहीन एवं निम्न संतुलन जाल के दुष्चक्र में फंसी हुयी अर्थव्यवस्था, सतत, गहन और भारी विनियोजन के द्वारा बाहर निकल सकती है। बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था की 'उद्योग-शून्यता' और 'आर्थिक गतिहीनता' और इस प्रकार से निम्न-संतुलन-जाल की सक्रियता को अवमोदित करने के लिए इस जनपद की तीव्रतर औद्योगीकरण वर्तमान अनिवार्यता है। परन्तु ध्यातव्य है कि यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसका प्रधान अंग है- कृषि क्षेत्र। इसलिए बड़े पैमाने के और कतियय आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रावैगिक आर्थिक रूपान्तरण के आवश्यक प्रत्यय नहीं हो सकते। यद्यपि इन्हें पर्याप्त प्रत्यय कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इस जनपद में औद्योगीकरण की प्रक्रिया ऐसी हो जो कि क्षेत्रीय-संसाधन और तुलनात्मक लाभ पर आधारित हो, जो यहां के निवासियों, विशेषतः, ग्रामीण जनसंख्या को वर्ष-पर्यन्त लाभप्रद रोजगार प्रदान कर सके और जो कि इस जनपद की मानव-पूंजी के तकनीकी ज्ञान के अनुरूप हो। यहीं नहीं प्रदूषण के विकट एवं व्यापक आच्छादन को दृष्टि में रखते हुये इस जनपद का न्यूनतम धूम्र निष्कासन औद्योगीकरण होना चाहिए। इस हेतु जनपद का कृषि आधारित औद्योगीकरण एक अत्यन्त आर्थिक प्रयास होगा। विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है विकास क्षेत्रीय संसाधनों के प्रयोग पर भी आधारित होना चाहिए।

अतः जनपदीय विकास के प्रावैधिक रूपान्तरण की व्यूह-रचना हेतु कृषि पदार्थों यथा-दाल, वनस्पति यथा-आलू एवं टमाटर, मिर्च एवं मसालों, आयुर्वेदिक औषधियों एवं काष्ठ शिल्प तथा कृषि-यन्त्रों के निर्माण तथा खाद्यान्न विधायन के उद्योग-धन्धे इस जनपदीय अर्थ व्यवस्था में व्यापकता से संचालित होने चाहिए। इस हेतु जनपदीय कृषि आधारित औद्योगीकरण निगम की स्थापना और इस जनपद के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता



है। बैकिंग व्यवस्था के द्वारा आसान शर्तों पर उद्यमियों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराना भी एक आवश्यक एवं लाभकारी कदम होगा। वस्तुतः वित्त-व्यवस्था की दुर्बलता और इसकी प्राप्ति में लाल फीताशाही औद्योगीकरण की गति पर, उद्यमशीलता पर और औद्योगिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस 'नकारवाद' को समाप्त किये बिना प्रावैगिक आर्थिक रूपान्तरण की कल्पना करना युक्ति-युक्त नहीं होगा। कुल मिलाकर कृषि आधारित औद्योगीकरण इस जनपद का आर्थिक भविष्य है और 'औद्योगिक-शून्यता' के निरसन का सबसे बड़ा 'शस्त्र' भी।

### 3.2 बांदा जनपद में शजर-पत्थर उद्योग :-

जनपद बांदा में शजर पत्थर तराशने का कार्य किया जाता है जो प्रदेश में कहीं अन्यत्र नहीं किया जाता है। इसका मूल कारण जनपद इस कार्य हेतु उपलब्ध दक्षता है। अपने जीवन यापन हेतु अनेक परिवार इस कार्य में जनपद बांदा में संलग्न हैं परन्तु वित्तीय कठिनाई परम्परागत तकनीकि, विपणन की समस्या के कारण इस उद्योग को वांछित प्रगति एवं ख्याति नहीं मिल पायी है।

शजर एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा पौधा या गुल्म। अंग्रेजी में इसे डेन्डराइट या मास एगेट कहते हैं। यह बिल्लौर परिवार का सदस्य है। इसमें बनी हुयी आकृति एगिट (गवा) पर लोहे एवं मैगनीज खनिज के एक विशेष आकार में जमा होने से निर्मित होती है। मास स्केल में इसकी कठोरता काफी होती है, जो कि नीलम, पुखराज के समीप है। बहुमूल्यता के तीनों गुण इसमें मौजूद हैं स्थायित्व, दुर्लभता एवं सुन्दरता। एगेट मुसलमानों का धार्मिक पत्थर भी माना जाता है। इसी वजह से शजर मध्य पूर्व व पश्चिमी देशों में अत्यन्त लोकप्रिय है। शजर पत्थर को तराशने का कार्य भारत वर्ष में दो स्थानों पर होता है- प्रथम बांदा शहर में और दूसरा जयपुर में। यह पत्थर बांदा में केन नदी की तलहटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पत्थर की पहचान के लिए पहले पत्थर को पानी में भिगोते हैं और फिर रोशनी की ओर रखकर देखने से दूसरी तहों में काले-काले ६

लब्धे दिखायी पड़ते हैं। वर्षा ऋतु के उपरान्त यह पत्थर केन नदी तथा नर्मदा नदी में पाया जाता है। स्थानीय ग्रामीण तथा चरवाहे इसे एकत्र करते हैं। जिसे यहां के शिल्पी क्रय करते हैं। पत्थर में उपलब्ध आकृतियों के आधार पर प्रति बोरी रु० 5000/- से रु० 8000/- तक कच्चा माल (क्रूड पत्थर) क्रय किया जाता है।

शिल्पी एक पत्थर में आकृति की सतह को ज्ञात करके नियत स्थान पर लकड़ी के बने ठीहे पर कसकर बांधने के बाद 25 नं० स्टील तार लगे कमानी से कूरन पाउडर की सहायता से काटते हैं। कटे हुये पत्थर में आकृति को उभारने के लिए पत्थर को ग्राइन्डिंग व्हील पर पाउडर नं० 202 व 203 लगाकर लगातार घिसायी की जाती है फिर आकृतिनुसार विभिन्न आकारों में काट दिया जाता है। इसके बाद रेड आक्साइड से पालिशिंग व फिनिशिंग करके पत्थर के लाकेट, इयरिंग, अंगूठी, टाईपिन, साड़ी-पिन, डिब्बी तथा कीरिंग अनेकों कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। इन पत्थरों के अंदर जो प्राकृतिक पेड़-पौधे शाखायें व अन्य आकृतियां दृष्टिगोचर होती हैं वे अनियमित किस्म की व बेजोड़ होती हैं तथा एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इन पर चाँदी व सोने की माउन्टिंग कर दी जाती है।

यह मूलतः श्रम पर आधारित उद्योग है। जिस पत्थर में आकृति जितनी साफ सुथरी व स्पष्ट होती है वह पत्थर उतना ही अधिक मूल्यवान होता है। इन पत्थरों का तराशने का कार्य पहले हाथ से ही होता था परन्तु ग्राइन्डिंग एवं पालिशिंग कार्य मशीन से किया जाने लगा है।

यह शिल्प कब से प्रारम्भ हुआ इसके बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इस शिल्प के विषय में कहा जाता है कि यह कला 200 वर्ष पूर्व से ही बांदा जनपद में है। कहा जाता है कि श्री अब्दुल्ला नाम के शिल्पी ने सन् 1837 से पूर्व बांदा के तत्कालीन नवाब के संरक्षण में इस शिल्प कार्य की आधारशिला रखी थी। सन् 1911 में रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के अवसर पर श्री अब्दुल्ला के पुत्र श्री अब्दुल गफूर द्वारा शजर पत्थर का प्रदर्शन किया गया। शजर पत्थर का उल्लेख बांदा गजेटियर से भी मिलता

है। सन् 1920-21 तक इस शिल्प में लगभग 30 परिवार लगे थे। नवाबों का संरक्षण समाप्त होने के बाद यह उद्योग लाभकारी उद्योग के रूप में नहीं रह गया था। बांदा शहर में लगभग 12 इकाइयों वर्तमान समय में कार्यरत हैं, जिसमें 30-35 कारीगर कार्य कर रहे हैं। एक कारीगर औसतन पूरे दिन कार्य करके उसकी कार्य-कुशलता के आधार पर रु० 60/- से रु० 80/- तक कमा लेता है।

शजर पत्थर की कलाकृतियों को देश-विदेश विशेषकर मुस्लिम देश ईरान के कलाप्रेमियों द्वारा सराहा व क्रय किया जाता है। अनुमान है कि बांदा शहर से शजर पत्थर की कलाकृतियां का लगभग रु० 80,000/- का व्यापार प्रतिवर्ष किया जाता है। मुख्य रूप से उच्च वर्ग के लोग अथवा विदेशी पर्यटकों का इनके प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। अतः यह विदेशी मुद्रा अर्जन का अच्छा साधन बन सकते हैं बशर्ते जनपद को देश के पर्यटन मानचित्र में उभारा जाय, जो कि लगभग नगण्य है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर इस उद्योग में थोड़े सुधार के पश्चात इस क्षेत्र को और आकर्षक और लाभकारी बनाकर अनेक इकाइयां स्थापित की जा सकती है। आर्थिक रूप से सक्षम एक इकाई की स्थापना के लिए लगभग 1.25 लाख रुपये से कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है तथा वर्ष भर यदि कार्य उपलब्ध हो तो अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। वर्तमान में यह देखा गया है कि कारीगर परम्परागत तकनीकी से इस कार्य को खाली समय में ही करते हैं।

उद्योग विभाग की राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 शिल्पियों श्री सतीश चन्द्र भट्ट, श्री नजीर बेग और श्री कैलाश कुमार जड़िया को राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शिल्पियों द्वारा अपनी कलाकृतियों की बिक्री के लिए भारत व्यापार मेला, सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेला, ताज महोत्सव, अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला, प्रगति मैदान, नयी दिल्ली, लखनऊ, आगरा, देहरादून, बम्बई आदि शहरों में आयोजित मेलों में भाग लिया जाता है। इससे शहरों के व्यापारी भी कलाकृतियों की क्रय करने के लिए बांदा आते हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यदि शासन द्वारा इस हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन एवं वित्तीय मदद प्रदान की जाये तो न सिर्फ यह रोजगार जनन का मुख्य क्षेत्र हो सकता है बल्कि जनपद की उद्यमिता को भी नयी दिशा प्राप्त हो सकती है।

### 3.3 उद्योगों का वर्गीकरण एवं सन्दर्भित समयावधि में अवस्थिति:-

जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है यहां की अधिकांश जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है।

किसी भी जनपद के औद्योगिक विकास की रूप रेखा बनाने में उस जनपद में उपलब्ध संसाधनों एवं आस-पास के क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

जनपद में प्रमुख संसाधन निम्नानुसार है :-

जनपद बांदा में उपलब्ध संसाधन एवं उन पर आधारित उद्योग:-

#### (i) कृषि आधारित संसाधन :-

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य की प्रधानता है। जनपद की लगभग 68 प्रतिशत भूमि को कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। दो फसली क्षेत्र 16.4 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जाता है। जिला कृषि अडि कारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995-96 में जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 780811 हेक्टेयर था। भूमि उपयोगिता की स्थिति का विवरण अग्र तालिका में दिया गया है।

## तालिका 3.2

जनपद में भूमि उपयोगिता की स्थिति (क्षेत्रफल हेक्टेयर)

| क्र.स. | विवरण   | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
|--------|---|-----------|---------|
| 1.     | कुल प्रतिवेदित क्षेत्र                        | 780811    | 100.00  |
| 2.     | वन  | 77781     | 9.96    |
| 3.     | कृषि योग्य भूमि                               | 28064     | 3.54    |
| 4.     | पुरानी परती                                   | 39311     | 5.03    |
| 5.     | नयी परती                                      | 31324     | 4.01    |
| 6.     | ऊसर   | 36932     | 4.72    |
| 7.     | कृषि अतिरिक्त अन्य उपयोग<br>में लायी गयी भूमि | 45438     | 5.82    |
| 8.     | चरागाह  | 424       | 0.05    |
| 9.     | बाग बगीचा                                     | 8661      | 1.10    |
| 10.    | उपयोग में लायी कृषि योग्य भूमि                | 512876    | 65.68   |
| 11.    | एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र               | 83626     | —       |
| 12.    | कुल   | 615888    |         |

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, बांदा 1997

जनपद में मुख्य रूप से दो फसलें रबी एवं खरीफ बोयी जाती हैं। रबी में मुख्य रूप से गेहूं, चना, मसूर एवं अरहर की फसलें बोयी जाती हैं तथा खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा की फसलें बोयी जाती हैं।

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 65.68 प्रतिशत भाग क्षेत्र कृषि के उपयोग हेतु है। वन क्षेत्र मात्र 9.96 प्रतिशत है। यह प्रतिशत पर्यावरण मानक के अनुसार कम है।

जनपद में मुख्य रूप से धान, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, दलहन एवं तिलहन आदि की उपज होती है। इस सम्बन्ध में तालिका 3.3 दृष्टव्य है :-

### तालिका 3.3

वर्ष 1997-98 एवं 98-99 में प्रमुख फसलों, क्षेत्रफल आच्छादन एवं उत्पादन का विवरण

| क्र.स. | फसल का नाम | क्षेत्रफल आच्छादन (हे०) |        | उत्पादन (मी०टन) |        |
|--------|------------|-------------------------|--------|-----------------|--------|
|        |            | 97-98                   | 98-99  | 97-98           | 98-99  |
|        | खरीफ       |                         |        |                 |        |
| 1.     | धान        | 49400                   | 61700  | 56500           | 89800  |
| 2.     | ज्वार      | 42720                   | 36500  | 24000           | 27800  |
| 3.     | बाजरा      | 4700                    | 2800   | 3497            | 2200   |
| 4.     | उर्द       | 3000                    | 3251   | 810             | 1102   |
| 5.     | मूंग       | 1500                    | 1011   | 350             | 283    |
| 6.     | अरहर       | 10340                   | 13810  | -               | -      |
| 7.     | तिल        | 1470                    | 1192   | 200             | 95     |
| 8.     | सोयाबीन    | 1380                    | 1536   | 1280            | 774    |
| 9.     | मूंगफली    | 960                     | 1391   | 700             | 679    |
| 10.    | अन्य       | 1400                    | 400    | 850             | 200    |
|        | योग खरीफ   | 124870                  | 123200 | 88187           | 122933 |
|        | रबी        |                         |        |                 |        |
| 11.    | गेहूं      | 130850                  | 148673 | 179000          | 236555 |
| 12.    | जौ         | 6040                    | 2701   | 8260            | 4810   |
| 13.    | चना        | 101500                  | 94417  | 70750           | 83320  |

|     |           |        |        |        |        |
|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 14. | मटर       | 480    | 950    | 500    | 999    |
| 15. | मसूर      | 27910  | 42553  | 19650  | 37064  |
| 16. | अरहर      | -      | -      | 31240  | 29710  |
| 17. | राई/सरसों | 2910   | 2741   | 1130   | 1495   |
| 18. | अलसी      | 5040   | 5793   | 2200   | 3270   |
|     | योग रबी   | 274730 | 298928 | 312730 | 397223 |

स्रोत : जिला कृषि अधिकारी, बांदा, प्रगति समीक्षा 1999-2000

### कृषि आधारित संसाधन पर सम्भावित उद्योग

1. सब्जियों एवं प्याज निर्जलीकरण
2. टमाटर के पेस्ट / केचअप
3. अचार, चटनी, मुरब्बा,
4. आम की खटायी
5. धूप में सुखायी मिर्च
6. आलू के चिप्स, वेफर्स आदि
7. नमकीन
8. आटा/मैदा
9. लहसून चूर्ण/हरी मिर्च चूर्ण
10. मिनी राइस मिल, दाल मिल
11. पापड़, बड़ी
12. पोहा (चिवड़ा)
13. सिवइयां
14. बेसन मिल

15. दलिया
16. बेकरी/ब्रेड
17. पशुचारा
18. सोयाबीन प्रोडक्ट्स
19. मशरूम
20. सालवेण्ट प्लाण्ट,
21. खाण्डसारी उद्योग,
22. आंवले के प्रोडक्ट्स।

(ii) वन सम्पदा :-

मानव जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वनों द्वारा मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अत्यंत लाभप्रद संसाधन प्राप्त होते हैं। जनपद बांदा में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। पर्यावरण मानक के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 30 हिस्सा वन क्षेत्र से आवृत्त होना चाहिए लेकिन ऐसा इस जनपद में नहीं है। वनों द्वारा उद्योगों के कच्चा माल- इमारती लकड़ी, ईंधन, पशु के लिए चारा, फल-फूल, जड़ी-बूटियां इत्यादि प्राप्त होते हैं जनपद में वन क्षेत्र प्रबन्ध के अन्तर्गत तीन आबाद वन ग्राम भी हैं। वन मुख्य रूप से नरैनी, कर्वी, मानिकपुर, रामनगर, मऊ क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें बबूल ढाक, तेंदु, जामुन, बेर, बांस कोरइया लकड़ी, जड़ी-बूटियों, नीम,महुआ आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। वन ऊपज के अन्तर्गत लकड़ी, बांस, घास, तेंदु पत्ता, फल, शहद, मोम, जड़ी-बूटियों आदि पायी जाती हैं। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 से आरा मशीन की इकाई के स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अतः नये लाइसेंस जारी नहीं किये जा रहे हैं। जनपद से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी वन क्षेत्र है।



### वन सम्पदा पर आधारित सम्भावित उद्योग:-

1. लकड़ी के इमारती सामान
2. लकड़ी के फर्नीचर लकड़ी के खिलौने
3. बांस डलिया, चटाई कूचा
4. दोना पत्तल
5. सालिड फ्यूल बिक्रोटिंग
6. आयुर्वैदिक दवाये, जड़ी-बूटियों का संग्रह
7. महुआ से अल्कोहल
8. रेशा उद्योग।

### (iii) खनिज सम्पदा :-

बांदा जनपद भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक जनपद है तथा यहां का कुछ हिस्सा पठारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनपद में ग्रेनाइट, बाक्साइट एवं सैण्डस्टोन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। करतल, पंचमपुर एवं नहरी क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र के पत्थर अति उत्तम किस्म के हैं। भरतपुर एवं गोरबा बेल्ट में डायमेशन स्टोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में अभी तक कोई भी स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं किये जा सके हैं। कालिंजर क्षेत्र में डायमण्ड प्राप्त होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। गोरबा से कालिंजर तक ग्रेनाइट बेल्ट है। जनपद के बांदा अतर्रा एवं नरैनी तहसीलों में पहाड़ भूमि क्रमशः 33.156, 1415.142 एवं 945.821 हेक्टेयर है। इस प्रकार से यदि जनपद का कुल पहाड़ क्षेत्र देखें तो 2394.119 हेक्टेयर है।

केन नदी से रंगीन पत्थर एवं शजर पत्थर पाये जाते हैं। निकटवर्ती मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सैण्डस्टोन, चूना तथा छतरपुर जिले में उच्चकोटि के ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त होते हैं। वर्तमान में चित्रकूट क्षेत्र में खनिज कार्य में प्रतिबन्ध है।

जनपद में स्टोन क्रेशर, चन्दन मिट्टी, दूसरी पाउडर, सेण्ड स्टोन, टाइल्स, चूना, पत्थर की मूर्तियां, रंगीन पत्थरों के शिल्प बनाने की इकाइयां स्थापित है। मऊ क्षेत्र में एक एवं बांदा शहर के निकट लामा में एक मिनी सीमेण्ट प्लाण्ट की इकाइयां निर्माणधीन है। मऊ तहसील के बरगढ़ क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कांच फैक्ट्री में कांटीनेटल प्लोट ग्लास लिमिटेड का निर्माण आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण नये प्रमोटर की तलाश के कारण रुका है।

### खनिज सम्पदा पर आधारित सम्भावित उद्योग

1. कंक्रीट सीमेण्ट हालोवाक्स सालिड वाक्स
2. रुफिंग टाइल्स
3. मोजैक टाइल्स,
4. सिलिका सेण्ड बाशिंग प्लाण्ट
5. सोडियम एवं पोटैशियम सिलिकेट
6. एमरी पाउडर
7. डिस्टैम्पर/ग्रेरु
8. बाशिंग पाउडर
9. सेण्ड पेपर/क्लास
10. चूना उद्योग
11. सेण्ड स्टोन कटिंग/पालिशिंग,
12. रंगीन पत्थरों के हस्तशिल्प आदि।

### (iv) पशुधन :-

किसी भी जनपद के विकास में पशुधन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनसे कृषि कार्य के साथ-साथ माल ढोने के अतिरिक्त चमड़ा, हड्डी, सींग आदि उपयोगी

कच्चा माल प्राप्त होता है। जिला पशुधन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनपद में दिसम्बर 97 तक कुल 906723 पशु थे। इनका विवरण अग्र तालिका में दिया गया है।

**तालिका 3.4**  
**पशुधन का विवरण**

| क्र.स. | पशुधन का विवरण | संख्या        |
|--------|----------------|---------------|
| 1.     | गोवंशीय        | 432393        |
| 2.     | महिप वंशीय     | 225040        |
| 3.     | भेड़े          | 17608         |
| 4.     | बकरा-बकरी      | 164293        |
| 5.     | कुक्कुट        | 26012         |
| 6.     | अन्य पशु       | 41377         |
|        | <b>कुल पशु</b> | <b>906723</b> |

स्रोत : जिला पशुधन अधिकारी, बांदा।

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में कुल पशुधन का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा गोवंशीय है। जनपद एक कृषि प्रधान जिला है जहां पर कृषि गोवंशीय पशुओं के द्वारा की जाती है कृषि के अतिरिक्त गोवंशीय पशुधन दुग्ध उत्पाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

#### पशुधन आधारित संसाधन पर सम्भावित उद्योग

1. क्रीम, घी, मक्खन, पनीर
2. मीठा दूध पैकिंग
3. आइसक्रीम

4. अण्डे के छिलके का पाउडर
5. चर्मशोधन
6. लेदर गुड्स
7. बोन मिल
8. फिश कट्लेट्स।

### मांग पर आधारित अन्य सम्भावित उद्योग :-

औद्योगिक दृष्टि से बांदा जनपद भारत सरकार द्वारा उद्योग-शून्य जनपद घोषित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जनपद प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक तथा यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। लेकिन उद्योग एवं औद्योगिक वस्तुओं से सम्बन्धित मांग में यह जनपद प्रदेश के किसी भी जनपद से पीछे नहीं है, अतः मांग के आधार पर यहां जो सम्भावित उद्योग पनप सकते हैं उनका विवरण निम्नवत है:-

1. कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्राली
2. स्टील फैब्रिकेशन, चैनल, गेट, डोर, शटर
3. कूलर वाड़ी, स्टील वाक्स अलमारी
4. स्टील फर्नीचर
5. रोलिंग मिल
6. स्टील कास्टिंग
7. फैन एसेम्बलिंग
8. टायर रिट्रेडिंग (कोल्ड प्रोसेस)
9. विद्युत प्लग / स्विच होल्डर, बोर्ड
10. हीटर प्लेट, चाक
11. सीमेन्ट जाली

12. मिनी आफसेट प्रेस / स्क्रीन प्रिंटिंग
13. मिनी कोल्ड स्टोरेज,
14. फिटकिरी
15. कार्डबोर्ड कार्टून्स,
16. केनवास बैग/होल्लडाल,
17. होजरी वस्त
18. डिटर्जेन्ट पाउडर
19. साड़ी फाल
20. अगरबत्ती
21. कोल पिकेट्स
22. कागज के लिफाफे
23. रेक्सीन के बैग, सीट कवर
24. सर्जिकल वैदूज काटन
25. फिनाइल
26. सोलर लालटेन व अन्य यंत्र
27. बांस के सजावटी सामान
28. आर्टीफिशियल गहनें
29. इंजीनियरिंग वर्कशाप
30. एल्युम्युनियम के फर्नीचर, हैंगर
31. पिसे मसाले
32. डीजल इंजन
33. जनरेटर
34. साइकिल पार्ट्स - मडगार्ड, कैरियर स्टैण्ड इत्यादि

35. मैकेनिकल खिलौने
36. कैमफर टैबलेट
37. नेपथालीन गोलियां
38. प्लास्टिक के आइटम
39. फिश प्रोसेसिंग/फिश कट्लेट्स
40. अदरक की प्रोससिंग
41. बैकेलाइट से बने विद्युत के सामान
42. टी०वी० एन्टीना
43. कास्ट आयरन, कास्टिंग
44. डेकोरेटिव आर्ट कास्टिंग
45. गैस बेल्डिंग राड
46. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड
47. मिनरल वाटर
48. ग्रेनाइट टाइल्स
49. पावर केबिल्स
50. चाक कटर ब्लेड
51. कैनवास बैग
52. मसाला पिसाई
53. हैड मेड पेपर
54. होजरी उद्योग
55. बैटरी चर्जिंग
56. बाल पेन
57. स्टोव एवं गैस मरम्मत

58. डेजर्ट कूलर
59. रूम कूलर
60. आइस कैण्डी
61. आइस क्रीम
62. कोल्ड स्टोरेज
63. बर्फ बनाना
64. सुगन्धित तेल
65. अगरबत्ती
66. धूप बत्ती
67. छाता एसेम्बली
68. ऊनी कपड़े की बुनाई
69. मोमबत्ती
70. कुमकुम व बिन्दी
71. नेल पालिश
72. काटन होजरी
73. नमकीन उद्योग
74. कागज के लिफाफे
75. साइकिल सीट कवर
76. बायोगैस प्लाण्ट
77. टी०वी० एन्टीना
78. कम्प्यूटर सेवा केन्द्र
79. कम्प्यूटर सर्विसिंग/रिपेरिंग
80. कंधी एवं ब्रश

81. सोलर ऊर्जा उपकरण

82. सोलर पैनल आदि।

उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित अग्र तालिकाएं दृष्टव्य है-

### तालिका संख्या 3.5

#### जनपदीय उद्योग कर्मियों की आयु (वर्षों में)

| वर्ग अन्तराल | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र<br>का प्रतिशत |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|              | अतर्रा                | बांदा | बबेरु | नरैनी |                  |                     |
| 1            | 2                     |       |       |       | 3                | 4                   |
| 20-40        | 14                    | 27    | 18    | 13    | 73               | 73.00               |
| 40-60        | 10                    | 67    | 06    | 02    | 25               | 25.00               |
| 60-80        | 00                    | 01    | 01    | 00    | 02               | 02.00               |
| तहसीलवारयोग  | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद बांदा की चार तहसीलों में उद्यमियों की आयु क्रमशः 20-40 आयु वर्ग में 15, 27, 18 व 13 है, 40-60 आयु वर्ग में 10, 07, 06, 02 है, 60-80 आयु वर्ग में 00, 01, 01, व 00 है। जिनका प्रतिशत क्रमशः 73, 25, 02 है। स्पष्ट है कि 20-40 आयु वर्ग में उद्यमियों का प्रतिशत 73 है जो सबसे अधिक है तथा दर्शाता है कि जनपदीय युवा वर्ग हमेशा की तरह इस कार्य में सबसे आगे हैं। 40-60 आयु वर्ग में उद्यमियों का प्रतिशत 25 है, जो दूसरे स्थान पर है जबकि सबसे कम प्रतिशत 60-80 आयु वर्ग के बीच है जो 02 प्रतिशत है तथा इसका कम होना भी लाजमी है।



तालिका द्वारा प्रदर्शित उपरोक्त तथ्यों को समान्तर माध्य द्वारा स्पष्ट किया गया है-

| वर्ग अन्तराल | मध्यमान | आवृत्ति | कल्पित माध्य से<br>विचलन | विचलन व आवृत्तियों का<br>गुणनफल |
|--------------|---------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| (ei)         | (x)     | (f)     | $50 dx (x-q)$            | fdx                             |
| 1            | 2       | 3       | 4                        | 5                               |
| 20-40        | 30      | 73      | -20                      | -1460                           |
| 40-60        | 50      | 25      | 0                        | 0                               |
| 60-80        | 70      | 02      | 20                       | 40                              |
| N=100        |         |         |                          | fdx-1420                        |

$$x = A + \frac{fdx}{n}$$


$$x = 50 + \frac{(-1420)}{100}$$

$$x = 50 - 14.20$$

$$x = 35.80$$

### चित्रसंख्या 3.1

जनपदीय उद्योग कर्मियों की आयु (वर्षों में)



### तालिका संख्या 3.6

#### (जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योग का नाम)

प्रस्तुत तालिका में जनपद में कार्यरत उद्योगों के प्रकार का वर्णन किया गया है, जो

कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में हैं-

| उद्योग का प्रकार | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र<br>का प्रतिशत |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|                  | अतर्रा                | बांदा | बबेरु | नरैनी |                  |                     |
| 1                | 2                     |       |       |       | 3                | 4                   |
| लघु उद्योग       | 14                    | 18    | 10    | 05    | 47               | 47.00               |
| कुटीर उद्योग     | 11                    | 15    | 15    | 10    | 53               | 53.00               |
| तहसीलवारयोग      | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपर्युक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि जनपद बांदा की चार तहसीलों अतर्रा, बांदा, बबेरु, तथा नरैनी में लघु उद्योगों की संख्या क्रमशः 14, 18 व 10 व 5 है तथा कुटीर उद्योगों की संख्या क्रमशः 11, 15, 15 व 10 है। स्पष्ट है कि जनपद में कुटीर उद्योगों का प्रतिशत लघु उद्योगों की अपेक्षा अधिक है जो 53 है तथा 47 प्रतिशत संख्या लघु उद्योगों की है जो द्वितीय स्थान पर है, जो इस बात का संकेत है कि जनपद में लघु उद्योगों की अपेक्षा कुटीर उद्योगों की अधिकता है।

तालिका में दिये गये आंकड़ों को मध्यिका के माध्यम से अग्र पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया है-

| वर्ग अन्तराल<br>(ei) | आवृत्ति<br>(f) | संचयी आवृत्ति<br>(ef) |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1                    | 2              | 3                     |
| 1950-60              | 2              | 2                     |
| 1960-70              | 3              | 5                     |
| 1970-80              | 8              | 13                    |
| 1980-90              | 24             | 37C                   |
| 1990-2000            | 63f            | 100                   |

$$N=100$$

$$M = \text{Size of } (n/2) \text{ th item}$$

$$= \frac{100}{\sum}$$

$$M = L_1 \frac{L_2 - L_1}{f} (M - C)$$

$$M = 90 + \frac{10}{63} x (50 - 37)$$

$$M = 90 + \frac{10x13}{63}$$



$$M = 90 + \frac{130}{63}$$

$$M = 90 + 2.06$$

$$M = 92.06$$

## रेखाचित्र संख्या 3.2

जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योग का नाम  
(लघु एवं कुटीर)



## लघु उद्योग कुटीर उद्योग

### तालिका संख्या 3.7

(जनपदीय उद्योग-कर्मियों के उद्योग स्थापित करने का वर्ष)

प्रस्तुत तालिका में जनपद बांदा में उद्योग कर्मियों द्वारा उद्योगों को स्थापित करने का

वर्ष दिया गया है।


| वर्ग अन्तराल | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र<br>का प्रतिशत |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|              | अतर्रा                | बांदा | बबेरु | नरैनी |                  |                     |
| 1            |                       |       | 2     |       | 3                | 4                   |
| 50-60        | 01                    | 01    | 00    | 00    | 02               | 02.00               |
| 60-70        | 00                    | 02    | 01    | 00    | 03               | 03.00               |
| 70-80        | 02                    | 04    | 01    | 01    | 08               | 08.00               |
| 80-90        | 06                    | 08    | 06    | 04    | 24               | 24.00               |
| 90-100       | 16                    | 20    | 17    | 10    | 63               | 63.00               |
| तहसीलवारयोग  | 25                    | 25    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनपद बांदा में विभिन्न वर्ष समूहो 50-60, 60-70, 70-80, 80.90 और 90-2002 में उद्योगों के स्थापित होने के प्रतिशत क्रमशः 02 प्रतिशत है, जो सबसे कम है, 03 प्रतिशत जो 50-60 वर्ष समूह से थोड़ा अधिक है, 08 प्रतिशत जो गत वर्ष समूह की तुलना में अधिक है तथा 24 प्रतिशत जो 70-80 वर्ष समूह के प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है, जबकि वर्ष समूह 90-02 में उद्योगों के स्थापित होने का प्रतिशत 63 है, जो अन्य वर्ष समूहों की तुलना में सबसे अधिक है तथा यह दर्शाता है कि जनपद में उद्योगों की स्थापना का कार्य हाल के वर्षों में ज्यादा हुआ है।

## रेखाचित्र संख्या 3.3

## उद्योग स्थापित करने का वर्ष



## तालिका संख्या 3.8

## विशिष्ट वस्तु या सेवा उद्योग


| उद्योग का प्रकार      | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय महायोग | समग्र का प्रतिशत |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
|                       | अतर्रा                | बांदा | बबेरु | नरैनी |               |                  |
| 1                     | 2                     |       |       |       | 3             | 4                |
| उपभोग वस्तु           | 06                    | 01    | 02    | 02    | 11            | 11.00            |
| उत्पादन वस्तु         | 02                    | 02    | 01    | 04    | 09            | 09.00            |
| सेवा से सम्बद्ध वस्तु | 16                    | 25    | 21    | 06    | 68            | 68.00            |
| सामान्य वस्तु         | 01                    | 07    | 01    | 03    | 12            | 12.00            |
| तहसीलवारयोग           | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100           | 100.00           |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि जनपद में लगे हुये उद्योगों से उत्पादन क्रमशः उपभोग वस्तु, उत्पादन वस्तु तथा सेवा क्षेत्र से सम्बद्ध वस्तु तथा सामान्य वस्तु का होता है। सबसे अधिक उत्पादन का प्रतिशत सेवा से सम्बद्ध वस्तु का है, जो 68 प्रतिशत है जबकि सबसे कम उत्पादन प्रतिशत उत्पादन वस्तु का है। जो 09 प्रतिशत है तथा दूसरे एवं तीसरे स्थान पर उत्पादन क्रमशः सामान्य वस्तु एवं उपभोग वस्तु का होता है जो 12 तथा 11 प्रतिशत है।

### रेखाचित्र संख्या 3.4

#### जनपद में विशिष्ट वस्तु या सेवा के उद्योग



### तालिका संख्या 3.9

## जनपदीय उद्योग कर्मियों के द्वारा विशिष्ट वस्तु के ही उद्योग स्थापित करने का मुख्य कारण

प्रस्तुत तालिका में यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनपदीय उद्योग कर्मियों द्वारा स्थापित उनके विशिष्ट प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने में कौन से कारक प्रेरक रहे हैं:-

| उद्योग का प्रकार    | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय महायोग | समग्र का प्रतिशत |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
|                     | अतर्रा                | बांदा | बबेरु | नरैनी |               |                  |
| 1                   | 2                     |       |       |       | 3             | 4                |
| जनपदीय विकास        | 07                    | 08    | 07    | 04    | 26            | 26.00            |
| उद्योगगत विशेषज्ञता | 08                    | 14    | 08    | 03    | 33            | 33.00            |
| क्षेत्रीय मांग      | 03                    | 05    | 01    | 00    | 09            | 09.00            |
| साधन उपलब्धता       | 07                    | 08    | 09    | 08    | 32            | 32.00            |
| तहसीलवार योग        | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100           | 100.00           |


स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपरोक्त तालिका में दृष्टव्य है कि जनपद में उद्योग धन्धे स्थापित करने के मूल कारणों का प्रतिशत क्रमशः जनपदीय विकास 28 प्रतिशत, उद्योगगत विशेषज्ञता 33 प्रतिशत, क्षेत्रीय मांग 09 प्रतिशत तथा संसाधन उपलब्धता 32 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि उद्योग स्थापित होने में महती भूमिका उद्योगगत विशेषज्ञता को है, जिसका प्रतिशत 33 है, द्वितीय स्थान संसाधन उपलब्धता को है, जिसका प्रतिशत 32 है, तृतीय स्थान जनपदीय विकास को जाता है, जिसका प्रतिशत 26 है। तथा सबसे कम योगदान क्षेत्रीय मांग का है, जिसका प्रतिशत सबसे कम 09 है।



## रेखाचित्र संख्या 3.5

### उद्योग स्थापित करने का आधार



### 3.4 निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि जनपद में पिछड़ापन प्रभाव हावी है तथा औद्योगिक न्यून्यता विद्यमान है लेकिन यहाँ पर उद्योगों के पनपने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है आवश्यकता है सिर्फ उनके उचित उपयोग की। विकास क्षेत्रीय संसाधनों के प्रयोग पर ही आधारित होना चाहिए। अतः जनपदीय विकास के प्रारंभिक रूपान्तरण की व्यूहरचना हेतु कृषि पदार्थों यथा दाल, चालवन, वनस्पति यथा आलू एवं टमाटर मिर्च एवं मसालों आयुर्वेदिक औषधियों एवं काष्ठ शिल्प तथा कृषि यन्त्रों के निर्माण तथा खाद्यान्न, विधायन के उद्योग धन्धे इस जनपदीय अर्थव्यवस्था में व्यापकता से संचालित होने चाहिए।

# चतुर्थ अध्याय

## चतुर्थ अध्याय

### बाँदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” निर्धारक तत्व

- बाह्य तत्व
- अन्तः तत्व
- संरचनात्मक तत्व
- आर्थिक तत्व
- तकनीकी तत्व
- निष्कर्ष

## चतुर्थ अध्याय

अगर समाज-व्यवस्था आरम्भ से ही कुछ इस प्रकार विकसित हुयी होती कि व्यवसाय-वाणिज्य करना राज्य के ही सामान्य कार्य रहे होते तो आज शायद हम इस बात की चर्चा कर रहे होते कि क्यों न व्यक्तियों को भी व्यवसाय-वाणिज्य करने का अधिकार दिया जाय। पर ऐसा नहीं हुआ। किन्हीं परिस्थितियों के कारण राज्य और नागरिकों के बीच कार्यों का बंटवारा इस प्रकार हुआ कि राज सत्ता के जिम्मे भूमि और नागरिकों की रक्षा करना, समाज में न्याय-व्यवस्था कायम रखना, अपराधियों को दण्ड देना या कुछ जनकल्याण के कार्य करना आदि कार्य आये और नागरिकों से आशा की गयी कि वे व्यवसाय-वाणिज्य करेंगे, कानूनों का पालन करेंगे, कर चुकायेंगे आदि। पर राज्य और नागरिकों के बीच कार्यों का यह सरल बंटवारा उन्नीसवीं शताब्दी के बहुत से लोगों को रास नहीं आया और इस बात की चर्चा जोरों से होने लगी कि राज्य को व्यवसाय-वाणिज्य पर अधिक नियन्त्रण करना चाहिए, उससे भी एक कदम आगे, राज्य को स्वयं ही उद्योग-धन्धे-स्थापित करने चाहिए। इन्ही विचार धाराओं का परिणाम हुआ कि आज दुनिया के हर देश में कम या अधिक मात्रा में सरकार स्वयं भी व्यवसाय करने लगी हैं। सरकार स्वयं एक 'उद्योगपति व्यवसायी' बनती जा रही है। ऐसे उद्योग व्यवसायों को जो सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं, लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है।

भारत देश भी इस विषय में अपवाद नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय

अर्थव्यवस्था काफी जर्जर एवं दिशाहीन थी। केन्द्र में पं. नेहरु के नेतृत्व में ऐसी कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ थी जिसका झुकाव समाजवाद की ओर स्पष्ट रूप से था। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए नियोजित आर्थिक विकास की रणनीति अपनायी गयी। पंचवर्षीय योजनाएं जो आज भी चल रही हैं इसका स्पष्ट उदाहरण हैं आधारभूत उद्योगों एवं सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा सरकार स्वयं एक उद्योग पति बन गयी। स्वतन्त्रता के लगभग 40 वर्षों तक देश में यही आर्थिक नीति कायम रही। परिणाम भी मिले-जुले रहे परन्तु जो लक्ष्य रखे गये थे, जो आशाएं इस आर्थिक नीति से पाली गयी थी, उसमें यह आर्थिक नीति खरी नहीं उतर पायी। अन्य शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश आर्थिक उदारीकरण की नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे थे और उसके उत्साह-वर्धक परिणाम सामने आ रहे थे। भारत 90 के दशक की शुरुआत में आर्थिक संकट से घिर गया था। अतः उसी पार्टी की सरकार ने जिसने समाजवादी आर्थिक नीति को क्रियान्वित किया था, उदारीकरण की नयी आर्थिक नीति जुलाई 1991 में देश के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण तीन नीतियों का सम्मिश्रण था।

इसके अन्तर्गत इस बात को प्रमुखता प्रदान की गयी कि चयनित आधारभूत उद्योगों को सरकार के पास आरक्षित रखा जाये तथा बाकी सभी को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाये जिससे विश्व-अर्थव्यवस्था के साथ-भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा कर सके।

इस नीति का मैं भी समर्थन करता हूँ क्योंकि इस नीति के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्तर पर उद्यमिता का भरपूर विकास होने की पूर्ण सम्भावना है। चूँकि इस शोध ग्रन्थ में बाँदा जनपद की उद्योग न्यूनता के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है अतः अब हम बाँदा जनपद के विशेष सन्दर्भ में बातें करते हैं कि क्योंकि बाँदा जनपद एक उद्योग शून्य जनपद है। इसकी उद्योग शून्यता के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं। इस तथ्य की व्याख्या इस अध्याय का वर्ण्य विषय है। जनपद बाँदा की उद्योग-शून्यता को निर्धारित करने वाले तत्वों का विश्लेषण करने से पूर्व यदि हम जनपद की वर्तमान औद्योगिक स्थिति का अवलोकन कर ले तो ज्यादा मुनासिब होगा।

बाँदा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के चुने हुये जनपदों में से एक है। जनपद की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से आपूरित है। यहाँ की अधिकांश जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं। जनपद बाँदा चूँकि कानपुर, इलाहाबाद तथा झाँसी मण्डलों के समीप है। अतः इन तीनों स्थानों से कच्चे व तैयार माल के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होती है।

वर्तमान में जनपद में मध्यम स्तर की कुल एक इकाई में 0 यू० पी० स्टेट यार्न कम्पनी, चिल्ला रोड, बाँदा में स्थित है। इस इकाई में 12.73 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है। इसमें 940 व्यक्तियों को रोजगार मिला है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 36 मी० टन प्रति दिन है। जिला उद्योग केन्द्र बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में यह इकाई बन्द है।

वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग पूँजी विनियोग के अनुपात में अपनी उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग कर मांग की आपूर्ति सस्ते दर पर विक्रय करके अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करते हैं। चूँकि वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग में बाँदा शून्य जनपद है अतः इस जनपद में लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ गया है।

### लघु उद्योग :-

लघु उद्योग अपनी विशिष्टता के कारण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। लघु श्रेणी की इकाइयों में कम पूँजी विनियोग द्वारा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं क्योंकि इनका विस्तार शहरों कस्बों तथा ग्रामीण स्तर तक होता है। लघु उद्योग जहाँ एक ओर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करते हैं वही दूसरी ओर बेरोजगारी को भी दूर करते हैं।

जनपद बाँदा में वर्ष 1998-99 तक स्थापित कुल इकाइयों की संख्या 3220 है। इन इकाइयों में 19,11,35,000 रुपये का पूँजी विनियोजन है तथा इनसे 155 व्यक्तियों को रोजगार मिला है जिला उद्योग केन्द्र, बाँदा से प्राप्त 19 मदवार इकाइयों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

## तालिका सं० 4.1

| क्र०<br>स० | एन आई सी<br>कोड | उत्पाद समूह का नाम                    | इकाइयों<br>की सं० | पूंजी निवेश<br>(करोड़ में) | रोजगार<br>(संख्या) |
|------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 1          | 20-21           | खाद्य पदार्थ                          | 487               | 6.04                       | 1382               |
| 2          | 22              | पेय एवं तम्बाकू उत्पाद                | 1                 | 0.003                      | 3                  |
| 3          | 23              | काटन टेक्सटाईल                        | -                 | -                          | -                  |
| 4          | 24              | ऊन, सिल्क सिंथेटिक<br>फाईबर टेक्सटाईल | 14                | 0.12                       | 63                 |
| 5          | 25              | जूट, हेल्थ, मेस्टाटेक्सटाईल           | -                 | -                          | -                  |
| 6          | 26              | होजरी गारमेंट्स                       | 309               | 0.517                      | 865                |
| 7          | 27              | लकड़ी के उत्पाद                       | 480               | 0.837                      | 1247               |
| 8          | 28              | पेपर उत्पाद एवं छपाई                  | 41                | 0.37                       | 146                |
| 9          | 29              | चर्म उत्पाद                           | 70                | 0.2165                     | 155                |
| 10         | 30              | रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद              | 70                | 0.2165                     | 241                |
| 11         | 31              | रसायन एवं रसायन उद्योग                | 37                | 0.3332                     | 112                |
| 12         | 32              | खनिज (कांच एवं मूर्तियां)             | 30                | 1.785                      | 129                |
| 13         | 33              | आधारभूत उद्योग (धातु)                 | 52                | 3.588                      | 332                |
| 14         | 34              | धातु उद्योग                           | 60                | 0.840                      | 174                |
| 15         | 35              | मशीनरी एवं पार्ट्स                    | 128               | 0.431                      | 300                |
| 16         | 36              | विद्युत एवं मशीनरी उपकरण              | 6                 | 0.02                       | 7                  |
| 17         | 37              | यातायात उपकरण                         | 19                | .008                       | 99                 |
| 18         | 38              | विविध उद्योग                          | 585               | 1.614                      | 1339               |
| 19         | 96-97           | मरम्मत एवं सेवा                       | 831               | 2.32                       | 1561               |
|            |                 | योग                                   | 3220              | 19.1135                    | 8155               |

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, बाँदा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक इकाइयां मरम्मत एवं सेवा कार्य हेतु पंजीकृत है। इस उद्योग समूह में कुल 831 इकाइयां हैं। इन इकाइयों में 2.32 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है तथा इसमें 1561 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके उपरांत संख्या की दृष्टि से विविध उद्योग दूसरे नम्बर पर हैं इस समूह में 585 इकाइयां पंजीकृत है। इनमें 1.61 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ है तथा इसमें 1339 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। तीसरे नम्बर पर खाद्य पदार्थ समूह में 487 इकाइयां पंजीकृत हैं पूंजी निवेश की दृष्टि से यह समूह सर्व प्रथम हैं इसमें 6.04 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है तथा इसमें 1382 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद के समूह में 480 इकाइयों पंजीकृत है। इन इकाइयों में 0.837 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है तथा इसमें 1247 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हैं। होजरी एवं सिले सिलाये वस्त्रों की 309 इकाइयों जनपद में कार्यरत है। इस समूह में पूंजी निवेश 0.517 करोड़ रुपया है तथा इस उद्योग समूह में 065 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 128 इकाइयां मशीनरी एवं पार्ट्स के लिए, 70 इकाइयां चर्म उद्योग एवं 70 इकाइयाँ रबर एवं प्लास्टिक हेतु, 60 धातु उद्योग, 52 आधारभूत धातु उद्योग, 41 पेपर एवं छपाई उद्योग हेतु, 37 रसायन एवं रसायन उद्योग हेतु 30 खनिज पदार्थ हेतु, 19 यातायात उपकरण, 14 ऊन तथा सिल्क प्रोडक्ट, 6 विद्युत एवं मशीनरी उद्योग तथा एक इकाई पेय एवं तम्बाकू की इकाई पंजीकृत है जिनमें क्रमशः मशीनरी एवं पार्ट्स की 128 इकाइयों में 0.431 करोड़ रुपये, चर्म एवं रबर व प्लास्टिक उत्पाद की इकाइयों में 0.216 तथा 0.332 करोड़ धातु उद्योग में 0.84 करोड़, आधारभूत धातु उद्योग में 3.588 करोड़ पेपर एवं छपाई में 0.37 करोड़ रसायन एवं रसायन उत्पाद में 0.332 करोड़, खानिज उद्योग में 1.785 करोड़, यातायात उपकरण में 0.08 करोड़, ऊन तथा सिल्क में 0.12 करोड़, विद्युत एवं उपकरण में 0.02 करोड़ तथा पेय एवं तम्बाकू उद्योग में 0.003 रुपये का पूंजी निवेश है।

इन इकाइयों में क्रमशः 3000, 241, 155, 174, 332, 146, 112, 129, 99, 63, 7 एवं 3 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हैं।



## खादी एवं ग्रामोद्योग :-

जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में खादी एवं ग्रामोद्योग का विशेष योगदान है। इस क्षेत्र में अधिकांश इकाइयां स्थानीय संसाधनों एवं कौशल आदि को ध्यान में रखकर स्थापित की जाती है तथा जो अंशकालिक रूप से भी कार्य करके चलायी जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्ष भर कृषि कार्य उपलब्ध न होने की स्थिति में समय का सदुपयोग कर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर समाज सेवी संस्थाओं, सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत इकाइयों को वित्त पोषित कर उत्पादन कार्य में संलग्न करना है। वर्तमान शासननीति इसे और अधिक विकसित और उन्नतशील करने की है। अब इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण की सुविधा के साथ परियोजना पूर्ण होने पर नियमानुसार सरकारी अनुदान देया होता है। इसके परिणामस्वरूप नवीन तकनीकी आधारित अपेक्षाकृत अधिक लागत वाली औद्योगिक इकाइयों का इस क्षेत्र में लगाया जाना संभव हो सका। जनपद बांदा के खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 30-9-99 तक कुल पंजीकृत समितियों, संस्थाओं, तथा व्यक्तिगत इकाइयों की संख्या क्रमशः 49, 59 और 2650 है जिनमें कुल पूर्ण कालिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 603 है तथा अंशकालिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 513 है।

उद्योगवार इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

## तालिका सं० 4.2

## खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों का विवरण

| क्र०सं० | उद्योग का नाम       | संस्था | समिति | व्यक्ति | रोजगार संख्या |          |
|---------|---------------------|--------|-------|---------|---------------|----------|
|         |                     |        |       |         | पूर्णकालिक    | अंशकालिक |
| 1       | तेलघानी             | 13     | 03    | 04      | 15            | 13       |
| 2       | अनाज दाल प्रशोधन    | 03     | 07    | 118     | 130           | 113      |
| 3       | चर्म उद्योग         | 16     | 15    | 746     | 135           | 120      |
| 4       | लौह/काष्ठ           | 09     | 02    | 230     | 100           | 130      |
| 5       | कुम्हारी            | -      | -     | 485     | 90            | 40       |
| 6       | रेशा                | -      | -     | 350     | 9             | 10       |
| 7       | ताड़ गुड            | 1      | 1     | 54      | 10            | 8        |
| 8       | चूना                | 1      | -     | 46      | 5             | 2        |
| 9       | अखाद्यतेल एवं साबुन | 2      | 8     | 4       | -             | -        |
| 10      | गोंद                | -      | -     | -       | -             | -        |
| 11      | गोबर गैस            | -      | -     | 7       | 3             | 1        |
| 12      | गुड़ खाण्डसारी      | -      | -     | 47      | 15            | 5        |
| 13      | बांस, बेंत          | -      | -     | 411     | -             | -        |
| 14      | जड़ी बूटी           | -      | 1     | 4       | -             | -        |
| 15      | हाथ कागज            | -      | -     | 2       | -             | -        |
| 16      | एल्युमीनियम         | -      | 1     | -       | -             | -        |
| 17      | माचिस               | -      | 1     | 7       | -             | -        |
| 18      | फल प्रशोधन          | -      | -     | 6       | 35            | 20       |
| 19      | अगरबत्ती            | 3      | 5     | 21      | -             | -        |
| 20      | मौन पालन            | 3      | 5     | 21      | 30            | 10       |

|    |                  |   |   |    |    |   |
|----|------------------|---|---|----|----|---|
| 21 | सेवा उद्योग      | - | - | 61 | 8  | 5 |
| 22 | बिजली मरम्मत     | - | - | 2  | 6  | 2 |
| 23 | सिलाई            | - | - | 18 | -  | - |
| 24 | डीजल इंजन मरम्मत | - | - | 2  | -  | - |
| 25 | ब्रास बेल्ट      | 4 | - | 1  | 10 | 3 |
| 26 | रेडीमेड गारमेण्ट | 4 | - | 1  | -  | - |
| 27 | पोलीमर केमिकल    | - | - | 1  | -  | - |
| 28 | प्लास्टिक        | - | - | -  | 2  | 1 |

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, बाँदा।

### हस्तकला उद्योग :-

जनपद में परम्परागत उद्योगों में अधिकांश हस्तकला उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जनपद बाँदा में इन हस्तकला उद्योगों में पत्थर, दरी, पीतल के सरौते तथा चांदी के आभूषण मुख्य हैं।

### तालिका संख्या 4.3

#### जनपद बाँदा में वर्तमान में हस्तकला उद्योगों का विवरण

| क्र०सं० | उद्योग का नाम  | संख्या | रोजगार | उत्पादन क्षमता | पूंजी निवेश<br>(रु० में) |
|---------|----------------|--------|--------|----------------|--------------------------|
| 1       | शजर पत्थर      | 10     | 26     | 60.0000        | 80.00                    |
| 2       | कतरन दरी       | 41     | 128    | 1230000        | 164.000                  |
| 3       | सरौता पीतल     | 24     | 48     | 95000          | 48.000                   |
| 4       | चांदी के आभूषण | 02     | 05     | 85000          | 20.000                   |

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र बाँदा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक इकाइयों कतरन से दरी तैयार करने वाली 41 इकाइयां है। इस उद्योग में 1.64 लाख रुपये पूंजी निवेश हुआ है। कुल 12.30 लाख रुपये की उत्पादन क्षमता के साथ इनसे 128 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

पीतल के सरौते के निर्माण हेतु 24 इकाइयों जनपद में कार्यरत हैं। इन इकाइयों में 0.48 लाख रुपये का पूंजी निवेश है इनकी उत्पादन क्षमता 0.95 लाख रुपये है तथा इनमें 48 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

शजर पत्थर की कुल 10 इकाइयों कार्यरत है। जिनमें 0.80 लाख का पूंजी निवेश है। 6.00 लाख की उत्पादन क्षमता के साथ इनमें 26 लाख लोगों को रोजगार मिला है चांदी के आभूषण की केवल 2 ही इकाइयाँ हैं जिनमें 0.20 लाख रुपये का पूंजी निवेश है। इनकी उत्पादन क्षमता 0.85 लाख रुपये है तथा इनमें 5 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

उपरोक्त विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि जनपद बांदा औद्योगिक दृष्टि से नितान्त शून्य नहीं है। यहाँ पर अनेक लघु उद्योग धन्धे कार्यशील हैं तथा उनके विकास की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं। बड़े एवं मध्यम स्तर के उद्योग धन्धों का नितान्त अभाव है जो जनपद के विशाल मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुये, सोचनीय है। यही कारण है कि जनपद प्रदेश का काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण जिला होते हुये भी उद्योग शून्य जनपद होने के लिए अभिशप्त है। जनपद की उद्योग शून्यता के तमाम कारण इस जनपद की आंतरिक संरचना में ही उपस्थिति है। जिन्हे 'उद्योग शून्यता के निर्धारक तत्व' कहा जा सकता है। इनका विस्तार से विश्लेषण यहां किया जा रहा है, जो अग्र प्रकार से है-

#### 4.1 बाह्य तत्व :-

किसी जनपद की उद्योग शून्यता के निर्धारक तत्व के अन्तर्गत वहाँ की राजनीतिक उदासीनता, शासन की अपेक्षा, आन्तरिक कलह, आपसी मेल-मिलाप एवं सद्भाव तथा अन्य पड़ोसी विकसित जनपदों से इस जनपद का पर्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध का न होना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

राजनीतिक उदासीनता के अन्तर्गत यही कहा जा सकता है कि बांदा जनपद की जनता जर्नादन अपने विशेष के प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति को चुनकर लोकसभा या विधान सभा

की सीटों पर आसीन कराती है, उसके साथ उसकी यही भावनाएँ एवं उम्मीदें जुड़ी होती है कि हमारा नेता अपने क्षेत्र विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में सत्ताधारियों का ध्यान आकृष्ट करके इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेगा तथा जनपद की पिछड़ी हुयी एवं उद्योग शून्य अर्थव्यवस्था को विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। लेकिन यह जनपद का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि निर्वाचन के पूर्व बड़े-बड़े एवं इरादे वाले सांसद विधायक निर्वाचित होने के पश्चात अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में ध्यान देने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को हासिल करने की जुगाड़ में भिड़ जाते हैं यही कारण है कि यह जनपद शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली औद्योगिक सुविधाओं एवं सहायताओं से वंचित है।

आन्तरिक कलह एवं मेल मिलाप की भावना का पर्याप्त अभाव भी इस जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बन्दूक की संस्कृति जहां एक ओर अनेक साजिशों एवं दिनों दिन होने वाली हत्याओं के लिए उत्तरदायी है वही दूसरी ओर इस जनपद को विकास की दृष्टि से प्रदेश के अन्य जनपदों से मीलों पीछे ढकेल दिया है। दस्यु गैंगों का प्रभाव भी इस जनपद को उद्योग शून्य बनाये रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि जो पूंजी एवं धन इस जनपद के औद्योगिक विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए, वह पूंजी दस्यु उन्मूलन अभियानों में ही शासन द्वारा खर्च कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों से इसका प्रशासनिक एवं आर्थिक सम्बन्ध न होने के कारण कोई भी बाहरी विनियोजक अपनी पूंजी को यहाँ विनियोजित नहीं करना चाहता है। समाज की इकाई व्यक्ति है जिसके कार्यकलाप सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश को प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति माता-पिता, परिवार, रिश्तेदार और मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुये सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। चूँकि उद्यमी एक सामान्य व्यक्ति होते हुये भी कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त एवं विशिष्ट गतिविधि में संलग्न होता है इसलिए सामाजिक विकास में उससे विशिष्ट योगदान की अपेक्षा की जाती है। मात्सूशिता इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष श्री कोनासुक मात्सुशिता ने उद्यमी/उद्यम के सामाजिक उत्तरदायित्वों को इस प्रकार स्पष्ट किया है- एक उत्पादक का लक्ष्य गरीबी को दूर करना, समाज को गरीबी के कष्टों से मुक्त करना, इसके लिए समृद्धि लाना है।

व्यवसाय व उत्पादन का उद्देश्य मात्र कारखानों दुकानों व सम्बन्धित उद्यमों को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज को समृद्ध करना है व समाज को अपनी समृद्धि के लिए जीवन्त एवं गतिशील उद्योगों व व्यवसायों की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व सामान्य व्यक्तियों से अधिक एवं भिन्न हो जाते हैं। लेकिन यह जनपद का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि जनपद में अभी तक एक भी ऐसा उद्यमी नहीं पैदा हुआ जो उद्यमिता के उत्तरदायित्वों को समझते हुये जनपद को उद्योग शून्यता के कलंक से छुटकारा दिला सकता।

अतः उपरोक्त बाह्य तत्वों ने ही इस जनपद को अपना समुचित विकास करने की दृष्टि से असफल कर दिया है। और यही कारण है कि जनपदीय विकास के लिए चलायी जाने वाली योजनाएं सफेद हाथी साबित हुयी है।

#### 4.2 अन्तः तत्व :-

कच्चे माल का आभाव, उद्यमिता की कमी तथा जनपद में उपस्थित प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग न होना आदि को उद्योग शून्यता के निर्धारक तत्वों के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है।

लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे तो आंशिक कच्चे माल की आपूर्ति में तो अपना समुचित विकास करने में सक्षम होते हैं, लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धे किसी अर्थव्यवस्था की समुचित औद्योगिक प्रगति का आधार नहीं बन सकते हैं, जबकि वृहत् उद्योग जो कि समुचित औद्योगिक प्रगति के आधार हैं, के लिए पर्याप्त माल की आपूर्ति का होना आवश्यक है।

जनपद प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से एक धनी जनपद है, लेकिन शासन की उपेक्षा के कारण जनपद में उपस्थित प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन नहीं हो पाया है, जो वृहद् उद्योगों की प्रकृति में बाधक सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर ऐसे साहसी उद्यमियों का भी अभाव है जो अपनी पूंजी को खतरे में डालकर कोई नया रोजी परक उद्योग-धन्धा संचालित करने का प्रयास करते हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनपद की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले बड़े उद्योग धन्धों की शून्यता तो विद्यमान है ही साथ ही जो सबसे बड़ा आन्तरिक कारण है जो जनपद को उद्योग शून्य बनाये हुये हैं, वह है उद्यमिता का नितान्त आभाव। किसी भी अर्थव्यवस्था

में योगदान देने और उसे विकसित करने में उद्यमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका महत्व पिछड़ी हुयी अर्थव्यवस्था में और भी अधिक बढ़ जाता है जहाँ उपलब्ध स्रोतों को, जो कि सीमित मात्रा में ही होते हैं, नई चीजें खोजने के लिए और उद्यमिता व उद्योग शुरू करने के लिए बहुत से अवसर मौजूद होते हैं परन्तु समस्त अर्थव्यवस्थाएं इस दृष्टि से समान नहीं होती है। सामान्य तौर पर हम देखते है कि विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में अपेक्षा कृत अधिक उद्यमी होते हैं। दूसरी आश्चर्य की बात यह होती है कि जैसे जैसे बेरोजगारों की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वेतन रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है और वे उद्यमिता आजीविका के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अवसरों से अनभिज्ञ रहते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसका कारण उद्यमिता के बारे में शिक्षा का अभाव होता है।

शिक्षा एक अत्यधिक प्रभावशाली प्रचार का माध्यम है जो मूल्यों का निर्धारण करती है, प्रवृत्तियों को विकसित करता है और लोगों में व्यावसायिक दिशाओं में आत्मविश्वास बढ़ने की इच्छा जाग्रत करती है। मूल्य प्रवृत्ति और प्रेरणा आपस में मिलकर जनसाधारण को ऐसे मूल्यों द्वारा निर्देशित लक्ष्य/ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल और सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है जिन्हे शिक्षा के चरणों में ज्यादातर प्राप्त किया जाता है। वर्तमान युग में जहां उद्यमिता हेतु काफी अवसर मौजूद है और इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है वहां समाज में उद्यमियों की कमी होना मोटे तौर पर शिक्षा व्यवस्था में उद्यमिता तत्व के अभाव का होना है। जनपद बांदा में भी व्यावसायिक शिक्षा का तो सर्वथा अभाव है ही यहाँ की परम्परागत शिक्षा भी बहुत पिछड़ी हुयी है। शिक्षा स्तर से सम्बन्धित तत्व भी जनपद की उद्योग शून्यता में एक महत्व पूर्ण कारक है।

लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किये गये भारी निवेश के बावजूद दूर दराज जैसे जनपद बांदा के इलाकों में साधारण आदमी के जीवन पर वास्तविक प्रभाव बहुत कम पड़ा है। इसी कारणवश प्रशासन और योजना बनाने वाले अब इस बात को धीरे-धीरे अनुभव करने लगे है कि मौद्रिक सहायता और संरचनात्मक सुविधाएं जरूरी एवं अवश्य हैं परन्तु आर्थिक औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त दशायें नहीं। हम गांधी जी के उपदेश को याद करते है कि मानव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मानव स्रोतों को एक दिशा विशेष की ओर मोड़ने में शिक्षा महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मूल्यों प्रवृत्तियों, प्रेरणा और सामर्थ सहित जनसाधारण में बहुत शुरु के चरणों में उद्यमिता की गतिविधियों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए उद्यमिता की भावना का उद्भव सुनिश्चित करना आवश्यक है। उद्यमिता की यही भावना का जो किसी भी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास में प्रमुख तत्व है, जनपद बांदा में सर्वथा शून्य है और यही तत्व जनपद को उद्योग शून्य बनाये रखने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है।

अब हम बात करते हैं जनपदीय अर्थव्यवस्था में उपस्थित उद्यमिता मूल्य की। मूल्य उन्मुखता किसी व्यक्ति में मौजूद मूल्यों का समूह होता है। इसको मानव की प्रकृति और स्वभाव को प्रभावित करने वाले एक आम और संगठित विचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में विश्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में यह विश्वासों का एक सैट होते हैं सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि मूल्य स्तर प्रदान करते हैं जो प्रवृत्ति या व्यवहार को दिशा निर्देशित करते हैं। वे कई पहलुओं वाले स्तर होते हैं जो एक व्यक्ति को सामाजिक मामलों पर एक विशिष्ट स्थिति ग्रहण करने एक विचारधारा के ऊपर दूसरी विचार धारा को प्राथमिकता अपने अभ्यावेदनों को दूसरे तक पहुँचाने और ऐसे आधार प्रदान करने है जिससे कोई व्यक्ति मूल्यांकन कर सके या निर्णय ले सके। मूल्य समाज की संस्कृति को परिलक्षित करते हैं और उस संस्कृति के सदस्यों द्वारा उसमें एक बड़ी संख्या में भाग लिया जाता है मूल्यों को ऐसे विश्वासों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जो इच्छित होते हैं। साधारणतया मूल्य लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं। व्यक्ति के सबसे अन्दर का स्तर ऐसा होता है जो व्यक्ति को कार्य और दिशा प्रदान करता है। यही उद्यमिता मूल्य जो व्यक्ति उद्यमिता हेतु लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं जनपद बांदा के उद्यमियों में नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता मूल्य की कमी जनपदीय अर्थव्यवस्था के उद्योग शून्य होने का एक और महत्वपूर्ण कारक है।

निश्चय उद्देश्य के प्रति सम्पूर्ण उन्नति की भावना तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों द्वारा पूर्णत्व प्राप्ति के प्रयत्नों को उद्यमिता माना गया है। उद्यमी बनना निश्चय ही एक चुनौती पूर्ण कार्य है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर उद्यमिता के राह पर चलने से कई फायदे हैं, जैसे स्वरोजगार करने वाले उन्नति एवं विकास हेतु किसी पर न तो निर्भर ही होते हैं और न ही उनकी कोई निर्धारित सीमा होती है। उद्यमी विकास की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।



जब कि नौकरी में उन्नति की एक निर्धारित सीमा होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों एवं उद्यमीय संस्कृति के प्रसार से पूर्व यह अभिकल्पना थी कि उद्यमी जन्मजात पैदा होते हैं एवं साधारण व्यक्ति उद्यमी नहीं बन सकता परन्तु आज यह सिद्ध हो चुका है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ उद्यमिता के गुण अवश्य होते हैं एवं व्यक्ति के उन गुणों के अभिज्ञान एवं विकास के द्वारा उद्यमियों का विकास किया जा सकता है। उद्यमिता विकास और उसे समाज में व्यापक बनाने का मूल्य लक्ष्य है रचनात्मक व उत्पादन स्रोत पैदा कर उनका पूर्ण उपयोग और विकास क्रम में समन्वय करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उद्यमीय लक्ष्यों एवं विशेषताओं को पहचान कर उनका विकास किया जाय।

उपरोक्त बातें यदि उद्योग शून्यता से ग्रस्त जनपद बांदा के संदर्भ में भी कही जाये तो कहीं से भी अनुचित नहीं होगा उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जनपद में इन सभी तत्वों का अभाव है और यही कारण है कि यहाँ पर यदि कोई उद्योग धन्धा चलाने का अभिनव प्रयास भी किया जाता है तो उस प्रयास को विफलता का ही मुंह देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

#### 4.3 संरचनात्मक तत्व :-

सामान्य रूप से आर्थिक विकास निम्न आय वाली अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आय वाली अर्थ व्यवस्थाओं में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में स्वचालित रूप से वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा लगातार बढ़ती रहे। यद्यपि सामान्य रूप से आर्थिक विकास की परिभाषा तो आर्थिक रूप में ही दी जाती है, परन्तु इसके अध्ययन में वे सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, नैतिक तथा धार्मिक कारण सम्बन्धित हैं। जो आर्थिक विकास तथा प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस रूप में आर्थिक विकास का तात्पर्य किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर होने वाली संवृद्धि से है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही हो।

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अति प्रचलित परिभाषा निम्न रूप में दी जा सकती है :-

“आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय एक दीर्घकालीन सन्दर्भ में बढ़ती है और यदि आर्थिक विकास की दर

जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी।”

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास का सामान्य निष्कर्ष वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है और यदि किसी अर्थव्यवस्था में इसमें वृद्धि हो रही हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हो रहा है।

चूंकि जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था ‘उद्योग शून्यता’ की समस्या से ग्रस्त है अतः जनपदीय अर्थव्यवस्था को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विकास की कोई न कोई उपयुक्त रणनीति अपनानी होगी। यहां पर हम विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी आर्थिक विकास की दो प्रसिद्ध युक्तियों का विवेचन कर रहे हैं तत्पश्चात हम यह निष्कर्षित करेंगे कि जनपदीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए कौन सी युक्ति अधिक उपयुक्त साबित हो सकती है।

आर्थिक विकास की युक्तियों के संदर्भ में संतुलित बनाम असंतुलित विकास नीति अत्यन्त चर्चित है। दोनों युक्तियों आर्थिक विकास के लिए प्रथक प्रथक विनियोजन पद्धतियों पर बल देती हैं। इनमें से प्रत्येक की अधिक सार्थकता के प्रति इनके समर्थकों ने तर्क दिये हैं। इन दोनों विकास युक्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

### संतुलित विकास युक्ति :-

संतुलित विकास का आशय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का पूर्ण समन्वय के साथ विकास करना है। इस युक्ति के अनुसार विकास कार्यक्रमों का प्रसार इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र विकास कार्यों से वंचित न रह सके। इस विकास नीति में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में एक ही साथ विनियोग किया जाता है, ताकि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो।

मेयर और वाल्डविन के अनुसार-

“संतुलित विकास नीति में विनियोग केवल उन्नत क्षेत्रों में ही न किया जाकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी किया जाता है। इससे सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास सम्भव होता है।”

इसी प्रकार आर्थर लेविस ने लिखा है कि-

“विकासात्मक परियोजनाओं के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास

होना चाहिए, ताकि कृषि एवं उद्योग तथा घरेलू उपयोग एवं निर्यात सम्बन्धी उत्पादन के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके।”

इस प्रकार संतुलित विकास का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उद्योगों, पूँजीगत उद्योगों, कृषि क्षेत्र, घरेलू उत्पादन एवं निर्यात उत्पादन आदि के क्षेत्र में संतुलन स्थापित किया जा सके। संतुलित आर्थिक विकास सिद्धान्त का समर्थन नर्म्स, रोजस्टीन रोड और आर्थर लेविस ने किया। यहाँ रेगनर नर्म्स के विचारों का उल्लेख किया गया है।

रेगनर नर्म्स का विचार है कि विभिन्न अल्पविकसित देश गरीबी के दुश्चक्र में फँसे रहते हैं। मांग एवं पूर्ति पक्ष से सम्बद्ध दुश्चक्र उनके आर्थिक विकास में बाधा डालता है। यदि इन अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी का दुश्चक्र समाप्त हो जाये तो वे आर्थिक विकास में आगे बढ़ सकते हैं नर्म्स ने यह भी उल्लेख किया है कि गरीबी के दुश्चक्र का मूलभूत कारण बाजार का सीमित क्षेत्र होना है। इस कारण साहसियों द्वारा पूँजी विनियोग की मात्रा सीमित रहती है नर्म्स का विचार है कि नवीन उद्योग में पूँजीगत विनियोजन एवं उस उद्योग में होने वाला उत्पादन स्वयं अपनी मांग नहीं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आवश्यकताओं की विविधता के कारण इस नवीन उद्योग में लगे हुये व्यक्ति अपनी समस्त अर्जित आय इस उद्योग की वस्तुओं के क्रय पर ही व्यय नहीं कर सकते हैं। अतः मांग की समस्या बनी रहेगी। वस्तुतः एक नवीन उद्योग की सफलता के लिए दूसरे नये उद्योग की स्थापना आवश्यक है। नर्म्स ने गरीबी के दुश्चक्र के निवारण हेतु बाजार क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया।

प्रो० रेगनर नर्म्स ने इस समस्या का सैद्धान्तिक समाधान यह प्रस्तुत किया है कि विकासार्थ संतुलित विकास नीति अपनायी जाये।

नर्म्स के अनुसार—

“इस समस्या से निकलने का एक मात्र तरीका यह है कि विभिन्न उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों में एक साथ पूँजी लगायी जाये। गतिरोध से बचने का यही मार्ग है और इसी के परिणामस्वरूप बाजार का विकास होता है। अनेक पूरक परियोजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक अच्छे औजारों से कार्य करने वाले एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे के लिए बाजार प्रदान करते हैं और इस प्रकार वे एक दूसरे का पोषण करते हैं। संतुलित विकास का पक्ष संतुलित आहार

की आवश्यकता पर आधारित है।”<sup>2</sup>

किसी निजी उद्यमी द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में किया गया पूंजी का विनियोग बाजार के छोटे आकार के कारण अलाभदायक हो सकता है। इसके विपरीत विभिन्न उद्योगों के मध्य पूंजी का एक ही समय प्रयोग आर्थिक क्षमता के सामान्य स्तर को बढ़ा सकता है और बाजार का विस्तार कर सकता है।

नर्क्स के अनुसार-

“इस प्रकार का सीधा आक्रमण, विभिन्न उद्योगों में विनियोग की लहर संतुलित वृद्धि है।”<sup>3</sup>

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के विविध उद्योगों और क्षेत्रों में एक साथ पूंजी विनियोजन ही संतुलित विकास नीति कहलाती है।

नर्क्स का विचार है कि जिस प्रकार शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार देश को संतुलित विकास नीति की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न उद्योगों में विनियोग की लहर बढ़ने से गरीबी के दुष्चक्र के मांग और पूर्ति पक्षों से सम्बद्ध घटकों का समाधान किया जा सकता है। नर्क्स ने आर्थिक विकास की तीव्र दर प्राप्त करने के लिए पूंजी निर्माण की एक आवश्यक दर पर अत्यधिक बल दिया है। अल्पविकसित देशों में कृषि क्षेत्र से यह श्रम शक्ति आधिक्य हटाकर ग्रामीण तथा नगरीय उद्योगों में लगाया जाये। इसके लिए नर्क्स ने ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों बाँध निर्माण, भूमि संरक्षण लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं, भवन निर्माण आदि कार्यों के विकास पर जोर दिया संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि विनियोग प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाये।

संतुलित विकास नीति के समर्थकों का विचार है कि इससे गरीबी के दुष्चक्र का निवारण होगा एवं कृषि तथा उद्योग का विकास होगा। इससे घरेलू तथा विदेशी व्यापार के मध्य संतुलन बना रहता है। नर्क्स का विचार है कि संतुलित विकास युक्ति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अच्छा आधार है।

- 
2. Ragner Nurkse - 'Problems of Capital Formation in Under Developed Countries'.
  3. Ibid.

## असंतुलित विकास युक्ति :-

असंतुलित संवृद्धि का सिद्धान्त संतुलित संवृद्धि के सिद्धान्त की अवधारण के प्रतिकूल है। असंतुलित संवृद्धि की युक्ति के अनुसार अर्थव्यवस्था के उन उत्पादन क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिनमें विकास की संभावनाएं अधिक होती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास हेतु संसाधनों की कमी रहती है। इस कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में विकास हेतु संसाधनों की कमी रहती है। इस कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में संतुलित विकास युक्ति अपनाए में बाधा आती है। असंतुलित विकास पद्धति के समर्थकों का विचार है कि अर्थव्यवस्था के बहुआयामी विकास के लाभ की संकल्पना अर्थशास्त्रियों के अध्ययन की रोचक सामग्री है। परन्तु अल्पविकसित देशों के लिए वस्तुतः यह निराशाजनक विचार है। इनका विचार है कि संतुलित संवृद्धि का सिद्धान्त वस्तुतः अल्प रोजगार की निदान विधि है जिसका प्रयोग अल्प विकास के रोग के निदान हेतु किया गया है।<sup>4</sup> इसलिए इसका अल्पविकसित देशों के लिए उपयोगी होना स्वाभाविक है। अतः असंतुलित विकास युक्ति के अनुसार विनियोग करने से एक क्षेत्र विकसित हो जाने के बाद दूसरे वरीयता प्राप्त क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। असंतुलित संवृद्धि नीति के समर्थकों में एच०डब्ल्यू० सिंगर पाल स्टीटन, किडलवर्जर रोस्टोव और हर्षमैन के विचार उल्लेखनीय है। वे अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संतुलित विकास नीति नहीं अपितु विवेकपूर्ण असंतुलित विकास नीति पर बल देते हैं।

असंतुलित संवृद्धि में सर्वाधिक प्रमुख स्थान एल्बर्ट हर्षमैन का है।

हर्षमैन का कथन है-

“सामान्य तौर पर विकास नीति असंतुलन को दूर करने की अपेक्षा उसे बनाये रखने की होनी चाहिए। प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में लाभ और हानियों असंतुलन का प्रमुख चिह्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था को लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर करना है तो विकास नीति का प्रमुख कार्य तनाव, गैर अनुपात और असंतुलन बनाये रखना होना चाहिए।”<sup>5</sup>

4. Hans Singer - 'Economic Progress in Under Developed Countries'.

5. Albert Hirschman - 'The Strategy of Economic Development, p. 36.

इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में जानबूझकर असंतुलन उत्पन्न करना इसके विकास का सर्वोत्तम उपाय है। हर्षमैन द्वारा प्रतिपादित असंतुलित वृद्धि सिद्धान्त उद्योगों के अग्रगामी और पश्चगामी अनुबन्ध प्रभाव पर आधारित हैं।

अग्रगामी अनुबन्ध प्रभाव किसी उद्योग के उत्पादन के उस प्रभाव पर निर्भर करता है जो अन्य उद्योगों द्वारा काम में लाया जाता है। यह उत्पादन की आगामी अवस्थाओं को प्रभावित करता है। पश्चगामी अनुबन्ध प्रभाव किसी उद्योग द्वारा अन्य उद्योगों के उत्पादन की क्रय की मात्रा पर निर्भर है। यह उत्पादन की पूर्व दशाओं में विनियोग वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अनुबन्ध प्रभावों को परस्पर अनुक्रिया बढ़ती है।


हर्षमैन का विचार है कि उन उद्योगों का विस्तार पहले किया जाना चाहिए जिनका पश्चगामी और अग्रगामी अनुबन्ध प्रभाव सबसे अधिक हो। कुल अनुबन्ध प्रभावों की मात्रा समय और राष्ट्र की दशाओं से प्रभावित होती है। उनका विचार है कि एक आदर्श स्थिति उस समय निर्मित होती है जबकि एक असंतुलन अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रेरित करता है जो कि अन्य क्षेत्रों के विकास में आगे चलकर स्वयं असंतुलन उत्पन्न करता है और यह क्रम सतत चलता रहता है। यह नीति सीमित साधनों को ऐसे क्षेत्रों में प्रयुक्त करने की सिफारिश करती है जो अन्य क्षेत्रों के विकास को अधिकतम प्रोत्साहन प्रदान करें। परियोजनाओं के ऐसे क्रम को वरीयता प्रदान की जाये जो अन्य क्षेत्रों में प्रेरित निवेश को अधिकतम बनायें। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में संयुक्त राज्य अमरीका के संदर्भ में स्पष्ट किया है। वहां 1850 से 1950 की अवधि में कई उत्पादन क्षेत्रों का विकास हुआ है। परन्तु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र समान दर से विकसित नहीं हुये। वास्तव में आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के अग्रणी क्षेत्र से अनुगामी क्षेत्र को एक उद्योग से दूसरे उद्योग को और एक फर्म से दूसरे फर्म को हस्तांतरित की गयी है।

हर्षमैन द्वारा प्रतिपादित आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को अग्रलिखित रेखाचित्र 4.1 से समझाया जा सकता है। हर्षमैन ने विनियोग को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम सामाजिक सिरोपरि पूंजी (Social Overhead Capital) और द्वितीय, प्रत्यक्ष उत्पादक विनियोग (Directly Productive Activities) रेखाचित्र में x अक्ष पर सामाजिक सिरोपरि पूंजी (SOC) और y अक्ष पर प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं (DPA) दिखाया गया है।

रेखाचित्र में aa, bb और cc सम उत्पाद रेखाएं हैं। सम उत्पाद वक्रों का प्रत्येक अगला स्तर अधिक उत्पादन प्रदर्शित करता है। मूल बिन्दु से 45° की रेखा विभिन्न सम-उत्पादन वक्रों की रेखा विभिन्न सम-उत्पादन वक्रों के अनुकूलतम् उत्पादन स्तर के बिन्दुओं को मिलाती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे DPA और SOC को एक साथ बढ़ायें वे सरलता पूर्वक इनमें से किसी एक की वृद्धि कर सकते हैं। यदि वे देश पहले SOC में वृद्धि करते हैं और इसको A से S तक बढ़ाते हैं तो विकास रेखा A S B S<sub>1</sub> C का अनुसरण करेगी।

### रेखाचित्र

#### हर्षमैन की असंतुलित संवृद्धि युक्ति



जब अर्थव्यवस्था SOC को A से S तक बढ़ाती है तो प्रेरित DFO विनियोग भी बढ़ता ही है। इस प्रकार ऊँचे उत्पादन स्तर B पर संतुलित स्थापित हो जाता है। यदि पुनः SOC को बढ़ाकर S<sub>1</sub> पर लायें तो प्रेरित विनियोग DPA भी बढ़ता है। इस प्रकार C पर संतुलन स्थापित हो जायेगा। इसी प्रकार DPA में वृद्धि कर विकास क्रम बढ़ाया जा सकता है। इस स्थिति में विकास रेखा A D B D C का अनुसरण करेगी।

यद्यपि असंतुलित विकास नीति से आर्थिक संवृद्धि की सम्भावनाएं बढ़ती हैं। अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्रों का विकास अपने अग्रगामी और पश्चगामी अनुबन्धों के कारण अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि को तीव्र कर देता है। परन्तु यह भी पाया गया है कि कई निष्क्रिय क्षेत्र अर्थव्यवस्था

के सक्रिय क्षेत्रों को भी निष्क्रिय बना देते हैं। उसके विकास प्रक्रम को भी अवरुद्ध बना देते हैं। किसी एक क्षेत्र में किया गया अपेक्षाकृत अधिक विनियोग, अन्य क्षेत्रों की निष्क्रियता के कारण अधिक लाभप्रद नहीं रह जाता है। एक क्षेत्र का धनात्मक शुद्ध परिणाम अन्य क्षेत्रों के ऋणात्मक परिणामों में विलीन हो जाता है। दक्षिण एशिया के कई क्षेत्रों की यही स्थिति रही है।

### समन्वय :-

आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में विकास प्रक्रिया अधिक कठिन हो गयी है। इसलिये किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केवल संतुलित या असंतुलित विकास नीति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यह लाभप्रद भी नहीं रह जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं इतनी अधिक जटिल हैं कि इनके निदान हेतु किसी एक सरल सिद्धान्त का प्रतिपादन अत्यन्त कठिन है। इसके अतिरिक्त विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पृथक पृथक युक्तियों की आवश्यकता होती है। कई बार विभिन्न विकास युक्तियों के कुछ पहलुओं को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है। इसलिए संतुलित विकास नीति और असंतुलित विकास नीति के एक विवेकपूर्ण समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि सभी क्षेत्रों का यथोचित विकास हो। इसके अतिरिक्त इनके साथ अन्य विकास युक्तियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

जहाँ तक जनपद बांदा के आर्थिक विकास का प्रश्न है जनपद की अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण, कृषि प्रधान और कच्चे सामान की निर्यातक तथा विनिर्मित और विधयित सामानों की आयातक अर्थव्यवस्था है, जिसका औद्योगिक अत्यन्त संकुचित है, जैसा कि प्रथम अध्याय में ही वर्णित किया जा चुका है कि जनपद की अर्थव्यवस्था मुगल काल में संवृद्धि से पूर्ण थी। जनपद में गंजी, कपड़े, हस्तशिल्प के वस्तुओं के निर्माण, तांबे और फूल के बर्तनों के निर्माण, केबल टाट तथा रस्सियों का कई स्थानों पर निर्माण होता था। औद्योगिक शून्यता के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी इस अर्थव्यवस्था का सपाटपन कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है, क्योंकि यह तो इस जनपद के निम्न विकास के दीर्घकालिक संतुलन जाल का प्रत्यक्ष प्रतिफलन है। यही कारण है कि आज जब भारत वर्ष औद्योगिक दृष्टि से भारत विश्व का 50वें देश का



स्थान ग्रहण कर चुका है तथा भारत की अर्थव्यवस्था क्रयशक्ति के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है। वही बांदा की अर्थव्यवस्था औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुयी है।

उपर्युक्त वर्णित विकास युक्तियों को यदि जनपदीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाय तो यही कहा जा सकता है कि दोनों ही विकास युक्तियां जनपदीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है। चूंकि जनपद बांदा आर्थिक संसाधनों एवं आधारित संरचना की दृष्टि से कमजोर है अतः यदि यहां की अर्थव्यवस्था में असंतुलित आर्थिक विकास युक्ति प्रारम्भिक अवस्था में प्रयोग की जाये तो ज्यादा मुनासिब होगा और जब अर्थव्यवस्था आधारिक संरचना की दृष्टि से मजबूत हो जाये तो संतुलित विकास युक्ति का प्रयोग किया जाये। यदि इस प्रकार की विकास युक्तियों का प्रयोग जनपदीय अर्थ व्यवस्था में की जाये तो जनपद को उद्योग शून्यता नामक कलंक से काफी हद तक छुटकारा दिलाया जा सकता है।

#### 4.4 आर्थिक तत्व :-

आर्थिक तत्व के अन्तर्गत मुख्य बात यह है कि यहां की अर्थव्यवस्था 'सामन्तवादी' है। एक ओर साधन सम्पन्न बड़ा उच्च वर्गीय कृषक वर्ग है, तो दूसरी ओर लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिक (साधन विपन्न) तथा निम्न वर्ग है और जैसा कि इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही साधन सम्पन्न वर्ग साधन विपन्न वर्ग का शोषण करता आ रहा है और सम्पूर्ण समाज को हजूर और मजूर दो वर्गों में विभाजित कर दिया है।

यही नियम यहाँ की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में कार्यशील है। अर्थव्यवस्था में शक्ति के सम्बन्ध प्रथम वर्ग की ओर से प्रतिपादित किये जाते हैं। आय उत्पादन तथा अवसरों को विकास प्रक्रिया के लाभों को यह वर्ग अपने पक्ष में करने में सफल रहता है। फलतः दूसरा वर्ग यथास्थिति के निर्धारणवाद में इस प्रकार फंसता है कि उसके विकास एवं संवृद्धि की अन्तरचेतना मात्र यथास्थितिवाद में बदल जाती है और समग्र परिपेक्ष्य में यह स्थिति निम्न संतुलन जाल की संचयी बनाने में सहयोग करती है। बांदा की अर्थव्यवस्था का स्वरूप न तो

पूँजीवादी है और न ही पूर्णरूपेण सामन्तवादी क्योंकि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समाज का पूँजीपति बड़े धन को रोटीपरक एवं रोजगार परक उद्योग धन्धों में विनियोजित करना अपना कर्तव्य समझता है। लेकिन बांदा जनपद में इस प्रकार के स्वरूप का नितान्त अभाव उपस्थित है, जबकि सामन्तवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत साधन सम्पन्न बड़ा उच्चवर्गीय कृषक साधन विपन्न मध्यम तथा निम्न कृषक वर्ग की रोटी एवं रोजगार के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन यह स्वरूप भी बांदा जनपद की अर्थ व्यवस्था के स्वरूप से मेल नहीं खाता है। इसी अनुक्रम में यह दृष्टव्य है कि इस जनपद में औद्योगिक शून्यता के कारण नगरीयकरण की दर पर्याप्त निम्न है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषक श्रमिक बड़े औद्योगिक केन्द्रों की ओर पलायन कर जाते हैं यह इसलिए भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी की दर निम्न है और शक्ति के सम्बन्धों का निर्धारण सामन्तवर्ग की ओर से किये जाने के कारण उन्हें बंधुवापन तथा शोषण का शिकार होना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि एक अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया में होने से अथवा इस प्रक्रिया होने का यह तात्पर्य होता है कि इस अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुये हैं। इस दृष्टि में भी नगण्यता का ही बोध होता है। निहितार्थ यह है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही जनपदीय औद्योगिक शून्यता का मुख्य कारण है।

#### 4.5 तकनीकी तत्त्व :-

बांदा जनपद की 'उद्योग शून्यता' में तकनीकी तत्त्वों का विशेष योगदान है मुख्य तकनीकी तत्त्वों के अन्तर्गत यही कहा जा सकता है कि यहां के उद्योगों में आधुनिक एवं नयी मशीनरी के स्थान पर पुरानी एवं घिसी पिटी मशीनरी ही प्रयोग में लायी जाती है जो अल्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं जनपदीय औद्योगिक धन्धों में कार्यशील 80 प्रतिशत कर्मकार तकनीकी रूप से अप्रशिक्षित है, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी भी नहीं ठहराये जा सकते है, क्यों कि जनपद में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का अत्यन्त अभाव है। जिला उद्योग केन्द्र को ही एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो आंशिक रूप से जनपद के उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करती हैं।

इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर की अल्प प्रयोगिकता एवं पुराने साफ्टवेयरों का प्रयोग आदि ऐसे तकनीकी तत्व हैं, जो जनपदीय उद्योग शून्यता के लिए उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित अग्र तालिकाएं दृष्टव्य हैं-

#### तालिका संख्या -4.4

#### जनपदीय उद्योग-कर्मियों के शिक्षा का स्तर

प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योग कर्मियों के शिक्षा का स्तर दिखाया गया है।

| शिक्षा का स्तर | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र का<br>प्रतिशत |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|                | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |                  |                     |
| हाईस्कूल       | 09                    | 07    | 13    | 04    | 33               | 33.00               |
| इण्टरमीडिएट    | 06                    | 17    | 07    | 07    | 37               | 37.00               |
| स्नातक         | 07                    | 08    | 05    | 03    | 23               | 23.00               |
| परास्नातक      | 03                    | 03    | 00    | 01    | 07               | 07.00               |
| तहसीलवार योग   | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |



स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तहसीलों यह स्पष्ट करती है कि जनपद बाँदा में उद्यमी विभिन्न शिक्षा स्तरों क्रमशः हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक के हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि जनपद में उद्यमियों का शिक्षा स्तर काफी अच्छा है। इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त उद्यमियों का प्रतिशत सर्वाधिक है जो 37 प्रतिशत है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर 33 प्रतिशत हाईस्कूल शिक्षा प्राप्त उद्यमियों का है तथा स्नातक तक शिक्षा प्राप्त किये हुये उद्यमियों का स्थान तीसरा है जो 23 प्रतिशत है और सबसे कम 07 प्रतिशत शिक्षा प्राप्त वे उद्यमी हैं जो परास्नातक है।

इस तालिका से सम्बन्धित तथ्यों का वर्णन रेखाचित्र 4.2 में भी किया गया है।

## रेखा चित्र 4.2

जनपदीय उद्योग कर्मियों के शिक्षा का स्तर



### तालिका संख्या-4.5

#### जनपदीय उद्योग कर्मियों के तकनीकी प्रशिक्षण का प्रकार

किसी भी उद्योग को क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की अति आवश्यकता होती है। प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योग कर्मियों के तकनीकी प्रशिक्षण की स्थिति दी गयी है-


| शिक्षा का स्तर   | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र का<br>प्रतिशत |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|                  | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |                  |                     |
| प्रशिक्षण        | 03                    | 01    | 06    | 01    | 11               | 11.00               |
| स्वयं का अनुभव   | 19                    | 29    | 18    | 18    | 76               | 76.00               |
| व्यवसाय का अनुभव | 03                    | 05    | 01    | 04    | 13               | 13.00               |
| तहसीलवार योग     | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि जनपद में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों का प्रतिशत 11 है, जिन उद्यमियों ने स्वअनुभव के आधार पर उद्योग शुरू किया है उनका प्रतिशत 76 है, जबकि व्यावसायिक अनुभव वाले उद्यमियों का प्रतिशत सिर्फ 13 है। स्पष्ट है कि तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों का प्रतिशत सबसे कम है, जो 11 प्रतिशत है, जबकि व्यावसायिक अनुभव वाले उद्यमियों का प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों के प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, जो 13 प्रतिशत है। अतः स्वअनुभव वाले उद्यमियों का प्रतिशत ही जनपद में सबसे अधिक है, जो 76 प्रतिशत है।

## रेखा चित्र 4.3

जनपदीय उद्योग कर्मियों के तकनीकी प्रशिक्षण का प्रकार



## निष्कर्ष :-

चतुर्थ अध्याय के सम्पूर्ण विश्लेषण का अध्ययन करने के उपरान्त यह बात साफ हो जाती है कि जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था की उद्योग शून्यता के निर्धारक कारक कौन-कौन से हैं। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा का निम्न स्तर, संसाधनों की कमी, उपलब्ध संसाधनों का अपूर्ण विदोहन, आधारित संरचना का निम्न विकास, सामन्तवादी प्रवृत्ति, उचित प्रशिक्षण का अभाव, पूँजी की कमी, उपलब्ध पूँजी का समुचित निवेश, सामाजिक चेतना की कमी आदि ऐसे कारण हैं जो जनपदीय अर्थ व्यवस्था की उद्योग शून्यता के लिए उत्तरदायी हैं और 'उद्योग शून्यता' को जो सबसे बड़ा कारक है वह है उद्यमीय भावना एवं उद्यमीय मूल्य का अभाव।

# पंचम अध्याय

## पंचम अध्याय

### बाँदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” के सापेक्ष संसाधन एवं सांविध्य विश्लेषण

- औद्योगिक प्रक्रम में संसाधनों की भूमिका
- जनपद बाँदा की संसाधनगत स्थिति
- जनपद में उद्योग के सापेक्ष उपलब्ध संसाधन
- अवस्थापन सुविधाएं
- निष्कर्ष



## पंचम अध्याय

### 5.1 औद्योगिक प्रकम में संसाधनों की भूमिका :-

यह सर्ववदित है कि किसी भी देश प्रदेश या जनपद के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में उस क्षेत्र या स्थान विशेष में उपलब्ध संसाधनों का समुचित एवं सुनियोजित उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भौतिक संसाधनों के अध्ययन से उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता का ज्ञान होता है, वही मानवीय संसाधन अपने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक ज्ञान, कौशल तथा उद्यमिता के सामंजस्य से उस क्षेत्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में काफी योगदान होता है। ये संसाधन ही हैं, जो कि औद्योगिक रूप-रेखा की आधार शिला रखते हैं। स्पष्ट तथ्य ये हैं कि यदि संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है तो उद्योग धंधे फलीभूत होंगे, क्योंकि इसके साथ ही उद्योग-कार्य में प्रयोग होने वाले अन्य तत्व जैसे उद्यमिता एवं पूंजी भी पर्याप्त औद्योगिक विकास रूपी गाड़ी के पहिये के रूप में महत्वपूर्ण है।

### 5.2 बांदा जनपद की संसाधनगत स्थिति:-

बांदा जनपद की संसाधनगत स्थिति बहुत अच्छी है। जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण कृषि आधारित संसाधन की बाहुल्यता है। यद्यपि कृषि में उत्पादकता की स्थिति काफी कमजोर है फिर भी 68 प्रतिशत भूमि को कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। जनपद में वर्ष 1992-95 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 7,80,814 हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोया

गया क्षेत्र 85,166 हेक्टेयर है। जिसके अन्तर्गत रबी एवं खरीफ दो फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, चना एवं अरहर तथा धान, ज्वार, बाजरा की फसलें बोयी जाती हैं। जनपद में वन आधारित संसाधन के अन्तर्गत उद्योगों के लिए कच्चा माल, इमारती लकड़ी, ईंधन, पशु के लिए चारा, तेंदू पत्ता, लकड़ी आदि उपलब्ध हैं। खनिज सम्पदा के रूप में यहाँ ग्रेनाइट पत्थर, बाक्साइट पत्थर, सैण्ड स्टोन, रामराज, चंदन पत्थर, बालू, मोरम आदि खनिज पाये जाते हैं। केन नदी में रंगीन पत्थर एवं शजर पत्थर पाये जाते हैं। निकटवर्ती मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सैण्ड स्टोन, चूना तथा छतरपुर जिले में उच्चकोटि के ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त होते हैं।

जनपद की अर्थव्यवस्था जहाँ एक ओर कृषि प्रधान है वहीं पशुधन भी इसमें महती भूमिका अदा करता है। पशुधन से कृषि कार्य में सहयोग के साथ-साथ दूध, दही, घी, मक्खन आदि खाद्य पदार्थ तथा पशु के मरणोपरान्त खालें, सींग आदि की प्राप्ति होती है।

### 5.3 जनपद में उद्योग के सापेक्ष उपलब्ध संसाधन :-

जनपद बाँदा के मानवीय भौतिक एवं जल संसाधनों का विश्लेषण निम्नलिखित है

#### 5.3.1 मानवीय संसाधन :-

किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में वहाँ की जनशक्ति, उनकी शिक्षा, दीक्षा, बौद्धिक विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान-कौशल, उद्यमियता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है।

जनपद बाँदा के मानवीय संसाधन का विश्लेषण निम्नानुसार है-

#### (1) जनसंख्या :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 18,60,256 थी, जिनमें से 16,22,719 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 2,37,537 व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में निवास करते थे। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 454 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० था। जनसंख्या वृद्धि 1981-91 के दशक में 21.4% था।

#### (2) साक्षरता :-

जनपद में वर्ष 1991 में कुल साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत 32.0 था अर्थात् यह

उ०प्र० के साक्षरता प्रतिशत की दर से भी कम है। साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों में 48.3 था तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 12.2 था, जो कि बहुत ही कम है।

(3) शिक्षा व्यवस्था :-

अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जनपद में 1,251 जूनियर बेसिक स्कूल, 320 सीनियर बेसिक स्कूल, 39 हायर सेकेंडरी स्कूल, 5 महाविद्यालय शिक्षण कार्य में लगे हुये हैं। जनपद में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जनपद का साक्षरता प्रतिशत बहुत ही निम्न है, इस बढ़ाये जाने की महती आवश्यकता है।

(4) तकनीकी शिक्षा :-

जनपद में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आई.टी.आई एवं एक राजकीय पॉलिटेक्निक है। राजकीय आई.टी.आई. में कुल 17 ट्रेड हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 412 है। उन सभी ट्रेडों में 327 प्रशिक्षणार्थियों ने वर्ष 1998-99 में प्रवेश लिया जिनमें से मात्र 82 प्रशिक्षणार्थी ही उत्तीर्ण हो सके। राजकीय पॉलिटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 75 सीट की है। इनमें सिविल इंजीनियरिंग में आबंटित कुल 15 सीट में प्रथम वर्ष में 13, द्वितीय वर्ष में 12 एवं तृतीय वर्ष में 20 छात्र थे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में कुल आबंटित 30 सीट में प्रथम वर्ष में 29, द्वितीय वर्ष में 17 एवं तृतीय वर्ष में कुल 18 छात्र अध्ययनरत थे।

वर्तमान में एक इंजीनियरिंग कॉलेज “कालीचरन निगम इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी” निजी क्षेत्र में खुल गया है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुयी थी। वर्तमान में इस कॉलेज में बी०टेक० (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रानिक

एवं कम्प्यूटर) की कक्षाएं चल रही हैं। यह कॉलेज एम०सी०एम० एवं एम०बी०ए० के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम भी चला रहा है।

(5) **व्यावसायिक वर्गीकरण :-**

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कुल कर्मकारों की संख्या 12,06,566 थी जो कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत थी। ये कर्मकार, विभिन्न कार्यकलापों जैसे कृषि, पशुपालन, परिवारिक एवं गैर परिवारिक उद्योग यातायात, संचार आदि में कार्यरत थे। जनपद के कर्मकारों का व्यावसायिक वर्गीकरण इसी अध्ययन में पूर्व में दिया गया है।

(6) **सेवायोजन :-**

जनपद में शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 31,172 है। जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुयी है। जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.10.99 तक जीवित पंजिका में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 31,172 थी जिनमें से 28,728 पुरुष एवं 2,444 महिला बेरोजगार थीं। इनमें से 1,082 पुरुष तकनीकी क्षेत्र से एवं 20 महिला तकनीकी क्षेत्र से बेरोजगार के रूप में पंजीकृत थे। जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के नियम परिवर्तन के कारण अब सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से सेवायोजन में अनिवार्यता न होने के कारण अब सेवायोजन कार्यालयों का सेवायोजन के संबध में विशेष योगदान नहीं रहा ।

**5.3.2 भौतिक संसाधन :-**

औद्योगिक विकास में जनपद में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन कर सुनियोजित ढंग से उपयोग अति आवश्यक हैं। कृषि उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन, वन

सम्पदा एवं खनिज सम्पदा आदि भौतिक संसाधनों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

**(1) भूमि उपयोगिता :-**

जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995-96 में जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 7,80,811 हेक्टेयर था। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 65.68 प्रतिशत भाग अर्थात् 5,12,876 हेक्टेयर क्षेत्र कृषि उपयोग में लाया जा रहा था।

**(2) कृषि उत्पादन :-**

जनपद बांदा में मुख्य रूप से धान, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, दलहन एवं तिलहन आदि की उपज होती है। जनपद की मुख्य फसलें गेहूं, चना, धान एवं ज्वार हैं। वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के खरीफ एवं रबी के आच्छादन एवं उत्पादन के आंकड़ों को देखने से विदित होता है कि सबसे अधिक क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसल गेहूं है जो वर्ष 1997-98 में 1,30,850 हेक्टे० एवं वर्ष 1998-99 में 1,48,673 हेक्टेयर थी। इसका उत्पादन भी क्रमशः 1,79,000 एवं 236555 मी० टन था। इसके बाद सबसे अधिक क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसल चना है जिसका क्षेत्र वर्ष 1997-98 में 10,15,000 हेक्टेयर था तथा वर्ष 98-99 में 94,417 हेक्टेयर था। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में गेहूं एवं दलहन अत्यधिक होता है।

**(3) फल उद्यान :-**

जनपद में बाग बगीचों के अन्तर्गत 8861 हेक्टेयर क्षेत्र है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग एक प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद में फल उत्पाद व्यावसयिक रूप से नहीं किया जाता है। जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से आंवला, अमरुद, नीबू, संतरा, बेर, के बगीचे लगाये जाते हैं। जनपद में फल एवं शाक सब्जी के विकास एवं संवर्द्धन

हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जनपद में शाक भाजी में खरीक एवं रबी के साथ उगायी जाती है। अति ग्रीष्म के कारण ग्रीष्म काल में सब्जियां नहीं हो पाती हैं। सब्जियों में आलू, टमाटर एवं मिर्च अधिक मात्रा में उगायी जाती है। जनपद में एक शीतग्रह न होने के कारण भण्डारण की व्यवस्था नहीं है।

**(4) वन सम्पदा :-**

मानव जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वनों द्वारा मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अत्यंत लाभप्रद संसाधन प्राप्त होते हैं। एक उचित मानक स्तर पर वनों का आच्छादन पर्यावरण के लिए अति आवश्यक होता है। जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। पर्यावरण मानक के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा वन क्षेत्र से आवृत्त होना चाहिए लेकिन ऐसा इस जनपद में नहीं है। वन सम्पदा में यहां पर पाये जाने वाले वृक्ष- बबूल, शीशम, सेंधा, बांस, महुआ, आम, सागौन हैं। इन वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी एवं फर्नीचर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वन सम्पदा से प्राप्त अन्य उत्पाद में बबूल, गोंद, महुआ, शहद एवं मोम तथा पलाश एवं महुआ पत्ता का उपयोग दोना पत्तल के रूप में किया जा सकता है।

**(5) मत्स्य पालन :-**

जनपद की भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जनपद में यमुना जैसी बड़ी नदी का 108 किमी० हिस्सा है। साथ ही अनेक सहायक नदियों एवं छोटे-बड़े नाले हैं जिनमें मत्स्य पकड़ने का कार्य मछुआरों द्वारा किया जाता है। साथ ही लगभग 2,000 हेक्टेयर तालाब के रूप में हैं जहां पर मत्स्य पालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जनपद

में मत्स्य पालन हेतु 37 सहकारी मत्स्य पालन समितियां पंजीकृत हैं जिसमें से 21 कार्यरत हैं।

मत्स्य पालन संबंधी विवरण अग्र तालिका में दिया जा रहा है-

### तालिका संख्या 5.1

#### मत्स्य पालन का विवरण

| क्र०सं० | विवरण                  | संख्या       | क्षेत्रफल    |
|---------|------------------------|--------------|--------------|
| 1.      | तालाब (ग्रामसमाज)      | 1105         | 1150.943 हे० |
| 2.      | तालाब विभागीय          | 18           | 36.120 हे०   |
| 3.      | अन्य                   | 551          | 951.264 हे०  |
| 4.      | मत्स्य उत्पादन (मासिक) | 37.70 कुन्तल |              |

स्रोत: जिला मत्स्य विकास अभिकरण, बांदा।

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि जनपद में मात्र 37.70 कुन्तल मत्स्य का मासिक उत्पादन किया गया जो कि अत्यन्त कम है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रही नीली क्रांति का जनपद में प्रदर्शन अच्छा नहीं है।

#### (5) पशुधन:-

जैसा कि विदित है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस तथ्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पशुधन का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ किसी भी जनपद की अर्थव्यवस्था के विकास में पशुधन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनसे कृषि कार्य के साथ-साथ माल ढोने के अतिरिक्त चमड़ा, हड्डी, सींग आदि उपयोगी कच्चा माल प्राप्त होता है। जिला पशुधन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के

अनुसार जनपद में दिसम्बर 97 तक कुल 9,06,723 पशु थे। जनपद में कुल पशुधन का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा गौवंशीय है। जनपद एक कृषि प्रधान जिला है। जहां पर कृषि गौवंशीय पशुओं के द्वारा की जाती है। कृषि के अतिरिक्त गौवंशीय पशुधन दुग्ध उत्पाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**(6) खनिज सम्पदा :-**

बुन्देलखण्ड सम्भाग प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी सम्भाग है। बांदा जनपद भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक जनपद है तथा यहां का कुछ हिस्सा पठारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनपद में ग्रेनाइट बाक्साइट एवं सैण्ड स्टोन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। करतल, पंचमपुर एवं नहरी क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र के पत्थर अति उत्तम किस्म के हैं। भरतपुर एवं गोरवा वेल्ट में डायमेशन स्टोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में अभी तक कोई भी स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं किये जा सके हैं। कालिंजर क्षेत्र में डायमण्ड प्राप्त होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। रोझई क्षेत्र में बाक्साइट मिलने की सम्भावना है। गोरवा से कालिंजर तक ग्रेनाइट बेल्ट है। जनपद के बांदा, अतर्रा एवं नरैनी तहसीलों में पहाड़ भूमि क्रमशः 33.156, 1,415.142 एवं 9,45,821 हेक्टेयर है। इस प्रकार से यदि जनपद का कुल पहाड़ क्षेत्र देखें तो 2,394.119 हेक्टेयर है। जनपद में भरतकूप में स्टोन क्रेशर उद्योग भी कार्यरत हैं जिनके और विकसित होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

**5.3.3 प्रमुख जल संसाधन :-**

जनपद में उपलब्ध प्रमुख जल संसाधनों का विवरण निम्न है।

**पारम्परिक :-**

नदियां तथा बारहमासी नाले, यमुना तथा उत्तर, उत्तर-पूर्व की ओर बहने वाली केन, बागै तथा पयस्विनी एवं उनके सहायक नदी, नाले प्रवाहित होते हैं। नदी नालों ने इस



इस जिले को स्पष्ट जलागम क्षेत्रों में विभक्त कर दिया है। इनमें से बड़े नदी नाले तो बारहमासी हैं पर कुछ छोटे बरसाती हैं, लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण। गडरा, उसरा, बऊआ, बान गंगा आदि बाढ़ के समय सभी अपार जल राशि से परिपूर्ण हो जाते हैं। शेष समय या तो सूख जाते हैं या अपनी सीमा में बहते हुये पैदल पार के अनुकूल हो जाते हैं।

**नदियां :-**

**(1) यमुना नदी :-**

नारायण गांव की सीमा में यमुना नदी बांदा जिले को स्पर्श करती है तथा अपने लगभग 215 कि०मी० की लम्बाई में प्रवाहित होती हुयी फतेहपुर एवं इलाहाबाद जिलों से बांदा को अलग करती है।

यमुना नदी के प्रवाह का स्वभाव दक्षिणी किनारे को काटने का रहा है और इसी कटान के कारण कई गांवों जैसे सादीपुर, जो मुगलकाल में पैलानी परगना का मुख्यालय था, पूरी तरह कट चुका है। जौहरपुर तथा बेंदा अपने मूल स्थानों से बहुत दूर अगल-अलग डेरों में बसने को मजबूर हुये हैं। यमुना नदी स्थान-स्थान पर अच्छी बालू तथा कछारी मिट्टी छोड़ती हुयी जिले को बेनीपुर पाली गांव के पास छोड़कर आगे इलाहाबाद जिले में प्रवेश कर जाती है।

**(2) केन नदी :-**

म०प्र० (बुन्देलखण्ड) क्षेत्र में स्थित दमोह जिले में जन्म लेती हुयी केन नदी पन्ना जिले से बहती हुयी बांदा जिले में बिल्हरका गांव के पास प्रवेश करती है। दो कि०मी० प्रवाह के पश्चात छतरपुर की ओर तथा पुनः बांदा जिले में बरसडा मानपुर गांव के पास स्पर्श करती हुयी अन्ततः बांदा जिले के चिल्ला घाट के पास यमुना में समहित हो जाती है। यमुना की बाढ़ के समय केन का पानी रुक कर ऊपर चढ़ता है। इस क्रिया में नदी कई गांव के खेतों में उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती है।

### (3) चन्द्रावल :-

केन की प्रमुख सहायक नदी महोबा हमीरपुर जिले की ओर से बांदा जिले में प्रवेश करती है तथा पैलानी के पास केन नदी में मिल जाती है। केन के अन्य सहायक नदी नाले हैं श्याम, केल, बिहुई तथा गबाई आदि जो प्रमुखतः वर्षा ऋतु में प्रवाहित होकर केन को भरते हैं।

### (4) बागै नदी :-

केन के बाद जिले की दूसरी महत्वपूर्ण बारहमासी नदी है। पन्ना जिले के कोहारी के पहाड़ से निकलकर बांदा जिले में मसौनी-भरतपुर गाँव के पास प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुयी यह जिले को लगभग बराबर दो भागों में बांटती है। बबेरू तथा कर्वी को अलग करती हुयी यह विलास गाँव के पास यमुना में समाहित हो जाती है। वर्षा में बाढ़ के समय के अतिरिक्त यह नदी छिछली है और अनेक स्थानों पर पैदल पार की जा सकती है।

इसके प्रमुख सहायक नदी, नाले हैं- रेज, मदरार, बरार, करेहली, बानगंगा, बिसाहिल तथा बरुआ आदि।

### (5) पयस्विनी :-

सतना (म०प्र०) जिले से निकलकर यह नदी चित्रकूट के अनेक उत्सुत स्रोतों के माध्यम से जलापूर्ति कर कर्वी तहसील में कनकोमा गाँव के पास यमुना में समाहित हो जाती है।

धार्मिक दृष्टि से यह नदी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वनवास के समय राम, सीता व लक्ष्मण ने इसके सानिध्य में अपने लगभग 12 वर्ष व्यतीत किये थे। पयस्विनी की प्रमुख सहायक नदी है चान रुकमा ददरी (पाठा क्षेत्र के पास से निकलकर यह कर्वी जिले में सेमरदहा होते हुये सवारा के पास पयस्विनी में मिल जाती है) यह एक बारहमासी सरिता है।

**(6) बरदहा :-**

रीवा के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर यह ऐसी नदी है जो पाठा के इस क्षेत्र के लिये पेयजल का एक मात्र साधन है। यह बेधक प्रपात तथा धारकुण्डी जैसे दर्शनीय स्थलों के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं मानिकपुर क्षेत्र में बरदहा पर एक बाँध बनाया गया है जिससे सिंचाई की जाती है।

**(7) गड़रा :-**

जमरेही तथा अधरोरी गाँवों के पास इसकी दो धाराएँ निकल कर मुरवल के पास एक होती हैं यह एक बारहमासी सरिता है जो बबेरू तथा बांदा तहसीलों को विभक्त करती हुयी जलालपुर के समीप यमुना में मिलती है। पूर्व में मढ़ियारा पश्चिम में उसरा नाले इसमें मिलते हैं।

**पेयजल की स्थिति :-**

लगभग सभी गाँव कुओं, तालाबों तथा नदियों के माध्यम से अपने पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति करते रहे हैं। परन्तु पाठा जैसे क्षेत्रों की पेयजल किल्लत की अपनी ही कहानी है। अनेक स्थानीय कहावतों के पीछे यहाँ की पेयजल की भीषण कठिनाई स्पष्ट नजर आती है। पाठा पेयजल की योजना का शुभारम्भ 1973 में हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के कर कमलों से एशिया की सबसे बड़ी परियोजना उद्घाटित होने के बावजूद अपना लक्ष्य आज तक नहीं प्राप्त कर सकी।

अनेक ऐसे स्थानों पर जहाँ नल सप्लाई की बिल्कुल नहीं थी, टंकिया बनायी गयी, ट्यूबवेल बोर किये गये तथा सप्लाई की व्यवस्था की गयी पर इनसे वांछित लाभ होना ही नहीं था। इंडिया मार्क हैण्डपम्प काफी मात्रा में लगाये गये हैं पर इनका भविष्य खतरों में प्रतीत हो रहा है। जहाँ जहाँ ट्यूबवेल बने हैं, सामान्य कुयें सूख गये हैं तथा पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। सरकारी आँकड़ों में तो सभी आबाद गाँव पेयजल की सुविधा से युक्त हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद प्राकृतिक जल संसाधनों से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर है केवल पेयजल की स्थिति दयनीय है जिसके लिए उचित कार्य योजना एवं शासन के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है।

#### 5.4 जनपद में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाएं :-

आर्थिक विकास के लिए किसी भी क्रियाकलाप से पूर्व तत्संबंधी अवस्थापना सुविधाओं का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योगों की स्थापना हेतु अवस्थापना सुविधाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। सुनियोजित भूमि उपयोग औद्योगिक आस्थान, जल, विद्युत, ऋण सुविधा तथा यातायात एवं संचार आदि ऐसे घटक हैं जिनके गुणवत्तायुक्त एवं सुलभ होने पर उत्पादन एवं अन्य क्रियाकलाप को सम्पादित करना सरल होता है। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास के साथ साथ अपेक्षानुसार जीवन का स्तर भी ऊँचा उठ सकता है।

जनपद की औद्योगिक सम्भाव्यता से पूर्व इन घटकों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त कर लेना अनिवार्य प्रक्रिया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कौन सी सुविधाएं उद्योग विशेष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

##### 5.4.1 भूमि :-

जनपद में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 95-96 के आँकड़ों के आधार पर कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 7,80,811 हेक्टेयर हैं इसमें से वनों का क्षेत्र 77,781 हेक्टे0, कृषि योग्य बंजर भूमि 28,064 हेक्टेयर, वर्तमान परती 39,311 हेक्टेयर, अन्य परती 31,434 हेक्टेयर, ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि 36,932 हेक्टेयर, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि 45,438 हेक्टेयर तथा चारागाह 424 हेक्टेयर उपयोग में लायी जा रही थी।

##### 5.4.2 जल :-

जनपद में वर्षा सामान्य स्तर की होती है जो 800 से 1,000 मि0मी0 के बीच होती है। परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और इसी कारण यहाँ जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि इस जनपद में कई नदियाँ

एवं नाले हैं जिनमें प्रमुख हैं, यमुना, केन, चन्द्रावल, बागे, पयस्विनी, ओहन। इसी प्रकार जनपद में अनेक पोखर एवं तालाब है। परन्तु इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। औद्योगिक उपयोग के लिए मुख्य रूप से भूगर्भीय जल का प्रयोग तो सकता है। इस जनपद में भूगर्भीय जल का स्तर भी औसत से नीचे पाया जाता है। पथरीली जमीन पर भारी रिग मशीनों द्वारा बोरिंग की जाती है जो काफी खर्चीला होता है। जनपद में नहरों की कुल लम्बाई 1,804 किमी० है जो जल आपूर्ति का एक विकल्प हैं।

### 5.4.3 विद्युत :-

जनपद बांदा में वर्तमान विद्युत आपूर्ति सिराथू से हो रही है। जहाँ पर ओबरा थर्मल पावर से विद्युत प्राप्त की जाती है। परन्तु मार्च 2000 तक जनपद में 220 किलोवाट की सीधी आपूर्ति ओबरा विद्युत घर से प्राप्त होने लगी है। प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में स्थापित निम्नलिखित सब स्टेशन हैं जिसे अग्र तालिका में दिखाया गया है।

तालिका संख्या 5.2

| क्र.सं० | नाम       | क्षमता (एम०वी०ए०) | वोल्टेज रशियो |
|---------|-----------|-------------------|---------------|
| 1.      | बांदा     | 3X5               | 132/66,33/11  |
| 2.      | तिन्दवारी | 1X3               | 33/11         |
| 3.      | कमासिन    | 1X1.5             | ”             |
| 4.      | अतर्रा    | 2X3               | ”             |
| 5.      | नरैनी     | 1X3               | ”             |
| 6.      | पलरा      | 1X3               | ”             |
| 7.      | जसपुरा    | 1X3               | ”             |
| 8.      | बबेरु     | 1X3 एवं 1X1.5     | ”             |
| 9.      | औगासी     | 2X3               | 33/33         |
| 10.     | भूरागढ़   | 1X5               | 33/11         |
| 11.     | दोहा      | 1X1.5             | ”             |

स्त्रोत : कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बांदा, जनपद बांदा

विद्युत वितरण हेतु जनपद में कुल 1929 ट्रांसफार्मर विभिन्न क्षमता 25 से 100 के0वी0ए0 तक के स्थापित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 33 के0वी0ए0 की कुल लम्बाई 470 किमी0, 11 के0वी0ए0 लाइनों की लम्बाई 2,440 किमी0 तथा एल0टी0 लाइनों की कुल लम्बाई 15,500 किमी0 है तथा जनपद में लगभग 61.48 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। सी0ए0 परिभाषा के अनुसार 675 ग्रामों में से 498 तक विद्युत की एल0टी0 लाईन पहुँच चुकी है। वर्तमान में लघु उद्योग क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। जनपद में विभिन्न कार्य हेतु विद्युत उपभोग अग्रलिखित तालिका में दिखाया गया है।

### तालिका संख्या 5.3

| क्र0सं0 | मद                                     | वर्ष 1995-96 | 1996-97 |
|---------|--|--------------|---------|
| 1       | घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति     | 25648        | 30848   |
| 2       | वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति | 5736         | 6061    |
| 3       | औद्योगिक विद्युत शक्ति                 | 25056        | 26077   |
| 4       | सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था              | 226          | 226     |
| 5       | कृषि विद्युत शक्ति                     | 103792       | 103792  |
| 6       | सार्वजनिक जल कल एवं मल प्रवाह व्यवस्था | 10895        | 10895   |

स्रोत : जिला संख्या कार्यालय, बांदा।

#### 5.4.4 यातायात :-

##### (1) रेल :-

जनपद बांदा बड़ी रेल लाइन द्वारा रेल यातायात हेतु जुड़ा हुआ है इसकी कुल लम्बाई 200 किमी0 है तथा जनपद में हाल्ट सहित रेलवे स्टेशनों की संख्या 19 है। अतः स्पष्ट

है कि यद्यपि रेल लाईन है तथापि अधिकांश गांव अभी रेल लाइनों से दूर हैं। जनपद में ट्रेनों की संख्या भी सीमित हैं। यह रेल लाइन जहां एक ओर झांसी से मानिकपुर क्षेत्र में हैं वहीं दूसरा मार्ग बांदा से कानपुर को जोड़ता है साथ ही झांसी जनपद भी रेलवे लाइन द्वारा जड़ा हुआ है जहां से रेलवे लाइन मध्य-प्रदेश में प्रवेश कर जाती है।

## (2) सड़क :-

जनपद में यातायात का सबसे उपयोगी साधन सड़क यातायात है। आवागमन के साधन के रूप में सड़कें बहुत उपयोगी हैं। एक ओर जहां इनसे वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में सहयोग मिलता है वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु रोजगार के अवसर भी मिलते हैं जनपद में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। प्रादेशिक राजमार्ग झांसी से मिर्जापुर को जोड़ता है। कानपुर एवं मध्य प्रदेश को भी यहां की सड़कें जोड़ती हैं। लगभग सभी विकास खण्ड जनपद मुख्यालय से पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं परन्तु अनेक विकास खण्ड अभी भी एक दूसरे से पक्की सड़कों से नहीं जुड़ सके हैं। जनपद के विकास के लिए पक्की सड़कों द्वारा इसे आपस में जोड़ना नितान्त आवश्यक है। जनपद की सड़कों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसे उपरोक्त के साथ ग्रामों को भी सड़क से जोड़ा जा सके। जनपद से कानपुर, झांसी, इलाहाबाद एवं सागर आदि के लिए सड़के हैं परन्तु उनकी स्थिति अन्य जनपदों की अपेक्षा प्रायः खराब ही रही है। 96-97 तक पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1443 किमी० है, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है-

### तालिका संख्या 5.4

|    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कें<br>(क) राजकीय राज मार्ग,<br>(ख) मुख्य जिला सड़कें<br>(ग) अन्य जिला सड़कें | 201 किमी०<br>708 किमी०<br>446 किमी० |
| 2. | स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सड़कें<br>(क) जिला परिषद<br>(ख) नगर पालिका   | 33 किमी०<br>57 किमी०                |
|    | योग  | 1443 किमी०                          |

स्रोत : जिला संख्या कार्यालय, बांदा।

इन सड़कों पर एक हजार से कम आबादी वाले 163 ग्राम तथा एक हजार पांच सौ की आबादी वाले ग्राम 70 तथा 1500 से अधिक आबादी वाले 210ग्राम जुड़े हुए हैं।

#### 5.4.5 संचार :-

आर्थिक विकास की दृष्टि से संचार का भी महत्व यातायात से कम नहीं है। संचार के विभिन्न माध्यम जैसे डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट आदि ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान कम समय में हो सकता है। भारत एवं सम्पूर्ण विश्व इस समय संचार क्रांति से गुजर रहा है तथा सम्पूर्ण विश्व एक गाँव के रूप में परिवर्तित हो गया है। अतः जनपद बाँदा भी इस क्रांति से कैसे अछूता रह सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 95-96 तक जनपद के कुल 286 डाकघरों में से 264 ग्रामीण तथा 22 नगरीय क्षेत्रों में चल रहे हैं। जनपद के कुल 14 तार घरों में से 4 ग्रामीण एवं 10 नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। संचार के त्वरित साधन के रूप में टेलीफोन का स्थान महत्वपूर्ण है जो व्यवहार जगत के अनुरूप भी है जनपद में एस.टी.डी. माइक्रोवेव टावर संचालित है। अतः इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जनपद में कुल



टेलीफोन कनेक्शन की संख्या 3157 है। इनमें से मात्र 714 टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्र हैं। हाल के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनों काफी मात्रा में बिछायी गयी हैं जिनके आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 112 पी.सी.ओ. हैं। जनपद मुख्यालय में 5 टेलीप्रिन्टर हैं जिनका सम्पर्क सीधे लखनऊ से है। संचार जगत में आई नवीन क्रांति के परिणामस्वरूप यहाँ पर इसके उत्तरोत्तर विकसित होते रहने की सम्भावना है। नगर में वर्ष 1987-88 में 25 किलोवाट क्षमता का दूरदर्शन रिले केन्द्र खुल जाने के कारण यहाँ के निवासियों को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध है। इसे उच्चिकृत कर 100 किलोवाट क्षमता का बना दिया गया है जिससे जनपद के सुदूर गाँवों में भी टेलीविजन प्रसारणों को देखा जा सकता है।

#### 5.4.6 औद्योगिक आस्थान :-

अवस्थापना सुविधाओं में औद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक आस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर उद्योग स्थापना हेतु सभी सुविधाएं लगभग एक ही स्थान पर केन्द्रित रहती हैं और समान रूप से सभी उत्पाद कार्य करने वाली इकाइयों होने से औद्योगिक वातावरण बना रहता है। जिला उद्योग केन्द्र, बाँदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद में उपलब्ध औद्योगिक आस्थानों की सूचना निम्नलिखित है-

तालिका संख्या 5.5

| क्र.सं. | नाम                       | क्षेत्रफल  | कुल शेड<br>भूखण्ड | आंबटितशेड<br>भूखण्ड |
|---------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1.      | औद्योगिक आस्थान, बाँदा    | 8.86 एकड़  | 8-14              | 8-14                |
| 2.      | औद्योगिक क्षेत्र, भुरागढ़ | 99.00 एकड़ | 0-127             | -                   |
| 3.      | औद्योगिक क्षेत्र, अतर्रा  | 18.60 एकड़ | 0-13              | -                   |

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, बाँदा।

### 5.4.7 उद्यमिता :-

जनपद बाँदा की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, अतः परम्परागत आर्थिक क्रिया-कलाप अपनाये जाने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। अशिक्षा तथा आर्थिक कमजोरी के कारण जोखिम उठाने का साहस प्रायः कम ही देखा गया है। परन्तु नयी पीढ़ी के शिक्षित युवा वर्ग में उद्यमिता के गुण दृष्टिगोचर होते हैं जिन्हें समुचित जानकारी एवं सहयोग प्रदान कर नये आर्थिक क्रियाकलापों की ओर सरलता से प्रेरित किया जा सकता है। अन्यथा इसक विपरीत परिणाम सामने आयेंगे और जो आ भी रहे हैं जैसे शिक्षित युवा वर्ग के दिमाग में सरकारी सेवाओं का क्रेज बढ़ रहा है और जो युवा अपने उद्यमी गुण का प्रयोग करना चाहते हैं, चाहकर भी जनपद में उचित सुविधाओं एवं सहयोग के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं वे दूसरे शहर की ओर पलायन कर जा रहे हैं। वर्तमान शासन नीति भी अधिकाधिक उद्यमिता विकसित करने की है जिसके परिणाम स्वरूप भावी उद्यमियों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण द्वारा अनेक सफल उद्यमी अपना उद्योग प्रदेश में चला रहे हैं। जनपद बाँदा में भी ऐसे व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि वर्षों से उद्योग शून्य पड़ी अर्थव्यवस्था को थोड़े से प्रयासों के द्वारा इस निम्न संतुलन के जाल से निकालना असंभव है अतः जनपद के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए व्यापक स्थानीय एवं शासकीय प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

### 5.4.8 विपणन :-

जनपद में कुल चार तहसीलें क्रमशः बाँदा, बबेरू, नरैनी एवं अतर्रा टाउन एरिया हैं तथा बिसण्डा एवं महुआ में भी विकसित जनसंख्या है। जसपुरा, कमासिन, तिन्दवारी की जनसंख्या औसत से कम है परन्तु इन स्थानों पर बाजार विकसित हैं। अविभक्त बाँदा में 22 ग्राम ऐसे हैं जिसमें हाट लगती है तथा 23 गाँव ऐसे हैं जिनकी हाट से दूरी 1 कि०मी० से कम, 86 गाँवों की दूरी 1 से 3 किमी० है। 165 ग्रामों की दूरी हाट से 3 से 5 किमी० के मध्य तथा शेष 954 ग्रामों की दूरी 5 किमी० से अधिक है।

जनपद मुख्यालय जैसा कि पूर्व में वर्णित है कि बाँदा सड़क एवं रेल दोनों से जुड़ा है

परन्तु रेल की अपेक्षा सड़क यातायात अधिक सफल एवं विपणन के उद्देश्य से उपयोगी है। परन्तु इन साधनों से कृषक अपनी उपज का ही विपणन कर पाता है। जबकि हाट ऐसे होने चाहिए जो कृषि एवं औद्योगिक उपयोग दोनों प्रकार की वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराएं। औद्योगिक उत्पादों के विपणन हेतु विपणन सुविधाएं अभी भी बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता है।

#### 5.4.9 अधिकोषण, साख एवं ऋण सुविधाएं :-

कोई भी आर्थिक कार्य जैसे उत्पादन, उपभोग, विपणन एवं विनिमय बिना पूंजी के संभव नहीं हो सकता है। जनपद में अधिकोषण, साख एवं ऋण सुविधाओं का संचालन इलाहाबाद बैंक द्वारा किया जाता है जो यहां का अग्रणी बैंक है। यह बैंक जनपद की साख आवश्यकताओं का आंकलन एवं नियोजन कर जनपद में कार्यरत अन्य बैंकों के लक्ष्य का निर्धारण एवं उनकी पूर्ति की समीक्षा भी करता है।

वर्ष 99-2000 में कार्यरत बैंक शाखाओं की कुल संख्या 95 है जिनमें क्रमशः इलाहाबाद बैंक 18, स्टेट ऑफ इण्डिया 4, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया 3, पंजाब नेशनल बैंक 1, युनियन बैंक ऑफ इण्डिया 1, बैंक ऑफ बड़ौदा 1, तुलसी ग्रामीण बैंक 54, जिला सहकारी बैंक 10 तथा भूमि विकास बैंक की 3 शाखाएं कार्यरत हैं।

जनपद में मार्च 1999 में कुल जमाराशि 28,701.13 लाख रुपये थी एवं इसकी तुलना में 10,630.39 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। अतः जनपद का सी.डी. अनुपात 27 रहा। इस प्रकार विगत वर्ष का यह अनुपात अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

जनपद बांदा चूंकि एक औद्योगिक-शून्य जनपद है अतः औद्योगिक कार्यों के अभाव के कारण जनपद में औद्योगिक पूंजी की मांग बहुत कम है जबकि प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि कार्य के लिए पूंजी मांग बहुत ज्यादा है। जनपद में कार्यरत विभिन्न बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से इन कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी की मांग को तो लगभग पूरा कर देते हैं लेकिन यदि औद्योगिक सुविधाओं के विकसित हो जाने पर भविष्य में यदि औद्योगिक साख की मांग बढ़ती

है तो ये बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं नाकाफी साबित होंगे।

### तालिका संख्या 5.6

#### जनपद में वर्ष 99-2000 की ऋण योजना का विस्तृत विवरण

| क्र.सं. | मद                    | धनराशि (लाख रुपये में) |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 1.      | लघुसिंचाई             | 350.99                 |
| 2.      | भूमि विकास            | 15.86                  |
| 3.      | कृषि यन्त्रीकरण       | 859.20                 |
| 4.      | वृक्षारोपण एवं उद्यान | 37.30                  |
| 5.      | पशुधन                 | 314.93                 |
| 6.      | मत्स्य                | 1.96                   |
| 7.      | विविध कार्य           | 147.45                 |
| 8.      | फसली ऋण               | 2170.03                |
| 9.      | गैरकृषि क्षेत्र       | 496.16                 |
| 10.     | अन्य प्राथमिक क्षेत्र | 1048.85                |
|         | योग                   | 5447.98                |

स्रोत : जिला अग्रणी बैंक, बांदा।

उपरोक्त बैंक शाखाओं के अतिरिक्त उद्योग स्थापनार्थ आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश वित्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय झांसी से प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतर परियोजनाओं हेतु लघु उद्योग विकास बैंक एवं पिकप जैसी संस्थायें भी वित्त पोषण का कार्य करती हैं।

#### 5.4.10 प्रधानमंत्री रोजगार योजना :-

जनपद में शिक्षित युवा वर्ग के लिए स्वरोजगार हेतु उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी का चुनाव कर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन बैंकों को

अग्रसारित कर दिया जाता है जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण के उपरांत सफल होते हैं उन्हें इस योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है जिला उद्योग केन्द्र बांदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1998-99 में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 523 थी। इसमें से 480 आवेदन बैंको को प्रेषित किये गये। बैंकों द्वारा कुल 128 आवेदकों का ऋण स्वीकृत किया गया तथा 159 व्यक्तियों को ऋण का वितरण भी किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 में माह जनवरी 2000 तक कुल 561 आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा 461 आवेदन बैंकों को प्रेषित कर दिये गये। बैंकों द्वारा 163 आवेदनों पर ऋण की स्वीकृति हो चुकी है तथा मात्र 75 आवेदकों को अभी ऋण स्वीकृत हो चुका है।

इन तथ्यों से सम्बन्धित अग्र तालिकाएं दृष्टव्य हैं-

### तालिका संख्या 5.7

#### जनपदीय उद्योग कर्मियों को उद्योग से

#### सम्बन्धित जनपद में प्राप्त होने वाली मुख्य सुविधाएं

प्रस्तुत तालिका में प्राप्त होने वाली उन सुविधाओं का वर्णन किया गया है, जो जनपदीय उद्योगों के लिए आवश्यक है।

| औद्योगिक सुविधाओं<br>का प्रकार | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र का<br>प्रतिशत |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|                                | अतर्रा                | बांदा | बबेरू | नरैनी |                  |                     |
| कच्चे माल की<br>सुविधा         | 12                    | 12    | 13    | 11    | 49               | 49.00               |
| तकनीकी सुविधा                  | 05                    | 11    | 05    | 03    | 24               | 24.00               |
| वित्त की सुविधा                | 01                    | 04    | 04    | 00    | 09               | 09.00               |
| परिवहन की सुविधा               | 07                    | 07    | 03    | 01    | 18               | 18.00               |
| तहसीलवार योग                   | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |


स्त्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तालिका में जनपदीय औद्योगिक विकास के लिए प्राप्त होने वाली मुख्य सुविधाओं का प्रतिशत क्रमशः निम्न हैं।

कच्चे माल की सुविधा 49 प्रतिशत, तकनीकी सुविधा 24 प्रतिशत, वित्त की सुविधा 09 प्रतिशत तथा परिवहन की सुविधा 18 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि प्राप्त होने वाली मुख्य सुविधाओं में सबसे अधिक 49 प्रतिशत कच्चे माल की सुविधा का है। द्वितीय स्थान तकनीकी सुविधा का है जिसका प्रतिशत 24 है, तृतीय स्थान परिवहन की सुविधा को जाता है, जिसका प्रतिशत 18 है तथा सबसे कम प्रतिशत वित्त की सुविधा का है, जो 09 प्रतिशत है।

रेखा चित्र 5.1

जनपद में प्राप्त होने वाली औद्योगिक सुविधाएं



सुविधाओं के प्रकार

### तालिका संख्या 5.8

#### जनपदीय उद्योग कर्मियों को उद्योग से जनपदीय सुविधाएं प्राप्त होने का स्थान

प्रस्तुत तालिका में उन स्थानों का वर्णन किया गया है जहाँ से जनपदीय उद्योगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं।


| स्रोत का स्थान             | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र का<br>प्रतिशत |
|----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|                            | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |                  |                     |
| बाँदा नगर से               | 05                    | 10    | 08    | 05    | 36               | 36.00               |
| जनपद के अन्य<br>मार्गों से | 17                    | 10    | 10    | 07    | 44               | 44.00               |
| कानपुर से                  | 08                    | 07    | 17    | 03    | 20               | 20.00               |
| झांसी से                   | 00                    | 00    | 00    | 00    | 00               | 00.00               |
| इलाहाबाद से                | 00                    | 00    | 00    | 00    | 00               | 00.00               |
| तहसीलवार योग               | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तालिका में उद्योग के लिए वांछित सुविधाओं के प्राप्त होने के कई स्रोत हैं जैसे बाँदा नगर, जनपद के अन्य भाग से कानपुर, झांसी एवं इलाहाबाद आदि। स्पष्ट है कि औद्योगिक सुविधाओं के प्राप्त होने का मुख्य स्रोत जनपद के अन्य भाग है जिसका प्रतिशत 44 है। इसके बाद दूसरा स्थान बाँदा नगर का है जो 30 प्रतिशत है। जबकि तीसरा स्थान कानपुर का है, जो 20 प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है। यह भी स्पष्ट है कि झांसी और इलाहाबाद औद्योगिक सुविधाओं की दृष्टि से नगण्य है।

## रेखा चित्र 5.2

औद्योगिक सुविधाओं के प्राप्त होने का स्रोत



## 5.5 निष्कर्ष

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था उद्योग शून्य अवश्य है परन्तु जनपद में संसाधनगत स्थिति काफी सुदृढ़ है और उद्योग के सापेक्ष अनेक संसाधन जैसे कृषि आधारित संसाधन मानवीय संसाधन पूँजीगत संसाधन, तकनीकी संसाधन आदि उपस्थित हैं, लेकिन अवस्थापना सुविधाओं के विश्लेषण के अन्तर्गत यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर उचित संस्थानात्मक विकास अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा अभी भी अवस्थापना सुविधाएं अर्थव्यवस्था में मांग के अनुरूप नहीं है तथा जल विद्युत एवं उचित बाजार व्यवस्था का अभाव है।



# षष्ठ अध्याय

## षष्ठम अध्याय

बाँदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” के सापेक्ष

उद्यमशीलता विश्लेषण

- उद्यमशीलता
- विनियोजनगत शर्मीलापन
- विनियोजनगत शर्मीलेपन से जनित औद्योगिक संवृद्धि का  
निम्न संतुलन पाश
- निष्कर्ष

## षष्ठम अध्याय

### 6.1 उद्यमशीलता :-

“उद्योगिणानां विकासेन् जनसमृद्धयम्” यानि उद्योगी व्यक्तियों के विकास से ही जनसमृद्धि आती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व यह सत्य जान लेने वाले हमारे देश को अपनी समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, परन्तु आज इसी देश में एक तरफ तो अच्छी उपज वाले स्थानों पर अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों को एक समय का भी भोजन नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। शायद वर्षों तक विदेशी साम्राज्यों की अधीनता ने हमारी मानसिकता को दिये गये आदेशों के अनुपालनार्थ ही बना दिया है और हमारे अन्दर की उद्यमिता और उत्साही उद्योगी की भावना को दबा कर वेतन भोगी रोजगार का इच्छुक बना दिया है। आज के परिवेश में सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने युवाओं की आन्तरिक उद्यमीय शक्ति को जाग्रत करें जिससे सामान्य एवं आम युवा भी उद्यम स्थापना की दिशा में अग्रसर हो सकें और स्वयं को योग्य बनाकर सफलतापूर्वक अपने उद्यम का संचालन कर सकें।

उद्यमशीलता एक ऐसा तत्व है, जिसके विकास के अभाव में औद्योगिक विकास एक कल्पना ही है। किसी भी देश या जनपद के औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता का ही

महत्वपूर्ण हाथ होता है। ये उद्यमी ही होते हैं जो अपने धन को लाभ कमाने की दृष्टि से जोखिम में डालकर उद्योग धन्धे चलाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। अतः उद्यमशीलता का उचित एवं प्रोत्साहनात्मक विकास ही औद्योगिक विकास है। निश्चित उद्देश्य के प्रति सम्पूर्ण उन्नति की भावना तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों द्वारा पूर्णत्व प्राप्ति के प्रयत्नों को उद्यमिता माना गया है। सामान्य शाब्दिक अर्थ में उद्यमिता से तात्पर्य है कार्य करने की प्रवृत्ति अथवा कार्यशीलता विगत कई वर्षों से उद्यमशीलता शब्द व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। अब उद्यमिता से तात्पर्य है लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए नवीन स्वतंत्र, रचनात्मक एवं जोखिम पूर्ण कार्य करने की योग्यता एवं दृढ़ निश्चय। आज का उद्यमी वही है जो जीवकोपार्जन के लिए नौकरी का साधन नहीं ढूँढता अपितु उद्यम व्यवसाय कर स्वरोजगार का सृजन करता है और दूसरों के लिए जीवकोपार्जन के साधन तैयार कर देता है।

उद्यमी बनना निश्चय ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर उद्यमिता की राह पर चलने से कई फायदे हैं, जैसे स्वरोजगार करने वाले उन्नति एवं विकास हेतु किसी पर न तो निर्भर ही होते हैं और न ही उनकी कोई निर्धारित सीमा होती है। उद्यमी विकास की किसी भी ऊँचाई को छू सकते हैं, जबकि नौकरी में उन्नति की एक निर्धारित सीमा होती है।

देश, प्रदेश या जनपद की अर्थव्यवस्था में योगदान, देने और उसे विकसित करने में उद्यमी एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका महत्व विकासशील विश्व में और भी अधिक बढ़ जाता है जहाँ उपलब्ध स्रोतों को प्रयोग में लाकर नयी चीजें खोजने के लिए और उद्यमिता व उद्योग शुरु करने के लिए बहुत से अवसर मौजूद रहते हैं। परन्तु सभी अर्थव्यवस्थाओं और किसी देश में समस्त भागों में उद्यमिता का उद्भव एक सा नहीं होता है। इस सन्दर्भ में हम जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता तत्त्व प्रदेश के अन्य जनपदों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अति न्यून है और जिसका

परिणाम यह है कि जपनद एक उद्योग-शून्य जनपद घोषित है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि विकसित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उद्यमी होते हैं। दूसरी आश्चर्य की बात यह होती है कि जैसे-जैसे बेरोजगारों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वेतन रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है और वे उद्यमिता आजीविका के क्षेत्र में मौजूद बड़ी संख्या के अवसरों से अनभिज्ञ रहते हैं। मोटे तौर पर इसका कारण उद्यमिता के बारे में शिक्षा का अभाव होता है। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में शैक्षिक पाठ्यक्रम में उद्यमिता को स्थान नहीं मिलता है।

शिक्षा एक अत्यधिक प्रभावशाली प्रचार का माध्यम है जो मूल्यों का निर्धारण करता है, प्रवृत्तियों को विकसित करता है और लोगों में व्यावसायिक दिशाओं में आत्मविश्वास से बढ़ने की इच्छा जाग्रत करती है। मूल्य, प्रवृत्ति और प्रेरणा आपस में मिलकर जनसाधारण को ऐसे मूल्यों द्वारा निर्देशित लक्ष्य। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल और सामर्थ्य प्राप्त रकने हेतु प्रेरित करती है। जिन्हें शिक्षा के गुरु के चरणों में ज्यादातर प्राप्त किया जाता है। वर्तमान युग में जहाँ उद्यमिता हेतु काफी अवसर मौजूद हैं और इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, वहाँ समाज में उद्यमियों की कमी होना मोटे तौर पर शिक्षा व्यवस्था में उद्यमिता तत्व के अभाव का होना है। लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किये गये भारी निवेश के बावजूद दूर दराज के इलाकों में साधारण आदमी के जीवन पर वास्तविक प्रभाव बहुत कम पड़ा है। इसी कारणवश प्रशासन और योजना बनाने वाले अब इस बात को धीरे धीरे अनुभव करने लगे हैं कि मौद्रिक सहायता और संरचनात्मक सुविधाएं जरूरी अवश्य है परन्तु आर्थिक / औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त दशायें नहीं। मानव कारक इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। हम गाँधी जी के उपदेश को याद करते हैं कि मानव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और मानव स्रोतों को एक दिशा विशेष की ओर मोड़ने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मूल्यों, प्रवृत्तियों, प्रेरणा और सामर्थ्य सहित जनसाधारण में बहुत शुरु के चरणों में उद्यमिता की गतिविधियों को सफलता पूर्व के अपनाने के लिए

उद्यमिता की भावना का उद्भव सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(अ) उद्यमिता मूल्य :-

मूल्य उन्मुखता किसी व्यक्ति में मौजूद मूल्यों का समूह होता है। इसको मानव की प्रकृति और स्वभाव को प्रभावित करने वाले एक आम तौर संगठित विचार रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में विश्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में यह विश्वासों का एक सेट होते हैं। सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि मूल्य स्तर प्रदान करते हैं जो प्रवृत्ति या व्यवहार को दिशा निर्देशित करते हैं वे कई पहलुओं वाले स्तर होते हैं जो कई व्यक्ति को सामाजिक मामलों पर एक विशिष्ट स्थिति ग्रहण करने, एक विचारधारा के ऊपर दूसरी विचारधारा को प्राथमिकता, अपने अभ्यावेदनों को दूसरों तक पहुँचाने और ऐसे आधार प्रदान करने से है जिससे कोई व्यक्ति मूल्यांकन कर सके या निर्णय ले सके। मूल्य समाज की संस्कृति को परिलक्षित करते हैं और उस संस्कृति के सदस्यों द्वारा उसमें एक बड़ी संख्या में भाग लिया जाता है। मूल्यों को ऐसे विश्वासों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जो इच्छित होते हैं। साधारणतया मूल्य लक्ष्य-दिशा प्रदान करते हैं। व्यक्ति के सबसे अन्दर का स्तर ऐसा होता है जो व्यक्ति को कार्य और दिशा प्रदान करता है। विशिष्ट रूप से उद्यमिता के शब्दों में इसका अर्थ उद्यमियों के संज्ञेय कार्य निष्पादन से होता है संज्ञेय अन्तर्वस्तु का अर्थ व्यक्ति के व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति विचारों से होता है। चयनित रूप से संगठित विचार में बाहरी विश्व की केवल कुछ वस्तुएं ही प्रवेश कर सकती है। इन मान्यताओं को निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त विचारधारा या व्यवस्था के विश्वास में वातावरण की अनिश्चितता एक अनिवार्य प्रभाग होता है। उद्यमियों के वातावरण के बारे में विचार और उनकी प्रतिक्रियाएँ अधिकतर व्यापार के मामलों के बारे में उनके पहले के विश्वासों पर आधारित होती है।

(ख) नवाचार (कुछ नया खोजने/ करने की इच्छा) :-

विद्वानों ने इस बात की गहन खोज की है कि संगठनों में नवाचार, नवाचार सम्बन्धी स्वाभाव, मूल्य और निश्चय किन बातों से बनते हैं। कई प्रश्न सूचियों और विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों के पश्चात वे इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- 1- नये विचारों पर प्रयोग करना,
- 2- परिवर्तन से प्रसन्न होना,
- 3- नये विचारों को प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में अनिश्चितता का सामना करना,
- 4- किसी काम को छोड़ना नहीं और नये काम को करते समय गलतियां होने पर अस्थिर न होना।
- 5- अपराम्परागत व्यवहार का मूल्यांकन करना,
- 6- हल करने के लिए समस्याओं को ढूँढ़ना,
- 7- वर्तमान तरीकों या वर्तमान उपकरणों वर्तमान सेवाओं की नयी उपयोग योजना,
- 8- अपने मौलिक तरीके से वस्तु को पेश करना
- 9- ऐसी समस्या पर कार्य करना जिसके कारण दूसरों को काफी कठिनाई हो रही हो।
- 10- एक नये विचार की दिशा में महत्वपूर्ण निविष्टि प्रदान करना
- 11- असंरचनात्मक कार्य आवंटनों हेतु तत्पर रहना।
- 12- प्रस्तावित विचारों का मूल्यांकन प्रस्तुत करना।

हाल के अनुसंधानों ने यह प्रदर्शित किया है कि उद्यमी आजीविका स्वरूप उन रास्तों का अनुसरण करते हैं जिनसे अवसरों को सृजनात्मक और नवाचारी बनाना सम्भव

होता है।

उद्यमी आजीविका का लंगर सृजन और नवाचार होता है ठीक उसी तरह प्रबन्धक अपनी आजीविका का लंगर सामर्थ्य और कुशलता में पाते हैं और कॉलेज के प्रोफेसर अनिश्चितता का सामना करने वाले नये विचारों पर प्रयोग करना चाहता है जिसमें कल्पना पूर्वाभास और जोखिम उठाना सम्मिलित होते हैं।

कोई भी उद्यमिता गतिविधि बिना, स्थिति या विचारों के सन्दर्भ में नवाचार हुये बिना सम्भव नहीं होती है। इसी तरह कोई भी उद्यमिता गतिविधि बिना जोखिम को सोंचे नहीं सोची जा सकती है। तदनुसार उद्यमिता का अनिवार्य रूप से अर्थ होता है कि ऐसी बातों को करना जो नैतिक काम के साधारण रूप में सामान्तया नहीं किया जाता हो। उद्यमी एक आदर्श पुरुष होता है और ऐसा कर्तापुरुष होता है जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और जो बनी बनायी स्थितियों की सीमा रेखाओं को स्वीकार नहीं करता है। वह परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक होता है, नये संयोजकों को बनाने में सक्षम होता है और नये अवसरों को खोजने का कारण बनता है।

### (स) उद्यमिता प्रेरणा :-

समाज में उद्यमिता का प्रसार और विकास में प्रेरणा साधारणतया एक महत्वपूर्ण कारक होती है तथापि प्रेरणा के वृहद दायरे के अन्तर्गत कुछ अभिप्रायों को उद्यमिता स्वाभाव से महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े पाया गया है- जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति संयोजन, पराश्रय प्रसार, व्यक्तिगत उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि, प्रभाव आदि। इन समस्त अभिप्रायों में सामाजिक अभिप्रायों की तीन श्रेणियों पर बहुत गहन ढंग से खोज की गयी है- वे हैं उपलब्धि हेतु आवश्यकता, शक्ति और संयोजक।

सामाजिक अभिप्रायों की ये तीन श्रेणियाँ एक दूसरे के कार्य से प्राप्त सन्तुष्टि और



व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और कार्यों के आधार पर भिन्न होती हैं। अतः उद्यमिता प्रेरणा विभिन्न अभिप्रायों का समन्वय होती है। जो भिन्न भिन्न ताकतों में उपलब्ध होती है जैसे अधिक मात्रा में उपलब्धि प्रेरणा, सामान्य मात्रा में शक्ति प्रेरणा तथा निम्न मात्रा में संयोजन प्रेरणा प्रेरणात्मक पृष्ठ भूमि के अलावा अन्य व्यवहारगत विशेषताएं जैसे अस्पष्टता के प्रति सृजनात्मकता आदि एक वृहद परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता प्रेरणा को बनाने में सहायता करते हैं। इन अभिप्रायों में उपलब्धि अभिप्राय एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस कारण से अक्सर यह उद्यमिता प्रेरणा के समकक्ष गिना जाता है।

**(द) उद्यमिता सामर्थ्य :-**

जब मूल्यों और व्यवहारों को जो लक्ष्य निर्देश प्रदान करते हैं और रास्ते में आने-जाने वाले उत्प्रेरकों के विरुद्ध कार्य करते हैं, कार्य करने की शक्ति प्रदान करने वाली देय प्रेरणा के साथ मिलाया जाता है तो उद्यमिता कार्यों को सम्पादित करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता पड़ती है ऐसे कौशलों को साधारणतया “उद्यमिता सामर्थ्य कहते हैं”।

**(य) जोखिम उठाना :-**

उद्यमिता की दिशा में जोखिम एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक व्यक्ति जो उद्यमिता के कार्यों को चुनता है वह विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं को वहन करता है जो परिणाम को प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से माल की बिक्री मांग उपकरणों के कार्य निष्पादन, निविष्टियों के मूल्यों और कच्चे माल की पूर्ति जैसे कारकों के सम्बन्ध में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं जिसमें उद्यमी को अनिश्चित परिस्थितियों के अन्तर्गत निर्णय लेने पड़ते हैं। अतः उद्यमी को जोखिम उठाने का कौशल और सामर्थ्य विकसित करना पड़ता है। इसके लिए उसे यह समझना पड़ता है कि एक उद्यमी न तो कार्यों के

परम्परागत क्षेत्रों में कार्य करता है जिसमें पूरी तरह से नियन्त्रित दशाओं के अन्तर्गत ज्ञान और कौशल प्राप्त करने होते हैं और न ही वह इन स्थितियों में सम्मिलित होता है जहाँ जुए की तरह पूरी तरह से उसके नियन्त्रण के बाहर की दशाओं पर परिणाम निर्भर करता है। वह दो अत्यधिक जोखिम क्षेत्रों के बीच सामान्य जोखिम उठाता है जिसमें कुछ प्रयत्न और कुछ भाग्य सम्मिलित होता है।

जोखिम उठाने के कौशल पर स्थितियों के विश्लेषण, सम्भव रुकावटों का अनुमान लगाकर और इन रुकावटों को दूर करने हेतु स्रोतों का अनुमान लगाकर, स्थानापन्नों पर विचार करके और सामान्य रूप से कठिन परन्तु प्राप्त योग्य लक्ष्य के पक्ष में जोखिम उठाने का अभ्यास करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक उद्यमी को इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ता है कि जब कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की सम्भावनाएं कम होती हैं तो उसी अनुपात में सफलता प्राप्त करने पर सन्तुष्टि की मात्रा अधिक हो जाती है। एक उद्यमी जोखिम उठाने में चुनौतियों का पूर्वज्ञान रखता है और अपने आस-पास के वातावरण और अपने आप में उसके लिए स्रोतों की सम्भावनाओं को देखता है। वह असफलता की सम्भावना से डरता नहीं है बल्कि वह सफलता की संभावना से प्रेरित होता है।

#### (र) व्यवस्थित योजना-

एक उद्यमी के लिए व्यवस्थित योजना एक प्रमुख स्थान रखती है। प्रत्येक उद्यमी के पास समय, वित्त और मानव शक्ति के सीमित स्रोत होते हैं। वह अपनी सारी जिन्दगी की बचत निवेश करता है और उद्यमिता के कार्य में अपनी समूची शक्ति लगाता है तथा हानि या बेकारी को स्वीकार करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। सारी बात को शुरू करने से पहले वह पूरे कार्य की विस्तृत रूप रेखा बनाना चाहता है। इसके लिए वह स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित करता है और इन्हे छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँटता है, गतिविधियों को चिन्हित करता है, कठिनाइयों को समझता है,

उनकी सूची बनाता है, स्थानापन्नों और स्रोतों को देखता है और समस्त सम्भव सूचना में प्रयोग में यह देखने के लिए लाता है कि वास्तविक कार्यरूप में शुरू करने से पहले यह पूरी रणनीति पेपर पर तैयार करता है। समस्त उद्यमियों हेतु किसी उपक्रम को सफलतापूर्वक शुरू करने और उसके प्रबन्ध करने में व्यवस्थात्मक आयोजना के प्रयोग में विश्वास रखना और उन्मुखता होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम वह इसे समस्त छोटी-छोटी गतिविधियों के सम्बन्ध में करता है और फिर अधिक संश्लिष्ट गतिविधियों के बारे में करके व्यवस्थात्मक आयोजन में सामर्थ्य विकसित करता है। इसकी पृष्ठ भूमि की जानकारी उसे भविष्य की गतिविधियों में व्यवस्थापक आयोजन को पुनः दोहराने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

#### (ल) एक समन्वित दृष्टिकोण


उद्यमिता मूल्य और प्रवृत्ति लक्ष्य और दिशा प्रदान करते हैं और उद्यमी के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें समान प्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। एक सम्मिलित प्रयत्न के रूप में ये उद्यमिता, उत्साह भावना को विकसित करने में सहायता करते हैं। ऐसी भावना वाला व्यक्ति लक्ष्यों और कार्यों की ओर सकारात्मक रूप से समर्पित हो जाता है। एक बार जब उद्यमिता भावना जड़ पकड़ लेती है तो व्यक्ति कुछ नया करने की उमंग, श्रेष्ठता के उच्च स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता और आंतरिक इच्छा महसूस करने लगता है। यह स्तर या तो स्वयं द्वारा या अन्य द्वारा स्थापित किये जा सकते हैं और यह आजीविका उत्पादों या कुशलता से सम्बद्ध हो सकते हैं। इसके साथ व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रभावित करने की आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार इन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने वाली समस्त शक्तियां उद्यमिता प्रेरणा होती है। उद्यमिता भावना एक सही गन्तव्य स्थल वाले इंजन की तरह होती है जहां उद्यमिता प्रेरणा इंजन के ईंधन की तरह होती है जो इंजन को गन्तव्य स्तर पर पहुँचाती है। इसके अतिरिक्त उद्यमिता भावना और

प्रेरणा से जो दिशा और शक्ति प्राप्त होती है उसके अलावा व्यक्ति को कई प्रकार के कौशल/ सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जो उपक्रम लगाने और उपक्रम का प्रबन्धन करने जैसे उद्यमिता के कार्य करने में सहायता करते हैं। इस तरह मूल्यों प्रवृत्तियों तथा प्रेरणा जागृत करके एक गैर उद्यमी में भी उद्यमिता जागृत की जा सकती है जो उद्यमी भावनाओं को अंकुरित, पुष्पित तथा पल्लवित करने में सफल हो सकता है।

### रेखा चित्र 6.1

#### उद्यमिता मूल्य : एक विचारात्मक मॉडल

(डॉ० एम०एम०पी० अखौरी<sup>1</sup> एवं डॉ० एस०पी० मिश्रा<sup>2</sup>)



1. पूर्व अधिशाषी निदेशक, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नई दिल्ली।
2. पूर्व निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उद्यमी बनना निश्चय ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार कर उद्यमिता की राह पर चलने से कई फायदे हैं जैसे स्वरोजगार करने वाले उन्नति एवं विकास हेतु किसी पर न तो निर्भर ही होते हैं और न ही उनकी कोई निर्धारित सीमा होती है। चूँकि प्रस्तुत विश्लेषण में उद्यमशीलता या उद्यमिता को रेखांकित किया गया है इसलिए एक उद्यमी में क्या विशेषता होती है इसे जानना अति आवश्यक है। उद्यमी में आगे बतायी गयी विशेषताएं होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उद्यमी में वे सभी विशेषताएं हों। परन्तु निम्न में से कुछ गुण अवश्य होते हैं।

उद्यमी के गुण निम्नलिखित है।

1- **आत्मविश्वास :-**

अपनी कार्यक्षमता एवं सफलता पर विश्वास।

2- **लगन :-**

प्रत्येक कार्य को पूरी लगन से करना।

3- **दृढ़ निश्चय :-**

एक बार निश्चय कर लेने के बाद उसको पूरा अवश्य करना ।

4- **कल्पना :-**

अच्छी कल्पना एवं अनुमान करने की शक्ति।

5- **रचनात्मक अभिवृत्ति :-**

चीजों को बनाने एवं सृजन करने में रुचि

6- **परिवर्तन शक्ति :-**

परम्परा से हटकर नया काम करने की शक्ति।

7- **नेतृत्व गुण :-**

एक अच्छे नेता की भाँति।

## 8- आशावादी विचार :-

कार्य की सफलता के प्रति आशावान एवं असफलताओं के कारण निराश न होना।

## 9- धैर्य :-

असफलताओं का सामना बिना घबराये करना।

## 10- प्रभुता की भावना :-

दूसरों से ऊँचे एवं अलग दिखने की प्रवृत्ति।

## 11- विवेक :-

उचित एवं अनुचित को समझकर कार्य करने की क्षमता।

## 12- तीव्र बुद्धि :-

बुद्धिमत्ता।

## 13- सतर्कता :-

अपने आस पास की जानकारी एवं झूठ व धोखे से सतर्क रहने का गुण।

## 14- समयनिष्ठा :-

समय के महत्व को समझना एवं समय का पाबन्द होना।

## 15- अवसरवादिता :-

सही अवसर को पहचानने एवं उसका लाभ उठाने की क्षमता।

## 16- स्वतंत्र प्रवृत्ति :-

किसी के अधीन काम न करने की प्रवृत्ति।

## 17- महत्वाकांक्षी :-

अपनी परिस्थिति से ऊपर उठकर बहुत कुछ पाने की इच्छा।

## 18- निर्णयशक्ति :-

सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता।

19- **व्यावहारिक :-**

समय एवं परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की क्षमता।

20- **ग्रहण करने की क्षमता :-**

दूसरों की सलाह एवं विचारों को सुनना व समझना।

21- **सीखने की प्रवृत्ति :-**

अपने एवं दूसरों के अनुभवों से सीखना।

22- **प्रबन्ध क्षमता :-**

व्यवस्था करने में कुशल एवं अच्छा प्रबन्धक होना।

22- **प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति :-**

दूसरों से आगे बढ़ने की भावना।

24- **स्वाभिमान :-**

अपनी प्रतिष्ठा तथा आत्म सम्मान के प्रति सचेत।

25- **साहसी :-**

विभिन्न कठिनाइयों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का साहस व सोच विचार कर खतरे उठाने की प्रवृत्ति।

26- **असन्तोष :-**

सामान्य जीवन शैली एवं अपनी एक सफलता से सन्तुष्ट न रहने की प्रवृत्ति

**जनपद बांदा के सन्दर्भ में उद्यमशीलता :-**

जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यमशीलता का नितान्त अभाव है जो कि औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। जनपद के अशिक्षित कृषक परिवार के सदस्य अधिकांशतः बचपन से ही स्वाभाविक रूप से घरेलू कृषि कार्यों में लग जाते हैं तथा शिक्षित नव युवक जनपद में लाभप्रद रोजगार अवसरों के अभाव में औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगरों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हेतु पलायन कर जाते हैं।

जनपदीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि यद्यपि समाज पुरुषमूलक है किन्तु अर्थव्यवस्था स्त्रीमूलक है। पुरुष वर्ग आमोद-प्रमोद में मग्न और निश्चिन्त प्रकृति का है और परम्परागत आर्थिक उपक्रमों के संचालन का भार महिलाओं के कंधे पर है। यदि वह कम पढ़ी लिखी और अकुशल हैं और जैसा वे हैं तो वे केवल निर्वाहवादी अर्थव्यवस्था का ही पोषण कर सकती हैं न कि उसे ऊर्ध्वमुखी दिशा प्रदान कर सकती है तात्पर्य यह है कि उद्यमशीलता के दृष्टिकोण से जब तक दोनों लिंगों की समानता नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था एकाकी, असमान एवं स्त्रीन्मुखी ही रहेगी।

जनपद की सामान्य आर्थिक स्थिति कमजोर एवं निम्न उपभोग स्तर के कारण पूँजी निर्माण एवं निवेश क्षमता अत्यधिक सीमित है। कुछ धनी व्यक्ति जो पूँजी निवेश में सक्षम हैं, साक्ष्य एवं आधुनिक औद्योगिक ज्ञान की कमी के कारण अपनी संचित पूँजी का सदुपयोग न कर भूमिगत कर देते हैं या परम्परागत ब्याज में पैसा देकर एक सुनिश्चित लाभ कमाना ज्यादा अच्छा समझते हैं।

अंधविश्वास, अविद्या एवं भाग्यवादी प्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधा एवं उपादानों की अज्ञानता आदि तमाम ऐसे कारण हैं, जिससे जनपद का आर्थिक विकास अभी तक नहीं हो सका एवं प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े जनपद में से प्रथम स्थान पर है।<sup>3</sup>

## 6.2 विनियोजनगत शर्मीलापन :-

जनपद बांदा विनियोजनगत शर्मीलापन नामक रोग का शिकार है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर पूँजी एवं उचित वित्तीय सुविधाओं का अभाव है दूसरे यहाँ पर धन के वितरण में असमानता होने के कारण यहाँ पर बचतों का अभाव है जिससे यहाँ विनियोजनगत स्थिति

---

3- यह रिपोर्ट जनपदीय औद्योगिक स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। संदर्भ है भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग विकास संगठन औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन जनपद बांदा, बुन्देलखण्ड मण्डल, प्रकाशक- लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर, पृष्ठ सं० 43



काफी कमजोर है। सामन्तवादी अर्थव्यवस्था होने के कारण धन का अधिकांश भाग प्रभुवर्ग के पास केन्द्रित है, जो अपने धन को रोटी एवं रोजगार परक धन्धों में विनियोजित न करके, बन्दूक के क्रय एवं परम्परागत ब्याज के धन्धे में लगातार सुरक्षित कर लेते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनपद की अर्थव्यवस्था में विद्यमान विनियोजनगत शर्मिलेपन को कैसे दूर किया जाये। इस बिन्दु के अन्तर्गत हम इस तथ्य का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि जनपद में उद्योग स्थापनार्थ क्या क्या सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

निरन्तर जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती हुयी बेरोजगारी एवं निर्धनता प्रमुख समस्याएं हैं। जिनके निवारण के लिए सरकार द्वारा लघु उद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योगों की स्थापना से एक ओर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

समाज की इकाई व्यक्ति है जिसके कार्यकलाप सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति पिता, परिवार, रिश्तेदार और मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुये सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। चूंकि उद्यमी एक सामान्य व्यक्ति होते हुये भी कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त एवं विशिष्ट गतिविधि में संलग्न होता है इसलिए सामाजिक विकास में उससे विशिष्ट योगदान की अपेक्षा की जाती है।

मेत्सुशिता इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष श्री कोनासुक मेत्सुशिता ने उद्यमी / उद्यम के सामाजिक उत्तरदायित्वों को इस प्रकार स्पष्ट किया है-

“एक उत्पादक का लक्ष्य गरीबी को दूर करना, समाज को गरीबी के कष्टों से मुक्त करना, इसके लिए समृद्धि लाना है। व्यवसाय व उत्पादन का उद्देश्य मात्र कारखानों, दुकानों व सम्बन्धित उद्यमों को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज को समृद्ध करना है व समाज को अपनी समृद्धि के लिए जीवन्त एवं गतिशील उद्योगों व व्यवसायों की आवश्यकता है।”

इस दृष्टिकोण से उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व सामान्य व्यक्तियों से अधिक एवं भिन्न हो जाते हैं।

यही मार्गदर्शक दृष्टिकोण यदि बांदा की अर्थव्यवस्था में पथ प्रदर्शक के रूप में प्रचलित हो जाये और यहाँ का पुरुष एवं सम्पन्न वर्ग सुस्ती, आमोद-प्रमोद, फिजूल खर्ची एवं निकम्मेपन द्वारा सृजित विनियोजन गत शर्मीलेपन को त्याग दे तो जनपदीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो सकता है।

### 6.3 विनियोजनगत शर्मीलापन से जनित औद्योगिक संवृद्धि का

#### निम्न संतुलन पाश:-

अनेकोनेक कारणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था का स्वरूप सपाट है एवं यह जनपद के निम्न विकास के दीर्घकालिक संतुलन जाल का प्रत्यक्ष प्रतिफलन है। निम्न विकास का संतुलन जाल सैद्धान्तिक अवधारणा है।

आर० आर० नेल्सन ने अपना निम्न संतुलन पाश सिद्धान्त 1936 में American Economic Review में प्रकाशित अपने एक लेख 'A Theory of the Low Level Equilibrium Trap' में प्रस्तुत किया। अल्पविकसित देशों की समस्याओं पर विचार करते हुये नेल्सन ने यह प्रतिपादित किया कि अल्पविकसित देश निम्न प्रतिव्यक्ति आय के सन्तुलन पाश में जकड़े हुये हैं। ये देश अत्यन्त ही अल्प प्रतिव्यक्ति आय स्तर, जो जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति के बराबर है या लगभग बराबर है पर संस्थिति या गतिहीनता की स्थिति में हैं।<sup>5</sup> स्थायी संस्थिति का अर्थ यह हुआ कि यदि किसी प्रयास के कारण ये देश इस अल्पस्तरीय संस्थिति से बाहर निकलते हैं तो पुनः इसी स्तर पर संस्थिति के पुनः स्थापित

4- उद्यमी मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ पृष्ठ सं० 24.

5- "The Melody of Underdeveloped Economics can be diagnosed as a stable equilibrium level of per capita income at or close to subsistence requirements." - R.R. Nelson, A Theory of Low Level Equilibrium Trap, American Economic Review December, 1956

होने की प्रवृत्ति होगी। इस अल्प स्तरीय संस्थिति की स्थिति में बचत तथा विनियोग की दर अत्यन्त ही कम होती है। इस स्थिति में यदि प्रतिव्यक्ति आय को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर उठाया गया तो इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि प्रेरित होगी। जनसंख्या की यह वृद्धि प्रतिव्यक्ति आय में कमी आयेगी और अर्थव्यवस्था पुनः उसी न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर स्थापित हो जायेगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था सतत रूप से इस न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तरीय प्रतिव्यक्ति आय संस्थिति जाल में फंसी रहती है। इसका रेखाचित्रिय विवेचन प्रस्तावना खण्ड में किया जा चुका है।

इसी सन्दर्भ में प्रो० एच० लेबेन्स्टीन ने नेल्सन की ही तरह अल्प प्रतिव्यक्ति आय की संस्थिति पाश की चर्चा की जिसमें विकास शील तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं निरन्तर फंसी रहती है। इस भंवर से निकालने के लिए लेबेन्स्टीन ने आवश्यक न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया जिससे प्रतिव्यक्ति आय में इतनी अधिक वृद्धि आ जाय कि आय की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक हो जाय।

हार्वे लीविन्स्टीन ने इस सम्बन्ध में अपने दो अभिमत दिये हैं, जिसमें से प्रथम अभिमत को प्रथम अध्याय प्रस्तावना में ही दिया जा चुका है और उन्ही के दूसरे अभिमत को यहाँ पर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बांदा जनपद की अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के निम्न स्तरीय संतुलन जाल पर आरोपित किया जा सकता है।<sup>6</sup>

जनपद बांदा की उद्योग-शून्य एवं पिछड़ी हुयी अर्थव्यवस्था के प्रति शून्य उद्यमशीलता ने पर्याप्त योगदान किया है। केवल निर्वाहवादी अर्थव्यवस्था के रूप में इस अर्थव्यवस्था का समयान्तर में विकास होना और शून्य उद्यमशीलता ने अर्थव्यवस्था की आय हनन शक्तियों को बलशाली बनाया है तथा आय जनन शक्तियां निरन्तर, कमजोर हुयी हैं उपभोगगत क्रियाएं यदि उत्पादनगत क्रियाओं की तुलना में ज्यादा प्रभावी होती हैं तो उपभोग प्रेरणाएं

---

6. दृष्टव्य है - हार्वे लीबीन्स्टीन : "Economic Backwardness and Economic Growth",  
New York, 1957.


बढ़ती हैं तथा बचत, विनियोग तथा जोखिम उठाने की प्रेरणाएं घटती हैं। परिणामतः एक अर्थव्यवस्था और विश्लेषण में बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था में गरीबी, अल्पविकास, पिछड़ेपन का अभेद दुष्चक्र क्रियाशील होता है और यदि कोई बड़ा सरकारी और निजी विनियोजन का व्यूह परक प्रयास न किया जाये तो अर्थव्यवस्था अल्पविकास के निम्न संतुलन जाल में फंस जाती है। इस स्थिति को रेखाचित्र सं० 6.2 में दिखलाया गया है।

### रेखा चित्र सं० 6.2

निम्न संतुलन जाल अर्थव्यवस्था का प्रत्यावर्त

लीबिन्स्टीन अभिमत (II)

चित्रानुसार  $45^\circ$  रेखा OT प्रेरित आय में वृद्धि = प्रेरित आय में कमी प्रदर्शित




करती है। इस रेखा से विचलन के आधार पर प्रेरित आय में वृद्धि तथा प्रेरित आय में कमी प्रदर्शित किया गया है।  $x_t$   $x_t$  सभी आय वर्धक शक्तियों तथा  $z_t$   $z_t$  सभी आय अवसादी शक्तियों को प्रदर्शित करता है।  $z_t$   $z_t$  को  $45^\circ$  रेखा से क्षैतिजीय दूरी (Horizontal distance) तथा  $x_t$   $x_t$  को  $45^\circ$  रेखा से लम्बीय दूरी (Vertical distance) के आधार पर नापा गया है। प्रारम्भिक संस्थिति की स्थिति E पर है जब कि दोनों शक्तियां परस्पर बराबर है। आय वर्धक शक्ति LE पर लम्बीय अन्तर है तथा आय अवसादी शक्ति भी तथा आय अवसादी शक्ति भी ही है। प्रतिव्यक्ति आय  $O_e$  अकेला स्थित संस्थिति प्रदर्शित करता है।  $O_e$  तथा  $O_I$  के बीच अवसादी शक्तियां वर्धक शक्तियों से प्रबल हैं, फलस्वरूप इस सीमा के भीतर कोई भी प्रतिव्यक्ति आय का स्तर कायम नहीं हो सकेगा और नीचे खिसककर पुनः  $O_e$  हो जायेगा।  $O_I$  से अधिक प्रतिव्यक्ति आय स्तर पर आय वर्धक शक्तियां अवसादी शक्तियों से प्रबल होंगी और इस स्तर के बाद ही प्रतिव्यक्ति आय कायम योग्य होगी। इसलिए  $O_I$  आवश्यक न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय है जो निम्न संतुलन जाल से निकलने के लिए आवश्यक है। यहीं इसका उल्लेख आवश्यक है कि  $O_T$  से इन वक्रों की दूरी इन शक्तियों की माप प्रदर्शित करता है। क्यों कि इन  $x_+$   $x_+$  तथा  $z_+$   $z_+$  वक्रों को  $O_T$  से विचलन के लिए खींचा गया है।

अब यदि प्रारम्भिक समय की प्रतिव्यक्ति आय  $O_m$  हो तो आय वर्धक शक्तियां प्रतिव्यक्ति आय में  $P_a$  की वृद्धि लायेंगी। इस पर स्थिति में आय में कमी लाने वाली शक्तियां प्रतिव्यक्ति आय में  $F_b$  की कमी लायेंगी, गिरावट का पथ a b c d ..... से दिखाया गया है और पुनः E पर संस्थिति की स्थिति कायम हो जायेगी। पर यदि प्रतिव्यक्ति आय  $O_K$  हो तो जैसा रेखाचित्र से स्पष्ट है,  $O_T$  से  $x_+$  पर प्रदर्शित लम्बीय दूरी  $O_T$  से  $z_+$  पर प्रदर्शित क्षैतिजीय दूरी की अपेक्षा अधिक है। अर्थात् आय वर्धक शक्तियां अपेक्षाकृत अधिक हैं। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था  $G_n n$  पथ से विकसित होती हुयी अल्पस्तरीय संस्थिति जाल से बाहर हो जायेगी, पर ऐसा तभी होगा जब कि प्रतिव्यक्ति आय  $O_I$  का स्तर एक

बारगी पा लिया जाए।

### रेखा चित्र संख्या 6.3



लीविन्स्टीन महोदय ने बताया कि यदि विनियोग एक बारगी इतनी प्रचुर मात्रा में कर दिया जाये कि प्रतिव्यक्ति आय का स्तर या (Om) प्राप्त हो जाय, स्वतः पोषित आर्थिक विकास की स्थिति प्राप्त हो जायेगी। पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह अधिक सस्ता तथा कम कष्टप्रद होगा, यदि वे अपने उपलब्ध साधनों को दो बार में लगायें। पहली बार प्रतिव्यक्ति आय OB तक पहुँच जाय तथा दूसरी बार में विनियोजन के द्वारा, इसमें CD के बराबर वृद्धि ला दी जाए, और इस प्रकार  $MM_1$  की प्राप्ति हो जाए।

लीविन्स्टीन अभिमत के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था में अपेक्षित कदम उठाये जाये तो अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन जाल से निकल जायेगी, लेकिन बाँदा की उद्योग शून्य एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पिछले 57 वर्षों में यही तो नहीं हो पाया। परिणामतः उलार और असंतुलित अर्थ व्यवस्था के रूप में जीवन निर्वाह कृषि अर्थव्यवस्था की प्रणाली के रूप में उद्योग-शून्य जनपद बाँदा की अर्थव्यवस्था गरीबी, विषमता, कुपोषण, व्यापक बेरोजगारी और स्थैतिक विकास जैसे प्रतिकूल चरों को लेकर हमारे समक्ष खड़ी है।

उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित अग्र तालिकाएं दृष्टव्य हैं।

### तालिका संख्या 6.1

जनपदीय उद्योग-कर्मियों के उद्योग के स्वामित्व का पक्ष (एकल या संयुक्त)

प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योगों के स्वामित्व के सम्बन्ध में विश्लेषण दिया गया है।



| शिक्षा का स्तर    | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय समग्र का |         |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
|                   | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी | महायोग          | प्रतिशत |
| एकल स्वामित्व     | 19                    | 27    | 20    | 13    | 79              | 79.0    |
| संयुक्त स्वामित्व | 06                    | 08    | 05    | 02    | 21              | 21.00   |
| तहसीलवार योग      | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100             | 100.00  |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में लगे हुये उद्योगों का स्वामित्व दो प्रकार का है एकल एवं संयुक्त जिनका प्रतिशत क्रमशः 79 एवं 21 प्रतिशत है। अतः जनपद में एकल स्वामित्व वाले उद्योगों का प्रतिशत एक तिहायी से अधिक है, जो 79 प्रतिशत है जबकि संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योगों का प्रतिशत 21 है, जो एकल स्वामित्व वाले उद्योगों से बहुत कम है।

### रेखा चित्र सं० 6.4

उद्योग के स्वामित्व का पक्ष (एकल या संयुक्त)



एकल स्वामित्व



संयुक्त स्वामित्व



## तालिका संख्या 6.2

### जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योग स्थापना हेतु प्रेरणा स्रोत


प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योग कर्मियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योगों हेतु प्राप्त होने वाली प्रेरणा स्रोत का वर्णन किया जा रहा है।

| प्रेरणा स्रोत       | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय | समग्र का |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
|                     | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी | महायोग | प्रतिशत  |
| स्वयं से            | 17                    | 29    | 18    | 12    | 76     | 76.00    |
| जि०उ०के० से         | 03                    | 02    | 03    | 00    | 08     | 08.00    |
| विज्ञापन, प्रचार से | 05                    | 04    | 04    | 03    | 16     | 16.00    |
| तहसीलवार योग        | 25                    | 35    | 25    | 15    | 15     | 100.00   |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

उपरोक्त तालिका में उन तथ्यों से सम्बन्धित आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया है, जो उद्योग स्थापना हेतु प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। स्पष्ट है कि जनपद में अधिकतर उद्योग-धन्धों की स्थापना उद्यमियों ने स्वयं से प्रेरणा पाकर की है, जो 76 प्रतिशत है। दूसरा स्थान विज्ञापन एवं प्रचार का है, जो 16 प्रतिशत है। जबकि तीसरा स्थान जिला उद्योग केन्द्र को जाता है जो उद्योग स्थापना हेतु प्रेरणा स्रोत सिर्फ 08 प्रतिशत प्रदान करता है।

रेखा चित्र सं० 6.5  
उद्योग स्थापना हेतु प्रेरणा स्रोत



#### 6.4 निष्कर्ष :-

प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था उद्यमशीलता के अभाव से ग्रस्त है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। जनपद में कार्य की संस्कृति का लगभग सर्वथा अभाव है तथा आमोद-प्रमोद एवं बंदूक की संस्कृति विद्यमान है। यही कारण है कि जनपद में विनियोजन गत शून्यता विद्यमान है जो जनपद के उद्योग शून्य होने का मुख्य कारण है परिणामतः उलार और असंतुलित अर्थव्यवस्था के रूप में उद्योग-शून्य जनपद बांदा की अर्थव्यवस्था गरीबी, विषमता, कुपोषण और व्यापक बेरोजगारी के रूप में निम्न संतुलन जाल में फंसी हुयी है।

**सप्तम अध्याय**

## सप्तम अध्याय

बाँदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” के सापेक्ष वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थागत सुविधाएं एवं समस्याएं

- वित्तीय सहायताएं एवं सुविधाएं
- गैर वित्तीय सहायताएं एवं सुविधाएं
- समस्याएं
- निष्कर्ष

## सप्तम अध्याय

इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं कि जनपद बांदा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा या शून्य जनपद है एवं इसको दृष्टिगत रखते हुये राज्य एवं केन्द्र सरकार ने इस जनपद को शून्य-उद्योग जनपद घोषित किया है ताकि इस जनपद में औद्योगिक वातावरण स्थापित किया जा सके। बांदा जनपद की औद्योगिक योजना इस प्रकार की है कि तेज औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना (Infrastructure) तैयार किया जा सके तथा उद्यमियों को उपयुक्त प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध हों। इस हेतु जनपद में उद्योग स्थापनार्थ शासन द्वारा नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाएं वर्तमान एवं भावी उद्यमियों के मार्गदर्शनार्थ एवं सहायतार्थ निम्नलिखित है:-

### 7.1 वित्तीय सहायताएं एवं सुविधाएं :-

औद्योगिक दृष्टि से बेहद पिछड़े बांदा जनपद में बड़े उद्योगों का तो पूर्णतया अभाव है ही लघु एवं कूटीर उद्योग जो हैं भी वे अपने विकास के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों ही प्रकार की सुविधाओं से लगभग वंचित है।

लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक कार्यशील पूंजी / ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को सावधि ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों के वित्तीय निगमों, लघु उद्योग विकास निगम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और नाबार्ड की है। उपरोक्त दोनों निगम इस क्षेत्र को सहायता के तौर पर मशीनरी आदि की आपूर्ति करते हैं। यही नहीं अति लघु और छोटे आकर वाली अन्य औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक बैंक भी कार्यशील पूंजी के अलावा ऋण प्रदान करते हैं। लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने वाले इन सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से पुर्नवित्त की सुविधा प्राप्त होती है। वर्ष 1990-91 में सिडबी के द्वारा कुल 2,410 ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी तथा 1,839 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये जबकि 1997-98 में सिडबी के द्वारा मंजूर किये गये ऋण प्रस्तावों की संख्या बढ़कर 7,484 तथा ऋण राशि 5,241 करोड़ रुपये हो गयी, जैसा कि अग्र तालिका से स्पष्ट है।

### तालिका 7.1

#### लघु उद्योगों को सिडबी का ऋण

| वर्ष    | स्वीकृत ऋण प्रस्तावों की संख्या | वास्तविक ऋण वितरण (करोड़ रु० में) |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1990-91 | 2410                            | 1839                              |
| 1991-92 | 2847                            | 2028                              |
| 1992-93 | 2909                            | 2147                              |
| 1993-94 | 3357                            | 2672                              |
| 1994-95 | 4706                            | 3390                              |
| 1995-96 | 6066                            | 4801                              |
| 1996-97 | 6485                            | 4585                              |
| 1997-98 | 7884                            | 5241                              |

वर्ष 1997-98 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु इकाइयों को दिये गये ऋण का वितरण तालिका 7.2 से स्पष्ट है।

### तालिका 7.2

#### लघु उद्योग क्षेत्र को बैंकों से प्राप्त ऋण

| वर्ष                             | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| कुल बैंक ऋण                      | 169038  | 184381  | 189684  | 218219  | -       |
| लघु इकाइयों को ऋण                | 25843   | 29485   | 31542   | 38109   | 42.67   |
| इकाइयों की संख्या<br>(लाखों में) | 32.25   | 33.77   | -       | 29.64   | -       |
| कुल बैंक ऋण का<br>प्रतिशत        | 15.29   | 15.99   | 16.6    | 17.5    | 17.33   |

स्रोत : उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

क्षेत्र को प्राप्त ऋण-राशि यद्यपि बढ़ती जा रही है, फिर भी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए यथेष्ट नहीं है। लघु उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अति लघु इकाइयों को उपलब्ध ऋण लघु उद्योगों के कुल ऋण के 60 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत सिर्फ 20.7 प्रतिशत रहा है।

इसी संदर्भ में जनपद बाँदा में स्थापित उद्योगों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सुविधाएं अग्र प्रकार से हैं।

#### (अ) 30 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा प्रदत्त सेवाएँ:-

- (1) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु तथा मध्यम स्तरीय इकाइयों, जो प्रदेश में स्थापित हैं अथवा की जाती हैं तथा जिनकी चुकता पूंजी व मुक्त संवय राशि रु0 100 करोड़ से अधिक नहीं है, को भूमि, भवन, संयंत्र,



स्टाम्प और रजिस्ट्री के खर्च, निर्माण अवधि का ब्याज तथा परामर्श शुल्क हेतु सावधि ऋण प्रदान करता है।

- (2) नये उद्यमियों को जो पहली बार कोई लघु स्तरीय इकाई स्थापित कर रहे हैं, निगम 4.00 लाख रु० तक सीड कैपिटल, उद्यमी की अंश पूंजी गैप की पूर्ति हेतु प्रदान करता है। घोषित पिछड़े जिसमें ग्रामीण, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली इकाइयों एवं तकनीकी उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है।
- (3) हथकरघा बुनकर योजनान्तर्गत निगम प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस योजनान्तर्गत हथकरघा तथा सूत्र क्रय के लिए कम्पोजिट ऋण योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम तथा जिला उद्योग केन्द्रों के सक्रिय सहयोग से चलायी जा रही है।
- (4) ऐसे लघु उद्योग जो महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित एवं संचालित किये जाते हैं को शिथिल शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण एवं पूंजी का अनुपात 3:1 है।
- (5) ऐसी इकाइयां जो पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं उनकी उत्पाद क्षमता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने या आधुनिक तकनीकी द्वारा कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

**ब्याज दर :-**

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत पुर्नवित्त की दशा में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा निम्न दर से ब्याज लिया जाता है। इसमें समय-समय पर

आई०डी० वी०आई० की नीतियों में परिवर्तन होता रहता है। निगम ने 1 अप्रैल 1990 से समय बद्धता अवधि एवं समयबद्ध धनराशि पर वर्तमान ब्याज दर के अतिरिक्त 7.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज लेने का निर्णय लिया है।

1. लघु स्तरीय इकाइयों के लिए गैर पिछड़े जिलों में 13.5 प्रतिशत वार्षिक (25 लाख रुपये तक की धनराशि) एवं 14 प्रतिशत वार्षिक (25 लाख रुपये से अधिक) तथा पिछड़े जिलों में 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
2. मध्यम तथा लघु स्तरीय उद्योगों के लिये गैर पिछड़े जिलों में 14 प्रतिशत वार्षिक तथा पिछड़े जिलों में 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।
3. अनुसूचित जाति/ जनजाति के उद्यमियों से 25,000/- तक के ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायेगा।

#### ब्याज में प्राप्त अन्य छूट :-

1. भूतपूर्व सैनिकों, पिछड़े वर्ग, अपंग, बेरोजगार, तकनीशियन उद्यमियों को 42 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
2. अनुसूचित जाति / जनजाति के उद्यमियों को 50,000/- से अधिक ऋण पर 112 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
3. लघु स्तरीय, इकाइयों को जो कि अपनी उत्पादित वस्तुओं पर आई०एस०आई० चिन्ह प्राप्त करती हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त धनराशि के अदा होने तक 1/2 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ब) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाएं :-

**राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक:-**

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ऋण वितरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पों का विकास करना नये उद्योग धन्धों की स्थापना कर रोजगार के नये स्रोत सृजित करना और कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित आबादी के अन्य प्रकार के आर्थिक विकास के कार्यों की ओर प्रेरित करना है। उद्योग सामान्य रूप से वही होंगे जिनके लिये क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध हो तथा उत्पादन के लिए विक्रय की स्थानीय सम्भावनायें हो। परन्तु विशेष प्रकार के शिल्प उद्योगों के लिए बाहर के कच्चे माल तथा विक्रय हेतु बाहर के बाजार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु स्तर के उद्योगों को 22 वृहद समूहों में आने वाले उद्योगों के लिए वित्त पोषण का प्रावधान है। 30,000/- रुपये तक के प्रोजेक्ट कास्ट दर शत-प्रतिशत कम्पोजिट के रूप में दिया जाता है। अब यह सीमा 50 हजार रुपया तक बढ़ा दी गयी है। इसके ऊपर की योजना लागत पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत करते समय उद्यमियों को नियमानुसार मार्जिनमनी की मांग की जाती है।

(स) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले ऋण:-

1- **जिला उद्योग केन्द्र मार्जिनमनी ऋण:-**

यह ऋण ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र जिनकी आवादी एक लाख से अधिक न हो, में स्थापित होने वाली उन लघु स्तर इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है जिनकी प्लाण्ट एवं मशीनरी के मद में पूंजी निवेश 2.0 लाख रु० से अधिक न हो। यह ऋण योजना का 20 प्रतिशत या अधिकतम 40,000/- रु० तक दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को योजना का 30 प्रतिशत या

अधिकतम 60,000/- रु० तक दिया जाता है। इसमें ब्याज की दर 13.75 प्रतिशत है किन्तु समय पर किश्तों का भुगतान करने पर 3.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस ऋण की अदायगी वित्तीय संस्था के लिए ऋण की अंतिम किस्त की अदायगी के 6 माह बाद अथवा 7.5 वर्ष बाद की तिथि दोनों में जो पहले हो से 4 छमाही किस्तों में की जाती है।

## 2- एकीकृत मार्जिनमनी ऋण :-

मार्जिनमनी ऋण लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है यह ऋण योजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक समानुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। इसकी अदायगी 2 वर्ष बाद अथवा तीसरे वर्ष के प्रथम दिन से 12 छमाही किस्तों में ब्याज सहित की जाती है इसमें ब्याज की दर 13 प्रतिशत है। जिसमें समय से भुगतान किये जाने पर 3.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। मिनी औद्योगिक आस्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली लघु इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर देने के निर्देश है।

## (द) बिक्री कर छूट :-

- 1- दिनांक 1-4-90 से बिक्रीकर छूट की नयी संशोधित योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत 1-4-90 से 31-3-95 के बीच स्थापित नयी इकाइयों को इस नियम के अन्तर्गत बिक्रीकर छूट दिये जाने का प्रावधान है। इस नयी योजना के अन्तर्गत नयी इकाइयों का तात्पर्य ऐसी नयी औद्योगिक इकाइयों से है जो उद्योग निदेशालय अथवा हथकरघा निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा लघु हथकरघा या हस्तशिल्प उद्योग के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत हों तथा जिसकी स्थापना में उत्तर प्रदेश

वित्तीय निगम या किसी केन्द्रीय या राज्य वित्तीय संस्था या किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक या खादी ग्रामोद्योग आयोग या उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य वित्तीय संस्था से सावधि या कार्यशील पूंजी ऋण लिया गया हो तथा उसका कारखाना या कार्यशाला ऐसे स्थल पर या किसी ऐसे व्यापारी द्वारा स्थापित हो जिसकी पहले से ही राज्य में किसी अन्य स्थान पर उद्यमी मात्र का निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई हो एवं कार्यशाला या कारखाने में ऐसे मशीन संयन्त्र उपकरणों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कार्यशाला में पहले कभी प्रयोग में न लाये गये हों अथवा उसमें प्रयोग करने हेतु अर्जित न किये गये हों।

2. स्थायी पूंजी विनियोजन का तात्पर्य नई इकाई के स्वामित्व अधीन भूमि भवन एवं ऐसे नये क्रय किये गये संयन्त्र (प्लाण्ट) मशीनरी उपकरण (एपरेटस) में पूंजी विनियोजन से है जो उनके निर्माता या वितरक या आधिकृत अभिकर्ता या मशीनों के स्टाकिस्ट/व्यापारी के क्रय किये गये हों और भारत में स्थापित किसी कारखाने या कार्यशाला में पहले प्रयोग न किये गये हो।
3. ऐसी तिथि जब मात्र के स्थिति निर्माण या पैकिंग करने में उपयोग के लिए अपेक्षित कोई कच्चा माल प्रथम बार क्रय किया गया हो।

(य) किराया क्रय पद्धति पर मशीनों की उपलब्धता :-

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम नयी दिल्ली 10 से 15 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा करवाकर किराया क्रय पद्धति पर मशीनों की आपूर्ति करता है। इस योजना के अन्तर्गत छमाही या वार्षिक किस्तों

में शेष धन देना पड़ता है। न्यूनतम ब्याज दर 12.5 प्रतिशत है किन्तु किश्तों का नियमित भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट भी मिलती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से केन्द्र एवं राज्य सरकारें तथा विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थान वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील हैं।

भारत सरकार ने हमेशा ही अपनी औद्योगिक नीति प्रस्तावों और देश के औद्योगीकरण की कार्यनीति में ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी। लघु उद्योग क्षेत्र नयी सहस्राब्दी में भारत की प्रगति का अग्रदूत बनकर उभरा है। मार्च 2000 की समाप्ति तक इस क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र में हुये कुल उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा था और देश से होने वाले कुल निर्यात में इसका योगदान 35 प्रतिशत था। देश भर में फैली 32 लाख से अधिक अपनी इकाइयों के जरिये इस उद्योग से लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण और निजीकरण के सिद्धान्त पर आधारित आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा विश्व व्यापार संगठन के उद्भव समेत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य पर होने वाले परिवर्तनों से लघु उद्योग क्षेत्र के सामने कई चुनौतियाँ और कई नये अवसर उत्पन्न हुये हैं।

लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय लघु उद्योगों के लिए नीति तैयार करने उन्हें बढ़ावा देने, उनके विकास तथा उनके संरक्षण का एक नोडल मन्त्रालय हैं। मन्त्रालय पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गयी है।

### प्रमुख नीतिगत उपाय :-

प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके अन्तर्गत लघु उद्योगों क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके अन्तर्गत लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही रुग्ण इकाइयों की हालत में सुधार के लिए भी उपाय सुझाये गये हैं। उद्योग संबन्धित सेवाएं और व्यापारिक उद्यम

जिनमें अधिकतम निवेश 10 लाख रुपये का है, अब प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवाएँ लघु उद्योग क्षेत्र के उचित कामकाज के लिए आवश्यक है।

प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में पूंजी निवेश पर 12 प्रतिशत पूँजीगत सब्सिडी देने और प्रौद्योगिकी को समुन्नत करने तथा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के दायरे को परिभाषित करने के लिए विशेषज्ञों की एक अंतरमंत्रालयीन समिति गठित करने की घोषण की है। मंत्रालय, उच्च तकनीक का इस्तेमाल करने वाले और निर्यातोन्मुख उद्योगों की एक निश्चित सूची जारी करेगा। ऐसी इकाइयों में निवेश की अधिकतम सीमा को पाँच करोड़ रुपये किया जायेगा ताकि प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत किया जा सके और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बनाये रखा जा सके। प्रवेधन में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले छह वर्षों के लिए उस प्रत्येक लघु इकाई को 75,000 रुपये का अनुदान जारी रखने का फैसला किया है जो आई0एस0ओ 9000 प्रमाण पत्र हासिल करेगी।

लघु उद्योग इकाइयों की कोलेटरल गारंटी की समस्या को हल करने और इन इकाइयों को उधार देने वाले बैंकों को आवश्यक कम्फर्ट लेवल प्रदान करने के लिए सरकार ने 125 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी दी है। यह योजना 2000-2001 से लागू होगी और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक ट्रस्ट चलायेगा। सिडबी अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक सहायक नहीं रहेगा और उसे लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष दर्जा हासिल रहेगा।

लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने लघु उद्योगों के लिए उचित बुनियादी ढांचे वाला ई-कामर्स तैयार करने के वास्ते एक व्यापक योजना बनायी है। मंत्रालय ने लघु उद्योगों पर एक मास्टर वेबसाइट विकसित करने के माध्यम से बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा लघु उद्योगों को उपलब्ध कराने के लिए भी एक योजना तैयार की है, जिसमें नीतियों और कार्य पद्धतियों, प्रौद्योगिकी, उत्पाद आदि के बारे में सूचना शामिल होगी और राज्यों तथा देशों

के साथ इसके हाइपर लिंक होंगे।

राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत की सीमा में संशोधन करके उसे 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। सॉफ्ट ऋणों को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत पर बरकरार रखा जायेगा और इसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 10 लाख रुपये होगी। नेशनल, इक्विटी फंड के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की सेवा शुल्क की दर पर सहायता की जायेगी।

### अति लघु क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज :-

सरकार ने कम्पोजिट ऋणों की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इसके फलस्वरूप अब उसी एजेंसी से सावधि ऋण और कार्यपूजी प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अति लघु क्षेत्र को 25 लाख रुपये तक के कम्पोजिट ऋण देना जारी रखेगा और यह एक प्रतिशत रियायती ब्याज लेना जारी रखेगा। अति लघु इकाइयों के अनुमानित वार्षिक कारोबार के 20 प्रतिशत पर कार्यपूजी ऋण दिये जा सकेंगे।

समन्वित बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत 50 प्रतिशत भू-खंड अति लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित किये जाएंगे जबकि इसके पहले 40 प्रतिशत भू-खंड ही दिये जाते थे।

अति लघु क्षेत्र को प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने के लिए ऋण देने में प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही क्रेता-विक्रेता बैंको के आयोजनों विकास कार्यक्रमों और प्रदर्शनियाँ आयोजित करने में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत परिवारिक आय की पात्रता सीमा को प्रतिवर्ष 24,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों की स्थापना और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय साधन जुटाना है।

नेशनल इक्विटी फंड योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत निवेश अति लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जायेगा।



## खादी तथा ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ़ करने के उपाय :-

खादी और ग्रामोद्योग को संपूर्ण रूप से पुनर्गठित करने के लिए मेसर्स आर्थर एंडरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इसका अध्ययन करने का काम सौंपा गया है, जिससे कि इसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके और अपने निश्चित उद्देश्यों से समझौते किये बिना इसे जीवन्त बनाया जा सके।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने कृषि आधारित तथा अन्य ग्रामोद्योग खोलने के लिए एक मार्जिन मनी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए उनकी लागत का 25 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर परंतु 25 लाख रुपये से कम की परियोजना के लिए लागत का अतिरिक्त 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक जून 2000 को खादी पर रियायत नीति (रिबेट पालिसी) की घोषणा की गयी जिसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से सामान्य रियायत देने के साथ साथ 31 मार्च 2001 तक खादी और इससे संबंधित सामग्री पर 90 दिन के लिए विशेष रियायत दी जायेगी।

बजटीय संसाधनों के रूप में वित्तीय सहायता के साथ साथ सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को गारंटी भी दी है, जिसके तहत बैंक खादी ग्रामोद्योग आयोग को 1000 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए बैंको के संघ को गारंटी देगा। इससे खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को दीर्घाविधि के ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता के सहयोग से मधु मक्खी पालन, चीनी के बर्तन जैसी लगभग 11 करोड़ रुपये (25 लाख डालर) की परियोजनाएं शुरू की गयी हैं।

खादी को एक ब्रांड नाम के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे खादी और ग्रामीण उद्योगों में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का भारत में सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर खादी की दुकाने खोलने का प्रस्ताव है। ई-कामर्स के जरिये भी खादी और ग्रामीण के उत्पादों के नियन्त्रण की संभावनाओं

का पता लगाया जायेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकासार्थ अनेक आकर्षक वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर रही है। जनपद बांदा जहां उद्योग शून्यता व्याप्त है वहीं लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं अर्थात् यहां के उद्यमी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है इन सुविधाओं का उपयोग अपने उद्योगों का विकास करने में भली भांति कर सकते हैं।

**(र) विभिन्न निगमों द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :-**

बांदा जनपद में उद्योगों एवं लघु उद्योगों के उद्यमियों को विभिन्न निगमों द्वारा अनेक वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये वित्तीय सुविधाएं देने वाली संस्थायें निम्न हैं-

- (I) उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर
- (II) लघु उद्योग निगम, 110 औद्योगिक आस्थान, कानपुर
- (III) उ०प्र० निर्यात निगम, बी० 27 सर्वोदय नगर, कानपुर
- (IV) उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम, 117/1130, सर्वोदय नगर, कानपुर
- (V) उ०प्र० इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट लिमिटेड, हथकरघा भवन, कानपुर
- (VI) यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, अशोक मार्ग, लखनऊ,
- (VII) उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, जी० टी० रोड, कानपुर
- (VIII) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ,
- (IX) नेशनल स्माल इण्डस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड, नयी दिल्ली,
- (X) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिला कार्यालय बांदा द्वारा सुविधाएं आदि।

**7.2 गैर वित्तीय सहायताएँ एवं सुविधाएँ :-**

**(1) परामर्श की सुविधा :-**

जिला उद्योग केन्द्र बांदा में एक परामर्श कक्ष की स्थापना विगत वर्षों में की गयी

हैं जिसमें विभिन्न विषयक योजनाओं औद्योगिक प्रोफाइल्स, पत्रिकायें, पुस्तक तथा विभिन्न प्रकार के सहायता प्रारूपों का संकलन उपलब्ध है। उद्यमी का साक्षात्कार कर उसकी पृष्ठभूमि अनुभव, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुये उद्योगों की विस्तृत जानकारी करायी जाती है।

## (2) पंजीयन की सुविधा:-

समस्त औद्योगिक इकाइयां वृहद, मध्यम लघु अनुपूरक, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तकला की श्रेणी में वर्गीकृत की गयी है।

### (अ) वृहद उद्योग :-

वृहद उद्योग की श्रेणी में वे इकाइयां आती है जिनकी स्थायी पूँजी निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक होता है। इस प्रकार की इकाई को भारत सरकार से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है।

### (ब) मध्यम उद्योग :-

वे औद्योगिक इकाइयां जिनकी स्थायी पूँजी निवेश रु० 60 लाख से अधिक परन्तु रु० 5 करोड़ की सीमा तक होता है। वे मध्यम उद्योग की श्रेणी में आती है।

### (स) पूरक उद्योग :-

इस श्रेणी में वे इकाइयां आती हैं जिनमें लगे यन्त्र संयन्त्र की कीमत अधिकतम रु० 75 लाख तक हो। इसमें बिजली पैदा करने वाले उपकरण की कीमत नहीं आंकी जाती है। ऐसी इकाई की मूल इकाई वृहत्। मध्यम के साथ यह अनुभव करना होता है कि मूल इकाई उसके उत्पादन का कम 50 प्रतिशत उत्पादित माल खरीदें।

### (द) लघु लघुत्तर उद्योग :-

वे इकाइयां जिनके यन्त्र व संयन्त्र में कुल पूँजी विनियोजन 60 लाख

रुपये की कीमत तक होता है। जिन इकाइयों के यन्त्र संयन्त्र का पूँजी विनियोजन 5 लाख रुपये से कम होता है। उन्हें लघुत्तर इकाइयों की संज्ञा प्रदान की जाती है। इनका पंजीकरण लघु इकाई के रूप में जिला उद्योग केन्द्र में ही किया जाता है।

**(य) खादी एवं ग्रामोद्योग:-**

ऐसे उद्योग जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत आते हैं उनका पंजीकरण खादी ग्रामोद्योग में पंजीकृत किया जाता है। इसमें बढई गीरी, लुहारगीरी, फल संरक्षण, माचिस, गुड़, ताड़, खादी, एल्युमीनियम के बर्तन, तेलघानी, चावल, जड़ी बूटी, वनोपज संग्रह आदि उद्योग आते हैं।

**(र) हस्तशिल्प :-**

परम्परागत घरेलू कलात्मक दस्तकारी वाले उद्योग आल इण्डिया हैण्डिक्राफ्ट बोर्ड के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से चिक, जरी, लकड़ी के खिलौने, पत्थर की कलात्मक वस्तुएं, बिदरी, हांथी दांत की वस्तुएं, कालीन, चांदी के आभूषण, पेन्टिंग, बाँस-बेंत के कलात्मक समान, कढ़ाई इत्यादि हैं। जिनका पंजीयन हस्तकला के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र में किया जाता है।

**(ल) पावरलूम :-**

जनपद में पावरलूम जैसी लगातार बहुत अधिक उत्पादन करने वाली इकाइयों का पंजीयन प्रत्येक लूम पर 250/- रुपये की दर से फीस जमाकर लिया जाता है।

**(ब) हथकरघा :-**

व्यक्तिगत हथकरघा इकाइयों का पंजीयन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। मध्यम एवं वृहत इकाइयों को छोड़कर उपरोक्त लघु हस्तशिल्प

पावरलूम हथकरघा इकाइयां लघु उद्योग केन्द्र की श्रेणी में आती हैं।  
अतः इनका पंजीयन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है।

**(श) कच्चे माल की सुविधा:-**

(अ) उद्योगों को कारखाना भवन निर्माण हेतु मुख्य सामग्री मुख्य रूप से जैसे सीमेण्ट आदि की सुविधा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सुलभ करायी जाती है।

(ब) नवस्थापित एवं कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन हेतु दुर्लभ तथा नियन्त्रित कच्चा माल आबन्धित कराने की व्यवस्था है। इनमें प्रमुख रूप से सीमेण्ट, सरिया, एंगिल, जी सी शीट, नान फ़ैरेस मेटल, कोयला, मोम एवं आयातित कच्चा माल आदि है।

**(1) प्रशिक्षण की सुविधा :-**

ग्रामीण दस्तकार एवं शिल्पकारों को ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण दिलवाया जाता है।

भावी उद्यमियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 दिवसीय, दो साप्ताहिक एवं 6 साप्ताहिक प्रशिक्षण की सुविधा ब्लाक तहसील जनपद स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है।

**(2) औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं :-**

जनपद में एक औद्योगिक आस्थान निर्माणाधीन है जिसमें 826 एकड़ क्षेत्र में कुल 8 शेड एवं 14 प्लाट हैं। यह औद्योगिक आस्थान सिविल लाइन्स, बांदा में स्थित है।

जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अतर्रा में एक औद्योगिक क्षेत्र 7.5 हेक्टेयर में स्थापित है। जिसमें कुल 12 प्लाट उपलब्ध हैं। 7 प्लाट आबन्धित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त बांदा शहर के निकट भूरागढ़

ग्राम में 109 एकड़ का एक औद्योगिक है। जिसके आबंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

### (3) विद्युत आपूर्ति :-

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य विद्युत परिषद ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की है।

- 1- सभी श्रेणी के नये उद्योगों के उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा बशर्ते उनके पास स्वतन्त्र फीडर हो साथ ही सभी औद्योगिक आस्थान भी विद्युत कटौती से मुक्त रहेंगे।
- 2- सभी नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक न्यूनतम् मांग भार से मुक्त रखा जायेगा।
- 3- रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन करने हेतु इकाइयों के बन्द रहने की अवधि 1 का न्यूनतम् मांग भार नहीं लिया जायेगा। बशर्ते यह प्रस्ताव इकाई के पुनर्वासन प्रस्ताव में उल्लिखित हों।
- 4- औद्योगिक इकाइयों का कन्सट्रक्शन भार दो वर्षों के लिए स्वीकृत किया जायेगा।
- 5- जनपद बांदा में नयी इकाइयों के प्रथम 5 वर्ष तक विद्युत उपयोग की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

- 1- यदि कोई उद्यमी विद्युत केन्द्र पर स्थित मुख्य विद्युत केन्द्र या बसबार हो या अपनी ट्रान्समिशन लाइन डालकर बिजली लेना चाहे तो उसे निश्चित दर से विद्युत दर में छूट दी जायेगी। उद्योग विभाग इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद से विचार विमर्श कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे। बसबार से कहाँ कहाँ कितनी विद्युत उपलब्ध करायी जा सकती

है यह सूचना उर्जा विभाग उद्योग विभाग को उपलब्ध करा दे ताकि वहाँ औद्योगिक आस्थान बनाये जाने की कार्यवाही की जा सके।

- 2- जिन स्थानों पर विद्युत आपूर्ति की अधिक मात्रा में आवश्यकता हो और जहाँ पर विद्युत परिषद द्वारा समयबद्ध रूप से विद्युत आपूर्ति की सम्भावना न हो तो ऐसे स्थानों पर निजी क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र में पावर प्लान्ट द्वारा विद्युत उत्पादन करना श्रेयस्कर होगा। यदि उक्त प्रकार के प्रस्ताव उद्योग विभाग तैयार करता है तो उस पर उर्जा विभाग एवं विद्युत परिषद् को आपत्ति नहीं होगी।

**(4) ट्राइसेम योजना :-**

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों में से उद्योग तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए लाभार्थियों के कला कौशल की जानकारी कराने एवं योजना विशेष की विशिष्टता उपलब्ध कराने हेतु ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। जिसमें लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस कार्य हेतु लाभार्थियों को स्टाइपेन्ड भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन विकास खण्डों के माध्यम से अनुमोदित लाभार्थियों में से किया जाता है। ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के राजकीय पायलट वर्कशाप एवं संस्थाओं माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

**(4) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :-**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना पिछले कई वर्षों से विभिन्न जनपदों में औद्योगिक चेतना की जागृत हेतु चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके भावी उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रारम्भिक जानकारी दी जाती है। ताकि उन्हें उद्योग लगाने में आसानी हो सके। शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति में आठवीं पंचवर्षीय

योजना में प्रदेश का 3 लाख लघु उद्योग एवं 5 लाख खादी ग्रामोद्योग स्थापित किये जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना करने के लिए भावी उद्योगों का चयन करने हेतु पूर्व वर्षों में चलाये गये उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके अब तक सप्ताह के कार्यक्रमों के स्थान पर दो दिवसीय कार्यक्रम तथा दो साप्ताहिक कार्यक्रम हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम यथावत रखे गये हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल दिया जायेगा कि भावी उद्यमियों को इन प्रशिक्षणों के दौरान वास्तविक चल रहे उद्योगों को भी दिखाया जाये जिससे कि वे अपने लिये उद्योगों का चयन हेतु निर्णय आसानी से ले सकें।

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति को पढ़ने-लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है।

दो साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों हेतु हाईस्कूल पास होना आवश्यक है।

छैः साप्ताहिक कार्यक्रम सामान्यतया जिला मुख्यालय या बड़े कस्बे में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु इण्टरमीडिएट/टैक्निकल योग्यता जैसे आई० टी०आई० इंजीनियरिंग डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में पूर्ण अवधि में भाग लेने पर 200/- रू० प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति देय होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनपद में भावी एवं वर्तमान उद्योगों के विकासार्थ अनेक वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाएं समय-समय पर उपलब्ध करायी जाती रही है।

लघु उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने अक्टूबर 1999 में एक नया मंत्रालय लघु उद्योग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग बनाया है। मंत्रालय



बनाये जाने के तुरंत बाद लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग के लिए प्रारूप (ब्लू प्रिंट) देते हुए सहस्राब्दि में इस क्षेत्र के लिए मार्ग नक्शा उत्कीर्णन के लिए प्रधानमंत्री ने जून 2000, में श्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का गठन किया है। मंत्रियों के इस दल ने लघु एवं ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में लघु उद्योगों के विकासार्थ अनेक नीतिगत उपाय सुझाये हैं।

इन सब उपरोक्त तथ्यों का वर्णन यहाँ पर इस सन्दर्भ में किया गया है कि यदि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकासार्थ इतने ज्यादा प्रयास किये जा रहे हैं तथा विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायताएं एवं सुविधाएं उद्यमियों को रियायती दर पर प्रदान की जा रही हैं तो क्या कारण है कि जनपद बांदा अपने उद्योग शून्यता के अभिशाप को दूर नहीं कर पा रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

### 7.3 समस्याएँ :-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद बांदा में उद्योग शून्यता के सापेक्ष अनेक वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाएँ शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है लेकिन फिर भी इन सुविधाओं के सापेक्ष अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं, जैसे-

- 1- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जनपद में अनेक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध तो करायी जा रही हैं लेकिन वे जनपद के उद्योग शून्यता के सापेक्ष, पर्याप्त नहीं है।
- 2- शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है।
- 3- आर्थिक असमानता की भांति वित्तीय सुविधाओं को प्रदान करने में भी असमानता व्याप्त है।
- 4- जनपद में स्थापित होने वाले उद्योगों के पंजीयन कराने में भी उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- 5- औद्योगिकरण से सम्बन्धित दी जाने वाली सूचनाएं, परामर्श एवं आवश्यक जानकारियां भी अपर्याप्त होते हैं।
- 6- जिले के उद्यमियों को प्राप्त होने वाली विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाओं द्वारा उचित उपयोग नहीं किया जाता है।

### तालिका संख्या 7.3

जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योग धन्धे वित्त पोषित है अथवा नहीं

प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योग कर्मियों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सुविधाओं का वर्णन किया जा रहा है।


| प्रति उत्तर का प्रकार | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय महायोग | समग्र का प्रतिशत |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
|                       | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |               |                  |
| हाँ                   | 08                    | 06    | 01    | 03    | 18            | 18.00            |
| नहीं                  | 17                    | 29    | 24    | 12    | 82            | 82.00            |
| तहसीलवार योग          | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100           | 100.00           |

स्रोत : साक्षात्कार सूची

उपरोक्त तालिका में वित्तीय सुविधाओं से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि जनपद के अधिकतर उद्योग धन्धे किसी भी संख्या द्वारा वित्त पोषित नहीं है, जिनका प्रतिशत 82 है, जबकि वित्त पोषित उद्योग धन्धों का प्रतिशत 18 है, जो गैर वित्त पोषित उद्योगों के तुलना में काफी कम है।

## रेखा चित्र 7.1

जनपदीय उद्योग धन्धे किसी संस्था द्वारा वित्त पोषित हैं अथवा नहीं



## तालिका संख्या 7.4

### जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योगों से सम्बन्धित वांछित भविष्यगत सुविधाएं

प्रस्तुत तालिका में उन भविष्यगत सुविधाओं का वर्णन किया जा रहा है जो जनपदीय उद्यमियों द्वारा वांछित है।



| वांछित भविष्यगत सुविधाएं | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय महायोग | समग्र का प्रतिशत |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
|                          | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |               |                  |
| पर्याप्त ऋण              | 18                    | 11    | 08    | 07    | 44            | 44.00            |
| सस्ते दर पर कच्चा माल    | 06                    | 08    | 07    | 04    | 25            | 25.00            |
| करों/शुल्कों में छूट     | 04                    | 04    | 05    | 01    | 14            | 14.00            |
| तकनीकी सुविधाएं          | 07                    | 02    | 05    | 03    | 17            | 17.00            |
| तहसीलवार योग             | 35                    | 25    | 25    | 15    | 100           | 100.00           |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची


उपरोक्त तालिका में जनपदीय उद्योगों से सम्बन्धित वांछित भविष्यगत सुविधाओं से सम्बन्धित आंकड़ों, को प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि वांछित सुविधाओं में सर्वाधिक प्राथमिकता पर्याप्त ऋणों की है, जो 44 प्रतिशत है। द्वितीय स्थान पर सस्ते दर पर कच्चे माल की सुविधा है, जो 25 प्रतिशत है तथा तृतीय स्थान तकनीकी सुविधाओं को जाता है, जिनका प्रतिशत 17 है। जबकि सबसे कम प्रतिशत उन सुविधाओं का है जो करों शुल्क आदि से सम्बन्धित है, जिनका प्रतिशत 14 है।

## रेखा चित्र 7.2

उद्योगों से सम्बन्धित भविष्यगत सुविधाएं




44% सस्ते दर पर कच्चा माल



14% करों/शुल्कों में छूट



17% तकनीकी सुविधाएं



25% पर्याप्त ऋण

#### 7.4 निष्कर्ष :-

उपरोक्त सप्तम अध्याय के सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकासार्थ शासन द्वारा अनेक वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायताएं एवं सुविधाएं उपलब्ध तो करायी जा रही हैं परन्तु ये सुविधाएं जनपदीय औद्योगिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त एवं अनुकूल नहीं हैं। जो सुविधाएं एवं सहायताएं जनपदीय औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध हैं भी तो भी उनका उचित विदोहन जनपद का उद्यमिता आलसपन करने नहीं दे रहा है। यही कारण है कि शासन द्वारा उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं जनपद के औद्योगिक सूनेपन को दूर नहीं कर पा रही हैं।

# अष्टम अध्याय

## अष्टम अध्याय

### बाँदा जनपद की “उद्योग-शून्यता” की आपूर्ति के सापेक्ष संभावित उद्योग

- कृषि संसाधन पर आधारित सम्भावित उद्योग
- वन संसाधन पर आधारित सम्भावित उद्योग
- खनिज सम्पदा पर आधारित सम्भावित उद्योग
- पशुधन पर आधारित सम्भावित उद्योग
- निष्कर्ष



## अष्टम अध्याय

पूर्व अध्यायों के विश्लेषण से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं। जनसंख्या का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है, अतः कृषि पर अत्यधिक भार हैं जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति एवं सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुये यहाँ के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योगों की स्थापना करना एक आवश्यक विकल्प हैं तुलनात्मक रूप से पश्चिमी बुन्देलखण्ड की अपेक्षा पूर्वी बुन्देलखण्ड का आर्थिक विकास धीमा है।

जनपद में सम्भावित उद्योगों की स्थापना के लिए यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अध्ययन अवस्थापना सुविधाओं भोग का आकार एवं प्रकार को सुनिश्चित करना आवश्यक है तभी नवीन उद्योगों की सम्भावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त सभी तथ्यों का अध्ययन विगत अध्यायों में लगभग लगभग किया जा चुका है।

संसाधनों की उपलब्धता से ज्ञात होता है कि जनपद में कृषि उत्पाद पशुधन से प्राप्त कच्चा माल, जैसे खालें एवं हड्डियां तथा खनिज सम्पदा आदि क्षेत्र हैं जिनमें उद्योगों की स्थापना सरलतापूर्वक की जा सकती है। भारी उपभोक्ता समूह एवं बाजार सर्वेक्षण की दृष्टि से मांग

आधारित उद्योगों की प्रचुर सम्भावना परिलक्षित होती है। जनपद में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के उपरांत अनुपूरक इकाइयों औद्योगिक वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। उद्यमी अपने अनुभव कौशल एवं योग्यता के आधार पर कोई भी लाभकारी व्यवसाय चुनने के लिए स्वतन्त्र है।

जनपद बांदा में उद्योग शून्यता के सापेक्ष अनेकों सम्भावित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। जो मुख्यतः यहाँ के संसाधनों पर ही आधारित होंगे और जिनका विशद विश्लेषण प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में औद्योगिक संरचना वर्गीकरण के अन्तर्गत किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में उन्ही सम्भावित उद्योगों का वर्गीकरण यहां पर आंशिक रूप से किया जा रहा है, जो निम्न है-

### 8.1 कृषि आधारित संसाधन पर सम्भावित उद्योग :-

जनपदीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता होने के कारण यहाँ की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों में संलग्न हैं। जनपद की लगभग 68 प्रतिशत भूमि को कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। कृषि आधारित पर कुछ संभावित उद्योगों का विशद वर्णन अग्र है।

#### 1- मिनी राईस मिल :-

जनपद बांदा में सर्वाधिक मात्रा में कृषि उत्पाद ही पाया जाता है जिसमें खरीफ की फसलों में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कृषि के उत्पादन में नयी तकनीक के सहयोग से तथा रक्षात्मक उपायों के परिणामस्वरूप इसका उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। जहाँ वर्ष 97-98 में धान का उत्पादन 56-50 मे० टन था, वहीं यह वर्ष 1998-99 में बढ़कर 89800 मे० टन हो गया। इस उत्पादन वृद्धि को पारम्परिक ढंग से कुटाई करके चावल को गुणवत्तायुक्त नहीं बनाया जा सकता है। राईस मिलों के अभाव में कृषकों को अपना उत्पाद सीधे विक्रय कर देना पड़ता है क्योंकि उसके भण्डारण की क्षमता एवं वांछित

मूल्य की प्रतीक्षा का अवसर नहीं रहता है। इन परिस्थितियों में जनपद में राईस मिलों की स्थापना करना एक लाभकारी व्यवसाय होगा। इसके फलस्वरूप किसान धान की अपेक्षा चावल का भण्डारण सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इस प्रकार जहाँ किसानों को अपने उत्पादन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा वही राईस मित्रों द्वारा रोजगार सृजन एवं अधिकाधिक उत्पादन की ओर प्रेरणा मिलेगी। जनपद में धान की अपेक्षा चावल के विपणन पर अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है। राईस मिल के साथ चूरा मिल की भी स्थापना की जा सकती है। जनपद में इसकी संख्या नगण्य है। स्थानीय मांग के साथ-साथ इस उत्पाद को बड़ी सरलता से बाहर भेज कर लाभप्रद व्यवसाय किया जा सकता है।

विपणन हेतु अपने उत्पाद को निकटवर्ती महानगर कानपुर अथवा इलाहाबाद भी भेजा जा सकता है अतः जनपद में धान की क्षेत्रीय उपलब्धता को देखते हुये राईस मिलों की स्थापना की जा सकती है आर्थिक रूप से सक्षम एक राईस मिल की स्थापना हेतु मशीन एवं संयन्त्र में पूंजी निवेश 4 लाख रुपये करना होगा तथा 25 लाख रुपये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ऐसी एक इकाई वर्ष भर में 119 लाख रुपये का कारोबार कर सकती है एवं प्रत्यक्ष रूप से 18 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                   |                 |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | परियोजना लागत                     | 38 लाख रुपये    |
| 2. | मशीन एवं संयन्त्र में पूंजी निवेश | 4 लाख रुपये     |
| 3. | कार्यशील पूंजी (त्रैमासिक)        | 25 लाख रुपये    |
| 4. | वार्षिक उत्पादन लागत              | 107 लाख रुपये   |
| 5. | वार्षिक विक्रय मूल्य              | 119.5 लाख रुपये |
| 6. | शुद्ध वार्षिक लाभ                 | 12.5 लाख रुपये  |

7. प्रत्यक्ष रोजगार

18 व्यक्ति

8. प्रयुक्त ऊर्जा

विद्युत 35 किलो वॉट

## 2. मिनी फ्लोर मिल :-

कृषि उत्पादों की ही श्रृंखला में जनपद में गेहूँ का भी उत्पादन रबी फसल का सबसे प्रमुख उत्पाद है तकनीकी के विकास एवं कृषकों में आयी जागरूकता के परिणामस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में आशाजनक वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। एवं इसके उत्तररोतर बढ़ते जाने की सम्भावना है। कृषि विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद में वर्ष 1997-98 में गेहूँ की कुल पैदावार 1,79,333 मे० टन हुयी थी जबकि वर्ष 1998-99 में यह बढ़कर 2,36,555 मे० टन हो गयी। यद्यपि जनसंख्या के विकास के साथ इन उत्पादों के घरेलू उपयोग में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है तथापि इसकी पिसाई की आवश्यकता अपरिहार्य हैं अतः वाणिज्यिक दृष्टि से फ्लोर मिल की स्थापना सर्वथा उपयोगी एवं लाभकारी क्रियाकलाप सिद्ध होगा। स्थानीय खपत के उपरान्त इसकी विभिन्न तौलों मे पैकिंग कर विक्रय किया जा सकता है। आधुनिक समाज में खाद्य पदार्थों को सरलतापूर्वक तभी अपनाया जा सकता है जब वे गुणवत्तायुक्त एवं सुविधाजनक पैकिंग में हों। अतः इसके साथ पैकिंग की भी आवश्यकता आवश्यक हो जाती है। परन्तु यह इकाई की क्षमता एवं उसकी विपणन प्रणाली पर निर्भर करता है। इसी प्रकार फ्लोर मिल से मांग के अनुरूप दलिया, सूजी एवं मैदा इत्यादि भी तैयार किया जा सकता है। गेहूँ के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा एवं जौ का उत्पादन भी यहाँ होता है, अतः इसका भी आटा मांग के अनुरूप तैयार कर विक्रय किया जा सकता है मिश्रित आटा सामान्य आटे की अपेक्षा अधिक पौष्टिक एवं स्वास्थ्य वर्धक होता है। जिसकी मांग बड़े शहरों में पुनः दृष्टिगोचर हो रही है।

जनपद में वर्तमान में अनेकों स्थानीय आटा चक्की आदि आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। तथा गेहूं का अतिरिक्त उत्पाद सीधा विक्रय कर दिया जाता है। अतः जनपद में फ्लोर मिल की इकाई लगातार स्थानीय स्तर पर यह लाभ कमाया जा सकता है। आर्थिक रूप से सक्षम एक इकाई की स्थापना हेतु मशीन एवं संयन्त्र में पूँजी विनियोग 17 लाख रुपये करना होगा तथा कार्यशील पूँजी के रूप में 6 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। इस स्तर की एक इकाई वर्ष भर में 131 लाख रुपये का उत्पादन कर सकती है। तथा इससे 10 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होगा।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                     |                     |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | कुल परियोजना लागत                   | 35 लाख रुपये        |
| 2. | मशीन एवं संयन्त्र में पूँजी विनियोग | 17 लाख रुपये        |
| 3. | कार्यशील पूँजी (त्रैमासिक)          | 06 लाख रुपये        |
| 4. | वार्षिक उत्पादन लागत                | 131 लाख रुपये       |
| 5. | वार्षिक विक्रय मूल्य                | 140 लाख रुपये       |
| 6. | वार्षिक लाभ                         | 09 लाख रुपये        |
| 7. | प्रत्यक्ष रोजगार                    | 10 लाख रुपये        |
| 8. | प्रयुक्त ऊर्जा                      | विद्युत 75 किलो वाट |

### 3. दाल मिल :-

जनपद बांदा में लगभग हर प्रकार के दलहनों का उत्पादन होता है जैसे उर्द, मूंग, चना, मटर, मसूर एवं अरहर, प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1997-98 में इन समस्त दलहनों का उत्पादन 12,330 मे० टन हुआ था तथा 1998-99 में इनका कुल उत्पादन 1,52,478 मे० टन हुआ। उपरोक्त आंकड़े इस बात के सूचक हैं कि कृषि उत्पादन में लगातार लगभग हर क्षेत्र में वृद्धि हो रही है अतः

स्पष्ट है कि स्थानीय उपयोग के लिए इन दलहनों को दाल के रूप में परिवर्तित करने के लिए परम्परागत तरीकों का प्रयोग होता है जो श्रम साध्य होता है एवं इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक पद्धति की कमी के कारण दलों के नुकसान होने के साथ इनकी गुणवत्ता का स्तर ठीक नहीं होता है। यदि इसको आधुनिक तकनीक से दाल में परिवर्तित किया जाये तो अपेक्षाकृत दाल की रिकवरी भी अधिक होने के साथ उसकी गुणवत्ता विद्यमान रहेगी मूल्य अभिवृद्धि भी आशाजनक होगी। अन्य कृषि उत्पादों की तुलना में दलहनों का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हो रहता है अतः स्वाभाविक है कि कुशल इकाइयों द्वारा उत्पादन में मूल्य अभिवृद्धि होने पर इसका उत्पादन कृषकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जायेगा। जनपद में अनेक दाल मिलों की स्थापना की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं स्थानीय मांग की आपूर्ति के उपरोक्त शेष माल का विपणन प्रदेश के उन भागों में किया जा सकता है जहाँ इनकी माग तो है पर पैदावार नहीं होती, और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि दैनिक घरेलू उपभोग में जनसामान्य के लिए प्रोटीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत दाल ही है तथा इसका उपयोग दैनिक आहार का एक प्रमुख अंग बन गया है। इस प्रकार आर्थिक रूप से सक्षम एक इकाई की स्थापना हेतु परियोजना एक दृष्टि में निम्नवत है।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                    |                  |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1. | परियोजना की कुल लागत               | 201.39 लाख रुपये |
| 2. | प्लान्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश | 9.83 लाख रुपये   |
| 3. | कार्यशील पूंजी (त्रैमासिक)         | 168.39 लाख रुपये |
| 4. | उत्पादन मूल्य वार्षिक              | 780.30 लाख रुपये |
| 5. | विक्रय मूल्य वार्षिक               | 848.84 लाख रुपये |
| 6. | लाभ वार्षिक                        | 68.54 लाख रुपये  |

7. प्रत्यक्ष रोजगार

28 व्यक्ति

8. प्रयुक्त ऊर्जा

विद्युत

## 4. राईस ब्रान ऑयल : -

कृषि उपज की दृष्टि से धान एक महत्वपूर्ण उत्पाद है एवं राईस मिलों की स्थापना के उपरान्त राईस ब्रान की उपलब्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। राईस ब्रान चावल की सफाई एवं पॉलिसिंग के मध्य एक सह-उत्पाद के रूप में निकलता है जिसे प्रायः अनुपयोगी समझा जाता है। परन्तु इस राईस ब्रान से ही राईस ब्रान ऑयल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त ऑयल का उपयोग औद्योगिक तेल के रूप में प्रयोग होता है। इसकी सबसे अधिक मांग कपड़े धोने की साबुन की इकाइयों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1998-99 में धान का कुल उत्पादन 89800 मी० टन हुआ अतः सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि धान की कुटाई के उपरान्त इसका राईस ब्रान अनुपयुक्त पदार्थ के रूप में नष्ट हो जाता है। इस संसाधन को सस्ते दामों में खरीद कर इसके तेल द्वारा अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी एक इकाई स्थापित करने के लिए मशीन एवं संयंत्र में पूंजी निवेश 20 लाख, कार्यशील पूंजी के रूप में 40 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की इकाई की वार्षिक क्षमता 190 लाख रुपये होगी एवं 30 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

## परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                    |               |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1- | परियोजना लागत                      | 80 लाख रुपये  |
| 2- | मशीन एवं संयंत्र में पूंजी विनियोग | 20 लाख रुपये  |
| 3- | कार्यशील पूंजी (त्रैमासिक)         | 40 लाख रुपये  |
| 4- | वार्षिक उत्पादन लागत               | 190 लाख रुपये |
| 5- | वार्षिक विक्रय मूल्य               | 215 लाख रुपये |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 6- | वार्षिक लाभ      | 25 लाख रुपये   |
| 7- | प्रत्यक्ष रोजगार | 30 व्यक्ति     |
| 8- | प्रयुक्त ऊर्जा   | विद्युत / डीजल |

उपर्युक्त कृषि आधारित संसाधन पर सम्भावित उद्योगों के अतिरिक्त जनपद में कृषि पर ही आधारित अन्य संभावित उद्योगों को भी लगाया जा सकता है जैसे सब्जियां एवं प्याज निर्जलीकरण, टमाटर के पेस्ट, केचअप, धूप में सुखायी मिर्च, नमकीन, पापड़, बड़ी, बेकरी, ब्रेड, बेसन मिल, सोयाबीन प्रोडक्ट्स आदि।

## 8.2 खनिज सम्पदा पर आधारित सम्भावित उद्योग :-

जनपद बांदा खनिज सम्पदा की दृष्टि से काफी मजबूत है। जनपद के नरैनी एवं कर्वी क्षेत्र में ग्रेनाइट पत्थर, मानिकपुर में बाक्साइड, सैण्ड-स्टोन, रामराज, चंदन, मिट्टी, डोलोमाइट, बरगढ़ में सिलिका सैण्ड स्टोन, राम राज, चंदन मिट्टी, डोलोमाइट, बरगढ़ में सिलिका सैण्ड, मानिकपुर के पास लखनपुर में चीनी मिट्टी एवं यमुना, केन नदी के किनारे बालू, मोरम आदि खनिज पाये जाते हैं। जनपद का दुर्भाग्य है कि इतनी खनिज सम्पदा के होते हुये भी यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन के कारण उद्योग-शून्य जनपद घोषित है, जबकि यहां पर खनिज संसाधन पर आधारित अनेक उद्योग धन्धे स्थापित किये जा सकते हैं उनमें से कुछ उद्योग धन्धों का वर्णन इस प्रकार है- नमकीन, पापड़ बड़ी, बेकरी, ब्रेड, बेसनमिल, सोयाबीन प्रोडक्ट्स आदि।

### 1. शजर पत्थर तराशने का कार्य -

जनपद बांदा में शजर पत्थर तराशने का कार्य किया जाता है जो प्रदेश में कहीं अन्यत्र नहीं किया जाता है। इसका मूल कारण जनपद में इस कार्य हेतु उपलब्ध दक्षता है। अपने जीवन यापन हेतु अनेक परिवार इस कार्य में जनपद में संलग्न है परन्तु वित्तीय कठिनाई, परम्परागत तकनीकि, विपणन आदि की समस्या के कारण इस उद्योग को वांछित प्रगति एवं ख्याति नहीं मिल पायी।



शजर पत्थर जनपद बांदा से होकर बहने वाली केन नदी में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे बाहर से भी मंगाया जाता है जो मूलतः सिलिका स्टोन होता है। इसका स्रोत केन नदी के मध्य प्रदेश स्थित तटों पर भी पाया जाता है। सामान्य पत्थरों से भिन्न इन पत्थरों की अनगढ़ अवस्था में पहचान कर पाना कठिन होता है। परन्तु कुशल कारीगर इन्हें पहचान कर अलग कर लेते हैं।

इन्हीं पत्थरों को अपनी कुशलता के आधार पर कारीगर इस प्रकार तराशते हैं कि इनके भीतर आकर्षक आकृति स्पष्ट दिखती है। तदुपरान्त इनकी पॉलिशिंग आदि करके इसे स्पष्ट और चमकीला बनाया जाता है। आकृति के अनुसार यह कई साइज तथा विभिन्न रंगों के बने होते हैं। कारीगर प्रायः आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते। यदि इन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध की जाये तो इस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की जा सकती है।

विभिन्न आकृतियों में तैयार इन पत्थरों में बने चित्र प्राकृतिक होते हैं जो बहुत ही आकर्षक होते हैं। इनका उपयोग सजावट एवं आभूषण आदि के निर्माण में किया जाता है। विपणन के लिए इनकी विशिष्टता के आधार पर इन पत्थरों का मूल्य निर्धारित होता है। दुर्लभ चित्रयुक्त पत्थर के मूल्य का अनुमान लगा पाना प्रायः कठिन होता है। मुख्य रूप से उच्च वर्ग के लोग अथवा विदेशी पर्यटकों का इनके प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। अतः यह विदेशी मुद्रा अर्जन का अच्छा साधन बन सकते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर इस उद्योग में थोड़े सुधार के पश्चात इस क्षेत्र की ओर आकर्षक एवं लाभकारी बनाकर अनेक इकाइयां स्थापित की जा सकती है।

आर्थिक रूप से सक्षम एक इकाई की स्थापना के लिए लगभग 1.25 लाख रुपये से कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है तथा वर्ष भर यदि कार्य उपलब्ध हो तो अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। वर्तमान में यह देखा गया है कि कारीगर परम्परागत

तकनीक से इस कार्य को खाली समय में ही करते हैं।

## 2. स्टोन क्रसिंग इकाई :-

विभाजित जनपद बांदा के तीन तहसीलों, क्रमशः बांदा, अतर्रा एवं नरैनी में 33156, 1415142, 945,821 हेक्टेयर भूमि को पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में जिला भूगर्भ वैज्ञानिक के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य रूप से बॉक्साइड मात्रा के साथ ग्रेनाइट एवं कालिंजर के कुछ क्षेत्र में डॉयमण्ड स्टोन की उपलब्धता है। शेष पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग सामान्य तौर पर स्टोन क्रसिंग के लिए किया जा सकता है। यह पत्थर मजबूत किस्म का होता है जिसे सामान्य तौर पर डॉयमेशन स्टोन के नाम से जाना जाता है। इससे सड़क तथा भवन निर्माण के लिए विभिन्न साइज की गिट्टियां बनाई जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर क्षेत्र, अतर्रा तहसील एवं गोरवा क्षेत्र तहसील नरैनी वेल्ट में ऐसी एक भी इकाई नहीं है जबकि इस कार्य हेतु यहाँ उच्च कोटि के पत्थर उपलब्ध है। गोरवा से कालिंजर तक ग्रेनाइट बेल्ट के रूप में जानी जाती है। इस क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अनुमानतः 50 से 60 स्टोन क्रसिंग इकाइयां कार्य कर सकती हैं। जनपद में करतल, पंचमपुर एवं नहरी को अभी आरक्षित कोटि में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक सम्पदा का अभी तक समुचित औद्योगिक दोहन नहीं हो पाया है। आर्थिक रूप से सक्षम स्टोन क्रसिंग की एक इकाई की स्थापना हेतु परियोजना एक दृष्टि में निम्नवत् है।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                 |              |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | परियोजना की कुल लागत            | 22 लाख रुपये |
| 2. | मशीन एवं संयन्त्र पूँजी विनियोग | 15 लाख रुपये |
| 3. | कार्यशील पूँजी (त्रैमासिक)      | 07 लाख रुपये |

|    |                      |              |
|----|----------------------|--------------|
| 4. | वार्षिक उत्पादन लागत | 50 लाख रुपये |
| 5. | वार्षिक विक्रय मूल्य | 60 लाख रुपये |
| 6. | वार्षिक लाभ          | 10 लाख रुपये |
| 7. | प्रत्यक्ष रोजगार     | 15 व्यक्ति   |
| 8. | प्रयुक्त ऊर्जा       | विद्युत      |

### 3. ग्रेनाइट टाइल्स :-

जनपद में पर्वतीय क्षेत्र जिसमें तहसील बाँदा, अतर्रा एवं नरैनी का भूभाग सम्मिलित है, के कतिपय पर्वतों में ग्रेनाइट की मात्रा अधिक पायी जाती है। मूलतः गिरवां से कालिंजर तक की पर्वत श्रृंखला को ग्रेनाइट बेल्ट के नाम से चिन्हित किया गया है। मुख्य रूप से यह गुलाबी और ग्रे रंगों की है। इन्हीं पत्थरों में क्वार्टज सिलिका की उपस्थिति से इनकी प्रकृति दानेदार होती है। आग्नेय प्रकृति का पत्थर होने के कारण इसको स्टोन स्लैब में बदलकर टाइल्स के रूप में बनाया जा सकता है। वर्तमान में भवन निर्माण कला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। सुन्दर एवं आकर्षक भवन निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों एवं टाइल्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है जिसमें ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः बाजार की दृष्टि से देखा जाये तो इसका उपभोग व्यापक रूप से परिलक्षित होता है। यह उद्योग वहीं स्थापित करना सरल होता है जहाँ इस श्रेणी के पत्थरों की समुचित उपलब्धता, उपयुक्त हो प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बाँदा में इसके लिए एक उपयुक्त स्थान है।

वर्तमान में जनपद में एक भी इकाई कार्यरत नहीं है। परन्तु वर्तमान में कान्ता ग्रेनाइट के नाम से एक इकाई की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र ही इसकी समस्त औपचारिकताएं पूरी होने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य इकाइयों की स्थापना की पूरी संभावना विद्यमान है। आर्थिक रूप से सक्षम

एक इकाई की स्थापना हेतु परियोजना एक दृष्टि में निम्नवत् है।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1. | परियोजना की कुल लागत                | 70 लाख रुपये  |
| 2. | मशीन एवं संयन्त्र में पूंजी विनियोग | 14 लाख रुपये  |
| 3. | कार्यशील पूंजी (त्रैमासिक)          | 40 लाख रुपये  |
| 4. | वार्षिक उत्पादन लागत                | 58 लाख रुपये  |
| 5. | विक्रय मूल्य (वार्षिक)              | 70 लाख रुपये  |
| 6. | वार्षिक लाभ                         | 12 लाख रुपये  |
| 7. | प्रत्यक्ष रोजगार                    | 15 व्यक्ति    |
| 8. | प्रयुक्त ऊर्जा                      | विद्युत /डीजल |

#### 4. कांक्रिट व सीमेंट की खोखली ईंटे :-

जनपद बाँदा में स्टोन क्रसिंग के उपरान्त गिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में क्रंकीट के छोटे-छोटे कण जिन्हे स्टोन डस्ट कहा जाता है, प्राप्त होते हैं। इसे कच्चे माल के विकल्प के रूप में, तथा केन नदी की बालू जो उत्कृष्ट प्रकार की होती है को उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्य रूप से खोखली ईंटे बनाने के लिए सीमेंट के साथ इन्ही दो में से किसी एक को मिलाया जा सकता है। सीमेंट की तुलना में बालू अथवा स्टोन डस्ट की मात्रा इन ईंटों के निर्माण में कहीं अधिक होती है। निर्माण प्रक्रिया में इन ईंटों को सामान्य कच्ची मिट्टी की ईंटों की भाँति ऊर्जा खर्च कर पकाने की आवश्यकता नहीं होती। निर्धारित मात्रा में सीमेन्ट के साथ स्टोन डस्ट अथवा बालू दोनों में से किसी एक को मिलाकर मन चाहे आकार एवं डिजाइन की ईंटे अनुकूल साँचों द्वारा ढाली जा सकती हैं। इस इकाई को जल की अधिक आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग मिश्रण निर्माण से लेकर ईंटों की तरावट के लिए किया जाता है।

भवन निर्माण में इन ईंटों को सामान्य ईंटों की अपेक्षा अधिक मजबूत एवं टिकाऊ पाया गया है, इसके साथ ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इनको हर आकार एवं प्रकार का बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाये तो ईंटे खोखली होने के कारण बने मकान सर्दियों में अधिक ठंड एवं गर्मियों में अत्यधिक गर्मी से बचाव में मदद करते हैं।

विपणन की दृष्टि से ऐसी आशा की जाती है कि अधिक मजबूत मकान बनाने की लालसा स्थानीय स्तर पर एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ही पायी जाती है। साथ ही अत्यधिक गर्मी और ठंड के कारण इसकी स्थानीय मांग ही बहुत अधिक होगी। इसके उपरान्त अतिरिक्त उत्पाद को निकटवर्ती पर विपणन हेतु भेजकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में जनपद में ऐसी एक भी इकाई कार्यरत नहीं है, अतः जनपद में आवश्यकतानुसार अनेक इकाइयों की स्थापना हेतु पूर्ण सम्भावना विद्यमान हैं। आर्थिक रूप से सक्षम इकाई की स्थापना परियोजना एक दृष्टि में निम्नवत् है।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                                     |              |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1. | कुल परियोजना लागत                   | 30 लाख रुपये |
| 2. | मशीन एवं संयन्त्र में पूंजी विनियोग | 10 लाख रुपये |
| 3. | कार्यशील पूंजी (त्रैमासिक)          | 10 लाख रुपये |
| 4. | वार्षिक उत्पादन लागत                | 30 लाख रुपये |
| 5. | वार्षिक विक्रय मूल्य                | 42 लाख रुपये |
| 6. | वार्षिक लाभ                         | 12 लाख रुपये |
| 7. | प्रत्यक्ष रोजगार                    | 25 व्यक्ति   |
| 8. | प्रयुक्त ऊर्जा                      | विद्युत      |

उपर्युक्त वर्णित उद्योग धन्धों के अतिरिक्त खनिज सम्पदा पर आधारित अन्य उद्योग धन्धे भी हो सकते हैं। जैसे कंक्रीट-सीमेंट हालोबॉक्स, सालिड बेकिंग टाइल्स, मोजैक टाइल्स, सिलिका सैण्ड वाशिंग प्लाण्ट, सोडियम एवं पोटेशियम सिलिकेट, एमटी पाउडर, डिस्टैम्पर, गेरू, वाशिंग पाउडर, सैण्ड पेपर, एलाय चूना उद्योग, सैण्ड स्टोन कटिंग-पालिशिंग आदि से सम्बन्धित लघु उद्योग, धन्धे किये जा सकते हैं।

### 8.3 वन संसाधन पर आधारित सम्भावित उद्योग :-

जनपद में वनों से उद्योगों के विकास एवं स्थापना के लिए अनेकों संसाधन उपस्थित है, जिन पर निम्नलिखित उद्योग धन्धे स्थापित किये जा सकते हैं जैसे लकड़ी के ईमारती सामान, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने, बाँस डलिया, चटाई, कूचा, सालिड फ्यूल प्रिकेटिंग, आयुर्वेदिक दवाएँ, जड़ी बूटियों का संग्रह, महुवा से अल्कोहल तथा रेशा उद्योग आदि।

### 8.4 पशुधन आधारित संसाधन पर सम्भावित उद्योग :-

जनपदीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का काफी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि कार्यों में पशुधन सहयोग तो प्रदान करता ही है साथ ही इनसे अनेकों उत्पाद एवं उपोत्पाद आदि की प्राप्ति होती है, जिन पर आधारित क्रीम, घी, मक्खन, पनीर, मीठा दूध पैकिंग, आइसक्रीम, अण्डे के छिलके का पाउडर, चर्म शोधन, लेदर गुड्स, बोन मिल, फिश कट्लेटस आदि उद्योग धन्धे विकसित हो सकते हैं।

उपर्युक्त चार प्रकार के संसाधनों पर आधारित अनेक उद्योग धन्धों के अतिरिक्त जनपदीय अर्थव्यवस्था में आटो मोबाइल रिपेयरिंग का उद्योग धन्धा खूब फल-फूल सकता है।

### 8.5 आटो मोबाइल रिपेयरिंग :-

आवागमन सुविधाओं के साथ साथ यातायात के लिए विभिन्न प्रकार के स्वचालित वाहनों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जनपद बांदा में चित्रकूट धाम मण्डल का मुख्यालय भी स्थिति है, अतः यहाँ दैनिक आवागमन में विस्तार होना स्वाभाविक है। वर्तमान में विभिन्न प्रयोजनों के

लिए भिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग होता है। कृषि कार्य हेतु जहाँ ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर सामान्य आवागमन हेतु सरकारी एवं व्यक्तिगत वाहनों की भी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दुपहिया वाहन, हल्के चार पहिया वाहन तथा भारी वाहन आदि इसमें सम्मिलित हैं। विभिन्न तकनीकी पर आधारित इन वाहनों की समुचित मरम्मत एवं सर्विसिंग एक लाभकारी एवं दीर्घकाल तक चलने वाला व्यवसाय, प्रतीत होता है। तकनीकी कुशलता इस कार्य का प्रमुख आधार है। यदि इस कुशलता के साथ आधुनिक औजार एवं मशीनों का उपयोग कर वाहनों की पूर्ण मरम्मत व सर्विसिंग की जाये तो इससे ग्राहकों को संतोष के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादित हो सकेगा। आर्थिक रूप से सक्षम ऐसी ही कार्य शाला जिसमें व्हील बैलेन्सिंग, वॉशिंग सिस्टम तथा अन्य आधुनिक उपकरण आदि लगे हों, की कुल परियोजना लागत निम्नलिखित होगी।

### परियोजना एक दृष्टि में

|    |                            |                 |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1. | कुल परियोजना लागत          | 3.61 लाख        |
| 2. | प्लाण्ट एवं मशीनरी         | 1 लाख रुपये     |
| 3. | कार्यशील पूँजी (त्रैमासिक) | 2.61 लाख रुपये  |
| 4. | वार्षिक लागत               | 11.08 लाख       |
| 5. | वार्षिक आय                 | 13.26 लाख रुपये |
| 6. | वार्षिक लाभ                | 2.18 लाख रुपये  |
| 7. | प्रत्यक्ष रोजगार           | 2.18 लाख रुपये  |
| 8. | प्रयुक्त ऊर्जा             | विद्युत         |

जनपद में अन्य संभावित उद्योगों की सूची :-

1. तेल मिल
2. ब्रेड एवं बिस्कुट
3. चूरा उद्योग
4. सन के उत्पाद
5. स्ट्रॉ बोर्ड
6. ऐशेन्सियल ऑयल डिस्टिलेशन
7. जड़ी बूटी उद्योग
8. हर्बल कॉस्मेटिक
9. बबूल गोंद एवं रेजिन
10. आचार, चटनी एवं मुरब्बा
11. डेयरी उत्पाद
12. चर्म पादुका
13. कृक्कुट पालन
14. पिगरी
15. मिल बोर्ड
16. खाण्डसारी
17. एनीमल ग्लू
18. आयुर्वेदिक दवाएं
19. कन्फैक्शनरी
20. पैकिंग केसेस
21. हथकरघा
22. कृषि उपकरण



23. लकड़ी के फर्नीचर
24. दोना एवं पत्तल
25. एमरी पाउडर
26. सोडियम सिलिकेट
27. प्लास्टिक के दोने-पत्तल
28. प्लास्टिक के घरेलू सामान
29. मोनोफिलामेंट यार्न
30. पी०वी०सी० जूते
31. पी०वी०सी० पाइप
32. प्लास्टिक स्टेशनरी
33. लेमिनेशन कार्य
34. एक्सरसाईज बुक
35. प्रिन्टिंग कार्य
36. पेंट एवं डिस्टेम्पर
37. डिटर्जेंट पाउडर
38. डिटर्जेंट केक
39. सीमेंट जाली
40. सीमेंट पाइप
41. बेकेलाइट स्विच
42. वोल्टेज स्टेबलाइजर
43. रेडियो/ टी०वी० रिपेरिंग
44. बाल पेन रिफिल
45. ईट भट्ठा

46. आयरन फैब्रीकेशन
47. लोहे के गेट एवं ग्रिल
48. रोलिंग शटर
49. बिल्डर हार्डवेयर
50. चॉक कटर ब्लेड
51. ट्रैक्टर चालित कृषि यन्त्र
52. विद्युत उपकरण एसेम्बली
53. कैनवास बैग
54. फ्लोर टाईल
55. टायर रिट्रेडिंग
56. मसाला पिसाई
57. रेडीमेड गारमेंट
58. टैक्टर ट्रॉली
59. हैड मेड पेपर
60. होजरी उद्योग
61. बैटरी चार्जिंग
62. लोहे के फर्नीचर
63. बाल पेन
64. स्टोन एवं गैस मरम्मत
65. चाक क्रेयान
66. डेजर्ट कूलर
67. रूम कूलर
68. विद्युत उपकरण मरम्मत

69. आईस कैंडी
70. आईस क्रीम
71. कोल्ड स्टोरेज
72. बर्फ बनाना
73. अल्युमोनियम के बर्तन
74. सुगन्धित तेल
75. अगरबत्ती
76. धूप बत्ती
77. छाता एसेम्बली
78. पावरलूम, हैण्डलूम
79. ऊनी कपड़े की बुनाई
80. मोमबत्ती
81. कुम-कुम व बिन्दी
82. नेल पालिश
83. कॉटन होजरी
84. चीनी मिट्टी के बर्तन
85. नमकीन उद्योग
86. कागज के लिफाफे
87. मिट्टी के खिलौने
88. साइकिल सीट कवर
89. स्टोरेज बिन
90. बॉयोगैस प्लाण्ट
91. साइकिल कैरियर

92. टी०वी० एन्टीना
93. कम्प्यूटर सेवा केन्द्र
94. कम्प्यूटर सर्विसिंग /रिपेयरिंग
95. लकड़ी के खिलौने
96. कंधी एवं ब्रश
97. जनरल इंजीनियरिंग वर्कशाप
98. टायर वल्कनाइजिंग
99. सोलर ऊर्जा उपकरण
100. सोलर पैनल

उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित निम्न तालिकाएं दृष्टव्य है-

### तालिका संख्या 8.1

जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योग में प्रयोग होने वाली प्रविधि

प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योगों में प्रयोग होने वाली उत्पादन विधि का वर्णन किया

जा रहा है।


| प्रयोग होने वाली प्रविधि | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय महायोग | समग्र का प्रतिशत |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
|                          | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |               |                  |
| प्राथमिक                 | 05                    | 03    | 00    | 02    | 10            | 10.00            |
| द्वितीयक                 | 14                    | 20    | 19    | 62    | 62            | 62.00            |
| तृतीयक                   | 00                    | 02    | 00    | 01    | 03            | 03.00            |
| यान्त्रिक                | 04                    | 06    | 06    | 00    | 16            | 16.00            |
| मिश्रित                  | 02                    | 04    | 00    | 03    | 09            | 09.00            |
| तहसीलवार योग             | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100           | 100.00           |

स्रोत- साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तालिका में उद्योग धन्धों में प्रयोग होने वाली प्रविधि से सम्बन्धित तथ्यों का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जनपदीय उद्योग धन्धों में मुख्य रूप से द्वितीयक प्रविधि का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतिशत 62 है। दूसरे स्थान पर यान्त्रिक प्रविधि का प्रयोग है, जिसका प्रतिशत 16 है। तीसरा स्थान प्राथमिक प्रविधि का है, जो 10 प्रतिशत है। चतुर्थ स्थान मिश्रित प्रविधि का है जो 09 प्रतिशत है, जबकि सबसे कम प्रयोग तृतीयक प्रविधि का होता है। जिसका प्रतिशत सिर्फ 02 प्रतिशत है।

### रेखा चित्र 8.1

#### जनपदीय उद्योग में प्रयोग होने वाली प्रविधि



## तालिका संख्या 8.2

### जनपदीय उद्योग कर्मियों के उद्योग धंधों से प्राप्त होने वाले लाभ की स्थिति

प्रस्तुत तालिका में जनपदीय उद्योगों के लाभ की स्थितियों का वर्णन किया गया है।


| लाभ की<br>स्थिति    | जनपदीय तहसीलों के नाम |       |       |       | जनपदीय<br>महायोग | समग्र का<br>प्रतिशत |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|                     | अतर्रा                | बाँदा | बबेरू | नरैनी |                  |                     |
| लाभकारी             | 01                    | 01    | 02    | 01    | 05               | 05.00               |
| सामान्य लाभ वाला    | 16                    | 33    | 19    | 12    | 80               | 80.00               |
| कभी लाभ कभी<br>हानि | 05                    | 00    | 03    | 02    | 10               | 10.00               |
| अनिश्चितता          | 03                    | 01    | 01    | 00    | 05               | 0.5.00              |
| तहसीलवार योग        | 25                    | 35    | 25    | 15    | 100              | 100.00              |

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त तालिका में जनपदीय उद्योग धंधों में सम्बन्धित लाभ की स्थिति का वर्णन किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 80 प्रतिशत भाग उन उद्योग धंधों का है जो सामान्य लाभ की स्थिति में है। द्वितीय स्थान कभी लाभ कभी हानि, (मिश्रित लाभ हानि) वाले उद्योग धंधों का है, जिनका प्रतिशत 10 है। तीसरे और चौथे स्थान पर लाभकारी एवं अनिश्चितता वहन करने वाले उद्योग धंधे आते हैं जो प्रतिशत के रूप में 05-05 प्रतिशत बराबर स्थान ग्रहण करते हैं।


## रेखा चित्र 8.2

जनपदीय उद्योग धन्धों से प्राप्त होने वाला लाभ



## रेखा चित्र 8.3

जनपदीय उद्योग की हानि की स्थिति





## 8.6 निष्कर्ष :-

प्रस्तुत अध्याय के सम्पूर्ण विश्लेषण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था जो कि उद्योग-शून्यता नामक बीमारी से ग्रस्त है, को इस बीमारी से निजात दिलायी जा सकती है। क्योंकि जनपद में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आर्थिक संसाधन यहां पर स्थापित किये जा सकने वाले संभावित उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। कमी सिर्फ इतनी है कि अर्थव्यवस्था में उपस्थित आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन किया जाये तथा इनका सही दिशा में उचित प्रयोग किया जाये।

# नवम अध्याय

## नवम अध्याय

### संकल्पनाओं का सत्यापन, निष्कर्ष बिन्दु एवं सुझाव

- निष्कर्ष बिन्दु
- संकल्पनाओं का सत्यापन
- कतिपय सुझाव
- काई वर्ग परीक्षण

## नवम अध्याय

“प्रतिवेदन तैयार करना अनुसंधान कार्य का अंतिम चरण है और इसका उद्देश्य रुचि वाले लोगों को अध्ययन के सम्पूर्ण परिणाम को पर्याप्त विस्तार से बतलाना है एवं इस तरह व्यवस्थित करना है जिसमें पढ़ने वाला तथ्यों को समझने एवं स्वयं के लिए निष्कर्षों की प्रमाणिकता का निश्चय करने योग्य बन जाये।”

अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी के उपरोक्त मत को गुडे एवं हाट ने अपनी पुस्तक में उद्धृत करते हुये अनुसंधान के निष्कर्षों एवं सुझाव पर प्रकाश डाला है।

अनुसंधान अध्ययन का अंतिम चरण निष्कर्ष, संकल्पनाओं का सत्यापन एवं सुझावों से अभिव्यक्त होता है किसी भी अनुसंधान का निष्कर्षात्मक होना उसकी सफलता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। इसके बिना अनुसंधान अध्ययन कार्य अधूरा रह जाता है। इसी अर्थ में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भी निष्कर्षात्मक है।

### 9.1 निष्कर्ष बिन्दु :-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भी निष्कर्षात्मक है और पूर्व वर्णित अनुक्रमों के आधार पर बांदा जनपद की औद्योगिक संरचना उद्योग शून्यता के संदर्भ विशेष में जनपदीय औद्योगिकरण का आलोचनात्मक आर्थिक अध्ययन, आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अद्यतन समय तक की अर्थशास्त्रीय अनुसंधान समस्या से उद्भूत निष्कर्ष निम्नवत् संजोये जा सकते हैं।

1. बांदा जनपद की अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण, कृषि प्रधान और कच्चे समान की निर्यातक तथा विनिर्मित और विधायित सामानों की आयातक अर्थव्यवस्था है जिसका औद्योगिक आधार अत्यन्त संकुचित है।
2. जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यमिता का नितान्त आभाव है, जो औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है।
3. जनपदीय अर्थव्यवस्था 'उद्योग शून्य' है। आज का आर्थिक विकास उद्योगावलम्बी है, परन्तु औद्योगिकरण एक राजनैतिक धारणा है, राजनैतिक उपक्रम है, शासन मुखापेक्षी है। यह जनपद प्रायः सत्ता की राजनीति की धारा के विरुद्ध रहा है और राजनैतिक नेतृत्व की दुर्लभता ने इस शून्यता की स्थिति को बनाये रखा है।
4. जनपदीय अर्थव्यवस्था कच्चे संसाधनों के निर्यातक और विनिर्मित तथा विधायित वस्तुओं की आयातक अर्थव्यवस्था है। उच्च गुणवत्ता और सस्ते मूल्य पर आयतित वस्तुएं यहां के घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बना देती है।
5. जनपद की अर्थव्यवस्था उपभोग प्रधान है। "ऋणम् कृत्वा घृतम पिवेत" ग्रामीण क्षेत्र में सिद्धान्त वाक्य है। चूँकि विनियोजन हीनता है अतः अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रधान नहीं है जबकि इसे मूलतः उत्पादन प्रधान ही होना चाहिए।
6. जनपदीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संवृद्धि के निम्न संतुलन जाल के दुष्चक्र में फंसी हुयी है, क्योंकि यह जनपद गरीबी और अल्प विकास के दुष्चक्र में फंसा है और समग्र अर्थव्यवस्था में मात्र स्थैतिक विकास की प्रणाली के उद्भव के कारण यह निम्न संतुलन जाल में फंसी हुयी है।
7. जनपदीय अर्थव्यवस्था 'सामन्तवादी' है। एक ओर साधन सम्पन्न बड़ा उच्चवर्गीय कृषक वर्ग है, तो दूसरी ओर लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिक (साधन-विपन्न) मध्यम तथा निम्न वर्ग है। अर्थव्यवस्था में शक्ति के सम्बन्ध

प्रथम वर्ग की ओर से प्रति पादित किये जाते हैं। आय, उत्पादन तथा अवसरों को, विकास प्रक्रिया के लाभों को यह वर्ग अपने पक्ष में करने में सफल रहता है। फलतः दूसरा वर्ग 'यथास्थिति' के 'निर्धारणवाद' में इस प्रकार फंसता है कि उसके विकास, संवृद्धि एवं अन्तःश्चेतना मात्र (यथास्थितिवाद) में बदल जाती है और समग्र परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति निम्न संतुलन जाल को संचयी बनाने में सहयोग करती है।

8. जनपद में औद्योगिक शून्यता के कारण नगरीकरण की दर पर्याप्त निम्न है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषक श्रमिक बड़े औद्योगिक केन्द्रों की ओर पलायन कर जाते हैं इसके कारण जनपद में औद्योगिक श्रमिकों का आभाव है।
9. जनपदीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जिसके आधार पर जनपद में अनेक उद्योग धन्धों की स्थापना की जा सकती है।
10. जनपदीय अर्थव्यवस्था में संसाधन वर्ग स्थिति काफी सुदृढ़ है और उद्योग के सापेक्ष अनेक संसाधन जैसे कृषि आधारित संसाधन, मानवीय संसाधन, पूँजीगत संसाधन, तकनीकी संसाधन आदि उपस्थित हैं लेकिन जल, विद्युत एवं उचित बाजार व्यवस्था का आभाव है।
11. जनपदीय अर्थव्यवस्था में शासन द्वारा अनेक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से औद्योगीकरण की प्रगति के लिए अनेक वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाएं तो उपलब्ध करायी जा रही है, लेकिन वे जनपद के निम्न औद्योगीकरण के सापेक्ष अपर्याप्त एवं अपूर्ण है।
12. जनपद में यातायात का सबसे उपयोगी साधन सड़क यातायात ही है। आवागमन एवं माल ढुलाई के लिए सड़कों बहुत उपयोगी हैं। लेकिन जनपद में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है।
13. आर्थिक विकास की दृष्टि से संचार का भी महत्व यातायात से कम नहीं है।

संचार साधनों के मामले में भी जनपदीय अर्थ व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है हालांकि अब इस क्षेत्र में संचार क्रांति सुधार परिलक्षित हो रहा है।

14. जनपदीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं की स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी कि तीव्र औद्योगिक विकास के लिए होनी चाहिए।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त बिन्दुगत निष्कर्ष जनपद की उद्योग शून्यता के प्रति उत्तरदायी है।

## 9.2 संकल्पनाओं का सत्यापन :-

संकल्पनाओं का सत्यापन शोध प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। संकल्पनाओं के सत्यापन हेतु अनेक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में संकल्पनाओं के सत्यापन हेतु मुख्यतः सांख्यिकीय विधि काई वर्ग परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सत्यापित की गयी प्रमुख संकल्पनाएं अग्र है -

1. बाँदा जनपद की औद्योगिक संरचना स्थैतिक है, सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास की गति स्थिर है। शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय के अध्ययन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि यद्यपि जनपद में पिछड़ापन प्रभाव हावी है तथा औद्योगिक शून्यता विद्यमान है लेकिन यहाँ पर उद्योगों के पनपने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, आवश्यकता है सिर्फ उनके उचित उपयोग की।
2. जनपद की औद्योगिक संरचना स्थैतिक होने के बावजूद वैविध्यपूर्ण है, क्योंकि जनपद की अर्थव्यवस्था भी वैविध्यपूर्ण है। लेकिन यह संकल्पना उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जनपद की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है।
3. जनपद की अर्थव्यवस्था 'उद्योग शून्य' है। जनपदीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं

कुटीर उद्योग धन्धे तो कार्यरत हैं तथा जनपद में यह संभावना भी है कि यहाँ पर वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की जा सके लेकिन जनपद में वृहद या मध्यम आकार की एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है।

4. बाँदा जनपद की उद्योग शून्यता के आर्थिक और अनार्थिक निर्धारक तत्व हैं, सत्य है। क्योंकि जनपद में अनेक आर्थिक एवं अनार्थिक तत्व उपस्थिति है, जो जनपद की औद्योगिक शून्यता के प्रति उत्तरदायी है।
5. जनपदीय 'उद्योग शून्यता' के संन्दर्भ में प्रमुख उत्तरदायी कारक उद्यमियों का शर्मिलापन है, सत्य है, क्योंकि जनपद में ऐसे पूँजीपतियों का नितान्त अभाव है, जो अपनी पूँजी को रोजगार पूरक उद्योगों में विनियोजित करने को तत्पर हों।
6. बाँदा जनपद की औद्योगिक संवृद्धि निम्न संतुलन जाल में आवृन्त है। सत्य है क्योंकि अनेकोनेक कारणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनपद की अर्थव्यवस्था का स्वरूप सपाट है एवं यह जनपद के निम्न विकास के दीर्घकालिक संतुलन जाल का प्रत्यक्ष प्रति कलन हैं जिसका विस्तृत विवेचन शोध प्रबन्ध के प्रथम एवं षष्ठम अध्याय में किया गया है।
7. बाँदा जनपद के उद्योगों की वित्तीय और गैर वित्तीय समस्याएं हैं। जिनके लिए संस्थानात्मक तत्व उत्तरदायी है, सत्य है, क्योंकि यहाँ के उद्यमियों की मुख्य समस्या वित्त का पर्याप्त अभाव है।
8. बाँदा जनपद में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, सत्य है, क्योंकि जनपद कृषि आधारित संसाधन, वन आधारित संसाधन, पशुधन आधारित संसाधन एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है, जिनके आधार पर अनेक सम्भावित उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल है।
9. बाँदा जनपद की 'उद्योग-शून्यता' के आर्थिक और अनार्थिक निर्धारक तत्व



है। सम्पूर्ण शोध-विश्लेषण के उपरान्त यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि अनेक ऐसे आर्थिक एवं अनार्थिक तत्व अर्थव्यवस्था में प्रवर्तमान हैं जो जनपदीय अर्थव्यवस्था की उद्योग शून्यता के लिए उत्तरदायी है।

### 9.3 कतिपय सुझाव :-

जनपदीय अर्थव्यवस्था को 'उद्योग-शून्यता' के अभिशाप से मुक्ति दिलाने हेतु कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव अग्र प्रकार से हैं -

1. औद्योगिक विकास हेतु जनपद में आधार भूत सुविधाओं जिनमें यातायात, संचार व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
2. यहाँ की शिक्षित नयी पीढ़ी के बेरोजगार युवकों को उत्पादन की दिशा में अग्रसर करने हेतु यथोचित प्रशिक्षण प्रदान कर सही दिशा प्रदान की जा सकती है।
3. जनपदीय अर्थव्यवस्था के कृषीय स्वरूप को बदलकर औद्योगिक स्वरूप का निर्माण किया जाना चाहिए।
4. जनपदीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान विनियोजनगत शर्मीलेपन को दूर किया जाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था औद्योगिक संवृद्धि के निम्न संतुलन पाश से बाहर आ सके।
5. जनपद में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर भूमि की उपलब्धता आसान शर्तों एवं आसान किस्तों में करायी जानी चाहिए।
6. जनपद में औद्योगिक विकास के लिए, जनपद के अविकसित क्षेत्रों में शासन द्वारा करों, शुल्क आदि में छूट प्रदान की जानी चाहिए।
7. जनपद में औद्योगिक विकास के लिए, तकनीकी प्रशिक्षण, शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जानी चाहिए।
8. लघु उद्योग स्थापनार्थ कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

9. जनपद बाँदा की विषम सामाजिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये औद्योगीकरण द्वारा आर्थिक विकास हेतु शासन की ओर से विशेष औद्योगिक विकास पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
10. जनपद बाँदा में उद्यमियों को अभिप्रेरित एवं प्रशिक्षित करने के लिए औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम निरन्तर चलाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।
11. जनपद में उचित औद्योगिक विकास के लिए सड़कों का निर्माण एवं कुशल यातायात की व्यवस्था की जानी चाहिए।
12. जनपद में औद्योगिक शून्यता का मुख्य कारण कच्चे माल का अभाव है। अतः माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
13. औद्योगिक विकास के लिए जनपद में उपस्थित प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन किया जाना चाहिए।
14. जनपद में शजर पत्थर तराशने, आभूषण बनाने, पत्थर की मूर्तियां बनाने की दक्षता विद्यमान है। इसे विकसित एवं प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
15. जनपद बांदा वनों से धनी है। इन पुराने वनों में औषधीय पेड़, पौधे प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इन पर आधारित उद्योगों की प्रबल सम्भावनाएं हैं। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना पर प्रोत्साहित किये जाने की महती आवश्यकता है।
16. जनपद में महिला साक्षरता दर बहुत कम है। इसको बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

17. जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमशीलता में वृद्धि के लिए उचित परामर्श एवं सुझाव के रूप में क्रियाशील सहभागिता निभानी चाहिए।

अतः यदि उपरोक्त सुझाये गये उपायों पर उचित कदम उठायें जाये तो जनपद में व्याप्त उद्योग शून्यता को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

#### 9.4 कार्ई वर्ग परीक्षण :-

कार्ई वर्ग जो कि वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के अन्तर का एक माप है, का मुख्य उद्देश्य वास्तव में दो गुणों की स्वतन्त्रता की जांच करना है। इस सांख्यिकीय तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग प्रो० हेममर्ट द्वारा किया गया था। लेकिन इसको विधिवत ढंग से विश्लेषित करने का श्रेय प्रो० कार्ल पियर्सन महोदय को है जिन्होंने सन् 1900 में इसका सफल परीक्षण भी किया था। कार्ई वर्ग जांच से इस बात की जानकारी होती है कि समग्र विशेष में अवलोकन व प्रत्याशा का अन्तर क्या हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं के गलत होने के कारण है, अथवा यह मात्र किसी संयोग अर्थात् दैव का परिणाम है।

**स्वतन्त्र जाँच की विधि :-** स्वतन्त्र जांच की विधि इस प्रकार है

##### 1. शून्य परिकल्पना :-

सर्वप्रथम यह परिकल्पना की जाती है कि अमुक दोनों गुण पूर्णतः स्वतन्त्र है अर्थात् उनकी वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों का अन्तर शून्य है। वास्तव में, इस मान्यता को शून्य परिकल्पना कहा जाता है।

##### 2. कार्ई वर्ग का परिकलन :-

ज्ञात अर्थात् वास्तविक आवृत्तियों ( $f_o$ ) की सहायता से प्रत्याशित ( $f_e$ ) आवृत्तियाँ निकालकर और कार्ई वर्ग का मूल्य ( $\chi^2$ ) ज्ञात कर लिया जाता है।

##### 3. स्वातन्त्र्य संख्या :-

आसंग सारणी में कुछ कोष्ठ ऐसे होते हैं जिनकी आवृत्तियों के निकालने की

जरूरत नहीं होती अर्थात् इन आवृत्तियों को निकालने की जरूरत नहीं होती। यदि न्यूनतम् आवृत्तियां हमें ज्ञात हों तो शेष आवृत्तियां इनके ऊपर आधारित की जा सकती है अर्थात् क्षैतिज जोड़ या उदग्र जोड़ में से घटाकर उन्हें मालूम किया जा सकता है स्वतन्त्र आवृत्तियों की संख्या ही वास्तव में, स्वातन्त्र्य संख्या या स्वातन्त्र्यांक कहलाती है जिसका सूत्र इस प्रकार है।

$$d . f = (e-1) (y-1)$$

#### 4. कार्द वर्ग तालिका का प्रयोग :-

कार्द वर्ग और स्वतन्त्रयांश को ज्ञात करने के बाद तालिका में से एक निश्चित सार्थकता स्तर पर और स्वातन्त्र्य संख्या से सम्बन्धित कार्द वर्ग का ( $y^2$  value) मूल्य देख लिया जाता है।

#### 5. परिकल्पना परीक्षण :-

परीक्षण अर्थात् निष्कर्ष की दृष्टि से जब का परिकल्पित मूल्य इसके सारणी मूल्य से अधिक होता है तो शून्य परिकल्पना गलत हो जाती है अर्थात् उक्त दोनों गुण स्वतन्त्र न होकर परस्पर आश्रित या सम्बन्धित होते हैं इसके विपरीत यदि परिकल्पित मूल्य सारणी मूल्य से कम होता है तो शून्य परिकल्पना ठीक मान ली जाती है। जिसका अर्थ यह हुआ कि दोनों गुण स्वतन्त्र है अर्थात् उनमें गुण साहचर्य नहीं हैं।

**परिशिष्ट**

## परिशिष्ट

- प्रयुक्त साक्षात्कार सूची
- बाँदा जनपद की अर्थव्यवस्था के आधारभूत आंकड़े
- औद्योगिक आस्थान

## साक्षात्कार अनुसूची

(गोपनीय)

उद्योग शून्यता के सन्दर्भ में जनपदीय उद्योग कर्मियों का साक्षात्कार

वित्तीय वर्ष 2000-2001

शोध निदेशक : डॉ० एस.के. त्रिपाठी

शोधार्थी : रामभद्र त्रिपाठी

### सामान्य सूचनाएँ

1. तहसील का नाम.....
2. पुरुष या महिला उद्यमी.....
3. उद्यमी की आयु वर्षों में.....
4. उद्यमी के उद्योग का नाम.....[कुटीर]..... [लघु]
5. उद्यमी के उद्योग स्थापित करने का वर्ष.....
6. उद्यमी के शिक्षा का स्तर.....
7. तकनीकी प्रशिक्षण का प्रकार.....  
(यदि कोई हो तो)
8. तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली  
संस्था का नाम एवं पता.....
9. तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष.....
10. तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता के कारण-
  1. उद्योग से सम्बन्धित जानकारी हेतु
  2. तकनीकी ज्ञान हेतु
  3. उद्योग की प्रकृति के कारण
  4. भविष्य में उद्योग संचालन हेतु
  5. कोई अन्य कारण

## विशिष्ट सूचनाएं

11. आपने किस वस्तु या सेवा का उद्योग स्थापित किया है।
1. उपभोग वस्तु
  2. उत्पादन वस्तु
  3. सेवा से सम्बद्ध वस्तु
  4. विशिष्ट वस्तु
  5. सामान्य वस्तु
12. इस उद्योग के ही स्थापित करने का मुख्य कारण -
1. जनपदीय विकास
  2. उद्योग गत विशेषज्ञता
  3. संसाधन उपलब्धता
  4. क्षेत्रीय मांग
  5. अन्य कोई कारण
13. आपका यह उद्योग एकल या संयुक्त स्वामित्व वाला है ?
1. एकल स्वामित्व
  2. संयुक्त स्वामित्व
14. आपके उद्योग को जनपद में प्राप्त होने वाली मुख्य सुविधाएं कौन कौन सी हैं।
1. कच्चे माल की सुविधा
  2. विपणन की सुविधा
  3. वित्त की सुविधा
  4. परिवहन की सुविधा
  5. तकनीकी सुविधा
15. आपको ये सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती है।
1. बाँदा नगर से
  2. जनपद के अन्य भागों से
  3. इलाहाबाद
  4. कानपुर से
  5. झांसी से
16. उपरोक्त विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति में कौन सी मुख्य समस्या सामने आती है।
1. साधनों का महंगापन
  2. स्थानीय मांग की समस्या
  3. विद्युत की समस्या
  4. परिवहन की समस्या
  5. वित्त की समस्या ।
17. क्या आपका उद्योग किसी संस्था द्वारा वित्त पोषित है।
1. हाँ
  2. नहीं



18. यदि वित्त पोषित है तो वित्त की सुविधा किस संस्था द्वारा प्राप्त हुयी है।
1. भारतीय औद्योगिक विकास निगम
  2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
  3. राज्य वित्तीय निगम
  4. राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक
  5. स्वयं के माध्यम से
19. वित्त कब और कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ।
- रु०.....वर्ष.....
20. वित्तीय सुविधा प्राप्त होने में समय कितना लगा।
1. दो महीने
  2. छः महीने
  3. वर्ष भर
  4. इससे भी कम
  5. इससे भी अधिक
21. जिला उद्योग केन्द्र से आपको किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुयी।
1. प्रोजेक्ट सहायता
  2. प्रशिक्षण
  3. तकनीकी निदर्शन
  4. वित्त व्यवस्था की जानकारी एवं संस्था
  5. विभिन्न योजनाओं की जानकारी
22. आपको इस उद्योग से सम्बन्धित प्रेरणा कहां से प्राप्त हुयी।
1. स्वयं से
  2. जि०उ०के० से
  3. स्वयं सेवी संस्थाओं से
  4. विज्ञापन एवं प्रचार से
  5. सरकारी माध्यम से
23. आपके उद्योग में किस प्रकार की उत्पादन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है।
1. प्राथमिक
  2. द्वितीयक
  3. तृतीयक
  4. यांत्रिक
  5. मिश्रित।

24. आपका उद्योग लाभकारी या सामान्य लाभ वाला है।

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. लाभकारी      | 2. सामान्य लाभ वाला |
| 3. अतिरिक्त लाभ | 4. कभी लाभ/कभी हानि |
| 5. अनिश्चितता   |                     |

25. क्या आपको हानि हुयी है।

- |        |         |
|--------|---------|
| 1. हां | 2. नहीं |
|--------|---------|

26. यदि हां, तो कब और कितनी ( रू० में).....

27. प्रचुर जल, खनिज तथा वन सम्पदा के होते हुये भी औद्योगीकरण की दर के निम्न होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं।

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. कच्चे माल का अभाव        | 2. तकनीकी ज्ञान की कमी                  |
| 3. उद्यमशीलता की प्रेरणा की | 4. पर्याप्त वित्त की व्यवस्था का न होना |
| 5. अन्य कोई कारण            |   |

28. औद्योगीकरण की दर निम्न है और आपका समस्याएँ है तो आप भविष्यगत क्या सुविधाएँ चाहते हैं।

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. पर्याप्त ऋण        | 2. सस्ते दर पर कच्चा माल     |
| 3. करो/ शुल्क में छूट | 4. शक्ति के साधनों की सुगमता |
| 5. परिवहन की सुविधा   | 6. तकनीकी सुविधाएँ           |

29. जनपदीय उद्योग शून्यता के निराकरण के संदर्भ में कोई प्रमुख विचार

.....

.....

.....

.....

## तालिका सं० 1

## जनपद बांदा में साक्षर व्यक्ति तथा साक्षरता का प्रतिशत

| वर्ष | साक्षर व्यक्ति |        |        | साक्षरता का प्रतिशत |        |      |
|------|----------------|--------|--------|---------------------|--------|------|
|      | पुरुष          | स्त्री | कुल    | पुरुष               | स्त्री | कुल  |
| 1971 | 105274         | 22881  | 128155 | 32.5                | 8.0    | 21.1 |
| 1981 | 159958         | 40412  | 200370 | 40.8                | 12.1   | 27.6 |
| 1991 | 224919         | 30479  | 255398 | 57.8                | 22.0   | 41.7 |

स्रोत : समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बांदा (उ०प्र०) वर्ष 2001-2002

## तालिका सं० 2

## जनपद में अनुसूचित जाति/ जनजाति परिवारों की जनसंख्या

| वर्ष | अनुसूचित जाति |        |        | अनुसूचित जनजाति |       |        |
|------|---------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|
|      | कुल           | पुरुष  | स्त्री | कुल             | पुरुष | स्त्री |
| 1971 | 177467        | 93429  | 84038  | 54              | 30    | 24     |
| 1981 | 233657        | 127191 | 106466 | 15              | 08    | 07     |
| 1991 | 269445        | 147322 | 122123 | 40              | 28    | 12     |

स्रोत : समाजार्थिक समीक्षा जनपद बांदा (उ०प्र०) वर्ष 2001-2002

## तालिका सं० 3

जनपदीय आय की प्रवृत्ति एवं विभिन्न सेक्टरों में आय की स्थिति

| क्र०सं० | आय का मद                 | धनराशि   |
|---------|--------------------------|----------|
| 1.      | बालू मोरम पट्टे से       | 232870   |
| 2.      | मोटर देय से आय           | 937266   |
| 3.      | उद्योग ऋणों की वसूली     | 183960   |
| 4.      | अन्य देशों की वसूली      | 5488851  |
| 5.      | विद्युत देय              | 2077530  |
| 6.      | बैंक देय                 | 17807112 |
| 7.      | मनोरंजन                  | 1000     |
| 8.      | ग्राम समाज हर्जाना       | 111724   |
| 9.      | स्टाम्प देय              | 172151   |
| 10.     | माल गुजारी               | 2416741  |
| 11.     | सिंचाई से आय             | 9706912  |
| 12.     | पुलों से आय              | अप्राप्त |
| 13.     | व्यापार कर से प्राप्त आय | 1209626  |
| 14.     | आबकारी से प्राप्त आय     | अप्राप्त |

स्रोत- समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बांदा (उ०प्र०) वर्ष 2001-2002

## तालिका सं- 4

## जनपद में मुख्य फसलों की औसत उपज प्र० हे०

| क्र०सं० | फसल              | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---------|------------------|---------|---------|-----------|
| 1.      | चावल खरीफ/जायद   | 11.98   | 14.88   | 13.32     |
| 2.      | गेहूँ            | 12.76   | 15.88   | 15.51     |
| 3.      | ज्वार            | 17.92   | 20.05   | 16.75     |
| 4.      | बाजरा            | 4.40    | 7.55    | 8.57      |
| 5.      | मक्का खरीफ/जायद  | 7.80    | 5.51    | 4.32      |
| 6.      | महुवा            | 15.79   | 10.14   | -         |
| 7.      | सांवा खरीफ/ जायद | 7.48    | -       | -         |
| 8.      | कोदों            | 6.11    | 6.21    | 6.67      |
| 9.      | काकून            | 4.42    | 6.50    | 4.07      |
| 10.     | कुटकी            | -       | -       | -         |
| 11.     | उड़द खरीफ/जायद   | 1.01    | 2.41    | 3.25      |
| 12.     | मूँग खरीफ/जायद   | 2.79    | 3.15    | 2.45      |
| 13.     | मसूर             | 6.92    | 8.47    | 7.11      |
| 14.     | चना              | 6.72    | 8.81    | 7.60      |
| 15.     | मटर              | 6.72    | 7.60    | 8.81      |
| 16.     | अरहर             | 11.90   | 10.48   | 12.24     |
| 17.     | मोठ              | 16.44   | 20.47   | 21.29     |
| 18.     | लाही/सरसों       | 4.12    | 5.42    | 4.44      |
| 19.     | अलसी             | 4.71    | 5.58    | 5.19      |
| 20.     | तिल (शुद्ध)      | 1.34    | 0.80    | 1.35      |
| 21.     | रेड़ी            | -       | 6.50    | -         |
| 22.     | मूँगफली          | 6.90    | 4.84    | 6.22      |

|     |          |        |        |        |
|-----|----------|--------|--------|--------|
| 23. | सूरजमुखी | 13.52  | 12.23  | 13.02  |
| 24. | सोयाबीन  | 8.07   | 4.37   | 7.85   |
| 25. | गन्ना    | 209.68 | 418.48 | 324.38 |
| 26. | आलू      | 146.69 | 228.17 | 225.36 |
| 27. | तम्बाकू  | 61.55  | 5983   | 50.00  |
| 28. | जौ       | -      | -      | -      |
| 29. | कपास     | -      | -      | -      |
| 30. | कपास     | -      | -      | -      |
| 31. | सनई      | 3.85   | 3.64   | 3.33   |
| 32. | हल्दी    | -      | -      | -      |

स्रोत : समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बांदा (उ०प्र०) वर्ष 2001-2002

## तालिका सं० 5

## जनपद में सिंचाई साधनों का विवरण

| वर्ष      | नहरों की लम्बाई<br>(कि०मी) | राज० नलकूप<br>(सं०) | पक्के कुएं<br>(सं०) | भूस्तरीय<br>पम्पसेट<br>(सं०) | बोरिंग<br>पम्पसेट<br>(सं०) | निजी<br>नलकूप<br>(सं०) |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1998-99   | 1193                       | 499                 | 4856                | 3145                         | 6903                       | 2488                   |
| 1999-2000 | 1193                       | 460                 | 4863                | 3261                         | 7102                       | 2488                   |
| 2000-2001 | 1193                       | 460                 | 4865                | 3413                         | 7375                       | 2511                   |

स्रोत : समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बांदा (उ०प्र०) वर्ष 2001-2002

### 1- मिनी औद्योगिक आस्थान :-

शासन की विकास खण्ड स्तर पर मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने की योजना के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 86-87 में विकास खण्ड कर्वी, वर्ष 87-88 में विकास खण्ड रामनगर, बबेरू, मानिकपुर एवं तिदवारी तथा वर्ष 88-89 में विकास खण्ड जसपुरा, बिसण्डा, बडोखर खुर्द, कमासिन, नरैनी एवं मऊ चयनित किये गये है। इन मिनी औद्योगिक आस्थानों में पीने का पानी, सड़के, विद्युत आदि की सुविधाओं को छोटे छोटे भूखण्ड उद्योगों के लिए आवंटित किये जायेंगे। वर्तमान में विकास खण्ड मानिकपुर में 3 एकड़ भूमि पर उ० प्र० लघु उद्योग निगम द्वारा तथा विकास खण्ड कर्वी में कालूपुर पाही ग्राम में 2.7 एकड़ भूमि पर उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम द्वारा निर्माण कराये जा रहे है। शेष विकास खण्डों में शासन के निर्देश प्राप्त होने पर मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित कराया जाना प्रस्तावित हैं।

### 2- औद्योगिक आस्थान :-

जनपद पुलिस लाइन के सामने 8086 एकड़ भूमि पर उद्योग विभाग द्वारा एक औद्योगिक आस्थान विकसित किया गया है जिसमें 14 भूखण्ड एवं 8 रोड उपलब्ध है। सभी भूखण्ड एवं 7 रोड उद्यमियों में आवंटित है। वर्तमान में 5 शेडों में 5 इकाइयां एवं 11 भूखण्डों पर 8 इकाइयां कार्यरत है तथा एक इकाई निर्माणधीन है। इस औद्योगिक आस्थान में विकलांगों के उपकार हेतु इंजीनियरिंग वर्कशाप, बैड, खाद्य तेल, स्टील अलमारी, प्रिंटिंग प्रेस, प्लास्टिक दाना एवं लकड़ी फर्नीचर आदि की इकाइयां स्थापित हैं।

### 3- औद्योगिक क्षेत्र :-

#### (क) साइड सं० 1

औद्योगिक क्षेत्र बरगढ़ साइड नं० 1, 513, एकड़ भूमि पर स्थापित है। यह भूमि मेसर्स कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास को आवंटित है।

#### (स) साइड सं० 2

यू०पी० एस०आई० डी० सी० द्वारा बांदा इलाहाबाद रोड पर बांदा मुख्यालय से



लगभग 180 किमी० दूरी पर इलाहाबाद से लगभग 60 कि०मी० दूरी पर 54 एकड़ भूमि पर यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसमें 127 भूखण्ड हैं। वर्तमान में 4 भूखण्ड हैं। भूमि का मूल्य 50/- रु० प्रति वर्ग मीटर है। भूखण्ड आवंटन हेतु यू०पी०एस०आई०डी०सी० के इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से अथवा जिला उद्योग केन्द्र बांदा से सम्पर्क किया जा सकता है।

### (ग) औद्योगिक क्षेत्र अतर्रा

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा बांदा इलाहाबाद रोड पर बांदा मुख्यालय से 38 कि०मी० की दूरी पर यह औद्योगिक क्षेत्र 18.63 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है जिसमें 13 भूखण्ड है तथा वर्तमान में एक इकाई मेसर्स नारायण मिल कार्यरत है शेष इकाइयां स्थापनारत हैं।

### (घ) औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़

बांदा महोबा मार्ग पर मुख्यालय से 4 किमी० की दूरी पर 104 एकड़ भूमि पर यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें 159 भूखण्ड प्रस्तावित है। वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में विकास कार्य पूर्ण हो चुका है शेष का विकास कार्य यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा चलाया जा रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 110 उद्यमियों को भूखण्ड आबंटित किये जा चुके है। इस औद्योगिक क्षेत्र में पहले 50 प्रतिशत क्षेत्र के भूखण्ड का मूल्य 55/- रु० प्रति वर्गमीटर तथा शेष 50 प्रतिशत क्षेत्र के भूखण्ड का मूल्य 85/- रु० वर्गमीटर यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा निर्धारित है। भूखण्ड आवंटन के लिए यू०पी०एस०आई०डी०सी० क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद एवं जिला उद्योग केन्द्र बांदा से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

### (द) मवई कताई मिल

मवई कताई मिल जनपद बांदा की एक मध्यम आकार की औद्योगिक इकाई है,

जिसमें सूत कातने का कार्य होता है। ये मिल मुख्यालय से 3 कि०मी० दूर बांदा चिल्ला मार्ग पर स्थित है।

इस मिल की स्थापना सन् 1984 में हुयी। मिल में मजदूर अन्य कर्मचारी तथा अधिकारीगणों समेत 1272 व्यक्ति कार्यरत है। मिल में उत्पादन प्रविधि में मेन पावर मशीनों के द्वारा कार्य होता है। उत्पादन सम्बन्धी कच्चा माल पंजाब और कलकत्ता से मंगाया जाता है। सम्प्रति यह मिल पूर्व के कई सालों के लगातार घाटे के कारण अस्थायी रूप में बंद है।

**संदर्भ कोष**

## संदर्भ कोष

- संदर्भ ग्रन्थ सूची
- शोध लेख एवं पत्र
- समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं

SELECT BIBLIOGRAPHY

## (क) पुस्तकें

- 1- Ackley Gardner : Macroeconomic Theory.
- 2- Ackoff, Russel : The Design of Social Research, Chicago Press, 1961
- 3- Adarkar : Health Insurance for Industrial Workers.
- 4- Awaasthi, A.K. : Economics Development and planning Retrospect." D.K. Publishers, New Delhi.
- 5- Baker R.P. and : The Preparation of Reports, Ronal  
Howell A.C. Press, New York, 1938.
- 6- Basu S.K. : Contemporary Banking Trends.
- 7- Bechkart B.H. : Banking system.
- 8- Beveridge : Full employment in Free Society.
- 9- Beronson et. al. : Research and Economics, Randon House,  
New York, 1971.
- 10- Bhargava, P.K. : "Essay on Indian Public Finance" New  
Delhi.
- 11- Carson Deane : Money and Finance.
- 12- Chandler L.V. : An Introduction to Monetary Theory.
- 13- Chaudhary C.M. : Research Methodology, RBSA Publishing,  
Jaipur, 1991.
- 14- Chaturvedi, J.C. : Mathematical Statistics, Nork Jhonk  
Karayala, 1953.

- 15- Chaudhari Radhakrishna : Economic History of Ancient India, New Delhi.
- 16- Chick V. : The theory of Monetary Policy, oxford Basil Blackell, 1977.
- 17- Chopra, P.N. : Advance Economic Theory, Kalyani Publishers, Ludhiana, 1981.
- 18- Crowther G. : An outline of money.
- 19- Crowthorne et. al. : Essay on commercial banking.
- 20- Chandler L.V. : The economic of Banking and money.
- 21- Conard J.W. : An introduction to the theory of Interest, Berkeley, 1963.
- 22- Dag A.C.L. : An outline of Monetary Economics
- 23- Dekock : Central Banking.
- 24- Dillard D. : The Economics of J.M. Keynes
- 25- Dusenbery J.S. : Money and Credit : Impact and Control.
- 26- Dusenbery J.S. : Business Cycle & Economic Growth.
- 27- Eingig, Paul : How money is managed.
- 28- Emony C. William : Business Research Methods. Homewood, 1971.
- 29- Fisher R.A. : Statistical Method for Research workers, Hafner Publisher, New York.
- 30- Friedman Milton : Inflation, consequences and causes.
- 31- Friedmon P. : The Principles of Scientific Research, New

York.

- 32- Gadgil : Ragulation of Wages.
- 33- Gardiner, B.B. : Human Relations in Industry.
- 34- Ghosh, Alok : Financial Intermediaries and Monetary Policy.
- 35- Ghosh M.A. : An introduction to research Procedure Social Sciences.
- 36- Ghosh B.N. : Scientific Methods and Social Research, Sterling Pvt. Ltd. New Delhi 1982.
- 37- Giri, V.V. : Labour Problems in Indian Industry.
- 38- Gupta Saroj B. : Monetary Theory; Institution, Policy and theory, S. Chand and Company Ltd. New Delhi 1999.
- 39- Gupta U.P. : Export Guide, D.K. Publishers, New Delhi.
- 40- Goode et. al. : Methods of Social Research, McGraw Hill, New York, 1952.
- 41- Halm G.M. : Monetary Theory.
- 42- Hansen A.H. : Guide to Keynes
- 43- Hansen A.H. : Monetary Theory and Fiscal Policy
- 44- Harney J. et.al. : Introduction to Macroeconomics.
- Harold Butler : Problems of Industry in the east.
- 45- Hawtrey R.G. : The Gold Standard in Theory and practice.
- Hearnshaw : Human Welfare and Industrial Efficiency.

- 46- Howtrey : Trade Depression and the way out.
- 47- Hester Donald D. : Indian Banks - their portfolio, profits and policy.
- 48- Hillway T. : Introduction to Research, Houghton Mifflin, 1964.
- 49- Hicks J.R. : Value and capital.
- Hubbard, G.E. : Eastern Industrialisation and its effects on the west.
- 50- Jevons W.S. : Money and the Mechanism of the exchange.
- 51- John, Peter W.M. : Statistical Design and Analysis of Experiments. The Macmillan Co., New York, 1971.
- 52- Joshi, M.S. : Financial Intermediaries in India.
- 53- Kent R.P. : Money and Banking.
- 54- Keynes : The Economic consequences of Mr. Churchill.
- 55- Keynes J.M. : A treatise on Money.
- 56- Keynes J.M. : The General Theory of Employment Interest and Money.
- 57- Keynes J.M. : How to pay for the war.
- 58- Klein L.R. : The Keynesian Revolution.
- 59- Kothari C.R. : Quantitative Techniques, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1984.



- 60- Kothari C.R. : Research Methodology and Techniques,  
Wiley Eastern Ltd. New Delhi, 1986.
- 61- Kurihara K.K. : Monetary Theory and Public Policy.
- 62- Kish, Leslie : Survey Sampling, John Wiley and Sons,  
New York, 1965
- 63- Lal K.B. and : The EEC and the third World,  
Chopra S.H. D.K. Publishers, New Delhi.
- 64- Lee M.W. : Macroeconomics; Fluctuations, Growth and  
Stability.
- 65- Levin Richard T. : Statistics for Managers, Prentice Hall Pvt.  
Ltd., New Delhi, 1979.
- 66- Lokanathar : Industrial Welfare in India.
- 67- Mahajan B.S. : Economic Development of India. A review  
of Recent Economic, Studies, New Delhi.
- 68- Mahesh Chandra : Economic Theory, A Mathematical  
and Anand Vinod Approach, Kitab Mahal, Allahabad.
- 69- Marget A.W. : The Theory of Prices.
- 70- Marshall A. : Money, Credit and Commerce.
- 71- Meyers A.L. : Elements of Modern Economics.
- 72- Meyo, E. : The Human Problems of Industrial  
Civilization.
- 73- Meyo, E. : The Social Problems of Industrial  
Civilization.

- 74- Mills J.S. : Principles of Political Economy.
- 75- Mithani D.M. : "Eassay in Money, insurance Finance, Trade and Growth", Allahabad.
- 76- Mithani D.M. : Money, Banking, International Trade and Public Finance. Himalaya Publishing House, Bombay, 1984.
- 77- Newlyn W.T. : Theory of Money.
- 78- Noether G.E. : Elements of Non Parametric Statistics, John. Wiley and Sons, New York, 1967.
- 79- Omen M.A. and Joseph K.V. : Economics of Film Industry in India, D.K. Publishers, New Delhi.
- Panandikar : Industrial Labour in India.
- 80- Pigou A.C. : The Veil of Money.
- 81- Robertsm D.H. : Money
- 82- Robinson J. : Introduction to the Theory of Employment.
- Sahhu, A.N. & Singh, Amarjeet : Research Methodology in Social Science.
- 83- Samuelson P.A. : Economics, 11th eds.
- 84- Samuelson P.A. : Economics, An Introdctory Analysis
- 85- Sayers R.S. : Modern Banking.
- 86- Sen S.N. : Central Banking in Underdeveloped Money Market.
- 87- Shapiro E. : Macro Economics

- Shiva Rao, B. : The Industrial Workers in India
- 88- Sinha S.L.N. : The Capital Market of India.
- 89- Spalding W.E. : A key to money and Banking.
- Smith, May : An Introductin to Industrial Psychology.
- Spiegel : Industrial Management.
- 90- Stoni and Hague : A Text Book of Economic Theory.
- 91- Tandon B.C. : Research Methodology In Social Sciences"  
Chaitanya Publishing House, Allahabad.
- 92- Thomas R.G. : Our Modern Banking and Mandatory System.
- Tredgold, R.R. : Human Relations in Modern Industry.
- 93- Ullman Neil R. : Elementary Statistics, John Wiley and  
Sons, New York, 1978.
- 94- Vaswami T.A. : Indian Banking System, A Critical Study  
of the Central and Commercial Banking  
Sector.
- 95- Walters A.A. : Money and Banking.
- 96- Welfing Weldon : Money and Banking.
- 97- Whitney F.L. : The Elements of Research, New York,  
1950.
- 98- Young P.B. : Scientific Social Surveys and Research,  
Prentice Hall, New York, 1957.
- 99- Yamane T. : An introductory analysis, Harper and Row,  
New York.

- 100 Zachariah, K.A. : Industrial Relations and Personal Problems.
- 101- Znaniecki F. : The Methods of Sociology, New Delhi, 1934.
19. डी०एन० एवानहनत : फण्डामेण्टल आफ स्टैटिस्टिक, 1970
20. ए० कोत्स्यायनिस : मॉडर्न इकोनामिक्स दि मैकनिलन प्रेस लि०, लंदन
21. फिलिप एण्ड टोडैस : मैक्रो इकोनामिक थ्योरी आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नैरोबी
22. रामबाबू गुप्ता एवं मीटा गुप्ता : समाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, कानपुर, 1977
23. पी० बी० यंग : साइन्टिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च प्रेन्टिस हॉल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली 1961
24. दूधनाथ चतुर्वेदी : श्रम सिद्धान्त एम्समीक्षा साहित्य केंद्र ज्ञानवापी वाराणसी, 1961
25. जान वेस्ट : रिसर्च इन एजुकेशन प्रेन्टिस हाल, नई दिल्ली, 1978-79
26. रूद्रदत्त एवं के० पी० एम० सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था एस० चान्द एण्ड कम्पनी नई, दिल्ली 1993
27. एस० आर० महेश्वरी : रूरल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया
28. के० के० कुरिहारा : द केन्सिपन ध्योर ऑफ इकोनामिक डेवलमेंट
29. डॉ० जे० सी० पन्त : आर्थिक विश्लेषण, जैन सन्स प्रिंटर्स, आगरा
31. डा० एन० एन० लाल : अर्थशास्त्र के सिद्धान्त शिव पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद
32. डा० रवीन्द्र नाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, 7 यूए जवाहर नगर, नई दिल्ली
33. पारसनाथ राय : अनुसंधान परिचय, 1973 एवं 1989
34. डॉ० शुक्ल एवं सहाय : साहित्यकी के सिद्धान्त साहित्य प्रकाशन, आगरा

35. डॉ० आर० ए० त्रिवेदी तथा : रिसर्च मैथडोलॉजी, गलेज बुक डिपो, जयपुर  
डॉ० डी० पी० शुक्ल
36. आई० सी० ढींगरा : रुरल इकोनामिक्स, सुल्तानचद एण्ड सन्स, नई दिल्ली  
1989
37. सुरेश कुमार शर्मा : डायनमिक आफ डेवलेपनेट एण्ड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव  
डी० के० पब्लिसर्स, नई दिल्ली
38. श्री पी० मिश्रा : ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्रिंट वैल पब्लिसर्स
39. एस० पी० गुप्ता : भारत में ग्रामीण विकास के चार दशक ग्रामीण  
विकास प्रकाशन इलाहाबाद
40. डॉ० आर० पी० सक्सेना : श्रम समस्यायार्ये एवं सामाजिक एवं सामाजिक कल्याण  
जय प्रकाशन एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1967

## (ख) शोध लेख / पत्र

- 1- Chattopadhyay P. : "Indian Industry New Strategic Options."  
E.P.W., Mumbai. Vol. XXXVI No. 4, pp.  
281.
- 2- Dash P.L. : "Perils of Putin's Russia", EPW, Mumbai,  
Vol. XXXVI No. 4, Jan 27-0Feb 2, 2001,  
pp. 288
- 3- D'Souza Errol : Prudential Regulation In Indian Banking"  
E.P.W., Mumbai, Vol. XXXV No. 5 Jan. 29-  
Feb. 4, pp. 287.
- 4- Ghosh D.N. : "Weak Banks : A Strategy for self Renewal"  
EPW, Mumbai, vol. XXXV No. 5, Jan. 29-  
Feb 4, 2000, pp. 243.
- 5- Nair Tara S. : "Institutionalising Micro Finance In India,  
An overview of Strategic Issues", EPW,  
Mumbai, Vol. XXXVI No. 4, pp. 399.
- 6- Nachne D.M. : "Bank Response to Capital  
et.al. Requirements Theory and Evidence", E.P.W.,  
Mumbai, Vol. XXXVI No. 4, Jan. 27-Feb.  
4 2001, pp. 329.
- 7- Nair Tara S. : "Rural Financial Intermediation and  
Commercial Banks", EPW Mumbai, Vol.  
XXXV No. 5, Jan 29 - Feb. 4, pp. 299.

- 8- Rutherford : "Myths about the poor and Money"  
Stuard Oxford University Press, New Delhi, EPW,  
Vol. XXXVI No. 4, pp. 296.
- 9- Satysai KJS : "Restructuring Rural Credit Co-  
et.al. operative Institutions", EPW, Mumbai, Vol.  
XXXV No. 5, Jan 29 - Feb 4, 2000, pp.  
305.

## (ग) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं

## समाचार पत्र

1. द इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली (पिछले कई वर्षों की)
2. द इकोनामिक टाइम्स (पिछले कई वर्षों की)
3. टाइम्स आफ इण्डिया (पिछले कई वर्षों की)
4. न्यू भारत टाइम्स, लखनऊ (पिछले कई वर्षों की)
5. दैनिक जागरण, बांदा (पिछले कई वर्षों का)
6. दैनिक जागरण, बांदा (पिछले दो वर्षों का)
7. अमर उजाला, कानपुर (पिछले दो वर्षों का)
8. जनसत्ता नई दिल्ली (पिछले दो वर्षों का)
9. स्थानीय समाचार पत्र (पिछले दो वर्षों का)
10. नव भारत टाइम्स (पिछले दो वर्षों का)

## पत्रिकायें

1. इंडिया टुडे (पिछले कई वर्षों की)
2. ओरियन्टल (पिछले दो वर्षों की)
3. कोलीग (पिछले कई वर्षों की)
4. योजना (पिछले कई वर्षों की)
- 542, योजनाभवन, नई दिल्ली
5. कुरुक्षेत्र (पिछले कई वर्षों की)
- सं० कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467 कृषि भवन, नई दिल्ली (विभिन्न अंक)
6. सांख्यिकी डायरी (पिछले कई वर्षों की)
- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, कानपुर (विभिन्न अंक)
7. उत्तर प्रदेश वार्षिकी (पिछले कई वर्षों की)
- निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ (विभिन्न अंक)